राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] ग्यारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 6

बुधवार;

21 नवम्बर, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हरजीराम बुरड़क।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

1. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था कि जिन अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही लम्बित है, उन्हें जनता से जुड़े पदों पर नहीं रखा जाएगा? यदि हां, तो उक्त में किस-किस संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया? उक्त सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में किस-किस प्रकार की जांच कार्यवाही को सम्मिलित किया गया तथा विभागीय जांच कार्यवाही के अतिरिक्त और कौन-कौन से प्रकरण हैं?

(3) क्या यह सही है कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राथमिक जांच के बाद मुकदमा दर्ज हो जाने वाली कार्यवाही को भी उक्त में सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त आदेशों की पालना में अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा अब क्या प्रस्तावित है, जो कब तक की जा सकेगी?

कार्मिक मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला): (1) जी हां। राज्य सरकार ने परिपत्र जारी करके यह निर्देशित किया है कि निम्नलिखित तीन श्रेणी के लोक सेवकों को फील्ड पोस्ट अथवा ऐसे पदों पर पदस्थापित नहीं किया जाये जहां पर उनका जनता से सीधा सम्पर्क होता हो या जिन पदों पर राजकीय राशि के लेन-देन से सम्बन्धित कार्य सम्पादित हो:-

1. ऐसे लोक सेवक जिनके विरुद्ध राजकीय धन राशि के गबन अथवा दुर्विनियोजन अथवा अन्य किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता के आरोपों के आधार पर 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन हो या जिनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही विचाराधीन हो।

2. ऐसे लोक सेवक जिनके विरुद्ध राजकीय धन राशि के गबन अथवा दुर्विनियोजन अथवा अन्य किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता के आरोपों के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सम्बन्ध में 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही में कोई वृहत् दण्ड प्रदान किया गया हो या जो आपराधिक कार्यवाही में दण्डित किये गये हों।

3. ऐसे लोक सेवक जिन्हें रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हो या जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अधीन मामला न्यायालय में लम्बित हो।

इस सम्बन्ध में जारी किये गये परिपत्रों की प्रतिलिपियां परिशिष्ट ''क'', परिशिष्ट ''ख'' एवं परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न हैं।

(2) विस्तृत विवरण भाग (1) के उत्तर में वर्णित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। गृह विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2001 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जिन राज्य सेवकों को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हो या जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अधीन मामला न्यायालय में लम्बित हो, उन राज्य सेवकों के विरुद्ध तत्सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन रहते हुये उनका फील्ड पोस्टिंग/पब्लिक डीलिंग के पदों पर पदस्थापित नहीं किया जाये। जिन मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाकर अन्वेषण किया जा रहा है, उन मामलों को इसलिये सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि जब तक अन्वेषण पूर्ण नहीं होता है तब तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई जुर्म साबित नहीं होता है।

(4) राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के तहत सभी विभागों द्वारा भाग (1) में वर्णित तीनों श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को फील्ड पोस्ट अथवा अन्य ऐसे पदों जिन पर जनता से सीधा सम्बन्ध होता है या राजकीय राशि का लेन–देन होता है, से हटाने हेतु कार्यवाही की गयी है।

(प्रतिलिपियों के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो तीन श्रेणियां कर्मचारी/अधिकारियों की, की हैं, उनमें दो के अलावा दूसरी जो श्रेणी है, वह एक–दूसरे से मेल नहीं खाती है। जैसे एक में यह कहा गया है कि 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन हो और दूसरे में कह दिया कि कार्यवाही पूरी हो गयी हो और उसको दण्ड दिया गया हो। और तीसरी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा मामला न्यायालय में चालान कर दिया गया हो। मंत्री महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जो मामला दर्ज किया जाता है उसमें सारी प्रारम्भिक इनक्वायरी होती है, वह सही साबित होने के बाद डी.जी. लेवल तक जाकर मामला दर्ज होता है। उस मामले में तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं और जिने मामलों में किसी ऊपर का अधिकारी नाराज हुआ, 16 सी.सी.ए. का नोटिस दे

(श्री हरजीराम बुरड़क)

दिया गया, वह उसी समय भ्रष्याचारी हो गया। यह एक–दूसरे से विपरीत आपका उत्तर है इसलिये, माननीय मंत्री महोदय, आप इस मामले को दुबारा देखें।

जहां तक आपने भ्रष्याचार उन्मूलन के लिये यह कदम उठाया है, मेरा इसमें यह सोच है कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देले वाला मामला है। जिस केस में ऊपर के अधिकारी को नीचे वाला अधिकारी भ्रष्याचार में सहयोग नहीं करेगा तो वह 16 सी.सी.ए. का नोटिस पकड़ा देगा। वह हाथा जोड़ी करके जवाब दे देगा तो उसको 17 में कन्वर्ट कर देंगे, तब तो वह ईमानदार हो गया। इसलिये यह जो आपकी परिभाषा है, वह भ्रष्टाचार उन्मूलन की नहीं है, वह उसको बढ़ावा देने की है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग संख्या (3) के उत्तर में यह स्पष्ट बताया है कि जिन मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा केवल मुकदमा दर्ज किया जाकर अन्वेषण किया जा रहा है, उन मामलों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरजीराम बुरड़क : यही मैं कह रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ....और इसके अलावा यदि माननीय सदस्य को ऐसी कोई सूचना है कि किसी कार्मिक के साथ कोई ज्यादती हुई है तो मुझे वह स्पेसिफिक केस बता दें, मैं उसको दिखवा लूंगा मैरिट के आधार पर।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह कोई इंडिविजुअल सवाल नहीं है, मेरा सवाल जनरल है और जनरल ही आपने उत्तर दिया है। मेरा यह कहना है कि 17 सी.सी.ए. का नोटिस जारी हुआ, वह तो गम्भीर आरोप हो गया और वह तो एकदम भ्रष्टाचारी हो गया और जिन मामलों में ए.सी.बी. में पूरी प्रारम्भिक जांच करके मामला साबित हो जाने के बाद डी.जी. लेवल तक जाकर उसका मामला दर्ज होता है, वह आपकी निगाह में कोई अपराध नहीं है? मेरा सीधा–सा सवाल यह है कि 16 सी.सी.ए. का नोटिस जारी होने को तो आपने बहुत भयंकर मान लिया। 16 सी.सी.ए. का नोटिस तो कोई भी नीचे के कर्मचारी को ऊपर के अधिकारी के कहने के अनुसार वह नहीं चलेगा, वह दे देगा। वह तो अपराधी हो गया और जिसके खिलाफ भयंकर भ्रष्टाचार की जांच होकर पूरा मामला साबित होता है, उसको आपने क्लीन चिट दे रखी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक तीनों कैटेगरी के केसेज आपके सामने रखे हैं— एक तो रंगे हाथों जो आदमी गिरफ्तार किया गया हो, भ्रष्याचार निरोधक अधिनियम के अधीन मामला न्यायालय में लम्बित हो, और राजकीय धन राशि का गबन अथवा दुर्विनियोजन अथवा किसी गम्भीर अनियमितता के आरोपों के सम्बन्ध में 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही में वृहत् दण्ड उसको दिया गया हो। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। तीसरी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कैटेगरी ऐसी है जिसमें ऐसे लेकर सेवक जिनके विरुद्ध राजकीय धन राशि के गबन अथवा दुर्विनियोजन अथवा किसी गम्भीर वित्तीय/अनियमितता के आरोपों के आधार पर 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन हो और जिनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही विचाराधीन हो, इसके बाद हमने एक क्लेरिफिकेशन भी कर दिया था जिसका उल्लेख मैंने प्रश्न के भाग संख्या (3) के उत्तर में बताया है कि विचाराधीन मामलों को हम अभी टच नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा....

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं जो पूछ रहा हूं, उसका आप उत्तर नहीं दे रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा–सा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या एंटी करप्शन में जो मामला जांच होकर दर्ज हो गया, आप 16 सी.सी.ए. के नोटिस को उससे भारी मान रहे हैं? यह मेरा सीधा–सा सवाल है आपने उत्तर में यह भी कहा है कि आपने जो अभी सकुर्लर निकाले हैं, उसमें एंटी करप्शन वालों को एड नहीं किया था। बाद में गृह विभाग ने लिख दिया कि इसको सम्मिलित नहीं करो, तो आपने सम्मिलित नहीं किया। क्या कोई दूसरा विभाग लिख देता तो भी आप सम्मिलित नहीं करते? यह सिद्धान्त की बात है। सारा एक ही सिद्धान्त होना चाहिये, आपने यह अलग–अलग क्यों किया?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मंशा यह थी कि कोई भी कार्मिक हो, विचाराधीन मामलों में उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाये। यह इनकी मंशा थी और इसी के आधार पर जो पूर्व में हमने परिपत्र निकाले थे उसमें हमने संशोधन करके ये आदेश निकाल दिये कि केवल मात्र विचाराधीन मामलों के बारे में भी कार्यवाही नहीं की जाये।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह तो आपने मेरे प्रश्न के भाग (1) में जवाब दिया है, उसमें साफ लिखा है कि 16 सी.सी.ए. में नोटिस तब तो वह भ्रष्ट हो गया और एन्टी करप्शन में केस दर्ज हो तब वह भ्रष्ट नहीं होता? मैं यही कह रहा हूं और आप इसका उल्टा जवाब दे रहे हैं। आपने भाग (2) में जो यह कहा है कि जिनके विरुद्ध दण्ड हो गया, वह बात तो ठीक है। लेकिन विचाराधीन तो वह भी है और वह भी है, फिर आपने अलग–अलग क्यों किया है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 16 सी.सी.ए. के तहत एंटी करप्शन के मामले भी दर्ज होते हैं और कुछ आपराधिक मामले भी होते हैं। कुछ कार्मिक मान लीजिये मोरल टरपीट्यूड के मामलों में रंगे हाथों गिरफ्तार होते हैं, उनके खिलाफ तुरन्त एक्शन लेना पड़ता है। ऐसे ही 16 सी.सी.ए. में गम्भीर दुराचरण के मामले आते हैं उनमें सीधा एक्शन लेना पड़ता है उसमें और इसमें यह फर्क है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उत्तर तो दे ही नहीं रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा सीधा सा सवाल है छोटा–सा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह बतायें मंत्रीजी, आपके सवाल ही मैं.....

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने सीधा-सा सवाल पूछा है कि 16 सीसीए में नोटिस मिल गया वह तो भयंकर अपराधी हो गया और जो एंटी करप्शन में जांच होने के बाद केस दर्ज होता है वह अपराधी नहीं हुआ। इसमें यह भेद क्यों है, मैं तो यह कह रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा बिलकुल...

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने इसके खण्ड 2 में कहा है कि जिनके विरुद्ध दण्ड पारित हो गया। वह बात तो ठीक है, उसमें तो समान है, लेकिन इसमें यह अलग-अलग क्यों?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे ख्याल से माननीय सदस्य स्वयं कन्फ्यूज हो रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, आप कन्फ्यूज्ड हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : कन्फ्यूज आप हो रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, मेरा एक सवाल। आप यह समझाइये, एंटी करप्शन ब्यूरो के केसेज रजिस्टर होने के बाद इनवैस्टीगेशन कम्पलीट हो जाता है, प्रोसीक्यूशन की सैंक्शन नहीं देते हैं आप, तो कोर्ट में चालान तो होगा नहीं। ऐसे आदमियों को तो आप पोस्टिंग देंगे। माननीय सदस्य का सवाल बहुत साफ है कि जिसके खिलाफ पूर्णतया प्रमाणित केस है और आप अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हुये प्रोसीक्यूशन की सैंक्शन नहीं देते हैं, विदहोल्ड करते हैं, यह आपको पता है, आप अवगत हैं, कार्मिक मंत्री हैं आप, कि कितने ऐसे केसेज हैं, उनको तो गम्भीर नहीं मानते हैं आप, फील्ड पोस्टिंग देते हैं और 16 सीसीए का जो नोटिस है, वह तो अगर सुपीरियर आफिसर नाराज है तो नोटिस तो दे ही सकता है, कार्यवाही तो चालू कर ही सकता है। बांद में उसका क्या हश्र होगा, क्या उसकी अपील होगी, यह अलग बात है, तो उनका क्वेश्चन बिलकुल साफ है, कन्फ्यूजन आप पैदा कर रहे हैं। आप बताइये....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : अब 16 सीसीए का नोटिस तो कोई भी अधिकारी अगर नाराज होगा वह दे देगा नीचे वाले को और वह जवाब देकर.....

श्री अध्यक्ष : आप ठहरिये, मैं आपको टाइम दूंगा, बीच में नहीं। आपको भी टाइम दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : वह हाथा जोड़ी कर लेगा, वह 17 में कन्वर्ट हो जायेगा। तब तो वह एकदम निर्दोष हो जायेगा। आप इसमें भेद नहीं करें। दो में जो आपने उत्तर दिया है कि जिन्हें दण्डित कर दिया जाता है, वह बात मानिये या जिनके खिलाफ विचाराधीन हो, तो ए.सी.डी. में विचाराधीन है वह भी इसमें शामिल करिये। दोनों में एक जो भी आप उचित समझें, वह करिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा भ्रष्टाचार समाप्त करने की है...

श्री अध्यक्ष : रावत साहब, बैठिये। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन विभाग में दर्जनों अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ 16 सीसीए की कार्यवाही विचाराधीन है, इसके बावजूद उनमें से किसी को भी आपने फील्ड पोस्टिंग से क्यों नहीं हटाया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक साथ ही जवाब दे देंगे सब का।

श्री संयम लोढ़ा : स्वायत्त शासन, विभाग में दर्जनों अधिकारियों के खिलाफ 16 की जांच विचाराधीन है उनमें से एक को भी आपने फील्ड पोस्टिंग से नहीं हटाया, उसके क्या कारण हैं? पुलिस और कृषि विपणन विभाग में 16 की कार्यवाही में दण्डित लोग हैं जिनको हटा दिया था और वापस लगा दिया, उसके क्या कारण हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने खण्ड–4 में यह कहा है कि सभी विभागों द्वारा भाग 1 में वर्णित तीनों श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को.....

श्री अध्यक्ष : आप बीच में यों ही खड़े हो गये, मैंने आपका नाम पुकारा नहीं है। आपसे पहले दूसरे लोग खड़े हो रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अनुमति दी है, अध्यक्ष महोदय। नहीं दी क्या?

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था आपको समय दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं दी तो मैं बैठ जाता हूं। आपकी आज्ञा की पालना करना हमारा काम है।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसाद।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले सवाईमाधोपुर में एक लोक सेवक एनफोर्समेंट आफिसर एक स्त्री के साथ दुराचार करता पाया गया, जनता द्वारा जिसके बारे में समाचार-पत्रों में भी छपा है। और जिसे बाद में जिलाधीश, महोदय ने अपने स्तर पर रिलीव करके जयपुर मूल विभाग में भेज दिया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या चारित्रिक आधार पर दोषी पाये गये लोक सेवक को भी पदस्थापित करने की सरकार मंशा रखती है या नहीं रखती है? कृपया इसका जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, जवाब देंगे वह।

श्री दुर्गा प्रसाद : मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब है ही नहीं इनके पास।

श्री अध्यक्ष : जवाब देंगे वह। आप खड़े-खड़े क्या जवाब मांग रहे हैं, बैठिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है इन्होंने कोई एक स्पेसिफिक प्रश्न एक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तरीके से आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित पूछा है, मैं सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि इन परिपत्रों के निकलने के बाद विभिन्न विभागों में अब तक 150 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है।

श्री दुर्गा प्रसाद : नहीं। चारित्रिक आधार पर पूछ रहा था, साहब। आप भ्रष्टाचार के आधार पर तो पदस्थापित नहीं करते हैं, क्या चारित्रिक आधार पर भी?

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले जवाब तो सुनिये आप। चारित्रिक अपराध मोरल टरपीट्यूड के अन्तर्गत आता है और उसमें जो भी मामले आते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आप मुझे अलग से बता देना, मैं इसको दिखवा लूंगा। जहां तक....

श्री दुर्गा प्रसाद : बताने की बात ही नहीं है, साहब, उसको रिलीव करके भेज दिया कलक्टर ने जब राज्य सरकार को।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, इस सन्दर्भ में मैं खास तौर से अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 16 सी.सी.ए. के नोटिस जिन लोगों को दिये जाते हैं, उनमें कहीं भी कोई अधिकारियों के द्वारा यदि पूर्वाग्रह रखकर किसी व्यक्ति को परेशान किया जाता है तो उसकी अपील हमारे पास आती है और उस पर हम कार्यवाही करते हैं। (व्यवधान) जहां तक आपने कहा प्रोसीक्यूशन सैंक्शन, सदन को जानकर खुशी होगी कि पिछले दस सालों के मुकाबले में अभी पिछले तीन वर्षों में जो प्रोसीक्यूशन सैंक्शन हुयी हैं, एक दिन पत्रावली कार्मिक विभाग में नहीं रुकती है। जितने मामले आये हैं उनमें से तकरीबन-तकरीबन एकाध मामले को छोड़कर जिसमें विभाग के द्वारा यह बताया गया कि इस व्यक्ति के साथ इनजस्टिस हुआ है, ऐसे इक्के-दुक्के मामले को छोड़कर प्रायः-प्रायः हर मामले में प्रोसीक्यूशन सैंक्शन दी गयी है। और 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह रावत। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ भी कृपा दृष्टि रखो, प्रतिपक्ष की तरफ भी।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा : जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये तो मंत्री महोदय से सचिवालय में मिल सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, हम तो यहीं मिलते हैं। ये तो सचिवालय में मिल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह रावत।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : इनको अनुमति दी है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार का भ्रष्टाचार को समाप्त करने का लक्ष्य तो अच्छा है लेकिन उसकी अनुपालना, उसकी क्रियान्विति आप ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। आपके जवाब में आप स्वयं कन्फ्यूज्ड लगते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि 16 सी.सी.ए. की जो जांच चल रही है....

श्री अध्यक्ष : आप अब बैठिये, बैठिये आप। खड़े क्यों हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उसके अन्तर्गत हम किसी को हटाते नहीं हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो सीरियस केसेज हैं उनमें हम हटा देते हैं। मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन करता हूं कि जांच चल रही है उन अधिकारियों को तो हटा दिया, जांच की समाप्ति के पश्चात् जिनको पनिशमेंट मिला है, क्या इस प्रकार के अधिकारियों को भी आपने फील्ड पोस्टिंग से हटाया है? आज भी ऐसे इन्यूमरेबल केसेज हैं, मेरे पास लिस्ट है जो कि पनिशमेंट पा चुके हैं जांच के पश्चात् और आज भी वे फील्ड पोस्टिंग के ऊपर कार्य कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही हो चुकी है। 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत, ऐसे लोगों को नान फील्ड पोस्टिंग दे दी गयी है। यदि आप स्पेसिफिक केस बतायेंगे तो मैं उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लूंगा जिन्होंने नान फील्ड पोस्टिंग उनको नहीं दी है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं तो पूरा विभाग बता रहा हूं आपको, पूरा विभाग। एक केस नहीं, पूरे विभाग में कोई कार्यवाही नहीं हुयी है स्वायत्त शासन विभाग में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बताइये, एक केस तो बताइये।

श्री संयम लोढ़ा : पूरे विभाग में है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसे नहीं, आप स्पेसिफिक केस बताइये कि इस विभाग में इस अधिकारी को यह दण्ड मिला और इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुयी। मैं कार्यवाही कराऊंगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पिण्डवाड़ा, सिरोही, आबू रोड जितने विभाग हैं, सब अधिकारी दण्डित हैं। सब दण्डित हैं, आपने क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : प्रोसीक्यूशन की परमिशन आप सालों नहीं देते हैं। आपका जी.ए.डी. प्रोसीक्यूशन की परमिशन सालों नहीं देता है, आप रिकार्ड मंगवा कर देख लीजिये जरा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आन रिकार्ड कह रहा हूं कि....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : डी.ओ.पी. परमिशन साल-साल भर नहीं देता है। बिलकुल गलत है, कल्ला साहब, डी.ओ.पी. परमिशन डेढ़-डेढ़ साल नहीं देता है। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट भी.....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि आप मुझे एक केस तो बतायें कि जिसमें एक साल के ऊपर या छह महीने से ऊपर या छह महीने से ऊपर प्रोसीक्यूशन सैंक्शन का समय लगा हो। आप बतायें मुझे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप आलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर तो कृपा दृष्टि रखो।

श्री अध्यक्ष : बाद में समय दूंगा आपको। श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने जिन तीन कैटेगरीज के अधिकारी और कर्मचारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाने की बात कही है, सरकार के परिपत्र जारी होने के बाद कितने इस प्रकार से आपने हटाये और कितने कर्मचारी वापस आपने पदस्थापित कर दिये? नम्बर दो, अभी जो बात सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछी, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल के जरिये वन विभाग के बारे में यह जानकारी चाही थी कि 16 सी.सी.ए. के कितने आरोपी काम कर रहे हैं। रेंजर और उसके बाद राज्य वन अधिकारी, दो का ही मैंने पूछा था, यह लम्बी लिस्ट है। 3 और 8 की, ये सारे के सारे फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो परिपत्र जारी कर दिया, उस परिपत्र की अनुपालना अगर कोई विभाग नहीं कर रहा है तो आपके पास क्या मैकेनिज्म है कि आप उस विभाग को बाध्य करें? नम्बर दो, क्या इस तरह की शिकायत के बाद भी आप द्वारा वर्णित कैटेगरी के लोग आज भी फील्ड पोस्टिंग में हैं, आप उनको हटाने का विचार रखते हैं? अगर हां, तो कब तक?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, इस परिपत्र के जारी होने के बाद 150 कार्मिकों को, अधिकारियों को नान फील्ड पोस्टिंग में लगाया गया, अब तक जानकारी के आधार पर। यदि आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि ऐसे लोगों को पुनः फील्ड में लगा दिया गया है तो आप बतायें, मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा। मेरी जानकारी के आधार पर किसी को भी वापस फील्ड ड्यूटी में नहीं लगाया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुछ लोगों को न्यायालय ने अनुमति दे दी।

श्री संयम लोढ़ा : पचासों। आप कहें तो लाऊं उनका नाम।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसे कहने से सवाल नहीं बनता। आप बताइये कि इस व्यक्ति को लगाया गया है।

श्री संयम लोढ़ा : आपने रिव्यू नहीं किया इसका कि किसमें क्या एग्जीक्यूशन हुआ। डिपार्टमेंटवाइज अगर किया होता तो यह हालत नहीं होती।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पहले से लाइन में खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, वो पहले खड़े हो गये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कार्मिक मंत्रीजी ने अभी सदन को यह अवगत कराया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ 16 सी.सी. की कार्यवाही विचाराधीन है, फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका यह परिपत्र निकलने के बाद क्या राजस्थान में आज भी किन्हीं विभागों में कोई ऐसा अधिकारी फील्ड पोस्टिंग में है जिसके खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन है या कार्यवाही हो चुकी है, कृपया यह बतायें? आज भी सैकड़ों नहीं हजारों अधिकारी फील्ड पोस्टिंग में ऐसे हैं जिनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही हो चुकी है। आप तो इस सदन को सारी बात छोड़िये, एक बात बता दीजिये कि क्या एक भी अधिकारी अब फील्ड पोस्टिंग में नहीं है ऐसा जिसको आप दण्डित कर चुके हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो हां और ना में बता दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल मैं पूछता हूं कि कई विभाग ऐसे हैं जिनमें पोस्टिंग ही फील्ड पोस्टिंग होती है जैसे वन विभाग है या और दूसरे हैं, उसमें जिनके खिलाफ वह कार्यवाही हो गयी, मान लो किसी रेंजर के खिलाफ कार्यवाही हो गयी तो उस रेंजर को आप कहां आफिस में लगायेंगे? उसको तो फील्ड में लगायेंगे ही लगायेंगे, आप क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिये मैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केवल एक स्पेसिफिक सवाल यही पूछ रहा हूं, आप तो यह कह दें कि आपका यह सर्कुलर जारी होने के बाद क्या आज राजस्थान में कोई एक भी अधिकारी ऐसा फील्ड पोस्टिंग में नहीं है जिसके खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है? यह बता दें आप।

श्री अध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके.....

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, इसका जवाब आ जाए। सब आ जाएगा इसमें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : जवाब तो दिलवाये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आ जाये, इसमें सब आ जायेगा। बता दें, एक भी नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाह रहा हूं, मंत्री महोदय, आज से 6 महीने पहले धौलपुर उपभोक्ता भण्डार पर छापा पड़ा था और उस छापे में यह भी स्वीकार किया गया था कि अनियमितता पायी गयी है, उसमें 105 बोरी गेहूं और चीनी की कमी पायी गयी थी, उसमें आज तक क्या कार्यवाही हुयी?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह अलग से प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 16 सी.सी.ए. में नोटिस दे दिया गया है अधिकारी को।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : 16 सी.सी.ए. में उसको नोटिस दिया कि नहीं? आज भी बरकरार इसी पोस्ट पर वे व्यक्ति काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब इंडीविजुअल केस की फाइल यहां तो है नहीं आपके पास में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इंडीविजुअल केस के बारे में मैं आपको अभी कुछ बता नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात पूछी, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में कोई एक भी मामला है तो आप मुझे बतायें कि इस व्यक्ति के खिलाफ इन तीन कैटेगरीज में ये आरोप सिद्ध होते हैं और इसकी फील्ड पोस्टिंग से नान फील्ड पोस्टिंग नहीं की गयी। अब ऐसे कोई भी केस को.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, यह सरकार का उत्तर है।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : आपकी जानकारी में है क्या? आपकी जानकारी में?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो हाउस में यह बात कह दो कि एक भी आदमी फील्ड पोस्टिंग में नहीं है। आप कहो न यह बात, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जवाब आपके पास है। मिनिस्टर आप हो, मैं थोड़े ही हूं। मेरे पास होती तो मैं बता देता। आप बताइये जवाब। उलटा हमसे पूछ रहे हैं। आप तो इतनी बात बता दें कि एक भी आदमी फील्ड पोस्टिंग में नहीं है जिसके खिलाफ ये तीनों लागू होते हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, यह परिपत्र जारी करने के बाद......

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान) उसको बहाल कर दिया गया है।

श्री अमराराम (धोद) : परिपत्र जारी कर दिया...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह परिपत्र जारी करने के बाद निश्चित रूप से कार्यवाही हुयी है जिसके कारण 150 कार्मिकों को नान फील्ड पोस्टिंग में लगाया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या सिर्फ 150 ही थे? पूरे राजस्थान में हजारों भ्रष्ट अधिकारी हैं, हजारों। कोई सूची नहीं है। आप कहें तो नाम भी बता दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि मैं तमाम विभागों की जानकारी प्राप्त करके किसी भी विभाग के इस कैटेगरी के अन्तर्गत आये हुये व्यक्ति जो अब तक नान फील्ड पोस्टिंग में नहीं लगे हैं उनके लगाने के आदेश दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, यह पूछ रहे हैं हम तो....(व्यवधान) आप तो एक ही बात बता दें....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, आप कह रहे हैं आये नहीं हैं। पंचायत समिति धोद में प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी जिसका 16 सी.सी.ए. का आर्थिक गबन का है।

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवरलाल। अमराराम जी, नहीं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि.....

श्री जगत सिंह दायमा : आपने तो वापस सवाल कर दिया।

एक माननीय सदस्य : सवाल का जवाब नहीं दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : सवाल का जवाब सवाल......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री सांवर लाल : आपने अपने जवाब में यह कहा था कि 16 सी.सी.ए. का नोटिस कोई अधिकारी किसी कर्मचारी को गलत दे देता है तो राज्य सरकार के स्तर पर अपील कर सकते हैं और यहां पर आप निपटारा करने का अधिकार रखते हैं। मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि आपके मंत्री बनने के बाद आपने कितने अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ 16 सी.सी.ए. के मामले निरस्त किये? और निरस्त किये तो जिन्होंने नोटिस दिया उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जिन्होंने जानबूझकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ नोटिस दिया?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा 12वें नम्बर का एक क्वेश्चन लगा हुआ है, मेरा निवेदन है कि एस.डी.ओ. ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम की जमीन की डिक्री सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम कर दी। आप खुद मान रहे हैं कि यह कानून है इटसैल्फ में कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन की डिक्री सवर्ण कास्ट के नाम नहीं हो सकती, पर उसने कर दी। करने के बाद, मंत्री महोदय, उसके खिलाफ 16 सी.सी.ए. के कई नोटिस आये, पर उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और वह आज भी जैतारण एस.डी.ओ. के पद पर लगा हुआ है। आज जो रिप्लाई दिया उसमें कम

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

से कम 100 फैसले उसने 6 महीने में किये, 100 फैसलों में आप सबकी रिपोर्ट मंगा लें, आधे से ज्यादा केसेज ऐसे हैं जो नियम विरुद्ध हैं, जो वे नहीं कर सकते। सबकी अपील हुई और अपील में सब केस खारिज हुये हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही की जा चुकी है, उसके बाद 17 की कार्यवाही हो चुकी है, वह फील्ड पोस्टिंग में बैठा है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लो आप। आप सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लो, हम आपको सूची दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, राजेन्द्र सिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिन लोगों के खिलाफ 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही हुई वे फील्ड में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र सिंह जी, आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से.....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सदस्यों को पता नहीं कि भ्रष्ट अधिकारी मोटा पैसा खर्च करते हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी जितने भी हैं 16 सी.सी.ए. वाले, ये मोटा पैसा खर्च करते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये आपके कार्यकाल के भ्रष्टाचारी हैं, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमने ही कार्यवाही की है। 9-9 साल के मामलों में हमने कार्यवाही की है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ....(व्यवधान) मंत्री महोदय, यह बताइये कि अलवर के डी.एस.ओ. का क्या हाल है? अलवर के डी.एस.ओ. के हजारों केस हो गये, इनक्वायरी हो गयी....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा कि 16 सी.सी.ए. के कितने मामलों के ऊपर कार्यवाही की कार्मिक विभाग में ....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मोटा पैसा खर्च करते हैं ये अधिकारी। माननीय मंत्री महोदय को पता है, ये मोटा पैसा खर्च करते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : (व्यवधान) नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री महोदय, ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनको जनता ने भ्रष्टाचार के मामले में जूते लगाये हैं और उसके बाद आपने नहीं हटाया, यह और बता दें?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ....आप अलाउ कर रहे हैं ऐसे आदेशों को।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, है मेरी नजर में।

श्री अध्यक्ष : दायमा जी। श्री जगत सिंह दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा : सैटलमेंट आफिसर, अलवर कितनी जगह पिटा, उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं और आपने उसको सैटलमेंट आफिसर लगा रखा है अलवर में भ्रष्टाचार के मामले में।

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : पीटने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : आप इसका जवाब दे दीजिये बस।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 4 आई.ए.एस. अधिकारी हटाये गये और 3 आबकारी अधिकारियों को हटाया गया। कुलमिलाकर 150 अधिकारियों को पहली बार राज्य में जो भ्रष्टाचार से सम्बन्धित थे, एक साथ कार्यवाही करके नान फील्ड पोस्टिंग में लगाया गया है।

एक माननीय सदस्य : उनमें से वापस कितनों को लगा दिया?

श्री सांवर लाल : पर्टीकुलर सवाल का जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत में तीन ग्रुप सचिव हैं जिनका मैं नाम भी दे रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सांवर लाल : ......(व्यवधान) पर्टीकुलर सवाल किया था उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आपकी पार्टी के भी हैं। श्री सांवर लाल, बैठिये।

श्री कन्हैया लाल : ....(व्यवधान) तीन व्यवस्थापकों को 10-10 लाख के गबन में पाया गया, उनको सस्पैण्ड भी किया गया था.....

दोषी सहायक आयुक्त देवस्थान के विरुद्ध कार्यवाही

2. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि "सोम कमला अम्बा परियोजना" की डूब में आई देवस्थान सम्पत्ति गुरुनाथ जी महाराज की धूणी तथा बैजनाथ महादेव मन्दिर की भूमि के मुआवजे की राशि रुपये 15 लाख के लगभग का अवार्ड आयुक्त, देवस्थान विभाग के नाम पारित हुआ।

(2) क्या उक्त राशि का भुगतान देवस्थान आयुक्त को प्राप्त हुआ? यदि नहीं, तो आयुक्त, देवस्थान के नाम का भुगतान किस व्यक्ति को या संस्था को दिया गया?

(3) क्या उक्त राशि को उक्त संस्था को षडयंत्रपूर्वक चुकाये जाने की कोई

(श्री मानिक चन्द सुराना)

शिकायत माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान को मई, 2001 में प्राप्त हुई? क्या उक्त शिकायत के पश्चात् देवस्थान आयुक्त के स्तर पर जांच करायी गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जांच में एक सहायक आयुक्त को दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तावित किया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा क्या प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्रीमती इन्दिरा मायाराम) : (1) जी हां। यह सही है कि "सोम कमला अम्बा परियोजना" की डूब में आयी मन्दिर प्रन्यास सम्पत्ति श्री नाथजी महाराज की धूणी तथा बैजनाथ महादेव मन्दिर ग्राम धताणा की भूमि अवाप्ति के मुआवजे की कुल राशि रुपये 15,01,406/- का भुगतान आयुक्त, देवस्थान विभाग को किये जाने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) सागवाड़ा द्वारा निम्नानुसार अवार्ड जारी करने की सूचना आयुक्त, देवस्थान विभाग को प्राप्त हुई:-

खसरा नं.	भूमि का क्षेत्रफल	अवाप्ति प्रकरण संख्या	अवार्ड सं.	मुआवजा राशि
2839	2½	270/95	510	10,57,590/-
		5.10.95	9.8.96	
2819	1	271/95	508	4,43,816/-
		6.10.95	12.8.96	
			योग	15,01,406/-

(2) जी नहीं। उक्त राशि का भुगतान आयुक्त, देवस्थान विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। इस राशि का भुगतान सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव की अनुशंसा पर अध्यक्ष, सार्वजनिक प्रन्यास मन्दिर श्री बैजनाथ महादेव एवं श्री नाथजी महाराज की धूणी ग्राम धताणा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर को करने हेतु आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) सागवाड़ा द्वारा अधिशासी अभियंता, सिंचाई सोम कमला अम्बा बांध खण्ड डूंगरपुर को दिये गये।

(3) जी हां। उक्त मुआवजा राशि के भुगतान में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होने परे जांच प्रक्रिया पूरी होने पर दोषी पाये जाने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी हां। जांच प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। जांच प्रक्रिया पूरी होने पर दोषी पाये जाने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(जांच रिपोर्ट के कृपया लिये परिशिष्ट-2 देखें)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप पहले तो यह बताये, देवस्थान आयुक्त महोदय की जो रिपोर्ट आपने सदन में प्रश्न के साथ प्रस्तुत की है उसकी तारीख क्या है? आपको यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? माननीय अध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट के पेज दो में यह साफ लिखा है, यह फाइंडिंग आपके अधिकारी की आ चुकी है कि जिस मामले में देवस्थान आयुक्त के नाम 15 लाख का अवार्ड हो चुका था उसी जमीन को अवार्ड के बाद में, अवार्ड हुआ है 1996 में और अवार्ड की तारीख के बाद में कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने उस भूमि को अपनी बता कर एक प्रन्यास गठित कर लिया। 1997 में वह प्रन्यास गठित करने की कार्यवाही हुई, सहायक आयुक्त, उदयपुर ने उसकी रजिस्टरी की जैसे ही रजिस्टरी हुई, एक महीने के भीतर आपके सहायक आयुक्त, ऋषभदेव ने उसकी परमिशन दे दी। मैं जानना चाहता हूं, जब आपके अधिकारी ने यह लिख दिया है कि ये दोनों अधिकारी दोषी हैं तो किस बात का इंतजार आप इनको सस्पैण्ड करने के लिये कर रही हैं?

श्री हरिसिंह (महुआ) : उस समय राज आपका ही था, आपने क्या किया?

श्री मानिक चन्द सुराना : हमने नहीं किया। आपसे पूछ रहे हैं, अभी तक आप क्यों नहीं कर रहे हैं जबकि जांच होकर आ चुकी है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह जब विधान सभा में नहीं थे जब आप विपक्ष में थे तब आपकी जिम्मेदारी थी यह सवाल उठाने की। आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभायी, यह निभा रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सचेतक महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के आदेश मई, 2001 से इस मामले की जांच शुरू हुई है। अब आप उसको लिये क्यों बैठे हो, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हमारे विभाग में जो जांच आयी थी उसके द्वारा शुरू की गयी। 12.8.1996 को अवार्ड घोषित किया गया है। आप अवार्ड की तारीख पूछ रहे थे इसलिये मैंने आपको बताया है। ट्रस्ट का गठन हुआ है। 23.8.1997 को।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक साल बाद हुआ, अवार्ड की तारीख से एक साल बाद ट्रस्ट का गठन हुआ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जी हां।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके दो सहायक आयुक्त, देवस्थान उसमें शामिल हैं। लैण्ड एक्वायर हो गयी, सोम कमला अम्बा के लिये एक्वायर हो गयी। डूब में आ गयी है और ट्रस्ट के उद्देश्यों में यह लिखा कि हम उसको डूब से बचाना चाहते हैं। भूमि अवाप्त हो गयी, सहायक आयुक्त, देवस्थान के नाम 15 लाख का अवार्ड हो गया। माननीय मंत्री जी, यह भी बतायें, एस.डी.ओ. ने देवस्थान आयुक्त महोदय को पूछा कि क्या इस राशि को मैं आपको भेज दूं, तो देवस्थान आयुक्त महोदय ने उनको पत्र भेज दिया 6.3.1996 को, 15.5.1997 को कि आप राशि मुझे भेज दें। वह राशि 15.5.1997 तक नहीं भेजी गयी। उसके बाद यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कराके अगस्त-सितम्बर के महीने में यह राशि चुकायी गयी। माननीय मंत्री महोदय, यह मामला बहुत साफ है और इस रिपोर्ट में भी यह आ चुका है कि एस.डी.ओ. दोषी है, अधिशासी अभियंता, सिंचाई दोषी है और ये दोनों सहायक आयुक्त, देवस्थान दोषी हैं। मुझे हैरत है कि देवस्थान की भूमि निजी संस्थान में चली जाये, रुपया उनको मिल जाये और आज तक आप उनको सस्पैण्ड क्यों नहीं कर रही है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप रिकार्ड कायम कर दो, आपका नाम पूरे राजस्थान में होगा, करो सस्पैण्ड।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लूणकरणसर और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि 6.3.1996 को हमारे देवस्थान आयुक्त ने यह स्पष्ट लिख दिया था कि यह पैसा हमारे यहां देवस्थान में जमा होना चाहिये था। उसके बावजूद भी वहां नहीं किया गया जो इर्रिगेशन विभाग के पास था, इर्रिगेशन विभाग से ट्रांसफर किया। आप ही स्वयं कह रहे हैं कि इसमें एस.डी.ओ. अवाप्ति अधिकारी था, उसने ट्रांसफर किया। बहुत सही कह रहे हैं। एस.डी.एम. भी था। इर्रिगेशन विभाग को फिर हमारे विभाग ने पत्र भी लिखा कि इसकी जांच की जाये कि जब हमने आपको लिखा था तो आपने हमारे यहां पैसा जमा क्यों नहीं किया। उसके बावजूद भी उन्होंने पैसा हमारे असिस्टैंट कमिश्नर के कहने से किया। असिस्टैंट कमिश्नर एक्ट के तहत इसके लिये अथोराइज्ड नहीं है। अब अगर किसी चपरासी के कहने से, कोई सहायक कमिश्नर के कहने से, कोई बाबू के कहने से एस.डी.ओ. और इर्रिगेशन के इंजीनियर मिलकर यह सारा काम कर रहे हैं तो उसके लिये सब जिम्मेदार हैं। आप खुद भी बता चुके हैं कलक्टर की जांच रिपोर्ट। इसलिये कलक्टर को लिखा गया। हमारे देवस्थान कमिश्नर ने इर्रिगेशन के अधिशासी अभियंता को.....(व्यवधान) आप पूरी बात सुनेंगे? आप पूछ रहे हैं, मैं कार्यवाही बता रही हूं। मैं इसलिये यह सारा बता रही हूं कि हमारे देवस्थान विभाग से कार्यवाही बराबर चल रही है।

कलक्टर से जांच करायी, इर्रिगेशन विभाग को लिखा, इर्रिगेशन विभाग के अधिशासी अभियंता को देवस्थान कमिश्नर ने लिखा। उसके ऊपर सैक्रेटरी, देवस्थान ने कलक्टर से इसकी जांच करायी और जांच में यह आया कि यह रुपया गलत दिया गया है। एस.डी.ओ. (अवाप्ति अधिकारी) को नहीं देना चाहिये था। असिस्टैंट कमिश्नर इसके लिये अथोराइज्ड नहीं था। हमारे कमिश्नर बराबर लिख रहे थे। इसमें बिलकुल सही बात है, बहुत गलत पेमेंट हुआ है, मैं आपको विश्वास दिला रही हूं कि इन तीनों लोगों को जो भी इसमें शामिल हैं सबको सख्त से सख्त सजा दी जायेगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान आयुक्त के नीचे जो दो सहायक आयुक्त हैं जिन्होंने षड्यन्त्र करके यह ट्रस्ट रजिस्टर कराकर जो पेमेंट देवस्थान आयुक्त को होना चाहिये था, दूसरों को करवा दिया, यह बात आपके ध्यान में आ गई। एस.डी.ओ. और अधिशासी अभियंता, सिंचाई को आप एक मिनट अलग रखें, आप अपने सहायक देवस्थान आयुक्तों को क्यों नहीं सस्पैण्ड कर रही हैं? आप कलक्टर की जांच का इंतजार क्यों कर रही हैं जब आपके वरिष्ठ लेखाधिकारी ने जांच कर ली और उसमें सब स्पष्ट आ गया कि यह सब गलत था, यह षड्यन्त्रपूर्वक था? हम भी यह कह रहे हैं और आप भी तथ्यों को मान रही हैं तो उनको सस्पैण्ड करने में अब आपको कहां परेशानी हो रही है? उन दोनों सहायक देवस्थान आयुक्तों में से एक रिटायर हो चुका है। जो ऋषभदेव में था वह रिटायर हो चुका है। उदयपुर वाला ही पद पर है। जो पद पर है उसको तो आप कम से कम तत्काल सस्पैण्ड करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से.....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बैठिये, आप पूछिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को यह बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने सदन में सारी उस चीज को स्वीकार कर लिया जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। मंत्री महोदया मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल है कि जो जांच रिपोर्ट आयुक्त, देवस्थान की है, आप कहो तो मैं उसका आपरेटिंग पैरा पढ़ कर सुना दूं। उसमें साफ लिखा है, पढ़कर सुनाऊं?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरे पास है, सब रिपोर्ट है। मैं स्वयं ही बोल रही हूं कि यह बात बिलकुल सही है। मैंने खुद ही कहा है, पर इसमें जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उसकी मैं बता रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मंत्री और हों तो भ्रष्टाचार उन्मूलन की मुख्य मंत्रीजी की भावना पूरी हो सकती है। मंत्री महोदय, मैं कह रहा था कि देवस्थान आयुक्त की जांच रिपोर्ट में जब यह बात साफ लिख दी कि तत्कालीन सहायक आयुक्त ने भयंकर अनियमितता की है तो आप उसको सस्पैण्ड करने में देरी क्यों कर रही है?

मैं आपको एक तथ्य निवेदन करना चाहता हूं कि एक्स.ईएन., सोम कमला अम्बा परियोजना ने दिनांक 31.3.1997 को डी.डी. संख्या 080931 और 080932 इसके तहत ये 15 लाख रुपये आपके देवस्थान विभाग को भेजे, सहायक देवस्थान आयुक्त को भेज दिये। यह जो पैसा देवस्थान आयुक्त को जाना चाहिये था, यह पैसा 6 महीने से ज्यादा समय तक उन्होंने अपने पास पड़ा रखा। डी.डी. की तारीख निकल गयी। आपने यह माना है कि 5.10.1995 को जब मुआवजा अवार्ड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो गया उसके बाद ट्रस्ट का गठन हुआ। ट्रस्ट के गठन के बाद यह सारा पैसा, सरकार का पैसा, देवस्थान का पैसा लेने के लिये उन्होंने इस तरह के कुकृत्य किये जिसमें आपके अधिकारी शामिल हैं। भगवान के नाम पर जो इस तरह का काम करता है, मंत्री महोदय, मैं आपके बारे में जानता हूं, आप भगवान से डरती हैं। आपसे इतना-सा निवेदन है कि आप खड़े होकर दो शब्दों में कह दो कि आज की तारीख में दूसरे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर सको या नहीं कर सको, सहायक देवस्थान आयुक्त जो अभी फील्ड पोस्टिंग पर है, अभी कल्ला साहब बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, आज भी वह सहायक देवस्थान आयुक्त, जिसने यह गड़बड़ की है, जिसके खिलाफ यह जांच है, फील्ड पोस्टिंग से उसके सस्पैंशन की बात आप सदन में कह दो तो आपकी छवि बहुत ऊंची हो जायेगी। सी.पी. जोशी साहब नहीं चाहते हैं, आप बोल दो।

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक पूछिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं सहायक आयुक्त जिसके खिलाफ जांच पूरी हो गयी है, अगर हो गयी है तो उसको तुरन्त सस्पैण्ड कर दूंगी, पर उसके साथ-साथ जो जांच और अधिकारियों के खिलाफ, आपसे आगे बढ़कर और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करने के कमिश्नर को आर्डर दे रही हूं ताकि जो-जो अधिकारी इसमें से दोषी पाये जायेंगे उन सबके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जांच आ गयी है। जांच सदन के पटल पर.....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप अगर और मगर में क्या कह रही हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच तो आ गयी है। जांच आ गयी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जांच पूरी हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : जांच तो पूरी हो चुकी है। आप सीट से उठकर कहिये कि सहायक देवस्थान आयुक्त को निलम्बित किया जा रहा है। (व्यवधान) स्पष्ट रूप से कहें कि आज ही निलम्बित कर दिया जायेगा। (व्यवधान) यह कहिये कि आज ही निलम्बित कर दिया जायेगा। अगर-मगर की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कहो कि निलम्बित कर दूंगी। जांच रिपोर्ट आ गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री धर्मपाल चौधरी।

एक माननीय सदस्य : देवस्थान आयुक्त के खिलाफ ड्राफ्ट आ गये, चैक आ गये और उन ड्राफ्टों का पेमेंट हो रहा है। दूसरे.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने कह दिया कि जांच रिपोर्ट आने पर सस्पैण्ड कर दूंगी। आपने खुद ने जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी है, फिर सस्पैंशन में देरी क्या है? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : जांच रिपोर्ट आपने खुद ने रखी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदया, सामने बैठे हैं उनसे आप सीनियर हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : जांच रिपोर्ट रखी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो समय का चक्कर है कि आप पीछे बैठी हैं। आप इस मौके को मत गंवाइये। यह तो चाहते ही यह हैं कि यह मौका आपके हाथ से निकल जाये। (व्यवधान) मंत्री महोदया, आप खड़े होकर कह दीजिये मौका है, आप कह दीज़िये जांच रिपोर्ट आ गयी है, मैं सस्पैण्ड करूंगी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, यह इनकी पार्टी के टाइम का मामला है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बगल वाले के बहकावे में नहीं आयें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्री महोदया को इस बात के लिये धन्यवाद है कि इन्होंने इतनी बड़ी कार्यवाही के लिये यहां पर घोषणा की है। (व्यवधान) इनके टाइम तो इन्होंने कुछ भी करके नहीं दिया था। मैं माननीय मंत्री महोदया को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी कठोर कार्यवाही कर रही हैं, ईमानदारी का परिचय दे रही हैं और उसको सस्पैण्ड करने की घोषणा कर रही हैं। इनके टाइम में मामला क्यों नहीं हुआ? (व्यवधान) उस भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। आज हमारी सरकार उसके लिये कार्यवाही कर रही है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : साढ़करवाड़ा की दीवार पर भी कार्यवाही करेंगे, चिन्ता मत करो। बैठिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी। नैक्स्ट क्वेश्चन मैंने काल कर लिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की प्रतिभा का सवाल है। अभी यह खड़ी हुयी थीं, कह रही थीं कि मैं सस्पैण्ड....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अब अप बैठिये.....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका हुआ? यह क्या बात हुयी? (व्यवधान) यह बहुत गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इनको दबा रहे हो। आप ऐसा करके मंत्री को दबा रहे हो, यह बहुत गलत बात है। मंत्री जी को दबा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री जी, आपकी सबार्डिनेट नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : महिला मंत्री को दबा रहे हो, यह बहुत गलत तरीका है। यह जो कहना चाहती हैं इनको कहने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह सबार्डिनेट थोड़े ही हैं, फाइनेंस.....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री महोदया, आप बीना काक के बहकावे में आकर काम को छोड़ न होने दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : वह तो इन्दिरा भी है, मायाराम भी हैं। वह डरने वाली नहीं है। आपने तो कुछ नहीं किया, यह इतना तो कर रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुकी हूं, मैंने इसकी पूरी जांच की है। यह मेरे से पूर्व का मामला है, फिर भी मैंने इसकी पूरी जांच की है। (व्यवधान) आप मुझे बोल लेने दीजिये।

श्री रामस्वरूप : भारतीय जनता पार्टी के टाइम का है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी जांच की है, इसके बाद मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं सदस्यों को कि सम्भागीय आयुक्त से मैं औरों की जांच कराऊंगी। देवस्थान विभाग का एक अधिकारी रिटायर हो गया है और जो एक रह गया है उसको तुरन्त सस्पैण्ड किया जायेगा। जांच करते ही सस्पैण्ड किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : जांच आ गयी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच क्या होनी है? फिर यह काहे की जांच है? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) **:** जांच तो आ गयी है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदया, जांच आ गयी है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सस्पैण्ड कर दूंगी, कर दूंगी। सस्पैण्ड कर दूंगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदया, जांच तो आपने सदन पटल पर रख दी, जांच किस बात की करोगी आप? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सस्पैण्ड कर दूंगी, कर दूंगी। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी। बीच-बीच में व्यवधान नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आर्डर प्लीज।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर (अलवर) की पेयजल योजनाएं

3. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर)**:** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में जिला अलवर व विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में कितनी राशि पेयजल योजनाओं हेतु आबंटित की गयी तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा मण्डावर में बड़ी संख्या में हैण्ड पम्प खराब हैं? यदि हां, तो खराब हैण्ड पम्पों को सरकार कब तक ठीक कराने का विचार रखती है?

(3) प्रशासन गांवों के संग में कितने हैण्ड पम्प/भूमिगत जलाशयों की मरम्मत कराने हेतु चिन्हित किया गया तथा मरम्मत हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी और उसमें कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री रामसिंह विश्नोई) : (1) वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 में जिला अलवर व विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु आबंटन एवं व्यय निम्नानुसार है:-

वर्ष	जिला अलवर में		विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
	(रुपये लाखों में)		(रुपये लाखों में)	
1999–2000	804.38	733.98	63.18	61.85
2000–2001	997.14	936.87	22.20	20.71

योजनावार व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में कुल 816 हैण्ड पम्प स्थापित हैं। विभाग द्वारा 27वें हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान (7.12.2000 से 31.7.2001 तक) के अन्तर्गत खराब पाये गये 343 हैण्ड पम्पों में से 337 हैण्ड पम्पों को मरम्मत कर चालू कर दिया गया। शेष 6 हैण्ड पम्पों को भी अभियान के पश्चात् पंचायत समिति मिस्त्रियों को आवश्यक सामान उपलब्ध कराकर चालू करा दिया गया था। दिनांक 1.8.2001 से हैण्ड पम्प सुधार कार्य पंचायत समिति के स्तर पर हो रहा है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में 31.10.2001 तक आयोजित "प्रशासन गांवों के संग" अभियान के दौरान कैम्पों में 35 हैण्ड पम्पों की मरम्मत के लिए विभाग द्वारा यूनिसेफ से निःशुल्क प्राप्त स्पेयर पार्ट्स एवं सामान आदि पंचायत समिति के मिस्त्रियों को उपलब्ध कराया गया। मरम्मत किये गये हैण्ड पम्पों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। मण्डावर एवं मेनपुर में पहाड़ी पर स्थित जलाशय "प्रशासन गांवों के संग" अभियान से पूर्व ही मरम्मत करवा दिये गये।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, कि पहले प्रश्न के उत्तर में आपने दिया कि 1999–2000 में आपने 804.38 लाख रुपये अलवर को अलाट किये। 11 विधान सभा क्षेत्र हैं इनमें आपने मण्डावर को 63.18 लाख रुपये दिये। 2000–2001 में आपने अलवर को 997 लाख रुपये अलाट किये और उसमें से मण्डावर को 22 लाख रुपये दिये। आपने मण्डावर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? उसमें से भी खर्चा हुआ 20 लाख। आज भी वहां पर कितने ही हैण्ड पम्प सैक्शंड हैं, वे नहीं लगे। और भी पानी की जगह हैं, वहां भी आपने स्कीम्स मंजूर कर दी, उनमें भी पैसा नहीं लगा।

आपने दूसरा जवाब दिया कि 816 में से 337 हैण्ड पम्प खराब है, आपने 7.12.2000 से 31.7.2001 तक एक अभियान चलाकर कितने हैण्ड पम्पों को ठीक कर दिया? आज भी 300 से ज्यादा हैण्ड पम्प खराब हैं और 200 ऐसे हैं जो बिलकुल ठीक होने लायक नहीं है, नये लगेंगे। कितने हैण्ड पम्पों को कब तक लगा देंगे?

तीसरे प्रश्न में आपने कहा, प्रशासन गांवों के संग में आपने अपने विभाग से कितना पैसा अलाट किया हुआ है? अगर किसी भी गांव में नल खराब है, हैण्ड पम्प खराब है, पाइप लाइन खराब है या और भी किसी चीज की जरूरत है तो उसके लिये आपने "प्रशासन गांव के संग" में कितना पैसा रखा हुआ है?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में 11 विधान सभा क्षेत्र हैं और आपके मण्डावर में एक भी शहरी क्षेत्र नहीं है, सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं। जो पैसा खर्च किया गया है। वह विधान सभा वाइज है, जिसमें शहरी क्षेत्र भी आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं। चूंकि आपके विधान सभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्र नहीं होने के कारण कुछ इनमें कम खर्च हुआ है, यह बात सही है। पहले 1999–2000 के अन्दर तो रेशो करीब बराबर है, लेकिन 2000–2001 के अन्दर केवल 22 लाख रुपये और 20 लाख रुपये ही खर्च हुये हैं उसमें मैंने जानकारी भी की है। आपकी वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं, कोई मांग नहीं, सारे गांवों में जनसंख्या के आधार पर हैण्ड पम्प हैं। आपकी मांग, गांव की जनता की मांग के ऊपर यह कार्यवाही कर दी जायेगी। आप जहां भी ठीक समझें कि यहां पर हैण्ड पम्प होना चाहिये, या खराब है, हमारे हिसाब से ये सारे काम, हैण्ड पम्पों का काम, देख–रेख का काम पंचायत समिति स्तर पर होता है। हम उनको सहयोग करते हैं। जब अभियान हम शुरू करते हैं तो विभाग उसकी देख–रेख करता है। सारा सामान देते हैं। लेकिन रुटीन में सारा काम पंचायत समिति स्तर पर ही किया जाता है। अगर कहीं गलती है तो आपके जिला प्रमुख हैं, पंचायत समिति प्रधान वगैरह हैं, आप एम.एल.ए. हैं, उनसे आप सम्पर्क करके यह कार्यवाही करा सकते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : "प्रशासन गांव के संग" अभियान जो आप चला रहे हैं एक बहुत अच्छा अभियान है, आपने अपने विभाग से उसमें कितना पैसा रख रखा है? "प्रशासन गांव के संग" में 16 विभाग लगा रखें हैं, आपने एक पैसा उनको दे नहीं रखा है। मैंने सीधा पूछा आपसे कि पूरे राजस्थान में कितना पैसा "प्रशासन गांव के संग" के लिये रख रखा है कि जो वहां पर जायें और तुरन्त कार्यवाही कर दें। आपने कहा कि आपने नहीं रखा हुआ।

31 मार्च तक जो हैण्ड पम्प सैक्शंड थे उसमें से भी अभी करीब 50-60 हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं। "प्रशासन गांव के संग" का जो मैंने पूछा है कि पूरे राजस्थान में या मण्डावर में कितना पैसा, तो आज गांव में आपका पूरा स्टाफ जाता है, टी.ए., डी.ए. कितना लगता है, और एक नया पैसा नहीं है गांवों में खर्च करने के लिये। "प्रशासन गांव के संग" में हम भी गये हैं, वहां लोगों की बैठकर समस्याएं भी सुनी हैं। लेकिन आपका विभाग जवाब यह देता है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास कोई सामान नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं?

श्री रामसिंह विश्नोई : "प्रशासन गांव के संग" में 35 हैण्ड पम्प आपने ठीक कराये हैं। वे हैण्ड पम्प ठीक हुये हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स भी लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, नहीं। यह गलत लिखा है इन्होंने कि 35 हैण्ड पम्प ठीक कर दिये। (व्यवधान) मैं आपको कह रहा हूं, मंत्री महोदय, एक भी हैण्ड पम्प ठीक नहीं किया। "प्रशासन गांव के संग" में हम भी जाते हैं, "प्रशासन गांव के संग" में जाकर आपके जो भी आफिसर्स यहां बैठे हैं, कोई हैण्ड पम्प आज तक ठीक नहीं किया।

श्री मोहन लाल मोदी : आप गये हैं क्या? आप जाते ही नहीं हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप जो आरोप लगा रहे हैं अगर वाकई में ये ठीक नहीं हुये हैं और आपको यह शंका है तो आप मुझे यह सूची बता सकते हैं, हम जांच कर लेंगे। जहां तक "प्रशासन गांव के संग" का प्रश्न हैं, पैसों का.....(व्यवधान) मैं इसका जवाब दे दूं।

आपने दो बातें पूछी हैं, एक तो "प्रशासन गांव के संग" में हमारे पास पैसे नहीं होने की आपने बात कही है। मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान के अन्दर मेरे विभाग के अन्दर पैसों की कोई कमी नहीं है। हम पूरी देख-रेख हमारे स्तर पर कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार को हमारे को देने पड़ते हैं। राज्य सरकार के सामने हमने बात रखी थी। लेकिन "प्रशासन गांव के संग" अकस्मात यह प्रोग्राम हुआ है, इसमें राजस्थान के अन्दर हैण्ड पम्प रिपेयरिंग का मामला है या ट्यूबवैल बोर करने का मामला है या जहां भी गांव की, लोगों की, जनता की मांग आती है उस पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उस पर कार्यवाही करते हैं। लेकिन जहां तक रिपेयरिंग का सवाल है, यह पंचायत के

(श्री रामसिंह विश्नोई)

स्तर पर ही होना चाहिये था। क्योंकि कुछ जिले हैं जहां पर पंचायत समिति अपने स्तर पर हैण्ड पम्प रिपेयरिंग का काम करती है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर विभाग काम करता है। आपको कहीं शंका हो, आप यह समझें कि यह काम वाकई में हुआ नहीं है और गलत रिपोर्ट दे दी है तो आप मुझे लिखकर दें, मैं उनकी जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल। (व्यवधान) श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री धर्मपाल चौधरी : एक मिनट, जो हैण्ड पम्प हमारे पैंडिंग रह गये 31 मार्च तक सैक्शंड, वे हैण्ड पम्प कब तक लगवा देंगे आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री केसाराम चौधरी : पंचायत समिति ने कैसे हैण्ड पम्प......(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : एक मिनट, साहब, मैंने यह पूछा है कि जो हैण्ड पम्प 31 मार्च तक.....(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने जो बताया है, जो हैण्ड पम्प वाकई में वहां खुदने चाहिये और खुदे नहीं है, गांव में जो आबादी होती है, आबादी के अनुपात में......(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, जो मंजूर हैं। हमारे 31.3.2001 तक जो मंजूर थे, जो बकाया रहे गये, मंजूर हैण्ड पम्प, उनको कब तक लगवा देंगे?

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति को आपने मिस्त्री देने को कहा है। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं इनका जवाब दे दूं पहले। (व्यवधान) या आपका दे दूं? आपका क्या लेना-देना हैं? बात तो मण्डावर की चल रही है।

श्री केसाराम चौधरी : हैण्ड पम्प, आप पंचायत समिति की बात कह रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं आप विराजें, आप बैठिये।

श्री केसाराम चौधरी : मैं छोटी-सी बात कह रहा हूं। पंचायत समितियों को मिस्त्रियों को देने की बात....(व्यवधान).... एक मिनट....

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आपने जो "प्रशासन गांव के संग" अभियान चला रखा है उसके लिये मैं यह कह रहा हूं ....(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नाई : अध्यक्ष महोदय, आप जिस माननीय सदस्य को पुकारेंगे, उसी का जवाब देने के लिये मैं बाध्य हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरे को पुकारा है, अध्यक्षजी ने पुकारा है मेरे को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री धर्मपाल चौधरी : मेरा जवाब तो देने दें। मैंने प्रश्न पूछा है। (व्यवधान) जवाब तो देने दें उनको।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने ''प्रशासन गांव के संग'' अभियान जो चला रखा है वह अच्छा आपने सराहनीय कार्य किया है कि आपने प्रशासन को कम से कम गांव में तो भेजा। मैं इसकी सराहना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं मंत्रीजी से, आपने अपने विभाग के अन्दर एक तय कर रखा है कि डेढ़ सौ मीटर की दूरी के बीच के अन्दर अगर हैण्ड पम्प की आवश्यकता पड़ती है तो.....

श्री रामसिंह विश्नोई : डेढ़ किलोमीटर है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : डेढ़ किलोमीटर। डेढ़ किलोमीटर की दूरी के बीच में अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो उसको आप हैण्ड पम्प जारी नहीं करेंगे। ''प्रशासन गांव के संग'' जा रहा है, मुख्य समस्या गांव के अन्दर है पानी, बिजली और सड़क। चूंकि पिछले तीन साल से राजस्थान अकाल से जूझ रहा है, पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया, पानी पीने को है नहीं, एम.एल.ए. लैड से हम हैण्ड पम्प सैंक्शन करते हैं। आपके डिपार्टमैंट ने एक खामी और कर रखी है। (व्यवधान) सर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि एम.एल.ए. लैड के हैण्ड पम्प लगाते हैं उसके अन्दर आपने एक तकनीकी स्वीकृति की बीच में शर्त लगा रखी है। हम एम.एल.ए. लैड से हैण्ड पम्प स्वीकृत करते हैं उनको लगने के अन्दर 2–2 वर्ष लग जाते हैं। हम पी.एच.ई.डी. से पूछते हैं कि आप हैण्ड पम्प क्यों नहीं लगा रहे हैं तो ये कहते हैं हमारे पास तकनीकी स्वीकृति नहीं आयी। एम.एल.ए., एम.पी. लैड का जो पैसा है, अपनी इच्छा से वह वहीं लगाना चाहता है, जहां आवश्यकता की जगह है वहां लगाना चाहते हैं, तो क्या आप इस तकनीकी स्वीकृति की शर्त को हटाने की मंशा रखते हैं?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दो बातें रखी हैं, एक तो करीब डेढ़ किलोमीटर दूरी पर हैण्ड पम्प लगाने की बात कही है, वह वाकई में आपकी बात सही है। मैं खुद इस पक्ष का हूं कि कम से कम आधा किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ही हैण्ड पम्प होने चाहिये। राजीव गांधी मिशन की अभी हमारे जिले में एक बैठक हुई है उसमें करीब–करीब यह तय हो गया है कि आधा किलोमीटर की दूरी पर ही अगर वहां पर आवश्यकता हो और वहां पर पानी उपलब्ध हो तो वहां खोद दिया जाये। नम्बर दो.....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एम.एल.ए. लैड का जो मैं पूछ रहा हूं?

श्री रामसिंह विश्नोई : दूसरा नम्बर, एम.एल.ए. लैड का मामला है। माननीय विधायक या जनप्रतिनिधि, मेरे निर्देश

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दिये हुये हैं। सब अधिकारियों को कि जहां पर भी जनप्रतिनिधि और ज्यादातर विधायक लोग जहां चाहें उस मोहल्ले में, उस स्थान पर ही हैण्ड पम्प लगाएं। लेकिन शर्त यही है कि वहां पर पानी उपलब्ध होना चाहिये, मीठा पानी होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं तकनीकी स्वीकृति पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तकनीकी स्वीकृति की पूछ रहा हूं कि उसको हटाने की मंशा है क्या आपकी?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : तकनीकी स्वीकृति की वजह से 2–2 साल तक हैण्ड पम्प नहीं खुद रहे हैं। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में मैंने 74 हैण्ड पम्प सैंक्शन करके दे रखे हैं, अब तक खुदे नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रदेश में बेरोजगार बहुत हैं इसलिये सारे डिपार्टमैंट करने पड़ते हैं। डिपार्टमैंट में सब तरह के लोगों को रखना पड़ता है क्योंकि यहां पर बेरोजगारी बहुत है। सब लोगों को काम देने के लिये तकनीकी और सब तरह के आदमी रखने पड़ते हैं।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप जो कहते हैं उसमें कोई अन्तर नहीं है, कथनी–करनी में कतई अन्तर नहीं है। हैण्ड पम्प हमारे यहां पर जितने भी अभियान में आये, जो ठीक करने थे, वे हमने ठीक करवाये क्योंकि हम वहां मौजूद रहते हैं। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि दो आदेश आपने अब तक हमारे फरमाये हैं। साढ़े चार करोड़ की योजना जो नांदौती की है, वह आपने मंजूर कर दी। सारी तकनीकी कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन छह महीने हो गये हैं। वहां अकाल पड़ा हुआ है, एक भी दाना किसान ने अब तक जमीन में नहीं बोया है, पानी की समस्या हो रही है, मेहरबानी करके उस योजना को जल्दी से जल्दी लागू करवा दें।

दूसरा निवेदन है कि टोडाभीम में टंकी के निर्माण के आपने तीन बार आदेश निकाल दिये। आपके आदेश बेकार नहीं जाते। आपके कार्यवाही तो तत्काल होती है, इतने प्रभावशाली हैं। (व्यवधान)... कब हमारी उस योजना को पास कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विभाग के अधिकारियों द्वारा जिन हैण्ड पम्पों को चिन्हित करके मृत और अयोग्य घोषित कर दिया गया है या अधिकारियों द्वारा सूची आपके विभाग में उपलब्ध करवा

(श्री बाबूलाल नागर)

दी गयी है, ऐसी सूची आने के बाद क्योंकि पहले वहां हैण्ड पम्प लगे थे इसलिये सारी योग्यताएं रखते ही थे हैण्ड पम्प रखने की, दूरी वाला और दूसरा कोई नार्म्स उसमें आड़े आता नहीं है, ऐसी सूची आने के बाद में कितने दिनों में नये हैण्ड पम्प वहां स्वीकृत कर देते हैं, दूसरा यह है कि राजीव गांधी पाठशालाएं छोटी–छोटी ढाणियों में बनी है। आपसे आग्रह है, क्या सरकार राजीव गांधी पाठशालाओं पर हैण्ड पम्प लगाने का कोई प्रोविजन रखती है? रखती है तो कब तक, सभी जो राजीव गांधी पाठशालाएं हैं, उन पर हैण्ड पम्प लगायेगी?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने दो प्रश्न पूछे हैं। एक तो जहां पर हैण्ड पम्प खराब हो जाते हैं वहां उसी स्थान पर लगने चाहिये। यह हमारा स्टैंडिंग आदेश है, इसमें जहां तक हो सके। पूरा राजस्थान 38 हजार गांवों में फैला हुआ है इसलिये एक साथ तो सम्भव नहीं है। लेकिन स्टैंडिंग आर्डर किये हुये हैं, आप वहां अधिकारियों से मिलकर जहां–जहां भी आपने ......(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री बाबूलाल नागर : सालभर पहले सूची आयी हुयी है, अभी तक उनके लिये दुबारा नये हैण्ड पम्प स्वीकृत नहीं किये हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : कई वर्ष लगते हैं तब जाकर काम होते हैं।

दूसरा आपने जो राजीव गांधी का मामला बताया है, करीब 25 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा राजीव गांधी पाठशालाओं के अन्दर हैण्ड पम्प खोदने का काम हमने युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किया हुआ है। जहां–जहां से रिपोर्ट आती है, जहां–जहां हमारी मशीने उपलब्ध होती हैं, हम शीघ्र ही उन राजीव गांधी और अन्य स्कूलें चाहे माध्यमिक हों, चाहे उच्च माध्यमिक हों, सारी स्कूलों के अन्दर जो गांव से दूर हों, या गांव से दूर न भी हों, शहर में भी हो वहां पर बच्चों की संख्या 400, 500 और 1000 होती है तो वहां पर हम प्राथमिकता के आधार पर हैण्ड पम्प खोदने की....(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : प्राइमरी, मिडल स्कूलों में तो, मंत्री महोदय, लगा रहे हैं लेकिन राजीव गांधी पाठशालाओं के लिये जब भी हम लिखकर देते हैं तो अधिकारी लोग कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के कोई नियम नहीं हैं। राजीव गांधी पाठशालाओं में हैण्ड पम्प का कोई प्रस्ताव नहीं बनाते हैं। आपसे आग्रह है, यह पूरे राजस्थान के छोटे–छोटे बच्चों का मामला है?

श्री रामसिंह विश्नाई : आप बात समझो। हमने स्टैंडिंग आर्डर किये हुये हैं, अधिकारियों को कह रखा है, आप हमारे को....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दो मिनट मुझे दो। अध्यक्ष महोदय, हमें कोने में बैठा रखा है, हम पूछते हैं तो आप बोलने नहीं देते।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे बच्चों का मामला है, पूरे राजस्थान में राजीव गांधी पाठशालाओं में हैण्ड पम्प लगने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। प्रश्न बनता ही नहीं है आपका।

श्री बाबूलाल नागर : हैण्ड पम्प लगना चाहिये, आपसे आग्रह है आप तो वैसे भी ढाणियों में छोटे-छोटे बच्चों के लिये करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम की नादौती के लिये मैंने निवेदन किया था।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था, मैं अलवर जिले के बारे में पूछ रहा हूं एक ही मिनट में।

श्री रामस्वरूप : उसको जल्दी से जल्दी मेहरबानी करें, आप। नादौती, टोडाभीम का मामला है, साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। एक भी नहीं। प्रश्नकाल समाप्त।

श्रीमती शांति पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती शांति पहाड़िया : आप यह बतायें कि.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, प्रश्नकाल समाप्त। आपका प्रश्न आया नहीं, आप क्या पूछ रहे हो? खड़े हो रहे हैं।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : मैं वाटर वर्क्स के बारे में पूछना चाहता हूं, एक मिनट के लिये। माननीय, बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मिनिस्टर से बात कर लेना। आप प्रभारी मंत्रीजी से बात कर लेना, जो आपने सवाल पूछा है उसके लिये। (व्यवधान) ज्ञानदेवजी, आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम कोने में बैठते हैं, आप हमें अनुमति देते नहीं हैं और खड़े होते हैं तो आप मना करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : है तो आपको समय देते हैं न, आप काहे को खड़े होते हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लेकिन आप इधर भी देखें, साहब, हमारे कोने में आप देखते ही नहीं, साहब, कृपा ही नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इधर भी कृपा करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित परीक्षार्थियों को नियुक्ति

1. **श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा):** क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1986 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अनियमितताएं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय/आदेश से परीक्षार्थियों की नियुक्ति की गयी? यदि हां, तो उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णयादेश से अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी गयी? निर्णयादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश क्रमशः दिनांक 27.9.1993 एवं 8.4.1994 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियों की कार्यवाही की गयी। निर्णय की प्रति परिशिष्ट "क" एवं परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-2

(स्थगित)

राज्य सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति

3. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदों पर राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति दी जाती है? यदि हां, तो इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से पदोन्नति देकर उक्त कोटे के सारे पद भरे हुये हैं? यदि नहीं, तो कितने पद कब-कब से क्यों रिक्त हैं?

(3) उक्त पदों को पदोन्नति से कब तक भरे जा सकेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। अखिल भारतीय सेवा (पदोन्नति) नियम 1955 के अन्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक आयोजित करवायी जाती है। चयन समिति में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। उस समिति के समक्ष पात्रता सूची, विभागीय जांच/प्राथमिक जांच के सम्बन्ध में सूचना, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, इन्टीग्रीटी सर्टिफिकेट एवं एडवर्स रिमार्कस सर्टिफिकेट एवं पूर्व में दिये गये दण्ड सम्बन्धी सूचना के दस्तावेज रखे जाते हैं। समिति द्वारा चयनित अधिकारियों के

(कार्मिक मंत्री)

सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1995–96 से अब तक कुल 30 पद रिक्त हैं।

(3) राज्य प्रशानिक सेवा अधिकारियों की सुपर टाइम स्केल/सलेक्शन स्केल की अन्तिम वरिष्ठता का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है। इसके निर्धारित होने के पश्चात् ही पदोन्नति की कार्यवाही सम्भव हो पावेगी।

लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जाति/ जनजाति के चयनित व्यक्ति

4. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 01 अक्टूबर, 1993 से सितम्बर, 2001 तक संयुक्त राज्य सेवाओं व अधीनस्थ सेवाओं के अन्तर्गत किस–किस वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की गयीं और प्रत्येक राज्य सेवा व अधीनस्थ सेवा के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने–कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया? अन्य पिछड़ा वर्ग के सफल उम्मीदवारों की वर्षवार, जातिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस उप निरीक्षक की नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं बाबत भी वर्ष 1993 से सितम्बर, 2001 तक क्रम संख्या के समान सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कालेज प्राचार्य, कनिष्ट लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, मेडीकल कालेज प्राचार्य सेवाओं की भी परीक्षायें आयोजित की गयी? यदि हां, तो उक्त बाबत वर्ष 1993 से सितम्बर, 2001 तक क्रम संख्या 1 में चाही सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं वर्ष 1994, 1995–96, 1996–97 एवं 1999 आयोजित की गयी हैं। उपरोक्त परीक्षाओं के माध्यम से राज्य सेवाओं में 126 एवं अधीनस्थ सेवाओं में 225 अभ्यार्थियों का चयन किया गया है। सफल उम्मीदवारों की वर्षवार, जातिवार सूची संलग्न है। परिशिष्ट ''क'' (पृष्ठ 1 से 11 तक)

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1993 से सितम्बर, 2001 तक उप निरीक्षक पी.सी. के रिक्त पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दी गयी नियुक्ति का विवरण निम्नप्रकार है:-

(कार्मिक मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	कुल पद उ.नि./पी.सी.	ओ.बी.सी. के रिक्त पद	ओ.बी.सी./पी.सी. नियुक्ति उ.नि. की संख्या
1.	1994	326 (मय एमबीसी-4)	65 उ.नि. 2 पी.सी.	56 उ.नि. पी.सी.
2.	1996	295	46 उ.नि. 16 पी.सी.	46 उ.नि. 12 पी.सी.
3.	1997-98	301	60 उ.नि. 3 पी.सी.	60 उ.नि. 3 पी.सी.

(3) कालेज प्राचार्य एवं मेडिकल कालेज प्राचार्य के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति के होने के कारण इन पदों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाती है। कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार की परीक्षाएं निम्नानुसार आयोजित की गयी:-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	अ.पि.व. के लिये आरक्षित पद	अ.पि.व. के चयनित अभ्यर्थी
1.	कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-1994	126	178
2.	तह. राजस्व लेखाकारी परीक्षा-1994	17	21
3.	तह. राजस्व लेखाकारी परीक्षा-1997	11	12

अन्य पिछड़ा वर्ग से सफल अभ्यर्थियों की वर्षवार जातिवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ख" व परिशिष्ट "ग")।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शीघ्रलिपिक परीक्षा हेतु अधिसूचित पाठ्यक्रम

5. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिनांक 30 सितम्बर, 2001 तक राज्य के शासन सचिवालय/अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्रलिपिकों के कितने पद रिक्त होने की सूचना प्राप्त है और रिक्त पदों को कब तक विज्ञापित कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली शीघ्रलिपिक परीक्षा के लिये नया पाठ्यक्रम अधिसूचित कर दिया गया है? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पाठ्यक्रम को अव्यवहारिक बताते हुये अनेक छात्र संगठनों/जन प्रतिनिधियों/विषय विशेषज्ञों ने ज्ञापन दिये थे? यदि हां, तो उनके ज्ञापनों

(श्री उदय सिंह राठौड़)

पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या उक्त पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार किया जायेगा?

(4) क्या उक्त पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व हिन्दी भाषा के प्रश्नपत्र को उन्हीं अभ्यर्थियों के लिये वैकल्पिक बनाने पर विचार किया जायेगा जो सम्बन्धित भाषा की शीघ्रलिपिक परीक्षा दे रहे हों? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त पाठ्यक्रम के अलावा उक्त पद पर नियुक्ति के लिये कम्प्यूटर के ज्ञान को भी अनिवार्य किये जाने का विचार चल रहा है? यदि हां, तो किस स्तर का पाठ्यक्रम प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) शासन सचिवालय में वास्तविक रूप से 11 पद रिक्त हैं। अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना एकत्रित नहीं की गयी है क्योंकि बहुत कम पद रिक्त है। अतएव वर्तमान में पदों को विज्ञापित करने का विचार नहीं है।

(2) जी हां। सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 9.2.2001 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। अंग्रेजी व हिन्दी भाषा के अनिवार्य प्रश्नपत्र को वैकल्पिक बनाने का विचार नहीं है क्योंकि नवीन पाठ्यक्रम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं उच्च स्तर पर गहन विचार विमर्श करने के पश्चात् ही लागू किया गया है।

(5) नया पाठ्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

ग्राम देवीखेड़ा (टोंक) में नियम विरुद्ध खान आबंटन

6. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सहायक शासन सचिव, खान विभाग की हनीफ गत 10–15 वर्षों से लगातार इसी विभाग में कार्यरत हैं तथा गत दो पदोन्नतियां भी इसी विभाग में रहते हुये पायी हैं? यदि हां, तो सरकार की नीति पदोन्नति के वक्त स्थानान्तरण व लगातार एक विभाग में लम्बे समय तक रहने के बारे में क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त के विरुद्ध खान विभाग के कार्यालय के दौरान राज्य सरकार को विभिन्न स्तरों पर सैकड़ों शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर कब क्या जांच व कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त का स्थानान्तरण गत दिनों अन्य किसी विभाग में कर दिया गया था? यदि हां, तो वह निरस्त क्यों किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फतेह सिंह)

(4) क्या यह भी सही है कि इन्होंने अपने पुत्र के नाम से नियम विरुद्ध खनिज गारनेट की खान ग्राम देवीखेड़ा, तहसील–देवली, जिला टोंक में पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र प्राप्त न होने पर सीधे खनन पट्टा आबंटित करवा कर ले ली है? खनिज गारनेट के अन्य कितनों को सीधे खनन पट्टे बिना पूर्वेक्षण कार्य किये आबंटित किये गये हैं? उक्त विषय में नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि खान विभाग में सेवारत रहते हुये पुत्र के नाम से बिना सूचना दिये व अनुमति लिये खान आबंटित करवा लेना राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियमावली के विरुद्ध है? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री हनीफ अहमद जनवरी, 1993 से खान विभाग में विभिन्न पदों पर निम्नानुसार कार्यरत रहते हुये वर्तमान में दिनांक 30.4.2001 से सहायक शासन सचिव, खनिज विभाग के पद पर पदस्थापित हैं:

अराजपत्रित

वरिष्ठ लिपिक	–	जनवरी, 1993 से 17.4.1993 तक
सहायक	–	30.4.1993 से 27.12.1999 तक

राजपत्रित

अनुभागाधिकारी (कार्यव्यवस्था)	–	28.12.1999 से 22.12.2000 तक
अनुभागाधिकारी (पदोन्नति पर)	–	23.12.2000 से 30.4.2001 तक
सहायक शासन सचिव (पदोन्नति पर)	–	1.5.2001 से निरन्तर

उन्हें अनुभागाधिकारी एवं सहायक शासन सचिव पद पर पदोन्नतियां भी इसी विभाग में कार्यरत रहते हुये दी गयी हैं। पदोन्नति के वक्त स्थानान्तरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई नीति बनी हुयी नहीं है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार को श्री हनीफ अहमद, सहायक शासन सचिव, खान विभाग के विरुद्ध 6 शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। कार्मिक विभाग को माह मई, 2001 एवं जून 2001 में प्राप्त शिकायतों पर शासन सचिव खान विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जा रही है। वहीं खान विभाग को 4 शिकायते श्री राकेश शर्मा, श्री प्रदीप अग्रवाल, राधामोहन झालानी एवं श्री रामशरण अन्त्यानुप्राशी से तथा 2 गुमनाम शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। शिकायतकर्त्ता श्री राकेश शर्मा, श्री प्रदीप अग्रवाल एवं श्री राधामोहन झालानी को उनके दिये पते पर शिकायत के सम्बन्ध में तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पंजीकृत पत्र प्रेषित किये गये परन्तु तीनों के पत्र डाक विभाग से बिना वितरण के वापस प्राप्त हुये हैं।

(कार्मिक मंत्री)

श्री रामशरण अन्त्यानुप्राशी को भी शिकायत के सम्बन्ध में तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। प्राप्त शिकायतों में इनके पुत्र एवं रिश्तेदारों के नाम खनन पट्टे आबंटन, अवैध खनन आदि के सम्बन्ध में निदेशक, खान से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही है कि श्री हनीफ अहमद, सहायक शासन सचिव, खान विभाग के पुत्र श्री इकबाल के नाम से ग्राम देवखेड़ा तहसील देवली जिला टोंक, में खनिज गारनेट का खनन पट्टा क्षेत्र 5.00 हैक्टेयर बिना पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र जुलाई, 2001 में स्वीकृत किया गया है। श्री इकबाल द्वारा आवेदित क्षेत्र पूर्व में श्री मोहम्मद युसूफ के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र 52/91 के तहत धारित रह चुका था और इस क्षेत्र में वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक अजमेर ने खनिज गारनेट की उपलब्धता बतायी है। एम.एम.डी. आर एक्ट, 1957 की धारा 5(2) तथा एम.सी.आर. 1960 के नियम 22(4) के अन्तर्गत कार्यवाही कर खनन पट्टा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान द्वारा स्वीकृत किया गया है। एम.एम.डी. आर एक्ट, 1957 की धारा 5(2) के प्रावधानानुसार प्रधान खनिज का कोई भी खनन पट्टा तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि आवेदित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य द्वारा अथवा अन्यथा बिना पूर्वेक्षण आवेदित खनिज की उपलब्धता स्थापित नहीं हो गयी हो। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

राज्य में उपरोक्त के अलावा बिना पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कराये खनिज गारनेट के 4 और खनन पट्टे निम्नानुसार आबंटित किये गये हैं:-

क्र.सं.	नाम पार्टी	एम.एल.न.	नि.ग्रा. व जिला	स्वीकृति दिनांक
1.	विजय प्रकाश मित्तल	10/66	खटवार तह. दूदू, जयपुर	6.6.2001
2.	सरदार मेहन्दर सिंह	19/2000	सरवाड़, अजमेर	6.6.2001
3.	सरदार मेहन्दर सिंह	20/2000	सरवाड़, अजमेर	7.9.2001
4.	श्रीमती किरण देवी	02/1993	कोटूकोटा, भीलवाड़ा	20.1.2001

(5) जी हां। यह सही है कि खान विभाग में रहते हुये श्री हनीफ अहमद द्वारा अपने पुत्र श्री इकबाल के नाम बिना सूचना दिये व अनुमति लिये खान आबंटित करा ली गयी है। उनके विरुद्ध प्राप्त उपरोक्त शिकायतों की जांच पश्चात् पुष्टि के उपरान्त नियमान्तर्गत समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

मृतक आश्रित को राजकीय सेवा में नियुक्ति

7. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मृतक श्री भंवरलाल पुत्र श्री सुवालाल भूतपूर्व कांस्टेबल नम्बर 527 राजस्थान आर्मण्ड कांस्टेबलरी (आर.ए.सी.) का सेवा के दौरान दिनांक 31 अगस्त, 1984 को आसाम के संवेदनशील इलाके में देहान्त हो गया था? क्या इसके बाद राज्य सरकार ने मृतक के आश्रित अनुकम्पा नियमों के अन्तर्गत उसकी विधवा पत्नी श्रीमती गोरा देवी को सेवा देने के लिये विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की थी? यदि हां, तो उक्त प्रकरण के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिस समय उक्त मृतक का देहान्त हुआ उस समय उसके परिवार में उसकी नाबालिग पुत्री कु. कंचन 8 वर्ष, कु. लीला 6 वर्ष, पुत्र श्री सुरेश 4 वर्ष और पुत्री कु. सुशीला 2 वर्ष की थी? क्या उसका पुत्र श्री सुरेश वयस्क होने पर उसके मृतक पिता के स्थान पर नौकरी पाने का अधिकारी नहीं बनता है? उक्त सम्बन्धी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मृतक के पुत्र श्री सुरेश कुमार ने दिनांक 17 नवम्बर, 2000 को कमांडेंट, आठवीं, बटालियन आर.ए.सी. 1 आर.आर. गाजीपुर दिल्ली को मृतक आश्रित अनुकम्पा नियमों के तहत परिवार में उसकी माता श्रीमती गोरा देवी की सहमति से प्रार्थना पत्र दिया? यदि हां, तो क्या उक्त पर उक्त कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 516/आर.ए.सी. 8 बल/2000/7644 दिनांक 24.11.2000 को मृतक के पुत्र का यह कह कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया कि नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि कमांडेंट आठवीं बटालियन आर.एस./आई.आर./गाजीपुर दिल्ली क्रमांक नम्बर 516/आर.ए.सी. 8 फोर्स 2001/2531–32 दिनांक 9.4.2001 को उप महानिरीक्षक पुलिय आर.ए.सी. रेंज द्वितीय जयपुर से मूल प्रकरण के कालम संख्या 4 की पूर्ति कर भिजवा दी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त मृतक के वयस्क पुत्र श्री सुरेश कुमार आयु 20 वर्ष योग्यता मैट्रिक पास वर्ष 2000 अनुसूचित जाति को मृतक आश्रित के अनुकम्पा नियमों के तहत नियुक्ति देने की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही है कि श्री भंवरलाल पुत्र श्री सुवालाल, भूतपूर्व का नि. नं.

(कार्मिक मंत्री)

527 आठवीं बटालियन आर.ए.सी. (आई.आर.) अगरतला (आसाम) का संवेदनशील क्षेत्र में सेवारत रहते हुये दिनांक 31.8.1984 को देहान्त हुआ था। उक्त मृतक भूतपूर्व कानि. की बेवा श्रीमती गौरा देवी अशिक्षित थी एवं बच्चे नाबालिग थे। नियमानुसार उस समय उनको मृतक आश्रित अनुकम्पा नियमों के तहत राज्य कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं था।

(2) स्व. श्री भंवरलाल का नि. नं. 527 के देहान्त के समय उनके परिवार में पुत्री कुमारी कंचन 8 वर्ष, कुमारी लीला 6 वर्ष, व पुत्र श्री सुरेश 4 वर्ष व पुत्री सुशीला 2 वर्ष की आयु के थे। मृतक का आश्रित पुत्र श्री सुरेश कुमार उसकी जन्म तिथि 29.11.1980 के अनुसार 29.11.1998 को वयस्क हुआ। मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिये श्री सुरेश कुमार ने दिनांक 17.11.2000 को क. लि. पद के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो मृतक आश्रित को राज्य सेवा में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने के नियम 10(3) के तहत आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं किये जाने के कारण राज्य सेवा में नियुक्ति पाने का अधिकारी नहीं बनता है। नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) मृतक आश्रित श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री भंवरलाल भूतपूर्व का नि. नम्बर 527 ने दिनांक 17.11.2000 को कमांडेंट 8वीं बटालियन आर.ए.सी. (आई.आर.) गाजीपुर दिल्ली के कार्यालय में अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 10(3) के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण अस्वीकृत किया गया।

(4) कमांडेंट 8वीं बटालियन आर.ए.सी. में कालम 4 की पूर्ति कर उनके पत्र क्रमांक 2531–32 दिनांक 9.4.2001 द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस, आर.ए.सी. (11) जयपुर को भेजा एवं उप महानिरीक्षक पुलिस आर.ए.सी. रेंज (11) के पत्रांक 1960–61 दिनांक 26.4.2001 के द्वारा मूल प्रकरण कालम संख्या–4 की पूर्ति के पश्चात् दिनांक 27.4.2001 को मुख्यालय में प्राप्त हुआ, जो नियम 1996 के नियम 10(3) के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर नियमानुसार सूचना सम्बन्धित प्रार्थी को दी गयी है। पत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) मृतक के वयस्क पुत्र श्री सुरेश कुमार को मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियम 1996 के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा नियोजन किया जाना सम्भव नहीं है। पुलिस मुख्यालय से विलम्ब अवधि हेतु विशेष शिथलन (छूट) प्रदान किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

प्रश्न संख्या-8

(स्थगित)

ग्राम लूणवां (नागौर) हेतु पेयजल व्यवस्था

9. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लूणवां, तहसील, नावां (नागौर) में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये भादवा की स्कीम में काम चालू किया गया था और पेयजल शीघ्र उपलब्ध कराया जाना था? क्या उक्त से अभी तक पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) भादवा की उक्त स्कीम पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है व अब कितनी राशि व्यय करनी शेष है? क्या उक्त राशि व्यय करने के बाद उक्त स्कीम लूणवां के लिये उपयोगी हो सकेगी? यदि हां, तो कितने समय के लिये?

(3) क्या ग्राम लूणवां में ग्राम गौरवपुरा में पीने के पानी की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है? क्या यहां किसी स्कीम द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है? यदि हां, तो वह स्कीम (व्यवस्था) क्या है और उक्त पर कितनी राशि व्यय होगी? उक्त ग्राम में कितने समय में पानी की व्यवस्था की जा सकेगी?

(4) ग्राम देवली में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान में कितनी राशि स्वीकृत की गयी है? उक्त के अन्तर्गत कौन-कौन से काम कितनी-कितनी राशि के किये जाने प्रस्तावित हैं? उक्त हेतु अब तक कितना काम कराया जा चुका है व शेष काम कितने समय में पूर्ण करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम लूणवां की पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु ग्राम भादवा तहसील, फूलेरा के जल स्रोत से पानी वितरण करने की एक योजना माह 3/2000 में स्वीकृत की गयी। उक्त योजना पर पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। अन्य सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं।

(2) भादवा योजना की उक्त योजना पर स्वीकृत राशि रुपये 6.51 लाख के विरुद्ध रुपये 5.75 लाख व्यय किये जा चुके हैं शेष बची हुई राशि करीब रुपये 0.75 लाख से लीकेज व जोईंटिंग इत्यादि की जानी शेष है। लूणवां जल प्रदाय योजना पाइप योजना है एवं शून्य सर्विस लेवल होने के कारण आंशिक रूप से 10–15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन का पानी उपलब्ध हो सकता है। उक्त स्रोत भू-वैज्ञानिक की राय के अनुसार तीन-चार साल काम में लिया जा सकता है।

(3) लूणवां के पास नया सृजित ग्राम गोरखपुरा पूर्व में गौरू की ढाणी के नाम

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

से क्षेत्रीय योजना लूणवां भादवा योजना से लाभान्वित था परन्तु योजना के स्रोत बन्द होने के कारण वर्तमान में गोरखपुरा में जल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। लूणवां व अन्य गांव जिसमें गोरखपुर भी शामिल है, में जल वितरण की स्थायी व्यवस्था करने हेतु भू-जल वैज्ञानिक स्थायी जल स्रोत के बारे में राय नहीं दे पाये हैं क्योंकि योजना के आसपास 15–20 किलोमीटर क्षेत्र में जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। स्थायी स्रोत के चयन के पश्चात् योजना बनाना सम्भव होगा।

(4) ग्राम देवली में पानी उपलब्ध कराने के लिये रुपये 1.81 लाख की राशि स्वीकृत की गयी इसके अन्तर्गत बेबी वैल का निर्माण रुपये 0.60 लाख व होरीजेंटल बोरिंग का कार्य रुपये 1.12 लाख प्रस्तावित है। उक्त राशि में बेबी वैल का निर्माण व होरीजेंटल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृति के अनुसार अब कोई कार्य शेष नहीं है। बेबी वैल का प्रयोग प्रारम्भ किया जा चुका है।

ग्राम मीण्डा (नागौर) में स्वीकृत पुनर्गठित पाइप लाइन

10. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम मीण्डा, तहसील नावां (नागौर) की स्वीकृति पुनर्गठित पाइप योजना की स्वीकृति किस वर्ष में हुई थी तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण कराना था? अब, कब तक उक्त योजना से जनता को पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा?

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत 6 नलकूप व 18 मीटर ऊंचाई का उच्च जलाशय आर.सी.सी. का निर्मित कराया गया है? क्या इतना समय बीतने के बाद भी नलकूपों पर विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम ठीकरिया जो इसी पंचायत का राजस्व ग्राम है में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वहां पर जो भी नलकूप वगैरह जलदाय विभाग द्वारा बनाये गये थे फेल हो चुके हैं? क्या ग्राम मीण्डा में वर्तमान में पुराने दो नलकूपों से पानी सप्लाई हो रहा है और पुनर्गठित योजना में 6 नलकूप नये बनाये जा चुके हैं? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में एक या दो नवनिर्मित नलकूप का पानी इसी पंचायत के ग्राम ठीकरिया को क्यों नहीं दिया जा सकता है?

(4) क्या ग्राम मीण्डा की देदियाबास की पाइप लाइन पुनर्गठित योजना में स्वीकृत है? उक्त काम शीघ्र पूरा कब करा दिया जावेगा? क्या अब तक यहां पाइप लाइन डालने का काम पूरा हो गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या माननीय मंत्री महोदय को ग्राम मीण्डा की स्वीकृति पाइप योजना व

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

ग्राम ठीकरिया में पीने का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र प्राप्त हुआ है? क्या विभाग को उक्त सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त निर्देशों की अनुपालना में अब तक क्या कार्यवाही हुयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम मीण्डा की पुनर्गठित पाइप योजना की स्वीकृति माह जुलाई, 1998 में रुपये 70.56 लाख की जारी की गयी थी। योजना पर स्वीकृत कार्यों को 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। अब उक्त योजना को ग्रीष्म 2002 तक पूर्ण कर पानी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत 6 नलकूप बनाये जाकर विद्युत कनेक्शन किये जा चुके हैं एवं विद्युत कनेक्शन माह 6/2001 में प्राप्त कर लिये गये हैं। उच्च जलाशय का निर्माण कर टेस्टिंग कर ली गयी है तथा वितरण प्रणाली की पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है।

(3) ग्राम ठीकरिया खुर्द में खुले कुए का पानी उपलब्ध था परन्तु कुए में पानी की आमद शून्य होने के कारण एक नलकूप नया बनाने की स्वीकृति माह 3/2000 में रुपये 4.49 लाख की जारी की गयी। परन्तु भू-वैज्ञानिक द्वारा ग्राम ठीकरिया खुर्द में जल स्रोत के निर्माण में पूर्णतः आश्वस्त नहीं होने के कारण नलकूप का निर्माण नहीं कराया गया। ग्राम ठीकरिया के लिये अलग से जल स्रोत बाबत भू-जल वैज्ञानिक की राय ली गयी है। ग्राम मीण्डा के जल स्रोत से ग्राम ठीकरिया को स्वीकृति के अभाव में पानी दिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(4) ग्राम मीण्डा के देदियाबास में पाइप लाइन का कार्य स्वीकृत है एवं पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना का सम्पूर्ण कार्य ग्रीष्म 2002 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी हां। माननीय विधायक द्वारा दिनांक 20.7.2001 को लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ, जो कि विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। प्राप्त पत्र व स्वीकृत योजना के प्रावधानों के अनुरूप राइजिंगमैन, वितरण पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है तथा नलकूपों का निर्माण कर विद्युत कनेक्शन हो चुका है।

लालकोठी स्कीम जयपुर में जलापूर्ति

11. **श्री अशोक** (खण्डार): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की लालकोठी स्कीम में संजय स्कूल के पास प्लाट नम्बर एफ. 170 से शुरू होने वाली पूरी लाइन में पानी की जलापूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री अशोक)

(2) क्या सरकार उक्त कालोनी में जलापूर्ति सुचारू रूप से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) लालकोठी स्कीम में संजय स्कूल के पास प्लाट नम्बर एफ. 170 से शुरू होने वाली लाइन द्वारा प्रातः 5.30 बजे से 7.30 बजे तक तथा सायं 4.30 बजे से 6.30 बजे तक दो-दो घंटे जल वितरण किया जा रहा है। उक्त पाइप लाइन वितरण प्रणाली के अन्तिम छोर पर स्थित होने के कारण यद्यपि पानी का दबाव कम रहता है लेकिन वितरण समय में ग्राउण्ड फ्लोर पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है।

(2) जी हां। जयपुर शहर की विभिन्न वितरण लाइनों के सुधार हेतु ए.डी.बी. की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली योजना में प्रावधान लिया हुआ है। स्वीकृति एवं धन उपलब्धता के अनुसार जल वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के नाकारा हैंण्ड पम्प

12. **श्री भाणजी** (दानपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2001-2002 में विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हुये, उनमें से कितने हैण्ड पम्प खोदे गये और कितने नहीं, उक्त में से कितने हैण्ड पम्प चालू हैं तथा कितने बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बन्द हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 में विधान सभा क्षेत्र दानपुर में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल 76 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुये हैं और इनमें से 66 हैण्ड पम्प खोदे गये हैं जिनमें से 57 हैण्ड पम्प सफल रहें व 9 हैण्ड पम्प असफल रहे हैं। सफल रहे 57 हैण्ड पम्पों में से 56 हैण्ड पम्पों की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 10 हैण्ड पम्पों को खोदने का व एक हैण्ड पम्प की स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। उपरोक्त लगाये गये सभी 56 हैण्ड पम्प वर्तमान में चालू हालत में है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बिन्दु संख्या-1 के उत्तर के अनुसार वर्णित सभी सफल हैण्ड पम्प कार्यरत हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

अधिशासी अभियंता झालावाड़ हेतु आबंटित राशि

13. **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत पांच वर्षों में अधिशासी अभियंता, झालावाड़ के कार्यालय में कितनी–कितनी क्रेडिट लिमिट किस–किस मद में आयी व किस–किस मद में व्यय की गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में अधिशासी अभियंता झालावाड़ व भवानी मण्डी नगर के सहायक अभियंता कार्यालय में कितनी राशि के बिल पास किये गये व भुगतान किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यालय द्वारा उपभोक्ताओं से पानी की सप्लाई की एवज में जो शुल्क लिया जाता है वह किस आधार पर लिया जाता है?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में अधिशासी अभियंता खण्ड झालावाड़ के कार्यालय में प्राप्त क्रेडिट लिमिट का मदवार प्राप्ति एवं व्यय का विवरण संलग्न है। अनुलग्नक "अ"।

(2) गत पांच वर्षों में अधिशासी अभियंता खण्ड झालावाड़ तथा सहायक अभियंता नगर भवानी मण्डी द्वारा पारित तथा भुगतान का विवरण संलग्न है। अनुलग्नक "ब"।

(3) झालावाड़ कार्यालय द्वारा उपभोक्ताओं से पानी की सप्लाई की एवज में जल शुल्क नोटिफिकेशन क्रमांक एफ./एफ.ए. एण्ड सी.ए.ओ./आर.डब्ल्यू.एस.एस.एम.बी./मिशन 1997–98 दिनांक 12.11.1997 द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर लिया जाता है। नोटिफिकेशन की छाया प्रति संलग्न है। अनुलग्नक "स"।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम चीथवाड़ी (जयपुर) में पेयजल आपूर्ति

14. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम चीथवाड़ी में जनसंख्या के अनुपात में पेयजल की आपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामीण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समस्या के निदान के लिये सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चौमूं ने ग्राम चीथवाड़ी के लिये एक स्कीम बनाकर सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता/अधीक्षण अभियंता को स्वीकृति हेतु भिजवायी है?

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

(3) क्या यह सही है कि काफी समय व्यतीत होने के बाद भी उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

(4) अब सरकार कब तक उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम चीथवाड़ी में वर्तमान में 13 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पेयजल वितरित किया जा रहा है जो विभागीय निर्धारित मानदण्डों से कम है। यह ग्राम पाइप्ड योजना से लाभान्वित है। इस ग्राम में अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में 20 हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं।

(2) जी नहीं। उक्त ग्राम में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु एक नये नलकूप निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(3) बिन्दु संख्या-2 के उत्तर के अनुसार।

(4) आगामी ग्रीष्म में उक्त ग्राम में पेयजल सम्वर्द्धन हेतु बिन्दु संख्या-2 में दिये गये उत्तर के अनुसार एक नये नलकूप निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं जिसका क्रियान्वयन स्वीकृति उपरान्त बजट एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्राथमिकता के आधार पर सम्भव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त योजना के पूर्ण पुनर्गठन हेतु "सैक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट" के तहत ग्राम स्तरीय "वाटर एवं सैनीटेशन समिति" के गठन हेतु ग्रामवासियों को भी प्रेरित किया जा रहा है।

नेमीसागर कालोनी (जयपुर) में पेयजल कनेक्शन

15. श्री भंवर लाल शर्मा (सरदारशहर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गृह निर्माण सहकारी सम्रितियों द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं में पानी कनेक्शन देने की कोई पृथक् योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि क्वींस रोड जयपुर स्थित नेमीसागर कालोनी में पानी के कनेक्शन सरकार द्वारा जारी नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में उक्त कालोनी में पानी के कनेक्शन जारी किये गये हैं? यदि हां, तो जारी किये गये कनेक्शनधारियों की सूची (भू-खण्ड संख्या सहित) सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कालोनी में शेष रहे भू-खण्डधारियों को पानी के कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिये कालोनी में पाइप लाइन कब तक डाल दी जायेगी और नहीं, तो क्यों?

(श्री भंवर लाल शर्मा)

(5) क्या एक ही कालोनी में पानी कनेक्शन देने हेतु दोहरे मापदण्ड अपनाये जा रहे हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं में पानी के कनेक्शन देने के लिये विभाग में पृथक से सहभागिता योजना प्रचलित है। इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित कालोनी के कुल निवासियों में से 25 प्रतिशत निवासियों द्वारा सहभागिता राशि जमा कराने की सहमति देने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि से दुगुनी राशि तक की योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की जा सकती है। योजना की स्वीकृति के पश्चात् भू–खण्डधारियों के द्वारा राशि जमा कराने पाइप लाइन डालकर पानी के कनेक्शन दिये जाते हैं। 50 प्रतिशत भू–खण्डधारियों द्वारा सहभागिता राशि जमा कराने की सहमति प्राप्त होने पर पूर्ण क्षेत्र के लिये योजना विभागीय मापदण्डों के अनुरूप योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की जा सकती है। योजना की स्वीकृति के पश्चात् भू–खण्डधारियों के द्वारा राशि जमा कराने पर पाइप लाइन डालकर पानी के कनेक्शन दिये जाते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। गत दो वर्षों से नेमीसागर कालोनी में दिये गये कनेक्शनों की सूची प्रपत्र ''अ'' पर संलग्न है।

(4) जी हां। शेष भू–खण्डधारियों के द्वारा सहभागिता योजना के तहत सहमति दिये जाने पर योजना की स्वीकृति कराकर मापदण्डों के अनुरूप भू–खण्डधारियों द्वारा राशि जमा कराने पर पाइप लाइन डालना सम्भव हो सकेगा।

(5) जी नहीं। मापदण्डों के अनुरूप ही कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही प्रतिपादित की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

प्रशिक्षित अभियंताओं की सेवाओं का उपयोग

16. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अभियंताओं को विदेशों में विशेष अध्ययन/प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है? यदि हां, तो गत 20 वर्षों में भेजे गये अभियंताओं की सूची अध्ययन/प्रशिक्षण की विषय वस्तु, अवधि व स्थान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अध्ययन/प्रशिक्षण पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा कितना–कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सांवर लाल)

(3) क्या अध्ययन/प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षित अभियंताओं को संगत क्षेत्र में पदस्थापित करके उनकी सेवाओं का उपयोग किया गया? यदि हां, तो अभियंता के पदस्थापन की सूची व उनकी उपलब्धियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर शहरी जल प्रदाय योजना के "अन–एकाउंण्टेड फार वाटर" पर अध्ययन/प्रशिक्षण पर अध्ययन के लिये कई बार अभियंताओं को देश/विदेश में भेजा गया? यदि हां, तो प्रशिक्षित अभियंताओं की सेवाओं का उपयोग करके विनिष्ट होने वाले जल की कितनी मात्रा बचाने में अब तक सफलता मिली है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहरी जल प्रदाय योजना के "अन–एकाउण्टेड फार वाटर" पर विशेष अध्ययन कराने बाबत फ्रांस की "सूरेका" संस्था व "टाटा कंसलटिंग इंजीनियर्स" की साझा सेवाएं प्राप्त की गयी? यदि हां, तो उक्त पर राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ तथा अध्ययन के क्या नतीजे निकले? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची अध्ययन/प्रशिक्षण की विषय वस्तु, अवधि व स्थान के विवरण सहित प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' में समाहित है।

(3) प्रशिक्षण मुख्य रूप से विभाग के तकनीकी कार्यकलापों जैसे लीक डिटेक्शन, ट्यूबवैल मानिटरिंग, पाइप ट्रेसिंग, सेफ्टी मेजर्स, वर्क्स प्लानिंग, कान्ट्रेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, रिहेबीलिटेशन आफ पाइप लाइन, मैनेजमेंट इत्यादि से सम्बन्धित रहा है। जिसका उपयोग/लाभ किसी स्थान विशेष/योजना विशेष से सम्बन्धित न होकर अभियंता के पदस्थापन के साथ उनके विभिन्न कार्यक्षेत्र में होता है। अभियंताओं के प्रशिक्षण के बाद हुये पदस्थापन की सूची प्रपत्र 'अ' में समाहित है।

(4) जी हां। प्रशिक्षण उपरान्त अभियंताओं की सेवाओं का उपयोग जयपुर शहर में विनिष्ट होने वाले जल की मात्रा बचाने में भी किया गया है। स्थानीय परिस्थितियों एवं उपलब्ध उपकरणों की सीमाओं के अन्तर्गत बचाये गये जल की मात्रा का निश्चित आकलन सम्भव नहीं है।

(5) जी हां। सुरेका संस्था (इण्डियन काउन्टर पार्ट टाटा कंसल्टिंग) द्वारा अध्ययन करवाया गया जिस पर 866384.50 फ्रेंच फ्रैंक का खर्च हुआ। फर्म से प्रारूप अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिस पर विभागीय टिप्पणी भेज दी गयी है तथा फाइनल रिपोर्ट अब फर्म से आनी अपेक्षित है। प्रारूप अन्तिम रिपोर्ट की "ओवरआल रिकमण्डेशन" प्रपत्र 'ब' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहायक अभियंता श्रीडूंगरगढ़ द्वारा क्रय की गयी सामग्री

17. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 में अधिशासी अभियंता खण्ड, सरदारशहर ने कुल कितना सामान क्रय किया? उक्त में सीमित निविदाओं से कितना एवं आर्डर से कितना सामान क्रय किया गया? उप खण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सहायक अभियंता श्री डूंगरगढ़ ने अपने स्तर पर सीमित निविदाएं आमंत्रित की थी? यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी निविदाएं कब–कब आमंत्रित की गयी तथा कितना–कितना सामान किस आदेश के तहत क्रय किया गया?

(3) क्या यह सही है कि फर्मों के विरुद्ध सरदारशहर के उपभोक्ता मंच ने शासन सचिव को कोई शिकायत की थी? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच करवाने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि खण्ड सरदारशहर के लाखों रुपये की चोरी का सामान पुलिस थाना सरदारशहर व थाना रतनगढ़ में जब्त पड़ा है? यदि हां, तो विभाग के अधिकारी द्वारा उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों? अब तक उक्त सामान की सुपुर्दगी हेतु विभाग ने क्या–क्या प्रयास किये?

(5) वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 में विधान सभा क्षेत्र चूरू में विधायक व सांसद कोटे के कितने कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी? उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हुये तथा कितने अपूर्ण हैं? विधायक/सांसद कोटे में बने कितने भूमिगत जलाशय अभी तक जल स्रोत नहीं जोड़े गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड, सरदारशहर ने वर्ष 1999–2000 में रुपये 2,53,799.00 एवं वर्ष 2000–2001 में रुपये 7,08,232.00 का कुल सामान क्रय किया। उक्त में से सीमित निविदा द्वारा वर्ष 1999–2000 में रुपये 2,25,839.00 का एवं वर्ष 2000–2001 में रुपये 7,08,232.00 का सामान क्रय किया गया। आर्डर द्वारा वर्ष 1999–2000 में रुपये 27,960.00 का एवं वर्ष 2000–2001 में रुपये शून्य का क्रय किया गया। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में है।

(2) सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उप खण्ड, श्री डूंगरगढ़ द्वारा वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 में सामान क्रय करने हेतु कुल 6 सीमित निविदाएं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

माह 5/1999, 8/1999, 3/2000, 4/2000, 10/2000, 2/2001 में आमंत्रित की गयी। उक्त निविदाओं से वर्ष 1999–2000 में 43,317.00 रुपये एवं वर्ष 2000–01 में 1,04,228.00 रुपये का सामान क्रय किया गया। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर है।

(3) चूरू जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति, प्रधान कार्यालय, सरदारशहर द्वारा एक शिकायत शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को की गयी है। शिकायत की जांच के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(4) दिनांक 3.8.1996 को लगभग 500 कि.ग्रा. जले हुये कापर वायर एवं जी.एम. स्क्रेप की खण्डीय भण्डार खण्ड, सरदारशहर से चोरी हो जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सरदारशहर में दर्ज करवाई गयी थी। थानाधिकारी रतनगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 6.8.1996 को लगभग 240 कि.ग्रा. ताम्बा तार एक जीप से बरामद किया गया है। चोरी किये गये सामान की वापस सुपुर्दगी निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही सम्भव है। चूंकि उक्त सामान के प्रकार को देखते हुये इसकी निश्चित पहचान सम्भव नहीं हो पायी है। अतः उक्त सामान अभी तक वापस प्राप्त नहीं किया जा सका है तथापि इस सम्बन्ध में प्रयास जारी हैं।

(5) वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 में विधान सभा क्षेत्र चूरू में विधायक एवं सांसद कोटे में परिशिष्ट 'स' के अनुसार 9 कार्यों की स्वीकृति जारी हुयी है। उक्त में से 5 कार्य पूर्ण हो चुके हैं व 2 प्रगति पर हैं एवं 2 पर पाइप की आपूर्ति अपेक्षित है। विधायक/सांसद कोटे में किसी नये भूमिगत जलाशय का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है विधायक व सांसद कोटे से परिशिष्ट 'द' में अंकित 5 विद्यमान भूतल जलाशयों/कोठों को जल स्रोत से जोड़ने के कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी जिसमें से क्रम सं. 1 व 2 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष पर वर्णित भूतल जलाशय को जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना (नागौर) की नजूल सम्पत्तियों की नीलामी

18. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या सम्पदा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला नागौर के डेगाना स्टेशन पर कितनी नजूल भूमि एवं भवन बने हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकार के भूमि एवं भवन जो नजूल सम्पत्ति की श्रेणी में आते हैं, की नीलामी अथवा सार्वजनिक हित के प्रयोजनार्थ देने के क्या नियम और प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(3) क्या यह सही है कि डेगाना स्टेशन पर लाखों रुपयों की लागत के सरकारी नजूल सम्पत्ति की श्रेणी के भवन बने हुये हैं और वर्तमान में अनुपयोगी हैं? यदि हां, तो क्या उक्त भवनों की नीलामी अथवा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बेचना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर के डेगाना स्टेशन पर 4 नजूल सम्पत्ति के भवन व भूमि है। सूची संलग्न है।

(2) नजूल सम्पत्तियों से सम्बन्धित राज्य सरकार के राजस्थान नजूल बिल्डिंग (डिस्पोजल बाई पब्लिक आक्सन) रूल्स 1971 बने हुये हैं। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ देनें बाबत नियमों में प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर की सिवाय चक भूमि का गोचर भूमि में परिवर्तन

19. श्री अमीन खान (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के कितने राजस्व ग्रामों में मवेशी व आबादी के अनुसार गोचर/औरण भूमि नहीं है? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन-जिन गांवों में गोचर भूमि नहीं है उन गांवों में सिवाय चक भूमि को गोचर भूमि में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के 1139 व जैसलमेर जिले के 187 राजस्व ग्रामों में मवेशी की संख्या के अनुसार गोचर/औरण भूमि उपलब्ध नहीं है। तहसीलवार विवरण निम्नानुसार प्रेषित है:–

नाम जिला/ तहसील	ग्रामों की संख्या
बाड़मेर	
1. बाड़मेर	200
2. शिव	74
3. रामसर	47
4. बायतू	212
5. चौहटन	150
6. गुढ़ामलानी	235
7. पचपदरा	168
8. सिवाना	53
योग	1139
जैसलमेर	
1. पोकरण	101
2. फतेहगढ़	4
3. जैसलमेर	82
योग	187

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। जिन ग्रामों में गोचर भूमि नहीं है, उन ग्रामों में निर्धारित नोर्म्स के अनुसार गोचर भूमि घोषित करने के प्रस्ताव सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने पर नियमानुसार गोचर घोषित कर दी जाती है।

नदी पेटे की भूमि का नियमन

20. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) **एवं श्री अशोक** (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा, अलवर व जयपुर के कई स्थानों पर नदी पेटे की भूमि पर भूमिहीन/लघु कृषकों द्वारा काश्त की जा रही है? क्या उक्त कृषकों के विरुद्ध नियम 91 के तहत कई वर्षों से की जा रही कार्यवाही के पश्चात् भी उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? अब उन्हें कब तक नियमित कर दिया जावेगा?

(2) वर्तमान में नदी पेटे की भूमि आबंटन/नियमन का किसे अधिकार है तथा नदी पेटे की भूमि को वृक्षारोपण हेतु आबंटन का किन नियमों के तहत किसे अधिकार है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला दौसा, अलवर व जयपुर के कई स्थानों पर नदी पेटे की भूमि पर भूमिहीन/लघु कृषकों द्वारा काश्त की जा रही है। उक्त कृषकों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी की हैसियत से कार्यवाही की जाती है।

नदी पेटा भूमि के नियमन का कोई प्रावधान नहीं है, अपितु नदी पेटा की भूमि पर काश्त करने वाले भूमिहीन/लघु कृषकों को राजस्थान भू-राजस्व (तालाब तल भूमियों का खेती हेतु आबंटन) नियम, 1961 के अन्तर्गत 5 वर्षों के लिये समय-समय पर अस्थायी आबंटन किया जाता है।

(2) वर्तमान में नदी पेटे की भूमि का अस्थायी आबंटन राजस्थान भू-राजस्व (तालाब पेटा काश्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन) नियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित आबंटन सलाहकार समिति की राय से किया जाता है। नदी पेटा भूमि नियमन करने का वर्तमान प्रचलित नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। नदी पेटे की भूमि को वृक्षारोपण हेतु आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

ग्राम खण्डवा पट्टा झारीया (चूरू) के जागीरदारों की अवाप्त भूमि के मुआवजे में अनियमितताएं

21. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री ज्ञान चन्द पारख)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खण्डवा पट्टा झारीया तहसील चूरू जिला चूरू पूर्व में ग्राम जागीरी में था? यदि हां, तो उक्त गांव के जागीरदारों के नाम व पते क्या हैं तथा उस समय उनके पास कितनी भूमि निजी काश्त व जागीरी में थी? जागीरदारवार खसरा नम्बर व रकबावार तत्समय की पूर्ण जमाबन्दी की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जागीरदारों की जागीरी की भूमि सरकार द्वारा अवाप्त की गयी है? यदि हां, तो किस-किस जागीरदार की कितनी भूमि अवाप्त की गयी है? जागीरदारवार, खसरा नम्बर व रकबावार अवाप्त की गयी भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जागीरदारों की अवाप्त की गयी जागीरी की भूमि के बदले उनके नाम से जागीरी बाण्ड्स सरकार द्वारा जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किस जागीरदार के नाम कितने रुपये के बाण्ड्स जारी किये गये हैं? तथा उनका भुगतान किस व्यक्ति द्वारा किस दिनांक को प्राप्त किया गया है तथा भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का जागीरदार से क्या सम्बन्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जागीरदारों के वारिसों द्वारा अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि का बेचान किया गया है? यदि हां, तो किस व्यक्ति द्वारा कितनी भूमि किन-किन व्यक्तियों को बेचान की गयी है? विक्रय पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त प्रकरण में वित्तीय अनियमितताएं हुयी हैं? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम खण्डवा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू पूर्व में स्वयं जागीर नहीं होकर झारिया जागीर के अधीनस्थ ग्राम था। मुताबिक राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2010 में जागीरदारों के नामों का इन्द्राज नहीं होकर छुटभाईयान सरदारसिंह वल्द सलेसिंह, सबलसिंह वल्द बिड्डी सिंह मु० अगरा वेहवा देवीसिंह, श्योपाल वल्द रणजीतसिंह, मोतीसिंह वल्द गोविन्द सिंह व लखसिंह वल्द भूरसिंह का राजपूत बनिरोत साकिनान खण्डवा पट्टा झारिया के नामों का इन्द्राज है। उक्त सभी के संयुक्त नामों से आराजी मकबूजा व कृषि काश्त में 1111 बीघा 17 बिस्वा भूमि का इन्द्राज है। श्री सरदार सिंह वल्द सलेसिंह के नाम से निजी काश्त व कृषकों की काश्त में 747 बीघा 18 बिस्वा, श्री सबलसिंह वल्द बिडदीसिंह के नाम से

(राजस्व मंत्री)

निजी काश्त व कृषकों की काश्त में 215 बीघा 15 बिस्वा, मु० अगरा बेवाह देवीसिंह के नाम से निजी काश्त व कृषकों की काश्त में 293 बीघा 15 बिस्वा श्री श्योपाल सिंह वल्द रणजीत सिंह के नाम से निजी काश्त व कृषकों की काश्त में 336 बीघा 16 बिस्वा, श्री मोतीसिंह वल्द गोविन्द सिंह के नाम से निजी काश्त व कृषकों की काश्त में 524 बीघा 9 बिस्वा तथा श्री लखसिंह वल्द भूरसिंह के नाम से कृषकों की काश्त में 72 बीघा 12 बिस्वा भूमि का इन्द्राज राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2010 में है। (छाया प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है)

(2) मुताबिक राजस्व अभिलेख जमाबंदी के बिन्दू संख्या एक में वर्णित छुटभाइयान की भूमि सरकार द्वारा ग्राम खण्डवा पट्टा झारिया में अवाप्त नहीं की गयी है। उक्त भूमि पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 15 व 19 के अन्तर्गत कृषक काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं।

(3) राजस्व अभिलेख के अनुसार छुटभाइयों की भूमि ग्राम खण्डवा पट्टा झारिया में अवाप्त नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में इसके ऐवज में बोण्ड जारी करने व भुगतान करने से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

(4) उक्त छुटभाइयों के स्वयं द्वारा या उनके वारिसों द्वारा ग्राम खण्डवा पट्टा झारिया में अपने खातेदारी भूमि का बेचान अलग–अलग समय पर विभिन्न व्यक्तियों को किया गया है जिसकी सूचना अलग से तैयार कर संलग्न है। जो उपलब्ध राजस्व अभिलेख के आधार पर तैयार की गयी है। विक्रय पत्रों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

(5) वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी प्रकरण की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मन्दिर श्री सीतारामजी ग्राम कानरपुरा (जयपुर) की भूमि के बेचान पर रोक

22. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या मन्दिर श्री सीतारामजी बिराजमान ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की जो भूमि थी उसको श्री नारायण पुत्र श्री भूरा एवं श्री सुण्डा पुत्र श्री हनुमान तथा श्री रूड़ादास वगैरह के नाम दर्ज कर दी गयी है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि को वापस मन्दिर के नाम कराने हेतु एक रेफरेंस तहसीलदार, चौमूं (जयपुर) ने दायर की थी? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ काश्तकारों ने उक्त भूमि को मन्दिर की बताने व उसकी पैदावार में से कुछ हिस्सा

(श्री नाथूराम)

मन्दिर में देने की सूचना रेफरेंस की सुनवायी कर रहे न्यायालय में पेश की थी? यदि हां, तो किस-किस ने और उक्त पर क्या कार्यवाही हुई है?

(4) क्या उक्त रेफरेंस का निर्णय हो चुका है? यदि हां, तो कब? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त में से कुछ काश्तकार पटवारी से उक्त भूमि के रिकार्ड की नकल प्राप्त कर उसे अन्य व्यक्तियों को बेचान करने की योजना बना रहे हैं?

(6) क्या सरकार तहसीलदार, चौमूं (जयपुर) एवं पटवारी हल्का घिनोई को पाबन्द करने का विचार रखती है कि वे उक्त भूमि के रिकार्ड की नकल उक्त व्यक्तियों को रेफरेंस के निर्णय होने तक नहीं दे और न ही बेचान का बेचाननामा पंजीकृत होने दे? क्या उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। मन्दिर श्री सीताराम जी बिराजमान कानरपुरा की भूमि को श्री नारायण पुत्र श्री भूरा एवं सुण्डा दास वगैरह के नाम दर्ज कर दी गयी है।

(2) जी, हां। उक्त भूमि को वापस मन्दिर के नाम कराने हेतु तहसीलदार, चौमूं ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र क्रमांक 503 दिनांक 11.3.1998 के द्वारा न्यायालय कलक्टर, जयपुर में दायर किया था।

(3) रेफरेंस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने वाले न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन है।

(4) न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के यहां से रेफरेंस प्रार्थना पत्र दिनांक 5.10.2001 को स्वीकार कर राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जा चुका है। वहां सुनवाई हेतु दिनांक 22.11.2001 नियत है। रेफरेंस प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 5.10.2001 की प्रति संलग्न है।

(5) नकल प्राप्ति में प्रयोजन अंकित नहीं होता है। इसलिये काश्तकारों की योजना के बारे में अनुमान नहीं किया जा सकता है।

(6) तहसीलदार, चौमूं द्वारा पत्र संख्या भू.अ./2412 दिनांक 17.8.2001 से उप पंजीयक चौमूं को बेचाननामा पंजीकृत नहीं करने बाबत लिखा जा चुका है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

ग्राम पालड़ी (जयपुर) में भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण

23. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री मदन दिलावर)

(1) क्या सरकार को वर्ष 1998 से निरन्तर ग्राम पालड़ी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में भू–माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि/चरागाह/सिवायचक/कब्रिस्तान/माफी मन्दिर आदि के आबंटन एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों में से कतिपय मामलों में कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (पूर्व) द्वारा जांच की गयी थी एवं उप खण्ड अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक 3773 दिनांक 22.11.2000 से जिला कलक्टर, जयपुर को प्रस्तुत कर दी थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के क्या परिणाम रहे? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर से उक्त ग्राम की भूमियों को भू–माफियाओं से मुक्त कराने के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 6274 दिनांक 15.12.2000 से निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो क्या जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उक्त भूमि को भू–माफियाओं से मुक्त करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) भू–माफियाओं के सम्बन्ध में वर्ष 1998 से लगातार शिकायतें व सबूत मिलने पर भी उक्त प्रकरण में इतना विलम्ब क्यों हुआ? सरकार उक्त भूमि को भू–माफियाओं से अब कब तक मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। शिकायतों की प्रतियां संलग्न है।

(2) जी, हां। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। जांच रिपोर्ट 3773 दिनांक 22.11.2000 की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जयपुर को जरिये पत्र क्रमांक जय/सतर्कता/2001/409 दिनांक 12.3.2001 द्वारा भू–माफियाओं के विरुद्ध नियमानुसार मामले दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) जी, हां। उक्त भूमि को भू–माफियाओं से मुक्त कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण को निर्देशित किये जाने पर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के माध्यम से थानाधिकारी विराटनगर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या–56/2001 धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) मुलाजमान बृज मोहन, सूण्डा, मंजू, फतेह चन्द वगैरह के विरुद्ध दर्ज की है। वृत्ताधिकारी, वृत्त कोटपूतली द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। माफी मन्दिर की अयोध्या नाथ की भूमि ख.नं. 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 354, 355, 359, 360 से बृज मोहन का कब्जा हटा दिया गया है।

(राजस्व मंत्री)

(4) प्रार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, शाहपुरा में वाद दायर कर रखा है, जो विचाराधीन है एवं प्रार्थी की विवादित भूमि ख.नं. 511, 512 व 540 वाके ग्राम पालड़ी के सम्बन्ध में न्यायालय उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली में थानाधिकारी विराटनगर द्वारा 145 जाप्ता फौजदारी का इस्तगासा पेश किया जा चुका है, जो विचाराधीन है। निर्णयानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकेगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बीकानेर भू-दान यज्ञ बोर्ड के काश्तकारों की अमलदरामदगी

24. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर ने प्रभारी, भू-दान यज्ञ बोर्ड को दिनांक 2.2.2001 को सभी भू-दान यज्ञ आबंटियों की सूची राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ़ के कार्यालय में उपलब्ध करानें हेतु निर्देशित किया था? यदि हां, तो क्या उक्त सभी आबंटियों का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जा चुका है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्र के बाद भी अब तक भू-दान यज्ञ बोर्ड द्वारा कलक्टर, बीकानेर को आबंटियों की कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई है? यदि हां, तो भू-दान यज्ञ बोर्ड स्वयं द्वारा किये गये आबंटियों की सूची राजस्थान भू-दान यज्ञ नियम,- 1956 के नियम 25 की पालना में क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहा है?

(3) क्या यह सही है कि भू-दान यज्ञ बोर्ड के प्रतिनिधि एवं भू-दान यज्ञ बोर्ड आबंटियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग आमन्त्रित की गयी? यदि हां, तो उक्त मीटिंग के फलस्वरूप भू-दान यज्ञ बोर्ड के काश्तकारों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुयी है?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि प्रभारी भू-दान यज्ञ बोर्ड कार्यालय छत्तरगढ़ को पत्र दिनांक 2.2.2001 बिन्दु संख्या एक के द्वारा यह लिखा गया कि भू-दान यज्ञ बोर्ड के आबंटियों का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने बाबत समस्या के समाधान हेतु सभी भूदान आवंटियों की सूची बनाकर जयपुर कार्यालय से विशेष वाहक भेजकर अनुमोदित करायें तथा विवाद रहित सभी आबंटनों की सूची राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार राजस्व (छत्तरगढ़) को व इस कार्यालय को सूचना देते हुये उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। भू-दान बोर्ड द्वारा आबंटियों की सूची उपलब्ध

(राजस्व मंत्री)

नहीं कराने की वजह से सभी आबंटियों का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं करवाया जा सका है।

(2) यह सही है कि अभी बोर्ड द्वारा उक्त पत्र के बाद सूची उपलब्ध नहीं कराई है। नियम 25 की पालना हेतु बोर्ड को लिखा जा रहा है।

(3) जी, हां। यह सही है कि दिनांक 12.10.2001 को भू-दान यज्ञ बोर्ड के प्रतिनिधि एवं भू-दान क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की अतिरिक्त कलक्टर, बीकानेर की मौजूदगी में बैठक हुई जिसमें भू-दान यज्ञ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने आबंटियों की संशोधित सूचियां शीघ्र प्रस्तुत करने का आश्वासन बैठक में ही दिया था। अभी इस सम्बन्ध में प्रगति शून्य है।

ग्राम दयालपुरा (जयपुर) के खसरा नम्बर 38 का कब्जा

25. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि टीनेन्सी एक्ट की धारा 183-बी के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि पर से सवर्ण जाति के अतिक्रमी का कब्जा हटवाकर पीड़ित पक्ष को भौतिक रूप से कब्जा दिलाये जाने के बाद भी सवर्ण जाति का व्यक्ति उक्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित न्यायालय में दावा कर सकता है? यदि हां, तो किस नियम/धारा के तहत नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) एस.डी.एम. कोर्ट जयपुर पूर्व में उक्त प्रकार के कितने प्रकरण कब से विचाराधीन है एवं उक्त पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी और उक्त प्रकरणों का अब तक निस्तारण क्यों नहीं किया जा सका है? वर्ष 1994 से विचाराधीन प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरणों में सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नाजायज परेशान किये जाने के कारण उन्हें पाबन्द करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरणों को नियम विरुद्ध स्वीकार करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम दयालपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 38 के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पक्ष में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना में दिनांक 26 अक्टूबर, 1996 को भौतिक कब्जा सरकार द्वारा दिलवाये जाने के बाद भी सवर्ण जाति के लोगों द्वारा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कब्जेधारियों को नाजायज़ परेशान करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाये जाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183(बी) के प्रावधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के काश्तकार की भूमि पर किये हुये अतिक्रमण को तहसीलदार द्वारा बेदखल करने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 183(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को होने के कारण एस.डी.एम. जयपुर पूर्व के न्यायालय में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु पर्याप्त प्रावधान किया हुआ है।

(4) राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विरुद्ध अधिकारी द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होने पर अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का पूर्व में ही प्रावधान किया हुआ है।

(5) ग्राम दयालपुरा में खसरा नम्बर 38 के रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा पर खातेदारों का ही मौके पर कब्जा है। कब्जाधारी को सवर्ण जाति के लोगों द्वारा नाजायज परेशान करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

ग्राम नांगल सिरस (जयपुर) में भेंट द्वारिका की भूमि का मुआवजा प्रकरण

26. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मन्दिरों के नाम वही भूमि दर्ज की जाती है कि जो उनके कब्जे में हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियम/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो ग्राम नांगल सिरस, तहसील आमेर, जिला जयपुर में भेंट द्वारिका की माफी की भूमि को मन्दिर के नाम क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है?

(2) क्या मन्दिर की जब्त की गयी भूमि के बदले सरकार मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मन्दिरों के नाम वहीं भूमि वापस दर्ज की जाती है, जो पूर्व में राजस्व रिकार्ड में माफी मन्दिर के नाम दर्ज थी। मात्र कब्जे के आधार पर भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज नहीं की जाती है। ग्राम सिरस की नांगल में पुराने सेटलमेंट सम्वत् 2010 ला० 2023 की मिसल बन्दोबस्त में कालम नम्बर-3 में माफी मन्दिर श्री द्वारिकाधीश जी व माफी रामचन्द्र जी दर्ज है। जबकि कालम संख्या-4 में यह भूमि पृथक्-पृथक् काश्तकारों के बहैसियत खातेदार अंकित किया हुआ है। पूरा गांव माफी का होने के कारण नवीन सेटलमेंट में माफी जप्त हो जाने के फलस्वरूप माफी मन्दिर का नाम हटाकर खातेदारों के नाम खातेदारी दर्ज है। नवीन सेटलमेंट खतौनी में माफी मन्दिर का कोई खाता दर्ज नहीं है और न ही भेंट द्वारिका की माफी की भूमि को मन्दिर के नाम लगाया जा रहा है।

(2) ऐसा कोई प्रकरण प्रसंगत नहीं है।

तहसील सांगानेर (जयपुर) में अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि का अन्य वर्ग के व्यक्तियों को बेचान

27. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि वर्ष 1994 से 1996 तक तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में किसी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के खातेदार की भूमि किसी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के अलावा बेचान की गयी है? यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कराई गयी रजिस्ट्री का विवरण नाम पते व खसरा नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, नहीं। तहसील सांगानेर क्षेत्र में वर्ष 1994-1996 के दौरान किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदार की कृषि भूमि किसी अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के अलावा बेचान का कोई मामला सामने नहीं आया है।

तहसील मुख्यालय दौसा मेला स्थल की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

28. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील मुख्यालय दौसा (मेला स्थल) के वर्तमान खसरा नम्बर 2051, 52, 53 एवं 54 के पुराने खसरा नम्बर क्या-क्या हैं और उस समय उक्त भूमि का मालिकाना हक किसका था एवं काश्त कौन कब से कर रहा था? उक्त खसरा नम्बरों पर वर्तमान में कौन काबिज है

(श्री आदराम मेघवाल)

एवं क्या-क्या काश्त होती है तथा कब से की जा रही है? क्या यथा समय लगान भी जमा हो रहा है? गत दस वर्षों की खतौनी एवं लगान की रसीद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर उक्त खातेदार ने पक्के तामीरात (कुआं एवं पक्के मकान) भी करा रखें है और जिसका पट्टा भी नगरपालिका दौसा द्वारा दिया गया है?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि को अधिग्रहित करना चाहती है? यदि हां, तो किस प्रयोजन हेतु एवं किस नियम के तहत?

(4) क्या सरकार उक्त खातेदार को उक्त भूमि का मालिकाना हक देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील मुख्यालय दौसा (मेला स्थल) के वर्तमान खसरा नम्बर 2051, 52, 53 एवं 54 के साबिक ख.नं. 818 व 819 हैं। मिलान क्षेत्रफल की नकल परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है। तत्समय उक्त भूमि सिवाय चक राजकीय भूमि थी। अतः मालिकाना हक राज्य सरकार का ही था। बतौर मालिकाना हक कोई काश्त नहीं की जाती रही है। वर्तमान में भी उक्त ख.नं. पर कोई काश्त नहीं होती, किन्तु ख.नं. 2051, 52 व 54 पर बाड़े व मकानात का अतिक्रमण है। जिसका विस्तृत विवरण बिन्दु सं.-2 में अंकित है। चूंकि उक्त भूमि राजस्व अधिकार अभिलेख में सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज है। अतः कोई लगान जमा नहीं हो रहा है। अतः रसीदों की प्रति उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। विगत 10 वर्षों की खतौनी की प्रमाणित प्रति परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है।

(2) उक्त भूमि चूंकि सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज है। अतः खातेदार कोई नहीं है, किन्तु ख.नं. 2051, 52 व 54 में श्री रामधन पुत्र घासीलाल सैनी नि. दौसा, पप्पू उर्फ रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री प्रभुराम सैनी नि. दौसा, पूरणमल पुत्र श्री प्रभुराम सैनी व श्री घासीलाल पुत्र मांगीलाल सैनी नि. दौसा का क्रमशः 544-44 वर्ग गज, 165 वर्ग गज, 165 वर्ग गज एवं 300 वर्ग गज कुल 1174-44 वर्ग गज पर मकान, बाड़े, छप्पर एवं कच्चे घर के रूप में अतिक्रमण है जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। नक्शा ट्रेस की प्रति परिशिष्ट ''स'' संलग्न है। श्री घासीलाल को 300 वर्ग गज भूमि का पट्टा नगर पालिका द्वारा बिना अधिकार क्षेत्र के 13.9.1988 को जारी किया गया है। ख.नं. 2053 रकबा 1.78 हैक्टेयर पर कोई कब्जा (अतिक्रमण) नहीं है तथा उक्त भू-खण्ड बसन्त पंचमी में मेला स्थल के रूप में गत 50 वर्ष से अधिक समय से सार्वजनिक उपयोग में आता रहा है।

(राजस्व मंत्री)

(3) उक्त भूमि सिवायचक राजकीय भूमि है। अतः इसके अधिग्रहण की आवश्यकता ही नहीं है। यह अवश्य है कि नगरपालिका ने मुख्य मंत्री रोजगार योजना के तहत उक्त भूमि में से मात्र 66-66 वर्ग गज भूमि पर कियोस्क हेतु भूमि आबंटित की है तथा इस सम्पूर्ण भूमि में प्रति वर्ष बसन्त पंचमी मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसलिये सम्पूर्ण भूमि ख.नं. 2051, 52, 53 व 54 कुल किता 4 रकबा 1.89 हैक्टेयर भूमि मेले के प्रयोजन विधिवत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1856 की धारा 92 के अन्तर्गत नगरपालिका मण्डल दौसा के आरक्षित करना प्रस्तावित है।

(4) उक्त भूमि सिवायचक राजकीय भूमि है। अतः उक्त भूमि का कोई व्यक्ति विशेष खातेदार नहीं है। उक्त भूमि बसन्त पंचमी पर आयोजित होने वाले मेले के स्थल के रूप में गत 50 वर्षों से अधिक समय से सार्वजनिक प्रयोग में आती रही है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमियों को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत भी नहीं होते हैं। अतः किसी व्यक्ति विशेष को उक्त भूमि का मालिकाना हक देने का विचार नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर जिले के गांवों में डीजल बैरल पाइंटों का आबंटन

29. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जयपुर के गांवों में डीजल बैरल पाइंट कितने हैं और कब-कब दिये गये थे?

(2) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में नये डीजल बैरल पाइंट्स देने के लिये अन्य आवेदन-पत्र भी मांगे गये थे? यदि हां, तो कब और कहां-कहां के लिये हैं? क्या सरकार उक्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कर आवेदकों को नये डीजल बैरल पाइंट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और अब तक किये गये विलम्ब के क्या कारण रहे हैं?

(3) सरकार गत समय में लिये गये आवेदन तिथि के बाद जनता द्वारा की गयी अन्य मांग की पूर्ति हेतु कब तक और क्या कार्यवाही करने जा रही है? क्या उक्त प्रार्थना पत्रों में बैरल पाइंट आवेदन-पत्र संख्या-121/18-1-2001 भी प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उक्त आवेदन कर्त्ता को उक्त स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

(4) अब तक जिन डीजल बैरल पाइंटों की शिकायतें आई हैं उन पर क्या कार्यवाही हुयी और ऐसे कितने मामले थे?

उत्तर

(1) जिला जयपुर के गांवों में कुल 90 (नब्बे) डीजल बैरल पाइंट है। इनमें से वर्ष 1997 में 66, वर्ष 1998 में 17 तथा वर्ष 1999 में 7 बैरल पाइंट के अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं।

(2) जी, हां। विभागीय विज्ञप्ति दिनांक 11.9.1998 द्वारा जयपुर जिले की निम्न तहसीलों हेतु आवेदन–पत्र मांगे गये थे:–

साम्भरलेक, फागी, दूदू, कोटपूतली, चौमू, शाहपुरा, विराटनगर, जयपुर, आमेर, जमवारामगढ़, बस्सी, चाकसू तथा सांगानेर जहां तक उक्त आवेदन पत्रों के निस्तारण का प्रश्न है यह राज्य सरकार तथा भारत सरकार के मध्य प्रकरण लम्बित है, भारत सरकार बैरल पाइंट्स को वैधानिक नहीं मान रही है इस कारण डीजल बैरल पाइंट आबंटन में विलम्ब हो रहा है।

(3) पूर्व के आवेदन–पत्रों के निस्तारण के बाद ही इस पर विचार किया जा सकेगा। आवेदन–पत्र क्रमांक 121/18.1.2001 प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) वर्ष 1999, 2000 व 2001 में कुल चार मामलों में शिकायतें प्राप्त हुयी है, उनमें की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य मामलों में गैर अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा डीजल बिक्री करना पाया गया, उनमें की गयी कार्यवाही का विवरण भी संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

सेई बांध की सुरंग में रुकावट

30. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्षाकाल के दौरान सेई बांध की सुरंग में रुकावट आने के कारण पानी ओवर फ्लो होकर गुजरात में गया?

(2) सुरंग में रुकावट के कारण कितना क्यूसेक पानी का नुकसान राज्य को हुआ एवं कितना पानी बहकर गुजरात चला गया है?

(3) सेई टनल में आई रुकावट को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

(4) सरकार की राय में सेई टनल में रुकावट आने के क्या प्रमुख कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। सेई बांध क्षेत्र में दिनांक 10.7.2001 व 11.7.2001 को 125 एम.एम. वर्षा हो जाने से पानी की आवक अचानक बढ़ गयी। डाइवर्सन टनल की निर्धारित क्षमता से अधिक जल ओवर फ्लो होकर नदी में गया जो अन्ततः साबरमती नदी में बहकर गुजरात में चला गया।

(2) टनल की निर्धारित क्षमता से अधिक लगभग 315 एम.सी.एफ.टी. पानी ओवर फ्लो हुआ था।

(सिंचाई मंत्री)

(3) सेई बांध की टनल में सामान्य रुकावट आई थी जिसे विभाग के कर्मचारियों द्वारा हटा दिया गया था।

(4) टनल में अस्थाई रूप से हुयी रुकावट का प्रमुख कारण उसके पहाड़ी जल प्रदाय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदी के बहाव के साथ आया हुआ कचरा, वृक्षों की टहनियां आदि का कचरा टनल के द्वार पर ओपन कट चेनल में लगी लोहे की जाली पर इकट्ठा हो जाना रहा था।

बीसलपुर योजना देवली के ग्रामों हेतु सर्वे

31. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियंता नहरवृत्त बीसलपुर योजना देवली, जिला टोंक द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3423 दिनांक 12.10.2001 के द्वारा अधीशासी अभियंता नहर खण्ड द्वितीय बीसलपुर परियोजना देवली से सर्वे करके तीन दिन में रिपोर्ट पेश करने को लिखा था? यदि हां, तो किस योजना के लिये और किन–किन ग्रामों के लिये तथा सर्वे रिपोर्ट जो चाही गयी थी वह कब तक प्राप्त हुयी? उक्त पत्र व प्राप्त सर्वे रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने जिन ग्रामीण काश्तकारों की मांग पर उक्त सर्वे रिपोर्ट मंगाई थी उनको राहत पहुंचाई जायेगी? यदि हां, तो किस प्रकार से कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार को पूर्व में भी उक्त सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो कब–कब और उक्त पर अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई और अब क्या–क्या कार्यवाही कब तक की जानी है?

उत्तर

(1) जी, हां। गांव दूनी, मुगलानी, बास, खेड़िया, ताखोलाई, सरोली, गेरोली व जुनिया गांवों के लिये सर्वे रिपोर्ट चाही गयी थी जो उन्हें दिनांक 30.10.2001 को प्राप्त हुयी है। अधिशासी अभियंता से प्राप्त पत्र एवं रिपोर्ट की प्रति प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। इन काश्तकारों की भूमि दांयी मुख्य नहर के बायें बैंक पर नहर के तल से 3 से 11 मीटर ऊंची होने की वजह से इसमें पानी देना सम्भव नहीं है।

(3) पूर्व में किसान संघर्ष समिति क्षेत्र दूनी के द्वारा खेड़िया, मुगलानी, दूनी, जुलिया, गनोली, धुआं, सरौली आदि गांवों की भूमि को लिफ्ट द्वारा सिंचित करने हेतु दिनांक 20.2.1999 को एक पत्र दिया गया था। बीसलपुर परियोजना में सिंचाई सुविधा हेतु अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं ना ही कोई कार्यवाही अब की जाना प्रस्तावित है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राज्य के पशुचिकित्सकों/ कम्पाउण्डरों के रिक्त पद

32. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में गायों, भेड़ों, बकरियों व ऊंटों की कुल कितनी संख्या है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में पशुचिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) गत वर्ष राज्य में पशुओं की बीमारी की रोकथाम के लिये कितनी दवाइयां खरीदी गयी? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गत पशु गणना के अनुसार (वर्ष 1997) भेड़ों, बकरियों, ऊंटों व गौवंश की जिलेवार संख्या सूची ''क'' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) राज्य में पशु चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों की सूची ''ख'' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) गत वर्ष राज्य में पशुओं की बीमारी की रोकथाम के लिये पशुपालन विभाग के माध्यम से 124.79 लाख रुपये की दवाइयां खरीदी गयी। जिलेवार वितरित दवाइयों की राशि के आंकड़ों की सूची ''ग'' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

राज्य के पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

33. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कितने पशु औषधालय कार्यरत हैं? उक्त में कुल कितने चिकित्सक/ अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं एवं उक्त के वार्षिक वेतन और भत्तों पर कुल कितना व्यय होता है?

(2) राज्य में चल रहे पशु चिकित्सालय में कुल कितने कर्मचारियों के पद दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से रिक्त थे? विवरण ग्रेडानुसार सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कितने पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है? गत एक वर्ष में विभिन्न चिकित्सालयों में कितने कृत्रिम गर्भाधान किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि तरल नाइट्रोजन उक्त चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं होने के कारण कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लगभग बन्द सा हो गया है? यदि हां, तो तरल नाइट्रोजन कब से किन कारणों से उपलब्ध नहीं है?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 3425 पशु चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत हैं। इन संस्थाओं में 4791 पशु चिकित्सक/अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

जिनके वेतन व अन्य भत्तों पर लगभग 65.65 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होता है।

(2) राज्य में चल रहे पशु चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों का ग्रेडानुसार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	पद	वेतन शृंखला	कुल रिक्त पदों की स्थिति (31.10.2001 तक)	1 अप्रैल, 2001 से रिक्त पदों की स्थिति
1.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	(8000–275–13500)	130	68
2.	पशु चिकित्सा अधिकरी	(8000–275–13500)	400	37
3.	पशु चिकित्सा सहायक	(5000–150–8000)	236	34
4.	पशुधन सहायक,	(4000–100–6000)	465	63

(3) राज्य में 2374 पशु चिकित्सा संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2000–2001 में पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

पशुओं को मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण

34. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2000–2001 व 2001–2002 में अकाल और विभिन्न बीमारियों के कारण कितने पशु मौत के शिकार हुये? विवरण जिलानुसार सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या सरकार ने पशुओं को बीमारी से बचाने के लिये टीकाकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया था? यदि हां, तो जिलानुसार किस–किस तरह से टीकाकरण किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य में खुरपका/मुंहपका रोग से भारी संख्या में पशु मौत के शिकार हुये? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये पूर्व में ही टीकाकरण क्यों नहीं किया गया?

(4) क्या सरकार राज्य में अब भविष्य में पशुओं में होने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु समय से पूर्व ही टीकाकरण कराने की व्यवस्था करेगी और इसके भौतिक सत्यापन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निरीक्षण आदि करने के आदेश प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2000–2001 व 2001–2002 में अकाल से किसी पशु की मृत्यु की सूचना पशुपालन विभाग को प्राप्त नहीं हुयी है। पशुओं की बीमारियों से हुयी मौत का विवरण सूची ''क'' सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। जिलावार टीकाकरण की सूची ''ख'' सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) राज्य में खुरपका/मुंहपका रोग से 434 पशुओं की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुयी है। प्रतिवर्ष खुरपका/मुंहपका रोग के प्रभावी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत केन्द्रीय परिवर्तित योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि के अनुसार टीकाकरण कार्य करवाया जाता है।

(4) जी, हां। मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण करने की व्यवस्था की गयी है। विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा संस्थाओं एवं क्षेत्रों का निरीक्षण कर टीकाकरण एवं अन्य आवश्यक देय सुविधाओं का पर्यवेक्षण किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

35. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कितने व कहां–कहां पर पशु स्वास्थ्य केन्द्र व उप केन्द्र स्वीकृत हैं और उक्त में कितने पद किस–किस श्रेणी के कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा कब तक पदों की पूर्ति करली जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे पशु स्वास्थ्य केन्द्र व उप केन्द्र भी हैं जो कर्मचारियों के अभाव में बन्द हैं? यदि हां, तो कहां–कहां पर कब से बन्द है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त आदिवासी क्षेत्र में पशुपालकों व कृषकों को पशु चिकित्सा में कर्मचारियों की कमी के कारण काफी दिक्कतें आ रही है? यदि हां, तो कब तक पशु चिकित्सा केन्द्र सुचारू रूप से प्रारम्भ होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा के गोगुन्दा में निम्नांकित स्थानों पर पशु स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्र स्वीकृत हैं:–

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय	उपकेन्द्र
1.	पशु चिकित्सालय, गोगुन्दा	1. उप केन्द्र, गजावद
2.	पशु चिकित्सालय, सायरा	2. उप केन्द्र, चाटियाखेड़ी
3.	पशु चिकित्सालय, नादेशमा	3. उप केन्द्र, बोखाड़ा
4.	पशु चिकित्सालय, बगडूंदा	4. उप केन्द्र, पलासमा
5.	पशु चिकित्सालय, मालवाचोरा	5. उप केन्द्र, सूरजगढ़
6.	पशु चिकित्सालय, बेकरिया	6. उप केन्द्र, हायला
7.	पशु चिकित्सालय, वास	7. उप केन्द्र, चित्रावास
	पशु औषधालय	8. उप केन्द्र, ढूढी
1.	पशु औषधालय, कलवाना	9. उप केन्द्र, पदराडा
2.	पशु औषधालय, मोरवाल	10. उप केन्द्र, माण्डवा
		11. उप केन्द्र, बिंकरणी
		12. उप केन्द्र, क्यारी
		13. उप केन्द्र, मेरपुर
		14. उप केन्द्र, पडावली
		15. उप केन्द्र, सेमडाल
		16. उप केन्द्र, समीजा

उक्त पशु चिकित्सालय, पशु औषधालयों एवं उप केन्द्रों में रिक्त पदों की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् ही हो सकेगी।

(3) कर्मचारियों के अभाव में निम्नांकित पशु चिकित्सा संस्थाएं उनके सामने अंकित तिथि से बन्द रही हैः-

1.	उप केन्द्र, हायला	जनवरी, 2001
2.	उप केन्द्र, चित्रावास	अप्रैल, 2000
3.	उप केन्द्र, ढूढी	अप्रैल, 2000
4.	उप केन्द्र, मेरपुर	जुलाई, 1999
5.	उप केन्द्र, सेमटाल	अप्रैल, 2000
6.	उप केन्द्र, समेजा	अप्रैल, 2000

(4) जी, नहीं। वर्तमान में नजदीकी चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

पशु चिकित्सक एवं पशु चिकित्सा सहायकों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण

36. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):** क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य में पशु चिकित्सकों एवं पशु चिकित्सा सहायकों के चयन में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये विभाग में आरक्षण व्यवस्था लागू है? यदि हां, तो कब से और कितने-कितने प्रतिशत?

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण होने के प्रावधान से वर्षवार चयनित व्यक्तियों की सूची मय नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, जाति, पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 9 (8) कार्मिक/क-5/90 दिनांक 30.9.1993 के अनुसरण में पशु चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों के चयन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू है।

(2) पशु चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों के चयन में अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित व्यक्तियों की सूची नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, जाति, पदनाम सहित सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला बाड़मेर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

37. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :** क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, पशुधन सहायकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त में से कितने-कितने पद रिक्त हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिक्त पदों के नहीं भरने से पशुओं की बीमारी के इलाज समय पर नहीं होने से और कहीं-कहीं बिलकुल इलाज नहीं होने से पशुओं की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि रिक्त पदों के नहीं भरने से थारपारकर ब्रीड एवं कांकरेज ब्रीड का दिनों दिन ह्रास हो रहा है?

(4) क्या सरकार पशुधन को बचाने और उनकी नस्ल सुधारने के लिये रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, पशु धन सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

वर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें)

पत्रकारों के कल्याण हेतु गठित पंवार समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

38. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पत्रकारों के कल्याणार्थ गठित पंवार समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त प्रतिवेदन में समिति द्वारा क्या–क्या सिफारिशें की गयी थी एवं सरकार द्वारा किन–किन सिफारिशों को कब–कब लागू किया एवं किन–किन सिफारिशों को किस कारण से लागू नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर सम्भाग में किस–किस जिले के कौन–कौन से पत्रकार उक्त सिफारिशों के लाभार्थी के क्षेत्र में आते हैं? पत्रकार का नाम, पिता का नाम पूर्ण पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंवार समिति ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 25.10.1999 को प्रस्तुत किया है।

(2) पंवार समिति द्वारा की गयी सिफारिशें (परिशिष्ट–1) संलग्न हैं। सरकार द्वारा इन में से स्वीकार की गयी सिफारिशें (परिशिष्ट–2) पर उपलब्ध हैं। शेष बची सिफारिशें राज्य सरकार के पास वर्तमान में विचाराधीन हैं।

(3) पंवार समिति की सिफारिशों से सम्पूर्ण सम्भागों के पत्रकार लाभान्वित होंगे।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अधिकारियों के पदों में आरक्षित वर्ग का बैकलाग

39. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विभाग में जन सम्पर्क अधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग चल रहा है? यदि हां, तो कितना?

(2) क्या सरकार बैकलाग के पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री निर्भय लाल)

(3) क्या उक्त बैकलाग पदों को भरने की स्वीकृति हेतु पत्रावली कार्मिक विभाग में भेजी गयी थी? यदि हां, तो क्या स्वीकृति नहीं दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा बैकलाग पदों को भरने के लिये मंत्री मण्डलीय समिति से स्वीकृति लेने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या बैकलाग पदों को भरने के लिये स्वीकृति हेतु पत्रावली मंत्री मण्डलीय समिति को भिजवायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त में बैकलाग पदों को भरने के लिये दिनांक 9 एवं 14 अगस्त, 2000 को जारी परिपत्र की पालना कर सूचना कार्मिक विभाग को भिजवायी गयी है? यदि नहीं, तो क्या उक्त कार्य में लापरवाही रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति के 3 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 2 पद का बैकलाग है।

(2) जी हां। विभाग के स्टाफ के सम्बन्ध में मंत्री मण्डलीय समिति की समीक्षा पश्चात् शीघ्र ही बैकलाग भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी हां। स्वीकृति नहीं दी गयी विवरण इस प्रकार है: "कार्मिक विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 28.8.2000 के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने से पूर्व मंत्री मण्डलीय समिति से विभाग के सेवा संवर्ग का विश्लेषण/अवधारणा/पुनरावलोकन आवश्यक है। बैकलॉग पूर्ण करने हेतु इसमें कोई छूट नहीं है, क्योंकि रिक्तियों का निर्धारण तो Cadre Clearance के पश्चात् ही होगा।"

(4) जी हां। मंत्री मण्डलीय समिति के समक्ष विचार हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया है। प्रकरण समिति के समक्ष विचाराधीन है।

(5) 9 एवं 14 अगस्त, 2000 को कार्मिक विभग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में खाला निर्माण कार्य

40. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :** क्या नीति निर्धारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी परियोजना में नहर निर्माण का कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका है?

(2) क्या यह भी सही है कि सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग में मात्र खाला निर्माण का ही काम है?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(3) क्या यह सही है कि नहर एवं खाला निर्माण की विसंगतियों के कारण काश्तकारों को सिंचाई व्यवस्था में कठिनाइयां आती हैं?

(4) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर निर्माण कार्य तथा सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग के खाला निर्माण के एकीकरण का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में नहर निर्माण का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अभी तक कुल अनुमानित लागत का 55 प्रतिशत कार्य हुआ है।

(2) यह सही नहीं है कि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग में मात्र खाला निर्माण का ही कार्य होता है बल्कि आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इ.गा.न.प., बीकानेर में गठित सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत खाले निर्माण के साथ अन्य कई महत्त्वपूर्ण कार्य जुड़े हुये हैं यथा:-

- अधिक उपज हेतु उपयुक्त फसल चक्रों को अपनाना एवं लागू करना।
- सिंचाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण एवं कुशल संचालन तथा सिंचाई के पानी का अधिकतम प्रयोग करने की व्यवस्था करना।
- उर्वरक बीज एवं कीटनाशक दवाइयों व कृषि ऋण आदि के सम्बन्ध में योजना बनाना।
- कृषि के लिये उर्वरक कीटनाशक दवाइयों आदि को समय पर एवं आवश्यकतानुसार वितरित करवाने की व्यवस्था करना।
- कृषि प्रसार कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों द्वारा कृषकों का ज्ञानवर्द्धन करना।
- ग्रामीण आबादियों, कृषि सेवा केन्द्रों व मण्डी कस्बों का योजनाबद्ध विकास करना एवं,
- नई-नई तकनीकी जानकारी आदि के अलावा वाटरलोगिंग जैसी समस्या के समाधान के अतिरिक्त कई अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य भी किये जाते हैं। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार संलग्न है)

(3) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि नहर निर्माण व खाला निर्माण की विसंगतियों के कारण काश्तकारों को सिंचाई व्यवस्था में कोई कठिनाई आती है।

(4) जी नहीं। अभी नहर तथा खालों का निर्माण तथा सिंचित क्षेत्र विकास के अन्य कार्य काफी मात्रा में शेष है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

ऊनी खादी उत्पादक संस्थाओं को सहायता

41. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य की खादी संस्थाओं की खादी कमीशन में कितनी रिबेट की राशि बकाया है? संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खादी बोर्ड में ऊनी खादी संस्थाओं को उत्पादन एवं बिक्री के अनुपात में ऋण देना बन्द कर दिया है?

(3) क्या यह भी सही है कि पश्चिमी राजस्थान की ऊनी खादी संस्थाएं दस माह तक उत्पादन करके दो माह में बिक्री करते हैं?

(4) क्या यह सही है कि पूंजी के अभाव में पश्चिमी राजस्थान में खादी उत्पादन का कार्य बन्द सा हो गया है?

(5) क्या सरकार ऊनी खादी कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रश्न का सम्बन्ध खादी ग्रामोद्योग आयोग से है। संस्थाओं द्वारा सीधे ही रिबेट खादी आयोग कार्यालय से प्राप्त की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) ऐसी कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है। ऊनी खादी की बिक्री को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा ऊनी खादी संस्थाओं को रिबेट राशि स्वीकृत की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के आयुर्वेदिक औषधालय में रिक्त पद

42. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कितने और कहां–कहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से अधिकांश में चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त है और चिकित्सालय बन्द है? यदि हां, तो कितने चिकित्सा अधिकारी एवं कितने नर्स/कम्पाउण्डर के कहां–कहां पर पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय सेमटाल में कोई

(श्री मांगीलाल गरासिया)

भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है तथा दवाइयां/औषधियां आदि एक वर्ष से ताले में बन्द है और उनके खराब होने की सम्भावना है? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों एवं नर्स कम्पाउण्डरों के रिक्त पद भरने हेतु चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है? यदि हां, तो किन कारणों से रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति करने का इस वर्ष विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वर्तमान में 19 आयुर्वेदिक औषधालय विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। इनकी सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, सेमटाल वर्ष 1999-2000 में नवीन स्वीकृत किया गया है किन्तु वित्त विभाग द्वारा इस औषधालय के लिये कोई भी पद एवं बजट स्वीकृत नहीं किये जाने से वर्तमान में यह औषधालय संचालित नहीं है। पूर्व में यह औषधालय अन्यत्र स्थान से स्टाफ की व्यवस्था कर दिनांक 17.11.1999 से दिनांक 4.6.2000 तक चलाया गया था। औषधालय में पड़ी हुयी औषधियां सुरक्षित रखी हुयी हैं।

(4) जी नहीं।

(5) नियमानुसार चयनित प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना सम्भव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

आयुर्वेदिक औषधालय भवन कानरपुरा (जयपुर) की चार दीवारी निर्माण

43. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, कारनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के भवन के चारों ओर चारदीवारी बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और उक्त सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

(श्री नाथूराम)

(2) क्या उक्त निर्माण कार्य के लिये सरकार ने राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है? यदि हां, तो निर्माण कार्य को शुरू करने में देरी के क्या कारण हैं?

(3) अब उक्त कार्य कब से शुरू करवाकर कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1997 से यह प्रस्ताव विचाराधीन है। निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर द्वारा वर्ष 2000-2001 के बजट में औषधालय भवन की मरम्मत हेतु 45 हजार रुपये स्वीकृत कर, राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को मार्च, 2001 में जमा कराई जा चुकी है। औषधालय भवन का पट्टा/रजिस्टरी विभाग के नाम होने पर भवन की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

(2) जी हां। औषधालय भवन की मरम्मत का कार्य, भवन का पट्टा/रजिस्टरी विभाग के नाम नहीं होने से आरम्भ नहीं हो सका है।

(3) औषधालय भवन की रजिस्टरी विभाग के नाम हो जाने के बाद भवन मरम्मत का कार्य आरम्भ हो सकेगा। वैसे भी भवन मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय हवामहल बाजार, जयपुर का स्थानान्तरण

44. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में राजकीय होम्योपैथिक औषधालय कहां-कहां संचालित हैं तथा उक्त में कितने-कितने चिकित्सक कब-कब से पदस्थापित हैं?

(2) जयपुर शहर में संचालित राजकीय होम्योपैथिक औषधालय में गत तीन वर्षों में मरीजों की दैनिक संख्या कितनी-कितनी रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हवामहल बाजार में संचालित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जहां मरीजों की दैनिक संख्या अन्य औषधालयों के मुकाबले कई गुना अधिक होने के उपरान्त भी यहां से औषधालय स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिये सरकार क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर शहर में ग्यारह होम्योपैथिक औषधालय संचालित

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

हैं, इनमें पदस्थापित व कार्यरत चिकित्सकों के नाम का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) जयपुर शहर में संचालित राजकीय होम्योपैथिक औषधालयों की गत तीन वर्षों की औसत दैनिक रोगी संख्या का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) हवामहल बाजार में धाभाईजी की हवेली में जो विभागीय होम्योपैथिक औषधालय संचालित था, वह राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत किया गया था। चूंकि अब विधान सभा नवीन भवन में स्थानान्तरित की जा चुकी है, अतः यह औषधालय भी नवीन भवन में स्थानान्तरित किया गया है। जहां तक इस क्षेत्र के निवासियों के लिये नवीन होम्योपैथिक औषधालय स्वीकृत करने का प्रश्न है, वित्तीय संसाधन को दृष्टिगत रखते हुये इस पर विचार कर निर्णय लेना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

जिला बाड़मेर के औषधालयों में रिक्त पद

45. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर के किन-किन औषधालयों में कितने पद आयुर्वेद चिकित्सक, नर्स एवं परिचारकों के स्वीकृत हैं और उक्त से कितने पद रिक्त हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में जिला आयुर्वेद अधिकारी का पद भी रिक्त है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने के लिये उदासीन क्यों है?

(4) अब कब तक उक्त रिक्त पदों को भर दिया जावेगा?

(5) उक्त जिले में चल चिकित्सालय वाहन कब से खराब है? क्या सरकार उक्त वाहन को ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में 89 पद आयुर्वेद चिकित्सकों के 80 पद नर्स/कम्पाउण्डरों के तथा 78 पद परिचारकों के स्वीकृत हैं। इनमें से आयुर्वेद चिकित्सक के 24 पद, नर्स/कम्पाउण्डरों के 30 पद तथा परिचारक के 16 पद वर्तमान में रिक्त है। औषधालयवार विवरण परिशिष्ट ''क'' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर के पद पर वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सक श्री राजकुमार,

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

कार्यवाहक जिला आयुर्वेद अधिकारी के रूप में पदस्थापित किये हुये हैं।

(3) राज्य सरकार उदासीन नहीं है।

(4) चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर तथा पर्याप्त संख्या में चयनित प्रत्याशी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरना सम्भव हो सकेगा।

(5) एक वाहन वर्ष 1996 से तथा दूसरा वाहन वर्ष 1999 से खराब है। बजट निर्णायक समिति ने एक वाहन को नकारा कर नीलामी योग्य घोषित किया है तथा दूसरे वाहन को समर्पित करने के निर्देश दिये हैं। अतः इन्हें ठीक कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–21 देखें)

वैद्य विशारद व आयुर्वेद रत्न का पंजीकरण

46. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में वैद्य विशारद व आयुर्वेद रत्न को पंजीकृत क्यों नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब भी उक्त को पंजीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की उपाधि वैद्य विशारद एवं आयुर्वेद रत्न की पंजीयन हेतु मान्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 के अन्तर्गत सन् 1967 तक ही है। अतः 1967 के बाद की उक्त अर्हताओं के धारक व्यक्तियों का पंजीयन किया जाना बन्द है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत मान्य अर्हताओं के आधार पर ही पंजीयन किया जाता है।

दादिया व खवास (अजमेर) के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

47. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला अजमेर के दादिया व खवास में आयुर्वेदिक औषधालय चालू हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या वर्तमान में उक्त औषधालयों में सभी पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन–कौन किस–किस पद पर कब से कार्यरत हैं?

(3) क्या उक्त औषधालयों में रिक्त पद भी हैं? यदि हां, तो कौन–कौन से?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अजमेर जिले के ग्राम दादिया में आयुर्वेद विभागान्तर्गत आयुर्वेद औषधालय दिनांक 1.4.1956 से एवं ग्राम खवास में आयुर्वेद औषधालय दिनांक 10.5.2000 से चल रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:–

आयुर्वेद औषधालय, दादिया

कम्पाउण्डर/नर्स का एक पद 27.01.2001 से एवं परिचारक का एक पद मार्च, 2000 से रिक्त है। वर्तमान में इस औषधालय में कम्पाउण्डर पद पर टसूक औषधालय से कम्पाउण्डर श्री दामोदर प्रसाद शर्मा को व्यवस्था की दृष्टि से लगाया हुआ है।

आयुर्वेद औषधालय, खवास

चिकित्सक का एक पद 10.5.2000 से एवं परिचारक का एक पद दिनांक 10.5.2000 से रिक्त है।

(4) जी हां। वित्त विभाग से रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त, नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर यथाशीघ्र पदस्थापन कर पद भर दिये जावेंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुयी हैं:–

(1) डा. किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य की ओर से पंचायत समिति सिकराय की ग्राम पंचायत, बहरावण्डा की पूर्व सरपंच के नाम बकाया राशि जमा करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं दो अन्य सदस्य की ओर से नागौर जिले के गच्छीपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों द्वारा नसबन्दी में बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से जोधपुर के कीर्तीनगर में एक भूतपूर्व सैनिक को भू-खण्ड का आबंटन नहीं करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं दो अन्य सदस्य की ओर से तिलम संघ की बीकानेर परियोजना को शुरू करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री प्रताप सिंह सिंघवी एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से छबड़ा में 4.7.2001 को बैग छीनने की घटना के असली मुल्जिम को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से जिला उदयपुर के फलासिया में एक बालिका के अपहरण की घटना के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री ज्ञानचन्द पारख एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से पाली शहर में कृषि भूमि पर बने मकानों को नियमित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुयी है:-

श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से जिला अजमेर के गांवों में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को संकर अरण्डी के उत्पादन का भुगतान दिलाने के लिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान) किसके बाद?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : व्यवस्था दे दी न, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये प्लीज।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था अजमेर जिले में अकाल के सम्बन्ध में। राजस्थान सरकार से जो सूचना आयी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय......(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : राजस्थान के सबसे बड़े एवं नेशनल खाद्य बीज निगम.....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अजमेर जिले में अकाल पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : राजस्थान के किसानों को अरण्डी के तेल का बीज दिया था.....(व्यवधान) से वह पास किया था। राजस्थान सरकार उस अरण्डी को खरीद नहीं रही है। राजस्थान में किसानों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। जिन किसानों ने अरण्डी का बीज पैदा किया, आज वे उसे घर में लिये हुये बैठे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : अरण्डी का बीज.....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : और राजस्थान सरकार कान में तेल डाले हुये सो रही है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अरण्डी का बीज उत्पादन करने के लिये किसानों को दिया गया।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : राजस्थान बीज निगम द्वारा बीज दिया गया और उसका सर्वनाश हो गया, किसान का .....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। मंत्रीजी, गोदाम में भरा हुआ है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि....... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : राजस्थान में किसानों को अरण्डी का भुगतान दिलाया जाये, उनके अरण्डी की खरीद की जाये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, किसानों से सरकार बीज के उत्पादन करने के लिये अरण्डी......(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है, भूख से मरने की नौबत है और दूसरी तरफ अरण्डी का बीज निगम ने दिया है, इसकी खरीद नहीं की जा रही है।

श्री सांवर लाल : उस अरण्डी के बीज को तब ही से गोदाम में रखा दिया गया। छह महीने के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि यह बीज.....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों के साथ अन्याय है। इस तरह से किसानों के साथ सरकार द्वारा लगातार अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाजरे की खरीद का काम बन्द कर दिया गया है और आपकी अरण्डी का भी कर दिया है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उनका उत्पादन सारा का सारा घर में भरा पड़ा है और सरकर उनके साथ लगातार अन्याय कर रही है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : बाजरे की खरीद का नाटक हो रहा है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज लगातार अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : बाजरे की खरीद नहीं हो रही है।

श्री रामस्वरूप : बाजरे की खरीद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बन्द कर दी गयी है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली सरकार बाजरे की खरीद नहीं कर रही है।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य की ओर से सहकारी निरीक्षक के पद हेतु आयोजित परीक्षा के सफल आशार्थियों को सहकारी निरीक्षक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ लिमिटेड की बीकानेर परियोजना को शुरू करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से राज्य के देशवाली समाज को पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में कंचरवाल नाले में बांध एवं एनीकट बनाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर के किसानों को नहरों का पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली के कतिपय गांवों में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(7) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम पनियाला के निकट स्थित एक बीयर फैक्टरी द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान किसके सामने रोये? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप नहीं सुनते, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर स्थिति है।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाजरे की खरीद बन्द हो चुकी है, किसान परेशान हो रहे हैं। बाजरे की खरीद के बारे में आप दिल्ली सरकार को लिखे कि बाजरे की खरीद करवायी जाये। दिल्ली सरकार बाजरे की खरीद नहीं करवा रही है, किसान मर रहा है। किसान पिस रहा है और बाजरे की खरीद नहीं हो रही है। हमारे यहां हिण्डौन में गरीब के लिये केन्द्र बनाया है लेकिन हिण्डौन में भी खरीद नहीं हो रही है। पहले करौली को दिया था, अब हिण्डौन के आदेश दिये, वहां पर कोई बाजरे की खरीद हिण्डौन में नहीं हो रही है, किसान परेशान हो रहा है। दिल्ली सरकार इसमें खरीद नहीं करवा रही है, आप मेहरबानी करके किसानों की इस आवाज को सुनें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे रहे हैं और ये आसन की अवहेलना कर रहे हैं, यह क्या तमाशा है? आप व्यवस्था दे रहे हैं और सत्ता पक्ष आसन की अवहेलना कर रहा है।

श्री रामस्वरूप : हमारे क्षेत्र में किसान परेशान हो रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) **:** मेरा भी है, पहले आपसे बोले हैं हम। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको काल-अपोन कर लूंगा, बिराजो। जिसका होगा, काल-अपोन कर लूंगा।

(8) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य की ओर से जिला करौली में आयुर्वेद अधिकारी का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(9) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से विद्याधर नगर, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक मकान में तोड़-फोड़ करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रमेश चन्द पण्ड्या, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा की पंचायत समिति गढ़ी के शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से नगरपालिका, छबड़ा में सहवरण पार्षद के कार्य-कलापों की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर की विद्युत अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) **:** 295, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगी उनके लिये। मैं 295 अपना पढ़ूं उससे पहले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि.....(व्यवधान)

श्री रमजान खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम है भी या नहीं, सुनाई नहीं पड़ा। आपने जो पहले पुकारा पता ही नहीं चला।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री अमराराम (धोद) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने विशेषाधिकार का..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। माननीय सदस्या बोल रही हैं।

श्री अमराराम (धोद) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार का.... (व्यवधान)....

श्री रमजान खान : आपने जो व्यवस्था दी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एक स्थगन का नाम आपने पढ़ा वह तो मालूम ही नहीं पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। अभी कोई जल्दी नहीं है, मैं बाद में सुनूंगा।

श्री अमराराम (धोद) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव 157 में आठ तारीख को दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : और आज 21 तारीख तक उसकी कोई व्यवस्था आसन के द्वारा नहीं सुनवाई गई है। विशेषाधिकार 157 में मैंने 8 तारीख को दिया था, उसके लिये आप व्यवस्था फरमायें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं?

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक भी 295 नहीं लगाया गया है अब तक।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन का प्रस्ताव हो, उसके प्रस्ताव पर कोई न कोई व्यवस्था आप दें।

श्री कन्हैया लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक भी 295 नहीं लगाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : लगायेंगे, अभी तीन दिन बाकी हैं।

श्री अमराराम (धोद) : क्योंकि सदन दो दिन के बाद में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : लगायेंगे–लगायेंगे। अभी तो तीन दिन बाकी हैं।

श्री अमराराम (धोद) : मैं चाहता हूं कि उस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की चर्चा के लिये आप....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो दिया है वह एग्जामिन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय के पास है, उस पर व्यवस्था दी जायेगी। सरकार से जानकारी चाही है, आप इन्तजार कीजिये थोड़ा। विराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : मेरा तो यह निवेदन है कि सत्र के दौरान उस पर व्यवस्था आ जाये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना 295 पढ़ूं उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी। ये तो इसी तरह से करते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, उससे पहले कुछ नहीं। आप 295 पढ़ो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसा है, इस सदन में दो माननीय सदस्य नीचे बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं, थोड़ा कहना चाहूंगी। कृषि मंत्रीजी यहां पर हैं नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्या, अभी तो आप 295 पढ़ो। (व्यवधान) अभी तो आप 295 पढ़ने की कृपा करो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका आदेश है तो ऐसा कर देती हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको 295 के लिये काल–अपोन किया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, ये बैठे क्यों हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिये जरा आप....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप रिक्वेस्ट करके ले जाओ न, मैं कहां मना करता हूं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) खरीद की जाये। (व्यवधान) इनकी मांग जायज है। सरकार ने बीज दिया है उसके बाद उन्होंने पैदा किया तो फिर उसको खरीद क्यों नहीं रहे हैं? जिन्होंने पैदा किया

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उनकी आज क्या हालत हो रही होगी अकाल की स्थिति में? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी तो उपन्यास पढ़ने में लगे हुये हैं, इनको किसानों की चिन्ता ही नहीं है। इसलिये आपसे निवेदन है, आप भी किसान हो, आप भी कृषि मंत्री रहे हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा बहुत खयाल करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार ने खुद बुवाया और खुद नहीं खरीद रही है, इससे बुरा और क्या होगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। माननीय सदस्य, बिराजो प्लीज। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, छह-छह महीने, दो-दो महीने माल रखवा दिया तबीजी फार्म पर, उसके बाद उसको नहीं खरीद रहे हैं आज की तारीख में। मनमर्जी लगा रखी है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बैठो-बैठो, आप दोनों। नहीं-नहीं, जब तक कहेंगे नहीं, कृषि मंत्रीजी.....(व्यवधान) मतलब नहीं है हमें। (व्यवधान) कृषि मंत्रीजी की बात है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, हो गयी बात। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज बिराजो। वहां से बोलो। बात कर लेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बैठकर, उठकर आ गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह, 295.

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सहकारी निरीक्षक हेतु आयोजित परीक्षा में सफल आशार्थियों को नियुक्ति

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्षजी, विधान सभा के प्रक्रिया नियम, 295 के अन्तर्गत मुझे निवेदन करना है कि इस देश की सीमा की चौकसी करने वाले कश्मीर एवं लेह लद्दाख की बर्फीली धरती पर थरथर कांपते तथा बाड़मेर की जेठ की दोपहरी में तवे-सी तपती रेत पर शरीर से पसीना बहाते जो सैनिक दिन-रात अपने घर-बार से हजारों मील दूर अपनी जान को हथेली पर लिये संगीनों के साये में जीते हैं, मौका आने पर मातृभूमि की रक्षा में अपनी जान पर खेल जाते हैं। अपना सर्वस्व लुटाने वालों की सेवाओं को देखते हुये इस सरकार का रवैया कितना उदासीन, बेरूखा एवं अनुत्तरदायी है इसका एक उदाहरण देकर मैं सैनिक कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री एवं कार्मिक मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना अपना पुनीत कर्तव्य समझती हूं।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हालांकि तीनों ही मंत्री यहां पर नहीं हैं। हां, कार्मिक मंत्री हैं। सन् 1999 में पूर्व सैनिकों के सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सहकारी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी, परन्तु आज दिन तक सरकार ने न तो उसका परिणाम ही निकाला और न ही इस सम्बन्ध में किसी तरह की सूचना उन परीक्षार्थियों को दी गयी है। पूर्व सैनिक अत्यन्त निराश हैं और उद्वेलित भी हैं, क्योंकि सरकार का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया न केवल अनुचित है अपितु निन्दनीय भी है।

सरकार को लिखित परीक्षा आयोजित करने से पूर्व सोचना चाहिये था। यदि इन्हें सहकारी निरीक्षक पद पर नियुक्ति नहीं देनी थी तो फिर परीक्षा के जरिये इनके मन में सरकारी नौकरी की आशा भी नहीं जगानी चाहिये थी। यह परीक्षा आयोजित करके तो उन पूर्व सैनिकों के साथ क्रूर मजाक किया गया है। पूर्व सैनिक इस परीक्षा का परिणाम जानने के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी इस बात से अवश्य इत्तफाक करेंगे कि मातृभूमि की रक्षा की अपनी सेवा से, वापस आने पर ये सैनिक सम्मानपूर्वक अपना भरण-पोषण कर सकें, इसकी जिम्मदारी सरकार की है। अतः 1999 में सहकारी निरीक्षक पद हेतु जो परीक्षा आयोजित की गयी थी, उसमें सफल आशार्थियों को सहकारी निरीक्षक बनाया जाये।

इसके साथ ही विभिन्न आपरेशन एवं लड़ाइयों में काम आये शहीदों के डिपेंडेंट्स को केवल छोटी नौकरियों में ही नहीं, अपितु योग्यता के आधार पर क्लास वन और टू के अलावा बाकी सभी पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाये। 1965 और 71... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा हो रहा है? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे सारे नियम, सारी परम्पराएं क्या कोई भी पालन करने के लिये तैयार नहीं है ये लोग? सत्ता पक्ष के लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि सन् 1965 और 1971 की लड़ाइयों में हुये शहीदों के उन बच्चों को, जो उस समय बहुत छोटे थे और अब पूर्णरूपेण क्वालिफाई हो चुके हैं और उनकी उम्र भी हो चुकी है, उन्हें भी उनके पिता की शहादत के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिये। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कारगिल के शहीदों पर निर्भर एक बच्चे को नौकरी का प्रावधान है, उसमें सन् 1965 और 1971 की लड़ाइयों में शहीद हुये सैनिकों के बच्चों को भी सम्मिलित किया जाये तो उचित रहेगा। आशा है आप मेरे सुझाव को मान्यता देने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ की बीकानेर परियोजना को चालू करने विषयक

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में नियम 295 के तहत निम्न विषय वस्तु के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लिमिटेड (तिलम संघ) की बीकानेर परियोजना के मजदूरों को राज्य सरकार ने ले-आफ कर रखा है। तिलम संघ द्वारा बीकानेर की यह परियोजना 26 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की गयी थी। बीकानेर परियोजना की क्षमता 100 टन सरसों का प्रोसेस कर तेल उत्पादन करने की प्रति दिन की है।

तिलम संघ कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, बीकानेर (जिसे संक्षिप्त में कर्मचारी समिति कहा जायेगा) ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है कि आयल मिल में वर्तमान में कम से कम 1200 टन सरसों प्रोसेस करने का काम शुरू किया जाये और इस कार्य के लिये वर्तमान में जो इलैक्ट्रीसिटी कनेक्शन 700 के.वी.ए. का है, उसके स्थान पर 350 के.वी.ए. का लगाया जाये। कर्मचारी समिति ने प्रति माह 1200 टन सरसों 761 रुपये प्रति टन के हिसाब से प्रोसेस करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। उक्त प्रस्ताव का आर्थिक परीक्षण तिलम संघ के तीन अधिकारियों की समिति द्वारा अभी हाल ही 10 अक्टूबर, 2001 को कर लिया गया है। अधिकारियों की समिति ने कर्मचारी समिति के अधिकतम प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है।

उन्होंने भी वर्तमान बायलर की जगह गंगापुर सिटी की परियोजना से बायलर शिफ्ट करके बीकानेर तिलम संघ में लगाये जाने के प्रस्ताव को उचित माना है। लेकिन गंगापुर सिटी का बायलर लगाने व उसके भवन निर्माण कराये जाने का कुल खर्च रुपये 2.25 लाख माना है, जबकि नया बायलर 1.25 लाख रुपये आकर वहां काम चालू कर सकता है। कर्मचारी समिति द्वारा श्रमिकों का खर्च जो 60 रुपये प्रति टन आंका गया है, उसे उन्होंने 66 रुपये प्रति मीट्रिक टन आंका है और कर्मचारी समिति द्वारा बताये गये विद्युत खर्च से अपनी सहमति प्रकट की है।

वर्तमान में कर्मचारीगण को ले-आफ के रूप में 2.26 लाख रुपये प्रति माह चुकाये जा रहे हैं। इस राशि में 1.20 लाख मिलाने के पश्चात् सभी ले-आफ किये गये श्रमिकों को परियोजना चालू करने के लिये कार्य पर वापस लिया जा सकता है। अधिकारियों की समिति द्वारा राज्य सरकार को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, उसमें प्रति मीट्रिक टन का खर्चा नाफैड के लिये सरसों की प्रोसेसिंग करने का 871 रुपये प्रति टन माना है, जो कुल मिलाकर तिलम संघ के लिये आर्थिक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

दृष्टि से अधिक कारगर प्रस्ताव है। उक्त 871 रुपये खर्चे में भी 60 रुपये प्रति टन का खर्चा किये जाने की स्थिति है।

बीकानेर इकाई को चलाने का खर्चा जहां 871 रुपये प्रति टन आंका गया है, उसके मुकाबले अन्य इकाइयां जो राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में चलायी जा रही हैं, वहां खर्च 1100 रुपये प्रति टन के करीब आ रहा है।

मैं राज्य के सहकारिता विभाग से व उनके तहत तिलम संघ से बीकानेर परियोजना की इकाई को तत्काल चालू किये जाने की मांग करता हूं। तिलम संघ ने जालौर, गंगापुर सिटी, झुंझुनूं और मेड़ता सिटी (नागौर) की बन्द पड़ी मिलों को बेचने का प्रयास किया व संघ ने कई बार निविदाएं भी मांगी। लेकिन कोई उन्हें खरीदने को तैयार नहीं हुआ।

तिलम संघ की बीकानेर की इकाई भी बाजार में बिकने की वस्तु नहीं है क्योंकि उस पर नियोजन 26 करोड़ रुपये का है। इसलिये इस मिल में श्रमिकों को ले–आफ किये जाने की बजाय इस मिल को चलाने में तिलम संघ को कम हानि होने की सम्भावना बन गयी है।

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन स्माल फार्मर्स एग्रो बिजनस कस्योडियन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिये हैं कि किसानों की भागीदारी में उक्त बन्द पड़ी तेल मिलों को चलाने का प्रयास किया जाये। भारत सरकार ने एक लाख टन सरसों प्रोसेस करने के लिये यहां भेज रखी है।

मैं इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार के सहकारिता विभाग से मांग करता हूं कि बीकानेर की परियोजना को कर्मचारी समिति द्वारा दिये गये प्रस्तावों के आधार पर, जिसका परीक्षण अधिकारियों की समिति ने करके उससे करीब–करीब सहमति व्यक्त की है, तुरन्त चलाये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें ताकि उक्त मिल के चालू होने से 200 लोगों को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो सके। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, इस पर राज्य सरकार का सहकारिता विभाग तुरन्त कोई कार्यवाही करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

देशवाली समाज को पिछड़ा वर्ग का दर्जा

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से देशवाली समाज को राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण देने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राजस्थान राज्य में देशवाली समाज की जनसंख्या करीब 15,00,000 (पन्द्रह लाख)

(श्री रमजान खान)

है। इस समाज की आबादी अधिकतर गांव में रहती है और शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से यह अत्यन्त पिछड़ा हुआ समाज है। इस समाज का कोई भी व्यक्ति राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारी या सर्विस में नहीं है। आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही नीचे गांव में काश्तकारी तथा खेतिहर मजदूर का कार्य करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। राजनीति में भी केवल एक विधायक को छोड़कर कहीं भी प्रधान, प्रमुख, नगरपालिका, परिषद् या निगम में चेयरमैन भी नहीं है। सामाजिक दृष्टि से भी यह समाज अन्य समाजों की तुलना में बहुत ही पीछे है।

होना तो यह चाहिये था कि जब 1992-93 में राजस्थान की अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला तब इस समाज को भी सबसे पहले आरक्षण मिलना चाहिये था। वह नहीं मिला और जब 1998 में अन्य पिछड़ा वर्ग को और आरक्षण दिया गया तब भी इस समाज की राजनैतिक पहुंच नहीं होने के कारण इसे आरक्षण से वंचित कर दिया गया, जबकि समस्त वांछित कार्यवाही इस समाज की संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पूर्ण कर ली गयी थी।

राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर इस समाज की वास्तविक स्थिति से राज्य सरकार को समय-समय पर अवगत करवाया, परन्तु फिर भी आरक्षण से यह समाज आज तक वंचित रहा है। अतः मेरा राज्य सरकार से पुरजोर अनुरोध है कि देशवाली समाज को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में सम्मिलित कर तुरन्त आरक्षण दिलवाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

रामगढ़ में कंचखाला नाले पर बांध एवं एनीकट का निर्माण

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर के अन्तर्गत किसानों की हजारों बीघा जमीन बरबाद होने एवं पानी के साथ बह जाने के सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कंचखाला नाम का नाला जो आगे जाकर रूपारेल नदी में मिलता है, हर वर्ष वर्षा के समय किसानों का नुकसान कर देता है। थोड़ा-सा भी पानी पड़ जाये तो जो पानी बहकर आता है, इस नाले को और चौड़ा कर जाता है जिससे क्षेत्र की 10 पंचायतों का हजारों बीघा रकबा बरबाद हो जाता है। इस नाले में पंचायत मिलकपुर, ग्राम पंचायत-चिड़बई, ग्राम पंचायत-ईन्दपुर, ग्राम पंचायत अलाबड़ा,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

ग्राम पंचायत–सैंथली, ग्राम पंचायत–नसबारी, ग्राम पंचायत–रामगढ़, ग्राम पंचायत–मालपुर और ग्राम पंचायत–खिलौरा की जमीन आती है जिसकी भारी बरबादी हो रही है।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस नाले में पिपरोली बांध, दोहोली बांध, अतरिया बांध और रामगढ़ बांध का पानी बहुत बड़ी मात्रा में आता है। अत: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सुझाव माननीय सिंचाई मंत्रीजी को देना चाहता हूं कि इस नाले पर कम से कम पांच एनीकट एवं दो छोटे–छोटे बांध बनाये जायें।

पूर्व में ग्राम ललाबंडी एवं बिलासपुर, ग्राम मिलकपुर के बीच, साथ ही ग्राम अलाबड़ा एवं ईन्दपुर, ग्राम बिड़बई एवं सैंथली, ग्राम मंगलेशपुर एवं जयसिंहपुर आदि गांवों में नाले से निकलने वाली छोटी–छोटी नहरों से सिंचाई होती थी। ग्राम सिरमौर एवं नसबारी के पास छोटे–छोटे बांध थे जिन्हें पुनः बनवाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में सिंचाई विभाग राजस्थान एवं सिंचाई विभाग केन्द्र की ओर से कई सर्वे टीम इंजीनियर्स एवं अधिकारियों की आई हैं किन्तु कोई कारगर उपाय नहीं हुआ है। 1993 एवं 1994 में आई भयंकर बाढ़ से यहां भारी नुकसान हो चुका है। भविष्य में ज्यादा नुकसान नहीं हो, कृपा कर कोई कारगर उपाय किया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी।

रायपुर के किसानों को नहरों का पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये विधान सभा क्षेत्र रायपुर के किसानों को नहरों से पानी नहीं देने के कारण उत्पन्न समस्या का समाधान करने के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पाली जिले के गजलाई, झिलमिल तथा रायपुर दीपवास बांध में पर्याप्त से भी अधिक पानी बांधों में भरा हुआ है। जिस समय जल वितरण कमेटियों की पिछले माह अक्टूबर में बैठकें आयोजित की गयीं उस समय रायपुर दीपावास बांध के पानी के वितरण में जानबूझकर पिछले कई वर्षों से लिफ्ट से सिंचाई करने वाले कुछ किसानों को लिफ्ट से पानी देने से वंचित रखा जा रहा है। इसी प्रकार गजनाई बांध से बीजागुड़ा के किसानों को नहर से जुड़ती 300 से 400 बीघा भूमि पर नहर से पानी देने के आश्वासन के बाद भी पानी नहीं दिया जा रहा है जबकि किसानों ने स्वयं द्वारा धन राशि खर्च कर नाले पर नहर का निर्माण करवाया। उक्त दोनों बांधों पर कुछ पीड़ित किसानों को नहर से सिंचाई का पानी दिये जाने की व्यवस्था तत्काल की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, रायपुर के झिलमिल बांध का पानी सिंचाई विभाग की भूल

(श्री हीरासिंह चौहान)

से 200 एकड़ से कम सिंचाई का मानकर ग्राम पंचायत बिराटियां खुर्द को गलती से हस्तान्तरित किया गया, लेकिन सिंचाई विभाग के ध्यान में आने पर मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक-एफ-6/टीए/एसएस/पार्ट-द्वितीय दिनांक 19.12.2000 को इस झिलमिल बांध को पुनः सिंचाई विभाग में ले लिया गया। लेकिन यह लिखते हुये काफी अफसोस है कि इस बांध से सम्बन्धित सहायक अभियंता श्री रामधन चौधरी, जैतारण (पाली) ने सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुये आज दिन तक उसकी पालना नहीं की, जिससे दो ग्राम पंचायतों के इस बांध के पानी का दुरुपयोग सिंचित भूमि में बिराटियां खुर्द के किसान कर रहे हैं, जबकि पड़ोसी पंचायत बिराटियां "कलां" के अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के गरीब किसानों को इसी नहर से सिंचाई की जाने वाली केवल 800-900 बीघा भूमि में नहर से पानी देने की व्यवस्था सिंचाई विभाग, पाली के अधिकारी नहीं करके दोनों गांवों में अशांति का वातावरण बना रहे हैं। किसी भी समय वहां लाठी-भाटा जंग हो सकती है। बांध में पर्याप्त पानी है। इस विषय में बिराटियां "कलां" के किसानों ने माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को भी 3.11.2001 को ज्ञापन देकर समस्या का समाधान करने का निवेदन किया था लेकिन उनकी ओर से भी अभी तक माकूल व्यवस्था नहीं की जा रही है। अतः निवेदन है कि झिलमिल बांध सिंचाई विभाग के अधीनस्थ तत्काल लिया जाये तथा दिनांक 19.12.2000 के आदेश की पालना नहीं करने वाले सहायक अभियंता, जैतारण को जो सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं करने के दोषी स्वयं सिद्ध हो चुके हैं, उनको तत्काल निलम्बित किया जाये तथा रबी की फसल को सिंचाई का पानी नहर से तत्काल देने के निर्देश जारी करायें अन्यथा अशांति की जिम्मेदारी स्वयं सिंचाई विभाग व राज्य सरकार होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। एक निवेदन सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कोई निवेदन नहीं, विराजो। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरे एरिया के किसान हैं, सिंचाई बांध में कम से कम पानी है और पानी का वितरण सही ढंग से नहीं है, मैं इस बात को आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें लिख देते न तो।

श्री हीरासिंह चौहान : इसमें कौन सुनवाई करेगा, मैं आप से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : किसको कह रहे हो आप?

श्री हीरासिंह चौहान : आप आदेश दे दीजिये सिंचाई मंत्रीजी को बुलाकर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आदेश दे दूं मैं? नियम है क्या 295 में आदेश देने का?

श्री हीरासिंह चौहान : बुला करके आदेश दे दीजिये। इतने लम्बे समय से मुझे एक महीना हो गया, मैं सिंचाई मंत्रीजी से तीन बार मिल चुका हूं। बांध में पानी है, 19.12.2000 को सरकार ने आर्डर कर दिया कि यह बांध वापस सिंचाई विभाग में ले लिया जाये.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री ज्ञानचन्द जी पारख।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन तक बांध से पानी नहीं लिया गया। बांध में पानी है, पानी से दो गांवों की सिंचाई पिछले आठ–दस सालों से हो रही है, आज से नहीं हो रही है लेकिन उस बांध को बिना किसी कारण से उसमें ले लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं तो इसके ऊपर आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसी पाइंट को लेकर मैं आज सदन का बहिर्गमन कर रहा हूं। अभी तक मैं मुख्य मंत्रीजी से मिल गया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह आपका अधिकार है।

श्री हीरासिंह चौहान : सिंचाई मंत्रीजी से दो बार मिल गया लेकिन उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। कैसे कार्यवाही करेगा, कौन कार्यवाही करेगा? मैं सब जगह अपनी कोशिशें पूरी कर चुका हूं उसके बावजूद भी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

डा. किरोड़ी लाल : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री हीरासिंह चौहान : xxx

श्री उपाध्यक्ष : मामला सदन में किस नियम के तहत उठाया?

डा. किरोड़ी लाल : xxx

श्री हीरासिंह चौहान : xxx

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री हीरासिंह चौहान : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी पुराने सदस्य हो....(व्यवधान) आर्डर, आर्डर। आपने इसको 295 में उठाया, इसको कोई दूसरे रास्ते से उठायें ताकि सरकार का जवाब आ सके। 295 में न तो सरकार का जवाब आता। (व्यवधान) आपको सोचना है। आपने उठा लिया, सरकार ने जान लिया। (व्यवधान)

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप विराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। सरकार का जवाब दिलवा देंगे आपको। सरकार का जवाब आ जायेगा इस पर।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं। श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली के कतिपय गांवों में पेयजल समस्या

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत पाली विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित गांवों में पेयजल समस्या के निवारण हेतु विशेष उल्लेख के तहत, मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद वितरण व्यवस्था हेतु समुचित पाइप लाइन नहीं होने के कारण निम्नलिखित गांवों में पेयजल की समस्या बनी हुयी है। यदि विभाग द्वारा कम क्षमता वाली पुरानी पाइप लाइनों को हटाकर अधिक क्षमता वाली समुचित पाइप लाइनें बिछाई जायें एवं जिन पाइप लाइनों पर अत्यधिक जल कनेक्शन हैं वहां समानान्तर पाइप लाइनें बिछाई जायें तो पेयजल समस्या का समाधान हो जायेगा। निम्न गांवों में समस्या है :–

(1) पाली विधान सभा क्षेत्र के छोर पर बसे गांव सिराना में करीब पांच वर्ष पूर्व गांव वालों द्वारा आन्दोलन करने पर प्रशासन द्वारा आनन–फानन में जिस किसी साइज के पाइप इधर–उधर पड़े थे वे बिछवा दिये गये। कुछ पाइप चार इंच के, कुछ तीन इंच के एवं कुछ दो इंच के डाल दिये गये जिससे पाइप लाइन बिछाने के बावजूद भी बार–बार लीकेज होते रहने के कारण वहां पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता। कृपया पुनः सही लाइन बिछायी जाये।

(2) रेवड़ा खुर्द जो सिराणा गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर है एवं पाइप लाइन भी सिराणा होकर जाती है, पाइप लाइन बिछी होने के बावजूद भी कभी कभार पानी पहुंचता है। जब सिराणा में ही पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता तो रेवड़ा खुर्द में पानी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः रेवड़ा खुर्द तक अलग से सिराणा गांव को छोड़ते हुये सीधी पाइप लाइन बिछाई जाये।

(3) गांव चेण्डा में भी सारी की ढाणी से सीधी पाइप लाइन बिछाई जाये।

(4) धोलेरिया शासन से दिवान्दी हेतु जो पाइप लाइन बिछी है वह कम क्षमता की है एवं बीच में मुरड़िया फोकारिया आदि गांव एवं कई ढाणियां भी आती हैं जिससे कहीं भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता। अतः समानान्तर पाइप लाइन ज्यादा क्षमता वाली धोलेरिया शासन से दिवान्दी तक बिछायी जाये।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(5) आकड़ावास खुर्द में अभी पड़ोसी गांव के कुएं से खारा पानी वितरण किया जा रहा है, अत: इस गांव में पाली शहर से मीठा पानी वितरण हेतु व्यवस्था की जाये।

साथ ही भाकरीवाला एवं झीबड़ा गांव जो जवाई नहर के पास स्थित हैं, के तालाबों को जल वितरण सैंटर बनाकर आस-पास के गांवों में यहीं से सीधा पानी भेजा जाये ताकि काला पीपल की ढाणी, इन्द्रका की ढाणी, पीपलिया की ढाणी, अरटिया आदि गांवों में पर्याप्त पानी पहुंच सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय जलदाय मंत्रीजी इन समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पाली विधान सभा क्षेत्र और रोहिट का क्षेत्र है जहां खारा पानी भी है, पानी की कमी भी है और अण्डर ग्राउण्ड वाटर भी नहीं है। मैंने वहां के लिये स्कीम बना दी है काफी गावों में, काफी गांवों की स्कीम बन चुकी है। शेष जो आपने बताया, जहां पर पाइप लाइन खराब है तो सारी पाइप लाइन को बदल दिया जायेगा। आप अलग से मुझे लिखकर दे देंगे तो मैं उसकी सारी जांच करवाकर आपके कथनानुसार, जो भी आप चाहेंगे वैसा करवा दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह गौड़।

कोटपूतली के ग्राम पनियाला के निकट बीयर फैक्टरी द्वारा प्रदूषण

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत आपका तथा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पनियाला के पास ''एसोसिएटेड एल्कोहल ब्रेबरीज लिमिटेड'' नामक बीयर फैक्टरी संचालित है। इसके अवशिष्ट पदार्थ को खुला छोड़ा जा रहा है जिससे सारा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। सैंकड़ों बीघा फसल इस अवशिष्ट पदार्थ से नष्ट हो गयी। बदबू के कारण तीस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहना मुश्किल हो रहा है। इस अवशिष्ट पदार्थ के कारण ही क्षेत्र में मक्खी-मच्छरों की भरमार हो गयी है। अनेक बीमारियां फैल रही हैं। ग्राम मोरथा, परियाला, खेड़का मुकुड़ तथा अनेक ढाणियों में जीवन दुश्वार हो रहा है।

इसी प्रकार ग्राम गोनेड़ा के निकट सोता नदी में भी शराब फैक्टरी का अवशिष्ट बहरोड की ओर से किसी फैक्टरी द्वारा डाला जा रहा है जिससे गोनेड़ा के आस-पास का क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि इस ए.ए.बी.एल. शराब फैक्टरी को बन्द किया जाये तथा सोता नदी में अवशिष्ट फेंका जाना रोका जाये तभी जनता को राहत मिल सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

करौली में आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय खोलने विषयक

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सकों की समस्या के समाधान एवं जिला करौली में कार्यालय खोलने बाबत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आयुर्वेद विभाग एक महत्त्वपूर्ण विभाग है जिसके प्रणेता धन्वन्तरीजी महाराज थे। जिनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। तब से यह विभाग लोगों की जान की रक्षा करता आ रहा है। ऐसे महत्त्वपूर्ण विभाग की कुछ समस्याएं मैं सदन के माध्यम से रखना चाहता हूं।

इस विभाग ने कितने वैद्यों को वैद्य बनाया, लेकिन उसके बाद उनका रिटायरमैंट वैद्य से ही होता है जबकि अन्य विभागों में पदोन्नति होती है। राजस्थान में 230 वैद्य अस्थायी हैं उनको आज तक स्थायी नहीं किया गया। मेरा अनुरोध है कि अस्थायी को स्थायी करें एवं पदोन्नति भी आप इनको दें।

इसके साथ ही करौली को जिला बने हुये तीन वर्ष हो गये हैं, पर बड़े दुःख की बात है कि आज भी वहां जिला आयुर्वेद कार्यालय नहीं है। जिला आयुर्वेद कार्यालय करौली में खोला जाये। माननीय मंत्री महोदया जब करौली पधारीं थीं उस समय आपने भी इस जिले में जिला आयुर्वेद अधिकारी बैठाने की घोषणा की थी, पर आज तक कार्यालय नहीं खुला। मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि आप सदन को अवगत करावें कि कब तक जिला आयुर्वेद कार्यालय खोल देंगे। इसके साथ ही पदोन्नति भी आप अन्य विभागों के अनुसार इन आयुर्वेद चिकित्सकों को दें एवं 230 अस्थायी चिकित्सकों को स्थायी करने की घोषणा करें। इस विभाग को पुनः लोकप्रिय एवं महत्त्वपूर्ण विभाग बनाने के लिये कठोर कदम उठायें। इसके कामों के लिये जनता में प्रचार एवं प्रसार करायें। पूर्व सरकार के समय इस विभाग के लोगों को नौकरी दिलाने एवं पदोन्नति करने व कार्यालय खोलने की मांग मैंने की थी एवं कई बार धरने भी दिये, पर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब हमारी लोकप्रिय सरकार आ गयी है, आशा है इस विभाग की समस्याओं की ओर ध्यान देगी और करौली में जिला आयुर्वेद अधिकारी का कार्यालय खोलेगी। धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अलग से बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनको कन्ट्रोल करना भारी काम है। श्री सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत सत्तापक्ष की हो रही है। हम इतने अनुशासित हैं कि आपका हुक्म होते ही बैठ जाते हैं। आप कहते हैं जैसा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो इसको पढ़ो।

श्री सांवर लाल : इन लाडलों पर थोड़ा बहुत कन्ट्रोल रखो। ज्यादा लाड करने से बिगड़ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा ही करते हैं। आपको भी रखना पड़ता है और उनको भी रखना पड़ता है। सबको रखने की कोशिश करते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन का कोई लाडला नहीं होता।

श्री सांवर लाल : कन्ट्रोल मुश्किल से होते हैं। हम तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं।

जयपुर के विद्याधर नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तोड़फोड़

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जयपुर के विद्याधर नगर स्थित प्लाट नम्बर 2/154 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तोड़-फोड़ की गयी थी जो कि नियमानुसार नहीं थी। जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त तोड़-फोड़ के लिये न तो कोई जांच कमेटी गठित की और न ही तोड़-फोड़ करने से पहले मकान मालिक को सूचित किया। मकान मालिक द्वारा नक्शा, पट्टा आदि पेश करने के बावजूद भी उक्त मकान में तोड़-फोड़ की गयी।

अत: मैं स्वायत्त शासन एवं नगरीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त मकान में तोड़-फोड़ से हुई क्षति का मकान मालिका को मुआवजा कब तक दिया जायेगा तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

जिला बांसवाड़ा, जिले की पंचायत समिति गढ़ी के शिक्षकों को बकाया वेतन का भुगतान

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन का ध्यान पंचायत समिति गढ़ी के शिक्षकों की वेतन समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले दो वर्षों से गढ़ी पंचायत समिति में यह स्थिति बनी हुयी है कि लोक जुम्बिश मद में कार्यरत शिक्षक समय पर वेतन नहीं ले पाये हैं। तीन से चार माह तक के वेतन बकाया चल रहे हैं। कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रति माह वेतन शिक्षकों को समय पर मिल जाये।

महोदय, लोक जुम्बिश मद में कुल 101 शिक्षक कार्यरत हैं जबकि स्वीकृत पद मात्र 48 हैं। ऐसे में 53 पदों को स्वीकृत करने व उसके अनुरूप बजट आबंटन की कार्यवाही करने की जरूरत है।

इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा के निदेशक एवं मुख्य लेखाधिकारी से कई बार पत्र व्यवहार विभागीय स्तर पर हुआ है, परन्तु कोई यथोचित कार्यवाही नहीं हो पायी है। कृपया शेष 53 पदों को स्वीकृत कर बजट आबंटित करें ताकि वेतन से महरूम शिक्षकों का आर्थिक संकट दूर हो।

समय पर वेतन नहीं मिल पाने का असर न केवल उनकी अर्थव्यवस्था पर बल्कि पढ़ाने की मानसिकता पर भी पड़ता है। शिक्षकों का यह असन्तोष शिक्षक संगठनों का मार्फत अखबारों में प्रकट होता है। इससे सरकार की छवि धूमिल होती है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड मद में कार्यरत 54 शिक्षकों का जुलाई से वेतन बकाया है। इस मद में कार्यरत शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिये 4.50 लाख की राशि की आवश्यकता होती है। यात्रा भत्ता, मेडिकल बिलों के भुगतान में भले देरी हो जाये पर वेतन में विलम्ब होना निश्चित रूप से तकलीफ दायक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवीजी।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : उपाध्यक्षजी, दीपावली करने के लिये भी शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। चार-चार महीने हो गये हैं, इन शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से.....

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें।

श्री जीतमल खांट : चार-चार महीने बीत जाने के बावजूद भी शिक्षकों को वेतन नहीं मिलना बहुत गम्भीर मामला है।

(आसन ने हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने का निर्देश दिया)

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंहजी।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इनको बैठाओ ना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये, विराजें।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। आप हर बात पर खड़े हो रहे हैं। इतने सीनियर आदमी हो, क्यूं मुझे फोर्स करते हो कुछ कहने के लिये? बैठो प्लीज।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है। बिराजिये प्लीज।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य, बिराजें। श्री प्रताप सिंह जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंहजी। हां, ठीक है, अच्छी बात है। विराजो।

छबड़ा नगरपालिका के 'सहवृत' पार्षद के विरुद्ध जांच

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि नगरपालिका छबड़ा में सहवरण पार्षद श्री रिजबान अहमद एजाजी हैं, उनके विरुद्ध भू-माफिया होने के निम्नलिखित प्रमाण हैं जिनकी जांच होना अविलम्ब आवश्यक है।

(1) नगरपालिका क्षेत्र छबड़ा में खसरा नम्बर 619 में 24 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 620 में 23 बीघा 3 बिस्वा कुल 47 बीघा 10 बिस्वा आराजी भूमि

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

ज़ो कभी टोंक स्टेट के समय तौफीक खां के बंगले के नाम से जानी जाती थी, को सन् 1960 में रिजबान अहमद के पिता श्री मंसूर अहमद एजाज़ी जो नगरपालिका छबड़ा में तत्समय अधिशासी अधिकारी थे, ने उक्त भूमि व उस पर स्थित बंगला के फर्जी दस्तावेज बनवाये एवं सन् 1986 में अपने पुत्र रिजबान अहमद के नाम करवा दी। उक्त भूमि के जाली दस्तावेजात बनवाने में असम्यक प्रभाव का भारी आश्रय लिया गया तथा उक्त भूमि पर आवासीय प्लाट काटकर श्री रिजबान अहमद एजाजी ने कुछ बेचान कर दिया एवं वर्तमान में बेचान कर रहे हैं।

(2) नगरपालिका छबड़ा की भूमि खसरा नम्बर, 156 की 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि है, श्री रिजबान अहमद ने नगरपालिका का सहवरण सदस्य बनकर अपने प्रभाव से उक्त भूमि में से चार-पांच बीघा भूमि जो नगरपालिका की है बेचान कर दी तथा उक्त भूमि पर 60-70 मकान अवैध बनवा दिये तथा लाखों रुपये नाजायज प्राप्त किये।

(3) खसरा नम्बर 156 की भूमि को तहसीलदार, छबड़ा द्वारा नगरपालिका ने पैमाइश करवायी तो करीब पांच बीघा भूमि पर श्री रिजबान अहमद का कब्जा मिला व प्लाट बेचे हुये व मकान बने हुये मिले। नगरपालिका ने पैमाइश होने पर अपनी भूमि पर सीमाबन्दी पत्थरगढ़ी करवा दी जिसे श्री रिजबान अहमद ने उखाड़ फैंका जिसकी रिपोर्ट नगरपालिका छबड़ा ने पुलिस थाना छबड़ा में दर्ज करा दी लेकिन रिजबान अहमद के प्रभाव की वजह से कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

(4) श्री रिजबान अहमद ने हिल व्यू नामक गार्डन बना रखा है तथा ट्यूबवैल लगाकर दोनों अवैध कालोनियों में करीब तीन सौ कनेक्शन नल के दे रखे हैं, जिनसे राशि वसूल की जा रही है। गार्डन शादी विवाह करने वालों को उच्च किराये पर देते हैं।

(5) श्री रिजबान अहमद ने लायन्स क्लब भी वहां चला रखा है जिसके कारण अधिकारी वर्ग उससे अत्यधिक प्रभावित है। इसी बलबूते पर कृषि भूमि पर लाखों रुपये में प्लाट बेचान कर अवैध कालोनी बना रखी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इसकी जांच करवायी जाये तथा राज्य सरकार व नगरपालिका की भूमि को अवैध बेचान कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर लाखों रुपये का नुकसान देने के लिये उचित कार्यवाही करवाने की कृपा करें। साथ ही भ्रष्ट भू-माफिया को सहवरण सदस्य से बरखास्त किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसी के साथ एक गम्भीर मामला और है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नगरपालिका की जमीन को हड़प रहे थे। (व्यवधान) सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नगरपालिका कार्यवाही करना चाहती है तो सरकार बीच में आती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

श्री मदन दिलावर : कैसे चलेगा? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आज की तारीख में इसकी कीमत दस करोड़ रुपये है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें प्लीज़।

श्री मदन दिलावर : दस करोड़ रुपये की जमीन भू–माफिया हड़प रहे हैं।

(आसन ने हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने का निर्देश दिया)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीरामजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। हो गयी ना आपकी बात।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित ही नहीं हो रहा है। आप बोले जा रहे हो, क्या फायदा है इससे? आप समझने की कोशिश करो.... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

(माननीय सदस्य, श्री प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : हां, विराजो। श्री गणेशीरामजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. किरोड़ी लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : इतनी सी बात है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

डा. किरोड़ी लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीरामजी। अंकित ही नहीं हो रहा है, आप बोले जा रहे हैं, क्या फायदा है इससे? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : इतनी सी बात है, सरकार के ध्यान में आ गयी।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीरामजी। विराजिये, प्लीज। आप बैठिये। आपका कोई लेना-देना नहीं है इस मुद्दे से..... (व्यवधान) श्री गणेशीरामजी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, हो गयी ना आपकी बात। आपने कह दी....(व्यवधान) कुछ नहीं होगा। आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) **:** कैसे गम्भीर नहीं है? 295 में सारा मामला सुना है....(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों से जिन-जिन से एप्रोच करनी है सबसे कर ली, किसी के साथ अगर अन्याय हुआ और उसके लिये अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट....

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कह दी बात.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो माननीय सदस्य का यह धर्म होता है कि कम से कम अपने क्षेत्र के उन लोगों, जिनके साथ अन्याय हुआ.....

श्री उपाध्यक्ष : ले आये ना सरकार के ध्यान में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनकी राहत के लिये आपके सामने अगर इस सदन में अपनी बात कहें.....

श्री उपाध्यक्ष : हां, कह दी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन दुर्भाग्य यह है कि किसी भी तरह से कोई जिम्मेदार, कम से कम जीरो आवर तक तो जिम्मेदार लोगों को यहां रहना चाहिये। कोई भी विषय ऐसा आयेगा जो कि बहुत ही आवश्यक होगा, बाकी किसी की इच्छा नहीं होती कि यहां आकर बैठ जायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई नयी प्रैक्टिस नहीं है, हमेशा होता है। आप इधर थे तो भी यही होता था। यह कोई नयी बात नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि इंडिवीजुअली सदस्य कम से कम हमारी.... (व्यवधान) कोई सामूहिक निर्णय होगा तो हम लोग वेल में आ जायेंगे लेकिन व्यक्तिगत समस्या के लिये कोई वेल में नहीं आयेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295 में कोई जवाब तो आता नहीं है, क्योंकि सरकार को यह मालूम नहीं होता कि आप 295 में क्या बोलने वाले हो। यह तो सबके लिये है.....

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिये हमने कभी वेल में कोई इंडिवीजुअल....(व्यवधान) पार्टी का कोई भी मैम्बर व्यक्तिगत समस्या के लिये कभी भी यहां वेल में नहीं आया। उस समस्या का जब समाधान नहीं हो तो वह निर्णय.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं मैक्सिमम यह कर सकता हूं, सरकार से जानकारी प्राप्त करके उनकी सूचना भिजवा दें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। आप विराजिये प्लीज। (व्यवधान) हो गयी ना बात। अब आप विराज जाओ। श्री गणेशरामजी.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी ना बात। पारदर्शी कर दिया आपने पूछा इनको। बैठो।

जालौर में व्याप्त विद्युत अव्यवस्था का समाधान

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : महोदय, मैं श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से श्रीमान् विद्युत मंत्री महोदय का मेरे क्षेत्र जालौर की विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जालौर में तीन अथवा चार घंटे से अधिक विद्युत नहीं मिलती है। इस वर्ष बाजरे की व अन्य फसलें भी एक बरसात के अभाव में सूख गयी हैं। अब किसानों को रबी की फसल बोने का समय है, इस समय आपके कथनानुसार सात घंटे तक बिजली नहीं मिलेगी तो रबी की फसल भी खराब हो जायेगी। अतः कृपया इसकी पूरी व्यवस्था करायें।

घरेलू बिजली भी 7 से 11 बजे शाम को नहीं आने से गांवों में किसानों को अंधेरे में रहना पड़ता है एवं छात्र भी पढ़ाई नहीं कर सकते। अतः समय पर घरेलू बिजली बने एवं किसानों को 6 से 7 घंटे तक श्रीमान् विद्युत मंत्री महोदय के कथनानुसार बिजली मिले, वैसी व्यवस्था करें, ताकि किसानों को राहत मिल सके। साथ ही निवेदन है कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित करावें ताकि किसानों को बिजली समय पर मिले वैसी निश्चित समय पर व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंट आफ इनफोर्मेशन है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सूचना

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों का विधान सभा पर प्रदर्शन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज विधान सभा के सामने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के, महाविद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के लगभग पांच हजार शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दो घंटे से प्रदर्शन चल रहा है। पहले भी यह बात आयी थी कि जो भी प्रदर्शनकारी यहां आयें सरकार के मंत्री को उनके शिष्टमण्डल से मिलना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदर्शन इसलिये हो रहा है कि यू.जी.सी. के जो मानदण्ड हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उससे मतलब नहीं है, आप तो यह चाहते हो कि सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : निवेदन तो हो गया ना, बाहर कर रहे हैं वह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कि आज महाविद्यालयों के शिक्षक मांग यह कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पढ़े-लिखे लैक्चरर, प्रोफेसर....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ये हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : वे इतनी बड़ी तादाद में चलकर इस पवित्र सदन, उच्च सदन विधान सभा पर आये हैं। अपनी जायज मांगों को लेकर आये हैं। हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि सदन के अन्दर उनकी बात रखें। आज स्थिति यह है कि न उनको कोई पेंशन मिलती है न ग्रेच्युटी मिलती है....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह शिक्षक वर्ग आन्दोलन करेगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : आज शिक्षक वर्ग जो हजारों की तादाद में यहां सड़कों पर....(व्यवधान) हजारों की संख्या में हायर एजुकेशन से जुड़े हुये शिक्षक यहां....(व्यवधान) प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कल्पना करिये शिक्षा की हालत क्या होगी...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हायर जैंटरी यहां पर आयी है....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार जवाब दे संवेदनशील सरकार, संवेदनहीन सरकार... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आखिर उनको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो....(व्यवधान) आज तक उनको कोई प्रमोशन नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, कैरियर एडवांसमैंट स्कीम लागू है। 1986 से और आज तक किसी भी कालेजेज के अन्दर प्रमोशन नहीं मिला है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने आये तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ पारदर्शी सरकार द्वारा। (व्यवधान) ये बात करना ही नहीं चाहते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पढ़े-लिखे लैक्चरर, प्रोफ़ेसर, डाक्टरेट किये हुये अच्छे विद्वान लोग, शिक्षा के सारे विद्वान बैठे हुये हैं.....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। एक मिनट विराजो। आप सब इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, किसी बात को एक सज्जन कहे तो समझ में आवे, क्या लिखें? आपकी लिखें कि उनकी लिखें, क्या लिखें? आप बैठो ना। एक माननीय सदस्य बोले तो समझ में आये। आप तो 20-20 जने खड़े होकर बोल रहे हो तो क्या मतलब है उसका? (व्यवधान) नहीं, पहले इन्होंने उठाया है, इनकी बात सुन लो पहले।

श्री सांवर लाल : इनकी बात हो गयी। मुझे यहां से....

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी तो पचास को थोड़े ही बुलवाऊंगा मैं? फिर कितने सदस्य हैं? (व्यवधान) खतम हो गयी बात...

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ सदस्य हूं...

श्री उपाध्यक्ष : ये सब विद्वान हैं, बैठे हैं जो, आप अकेले ही थोड़े ही हो।

श्री सांवर लाल : सारे ही विद्वान हैं, कौन मना कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको इश्यु नहीं बनाया जा सकता। वे पीछे आपसे ज्यादा विद्वान खड़े हैं पेशे से। मैं क्या कह रहा हूं, बी.जे.पी. में विद्वानों की कमी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सारे ही विद्वान हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज राजस्थान के अनुदानित निजी कालेजेज के सैकड़ों प्राध्यापक आज राजस्थान विधान सभा के सामने अपनी समस्या को लेकर आये। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी समस्या यह है, एक तो राजस्थान सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कह दिया ना इन्होंने।

श्री सांवर लाल : प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कालेजेज को जो अनुदान देते हैं उस अनुदान में 10 प्रतिशत की कटौती करना चाह रही है। अगर यह दस प्रतिशत की कटौती हर साल होती रही तो उनको तनख्वाह कहां से मिलेगी, कौन देगा? अगर किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उनकी पढ़ाई-लिखाई का स्तर क्या रहेगा और उनका भविष्य क्या रहेगा, आप मुझे बताइये?

उपाध्यक्ष महोदय, 1986 में राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कालेजेज के लिये कैरियर एडवांसमेंट स्कीम लागू हुई थी, आज तक किसी भी प्राइवेट कालेज में किसी भी टीचर को प्रमोशन नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बता दें कि अगर कोई एक ही जगह बैठा रहेगा तो स्टैगनेशन आ जाता है, उसकी एफीशिएंसी गिरेगी।

(13.00 बजे)

(श्री सांवर लाल)

राजस्थान सरकार एक ओर तो कहती है कि जनकल्याणकारी सरकार है, शिक्षा समर्पित है, हमने साक्षरता इतनी बढ़ा दी है, हायर एजुकेशन में हमने यह कर रखा है। दूसरी तरफ आज तक एक प्रमोशन नहीं दिया। आखिर ऐसे शिक्षक का मनोभाव क्या होगा? एजुकेशन का स्तर क्या रहेगा? उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपके माध्यम से उन सबकी चिन्ता को यहां प्रकट करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अनुदान में जो कटौती की है, वह तत्काल बन्द कर देनी चाहिये। जो प्रमोशन इन्होंने आज तक चालू नहीं किये, प्राइवेट कालेजेज के प्रमोशन को लागू करके तत्काल प्रभाव से अगर व्यवस्था नहीं की तो राजस्थान के निजी कालेजों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन छात्रों के भविष्य के साथ.... उपाध्यक्ष महोदय, यू.जी.सी. वेतनमान तक नहीं दिया जा रहा है, अगर ये व्यवस्थाएं नहीं की गयीं तो इन कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी और सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके बीच में एफीशिएंसी में बहुत अन्तर आ जायेगा, क्योंकि पढ़ाने वाले की मानसिकता भी उसी प्रकार की होती है। कल मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि भूगोल का अध्यापक पढ़ा रहा था, वह कह रहा था कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। इंस्पैक्टर साहब ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे बोल रहे हो उलटा तो उसने कहा, इस तनख्वाह में वहीं जायेगी, तनख्वाह ढंग से बढ़ा दो तो बंगाल की खाड़ी में ले आऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर प्राइवेट कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भला कराना चाहते हो तो राजस्थान सरकार को डायरेक्शन दीजिये कि तनख्वाह उन्हें बराबर मिले, प्रमोशन समय पर मिलें और अनुदान में कटौती बंद की जाये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या बचा?

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट, जो बच गया वही कह रहा हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नयी बात कह रहे हैं आप? इसके अलावा कोई नयी बात कह रहे हैं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, नयी बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : सुनेंगे तभी तो पता चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, सुनाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, जो निजी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, उनमें अगर प्राचार्य भी सेवानिवृत्त हो गया तो

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उसको भी भरने की इजाजत नहीं है। अब आप ही बताइये कि अगर प्राचार्य ही नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन का हैड ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा?

दूसरा, जो निदेशक, कालेज शिक्षा बनता था, वह अब तक इन महाविद्यालयों के जो प्राचार्य, उपाचार्य और जो दूसरे लोग थे उनमें प्रमोशन से भरता था। पिछले तीन वर्षों से आई.ए.एस. अधिकारी को कालेज शिक्षा निदेशक बनाकर बिठा रखा है। आगे क्या स्थिति उसमें रहेगी? पेंशन इनको मिलती नहीं, अनुदान में आप कमी कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जैसे झुंझुनूं है, झुंझुनूं में केवल मात्र एक कालेज खोलने की घोषणा पिछले साल इस सदन में की थी। वहां भी स्टाफ नहीं लगा। वहां सारे जितने भी कालेज हैं, प्राइवेट चल रहे हैं। वहां पर दूसरे लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं वे चला रहे हैं। अगर उनका अनुदान कट जायेगा तो एक तरफ तो प्रदेश के हजारों लोग जो शिक्षक, प्रशिक्षक, प्राचार्य और उपाचार्य का काम कर रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह प्रश्न आप उठा चुके हैं....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उनका जीवन खतरे में पड़ जायेगा। दूसरी तरफ प्रदेश के लाखों विद्यार्थी जो निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा हो चुकी है, बैठिये प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : उन्हें भी संकट हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश भर से जो हजारों शिक्षक इस विधान सभा के बाहर आये हैं, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रीजी को उनसे बात करनी चाहिये और उनकी जो जायज मांगे हैं, उन्हें शांतिपूर्वक पूरा करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। सरकार को ध्यान है इस बात का, विराजे प्लीज। श्री अमरारामजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमे चाहें तो नहीं बोलने दें, नहीं बोलेंगे, बैठ जायेंगे, लेकिन इस सदन की परम्परा रही है कि जब कभी कोई बाहर से प्रतिनिधिमण्डल आता है......

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो बैठ जाऊंगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको नहीं, उनको कहा है। आपके पीछे खड़े थे इसलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि झुंझुनूं जिले में यदि केवल सरकारी संस्थाओं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

के भरोसे ही हम रहते तो एजुकेशन आज जीरो होती। स्त्री शिक्षा के अन्दर आज झुंझुनूं जिला नम्बर दो पर है। अजमेर शहर के बाद, यह नहीं हो पाता। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आखिर 10 साल के अन्दर हमारा जो परसेंटेज बढ़ा है शिक्षा का वह इसलिये बढ़ा है कि हमने राजकीय भी खोले, हमने अनुदानित भी किये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन आज जिस तरीके से शिक्षक आन्दोलित हैं, शिक्षक इस बात के लिये मजबूर हो गये हैं, वे आपकी विधान सभा के बाहर आकर.....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन की कोई नहीं सुन रहा है। देखें आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतकजी, इन मंत्रीजी को समझाओ। हाउस चल रहा है, ऐसे थोड़े ही चलता है। ऐसा नहीं चलता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ईमानदारी से सच कहना चाहती हूं कि ये जितने मंत्री हैं इनके पास कोई न कोई बैठकर बात करता रहता है और यहां पर सदन में कही हुई बातों को बिलकुल भी गम्भीरता के साथ न तो ये सुनते हैं और ना उस बात पर पूरा आचरण करते हैं, इसलिये कम से कम इन्हें पाबन्द करें। अब तो दो दिन बचे हैं। इतने दिन तो कर लिया सो कर लिया, दो दिन तक तो अटैटिंवली जो कुछ हम कह रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो साल बचे हैं।

श्री सुमित्रा सिंह : दो साल तो असैम्बली आपकी जब चलेगी तब चलेगी। हाउस तो दो दिन ही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें, विराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह गुरिल्लावार इनका भी बन्द करवायें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : महामहिम राष्ट्रपतिजी का भाषण भूल गये क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी कि हमारे समाज का ढांचा पूरा एजुकेशन पर निर्भर करता है.....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजेन्द्र पारीक को इंजेक्शन लगायें, जरा शांत हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह देखें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनके भी लगा दो एक तो ठीक रहेगा काम। मैं निवेदन कर रही थी कि हमने जब इस बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया कि शिक्षा

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बिना, तालीम बिना कोई भी समाज, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है तो आज शिक्षक ही आन्दोलित होकर उद्वेलित होकर......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी-अपनी जगह जायें। आप सब उठें यहां से, अपनी-अपनी जगह जायें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन के बाहर आकर इस बात के लिये मजबूत हों कि इस सदन का घेराव करें।

श्री उपाध्यक्ष : अपनी सीट पर जाइये। (व्यवधान) बैठें, बैठें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं समझती हूं कि इस संवेदनशील सरकार के लिये....

एक माननीय सदस्य : दीपेन्द्रजी को इनकी सीट पर भेजें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस पारदर्शी सरकार के लिये यह बिलकुल उचित बात नहीं है। आपको चाहिये कि आप जाकर उनकी बातें सुनें। उन्हें बुलायें यहां पर, पांच या ग्यारह की संख्या में उनकी बात सुनें, उनकी बातें वाजिब हैं। आप अनुदानित जो कालेजेज चल रहे हैं उनमें भी मैं आपसे बताती हूं, दयानन्द एग्रीकल्चर कालेज और एक संगरिया का एग्रीकल्चर महाविद्यालय इन दोनों के जो लैक्चरर हैं उनको संशोधित वेतनमान जो यू.जी.सी. ने तय किया है वह नहीं मिल रहा है। पांचवें वेतन आयोग का नहीं मिल रहा है। चपरासी ले रहे हैं, क्लर्क ले रहे हैं, दो ही बचे हैं, सबको दे दिया, केवल वही दो बचे हैं। इस बारे में भी आप सोचें कि ऐसा केवल उनके साथ ही क्यों? पत्रावली जाती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में पिछले साल भर से झूल रही है। पिछले साल भर से आदान-प्रदान हो रही है, इस बारे में भी सोचे। आप उनको यहां बुलाकर जो उनकी बाते हैं, जो आप कर सकते हैं उन्हें आप करिये, जो नहीं कर सकते हैं उसके बारे में आप उन्हें तसल्ली दीजिये। यदि ये नाराज हो जायेंगे तो आप यह मानकर चलिये कि लाखों की संख्या में जो शिक्षक हैं ये कुछ का कुछ कर सकते हैं। आपको वहां से उठाकर यहां भी बिठा सकते हैं। इसलिये जो देश के भविष्य का निर्माण करने वाला शिक्षक है, उस शिक्षक को प्रसन्न रखें, उसको संतुष्ट रखें। उसकी सेवाओं के बदले में उसको सम्मान देना आपका कर्तव्य है, सत्ता दल का कर्तव्य है। मैं चाहूंगी कि इस बारे में निश्चित रूप से उन्हें बुलाकर बात की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, विराजें। मैं सरकार से जानकारी प्राप्त करके अभी आपको सूचना देता हूं कि क्या कार्यवाही हो रही है। श्री अमरारामजी। आ जाने दीजिये, फिर बताता हूं आपको।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पश्चिमी राजस्थान में राज्य मार्गों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बहनों की, माताओं की और भाइयों की दुखः भरी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। जोधपुर के रामजी के गोल स्टेट हाई–वे, फलौदी से लेकर सिरोही स्टेट हाई–वे, वाया बालोतरा और खास तौर से माननीय जल मंत्रीजी के लूणावास से लेकर बालोतरा तक स्टेट हाई–वे पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। आये दिन हमारी बहनें विधवा हो रही हैं, हमारे भाई जा रहे हैं। माताएं रो रही हैं। सड़कों पर छह–छह इंच के खड्डे हैं। अभी 12 तारीख की बात है मैं जोधपुर से आ रहा था, एक ट्रक और एक टैंकर इस प्रकार से भिड़े कि टैंकर तो उलटा हो गया और ड्राइवर इस प्रकार से फंस गया कि 2–3 बसों वालों ने, मुसाफिरों ने उतरकर बहुत मुश्किल से उसको निकाला। जिन्दा निकाल तो दिया लेकिन जोधपुर जाने के बाद में वह खतम हो गया। इस प्रकार से है।

आप कह रहे हैं कि हम करोड़ों रुपयों की सड़कें बनायेंगे। हमको तो आपने जो सड़कें दी हैं, 56 किलोमीटर की, गांवों की सड़कें हैं, स्टेट हाई–वे में जो डामर की सड़कें बनी हुयी हैं उनकी हालत सुधारने के लिये, चार–पांच सड़कों के लिये जो राशि दी है। वह पर्याप्त नहीं है। हमारी जो स्टेट हाई–वे है जोधपुर से लगाकर रामजी के गोह तक करीब सवा दो सौ किलोमीटर, इस सवा दो सौ किलोमीटर में आप सात किलोमीटर दे देंगे तो आखिर ये सड़कें कैसे सुधरेंगी?

राज्यपाल महोदय, आये तो उन्होंने मुरड़ से थोड़े खाडे भर दिये। अभी हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी 18 तारीख को पचपदरा गये क्योंकि वहां तेरापंथी समाज का कुम्भ मेला लगा हुआ है। कहा कि हम पचपदरा को सुन्दर बना देंगे ताकि जब इतने लोग कुम्भ मेले में आयेंगे तो उनको सुविधा होगी। कितने रुपये आपने पचपदरा की उन सड़कों के लिये अलाट किये? स्टेट हाई–वे को सुधारने के लिये आपने क्या किया? इस साल वे पैच भरे कि नहीं भरे? हालत यह है कि जो भी बाड़मेर जाता है, हमारे हादीजी इतने वृद्ध हैं, वे उस रोड से जाना पसन्द नहीं करते। वे ट्रेन में जाते हैं लेट हो जाते हैं। हालत यह है कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति अपनी कार से, अपनी जीप से वहां यात्रा नहीं कर सकता। आये दिन हमारे यहां मंत्रीजी को नाकोड़ा जाना पड़ता है, आये दिन बालोतरा जाना पड़ता है। हमारे प्रभारी मंत्रीजी जो बाड़मेर के हैं, उनको भी महीने में एक बार जाना पड़ता है। इस प्रकार की हालत हमारी सड़कों की है।

(श्री अमराराम चौधरी)

आपने हमको जो दिया है उसमें वहां आलरेडी टेण्डर डिक्लेयर हो गये हैं, काम शुरू नहीं हुआ है। स्टेट हाई-वे की जो 100-100 किलोमीटर की सड़कें हैं, किसी एक विधायक के दो-दो स्टेट हाई-वे हैं, उनके लिये आपके पास कोई न कोई प्रावधान होना चाहिये रिपेयरिंग का। आप रिपेयरिंग करने के लिये एक किलोमीटर पर दो लाख रुपये देते हैं तो दो करोड़ रुपये तो हमारी 100 किलोमीटर पर ही लग जायेंगे। फिर हमारे माननीय मंत्रीजी के क्षेत्र में जो करीबन 40-50 किलोमीटर की सड़कें हैं, उनके लिये भी आप देंगे। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमका थाना): इन्होंने अपने शासन में कुछ किया होता।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): कुछ भी नहीं किया?

श्री मोहन लाल मोदी : सारी सड़कों को तोड़ दिया, कोई सड़क बनाई नहीं, फिर ये क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): इन्होंने क्या किया? पहले क्या हुआ?

श्री मोहन लाल मोदी : पहले क्या हुआ यही तो बात है न?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): मेरा निवेदन है कि आये दिन गाड़ियों के पत्ते टूटते हैं। रोड़वेज घाटे में क्यों है? आये दिन प्राइवेट बसें जो आपने अनुबंधित की हैं, वे रूट चेंज करना चाहती हैं कि हम तो इस रूट पर नहीं चलेंगे, हमें तो कोई अच्छा रूट हो वह दो। अब अच्छा रूट, अच्छी रोड तो कहीं रही नहीं राजस्थान में। सारी रोडें बिखर गयी हैं। समय रहते आप इनकी मरम्मत करायें। आज एक किलोमीटर पर दो लाख रुपये का आपका खर्च आयेगा, लेकिन यदि आप महीने दो महीने बाद में काम शुरू करेंगे तो इस पर तीन लाख रुपये खर्च आयेगा क्योंकि बिलकुल ही टूट जायेगी। चार महीने-बारह महीने के बाद करेंगे तो उल्टे पांच लाख रुपये एक किलोमीटर पर लगाने पड़ेंगे, फिर सात लाख रुपये एक किलोमीटर पर लगाने पड़ेंगे, सरकार के धन का बड़ा अपव्यय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां महाकुम्भ का मेला लग रहा है, लाखों लोग पूरे हिन्दुस्तान से वहां आयेंगे और सड़कों की इस प्रकार की हालत है कि आये दिन हमारे यहां एक्सीडेंट होते रहते हैं, जोधपुर अस्पताल में भर्ती होते हैं। हमारी कई बहनें विधवा हो गयीं, हमारी माताओं के बेटे चले गये। कुछ तो आपको सोचना चाहिये और जल्दी से जल्दी इसके समाधान के लिये कोई न कोई हल ढूंढ़ना

(श्री अमराराम चौधरी)

चाहिये। कम से कम खड्डे तो डामर से भरवा दीजिये। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है।

अनुदानित महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को पांचवें वेतन आयोग का लाभ

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दो कृषि महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के साथ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पिछले तीन साल में राजस्थान के तमाम कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पांचवें वेतन आयोग का लाभ यू.जी.सी. ने दे दिया, परिवर्तित वेतनमान दे दिये। लेकिन दो अनुदानित कृषि महाविद्यालय, के शवानन्द महाविद्यालय, संगरिया और दयानन्द कालेज, अजमेर, यहां के प्राध्यापकों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां के मंत्रालयिक कर्मचारियों को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को, तमाम को 1998 से पांचवें वेतन आयोग के वेतनमान मिल रहे हैं, लेकिन आज भी वहां के 31 प्राध्यापकों को वह वेतनमान नहीं मिल रहा है। उनको वही वेतनमान मिल रहा है जो पहले से मिल रहा था। उनकी हालत यह है कि वहां के प्राध्यापकों और लैक्चरर्स को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भी कम तनख्वाह मिल रही है। उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है कि वे पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। एक साल से लगातार उनकी फाइल वित्त मंत्रालय से कृषि मंत्रालय के बीच घूम रही है। जब वे मंत्रीजी से मिलते हैं तो मंत्रीजी अपने बाबू और पी.ए. से मिलने के लिये कहते हैं। इस तरह का अमानवीय व्यवहार प्राध्यापकों के साथ होगा तो निश्चित रूप से वे पढ़ा नहीं पायेंगे।

अनुदान समाप्त करने की घोषणाएं राज्य सरकार ने जो बार-बार की हैं, उनका नतीजा होगा या नहीं होगा लेकिन जितने भी अनुदानित महाविद्यालयों के मैनेजमेंट हैं उन्होंने वहां की फीस दो गुनी, तीन गुनी बढ़ा दी है। जो फीस 1500 रुपये थी वह 6000 हो गयी है। चाहे वह नवलगढ़ का महाविद्यालय हो, चाहे वह सीकर के लक्ष्मणगढ़ का महाविद्यालय हो, चाहे फतेहपुर का महाविद्यालय, जिनमें अनुदान मिलता है। सरकार अनुदान समाप्त करने की घोषणा लगातार कर रही है, हर साल 10 प्रतिशत। वहां के मैनेजमेंट ने इन घोषणाओं का फायदा उठाकर जो आम विद्यार्थी वहां पढ़ने जाता था उसकी फीस में तीन गुणा वृद्धि कर दी है, हालांकि अभी शायद अनुदान समाप्त नहीं हुआ है। सरकार अनुदान समाप्त करने की घोषणाएं लगातार कर रही है।

(श्री अमराराम)

उपाध्यक्ष महोदय, वहां फीस जो 1500-1700 रुपये थी उसको तीन गुणा बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया। चाहे वह झुंझुनूं का कालेज हो, चाहे सीकर का कालेज हो या दूसरे अनुदानित महाविद्यालय, विद्यालय हों, वहां के मैनेजमेंट ने अनुदान समाप्त करने की घोषणाओं का लाभ उठाकर विद्यार्थियों को लूटने का काम किया है। न विद्यार्थियों को छोड़ा है, न कर्मचारियों को छोड़ा है। अनुदानित महाविद्यालयों का अनुदान अगर समाप्त किया जायेगा तो जो 33 प्रतिशत विद्यार्थी इन संस्थाओं में पढ़ता है, मैनेजमेंट का यह काम नहीं है, वह मुनाफा कराने के लिये इस तरह के नये विद्यालय और महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, सरकार जिनको प्रोत्साहन दे रही है। चाहे वे स्वास्थ्य विभाग के हों, इंजीनियरिंग के हों, वे जरूर व्यवसाय करना चाहते हैं। लेकिन जितने भी अनुदानित विद्यालय और महाविद्यालय हैं, उनका प्रमुख लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है। अगर अनुदान राजस्थान की सरकार समाप्त करेगी लगातार 10 प्रतिशत तो राजस्थान में जो शैक्षिक माहौल बना है, जो आगे बढ़ने की कोशिश है वह निश्चित रूप से पिछड़ेगा और राजस्थान जो विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है और पिछड़ेगा। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि तमाम शिक्षक जो अपनी इन व्यथाओं को लेकर, अनुदानित महाविद्यालयों के मैनेजमेंट और सरकार की इन घोषणाओं से परेशान होकर इस सदन के सामने प्रदर्शन करके अपनी वाजिब मांगों को मनवाने के लिये आये हैं उनकी सरकार निश्चित रूप से सुने और राजस्थान के शैक्षिक माहौल को आगे बढ़ाने का काम करें। आपने समय दिया, मैं इसलिये धन्यवाद करता हूं।

कोटा की इमानुअल संस्था द्वारा संचालित अनाथालय में व्याप्त अनियमितताएं

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में इमानुअल नाम की संस्था चलती है, जो अनाथालय चलाती है, कोटा शहर में कैथून रोड पर रायपुरा में। मेरी जानकारी और सरकार के निदेशों के अनुसार किसी भी अनाथालय को चलाने के लिये समाज कल्याण विभाग की मान्यता आवश्यक होती है। समाज कल्याण विभाग की मान्यता लेने के बाद अनाथ आश्रम में बच्चों को भर्ती करने के लिये जो किशोर कल्याण बोर्ड बनाया हुआ है, वहां जिन बच्चों को भर्ती करना है उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। किशोर कल्याण बोर्ड के माननीय अध्यक्ष सी.जे.एम. होते हैं और उस बोर्ड में सरकार द्वारा दो-तीन मनोनीत सदस्य और होते हैं। यानी कोई भी अनाथालय चलायेगा या किसी भी अनाथालय में बच्चों का प्रवेश होगा तो डाइरेक्शन किशोर कल्याण बोर्ड देगा कि कौन से अनाथालय में बच्चों को भर्ती करना है या ये बच्चे अनाथ हैं या नहीं। इन बच्चों को भर्ती

(श्री मदन दिलावर)

करना चाहिये या नहीं करना चाहिये, यह डिसीजन किशोर कल्याण बोर्ड करता है और उसके माध्यम से, उसके डाइरेक्शन के हिसाब से बच्चे भर्ती होते हैं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को याद दिला रहा हूं कि आज तक जो यह इमानुअल अनाथालय चल रहा है, इसमें कभी भी किशोर कल्याण बोर्ड के सामने जो इतने बच्चे भर्ती कर लिये हैं उनको प्रस्तुत नहीं किया। न ही सरकार से मान्यता प्राप्त की है। यानी अवैध रूप से अनाथालय चलाकर पता नहीं इन बच्चों का क्या कर रहे हैं।

मैं समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर की एक जांच रिपोर्ट है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 10 मई को समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर, वहां के समाज कल्याण अधिकारी व एक महिला बाल कल्याण अधिकारी के प्रतिनिधि, तीन लोगों ने इस जांच को किया है। उस जांच में उन्होंने लिखा है, 1982 के उप नियम 20 में प्रावधान है कि सभी अनाथालय, निराश्रित बाल गृहों में बालक व बालिकाओं का प्रवेश किशोर कल्याण बोर्ड के माध्यम से होगा। किशोर कल्याण बोर्ड को इस क्रम में कोई भी सूचना यह इमानुअल अनाथालय नहीं दे रहा है। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि इसमें 1125 बालक-बालिकाएं अभी उपस्थित हैं। जिसमें से 417 बालिकाएं हैं, शेष बालक हैं। यदि 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनके भोजन पर, इनके रहन-सहन, सुविधाओं पर खर्च किया जाये तो कुल मिलाकर 50 रुपये लाख के आसपास का खर्चा आता है। लेकिन आपको जानकारी दूं, केवल 15 लाख रुपये इन बच्चों के ऊपर खर्च किये जा रहे हैं। उन बच्चों के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, प्रति बच्चे के हिसाब से प्रति माह हम जोड़ते हैं तो 113 रुपये 90 पैसे खर्चा किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने आगे लिखा है, 113 रुपये 50 पैसे खर्चा किया जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों को निश्चित रूप से भूखा रखा जाता है। इन बच्चों के लिये बिस्तर भी पर्याप्त नहीं हैं, कमरों में पंखे व लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। एक-एक कमरे में 50-50 बालक भेड़-बकरियों की तरह ठूंसे हुये हैं। इस समाज कल्याण की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन बच्चों को पहले ईसाई बनाया जाता है उसके बाद में इसमें प्रवेश दिया जाता है। ईसाई बनाने की प्रक्रिया से उनको अवगत नहीं कराया जाता। यह लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट है विभाग की। मुझे यह बताते हुये बहुत कष्ट हो रहा है कि जो संस्था बात करती है कि हम इनका भविष्य सुधारने के लिये, उच्च शिक्षा देने के लिये इनको प्रवेश देते हैं वहां गंदगी का इतना ढेर है कि बच्चे अस्वस्थ हैं। मैं सारी बात इसलिये बता रहा हूं कि 1125 बच्चे और बच्चियां अवैध रूप से वहां रखे हुये हैं।

(श्री मदन दिलावर)

इस संस्था के जो संचालक हैं मि० थामस, इस थामस के बारे में 1989 के आसपास वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके फर्जी कब्रें बनाने का मामला भी अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इन्होंने क्या किया कि वह जमीन, जो वन विभाग की करोड़ों रुपये की जमीन है कोटा शहर के किनारे होने के नाते, उसमें फर्जी कब्रें बनायीं। कब्रों में लकड़ी और उसके ऊपर कपड़ा बांधकर पुतले बनाकर उस पर डाल दिये। किसी मुखबिर ने सूचना दी कि इस कब्रिस्तान में फर्जी कब्रें बनायी हुयी हैं। पुलिस ने देखा, पुलिस ने जब उनको खोदा तो फर्जी पुतले निकले, एक भी मुर्दा नहीं निकला। यह मेरा कथन नहीं, सरकार के पुलिस के रिकार्ड में यह सारा का सारा मामला है। यही नहीं, थामस के परिवार के ऊपर उस संस्था में हिरण रखने का मामला, मोर को कैद रखने का मामला भी अदालत में विचाराधीन है, जिसमें दो-दो लाख रुपये की जमानत पर छूटे हुये हैं। मैं इसलिये कहना चाह रहा हूं कि इस संस्था की जांच की जाये तो बहुत बड़ा स्कैण्डल निकलेगा, बहुत बड़ा काण्ड साबित होगा।

मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल में इसी वर्ष बिहार से कुछ बच्चे लाये गये थे। बिहार से बच्चे लाये गये तो किसी ने सूचना दी कि बिहार से बच्चे इमानुअल अनाथालय के लिये लाये जा रहे हैं। जब स्टेशन पर वे उतर रहे थे तो वहां के लोगों ने घेरकर पुलिस को इत्तला दी कि छोटे-छोटे बच्चे, जो कोई छह साल का है, कोई आठ साल का है, कोई 10 साल का है, ऐसे बच्चों को शायद उड़ाकर लाया जा रहा है। पुलिस ने घेरा लगाया, उनको पकड़ा। पूछताछ की तो पता चला कि एक सोरेल नाम का तस्कर उन बच्चों को वहां से यह कह कर लाता है कि आपको उच्च शिक्षा दिलायी जायेगी, आपको बड़ा अफसर बनाया जायेगा, आप मेरे साथ चलो। मां-बाप गरीब होने के नाते उच्च शिक्षा के लालच में उनको उनके साथ भेज देते हैं और यहां लाकर इस अनाथालय में भर्ती कर दिया जाता है। अनाथालय के समक्ष जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, अनाथालय में वह प्रमाण पत्र यह है कि इनके मां-बाप मर चुके हैं, ये अनाथ हैं। जबकि पुलिस ने

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, मैं भी मजबूर हूं।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये सारी बात कह रहा हूं कि जब पुलिस ने जांच की तो जांच में पाया कि जिस मुखिया ने प्रमाण पत्र दिया था कि वे अनाथ हैं या मेरे गांव के रहने वाले हैं, वह प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। वहां जाकर पुलिस ने पकड़ा तो उसने कहा कि यह काम

(श्री मदन दिलावर)

मैं 3-4 साल से कर रहा हूं। मैं यहां बच्चों को लाता हूं, पैसे लेता हूं, यहां रख लेता हूं। यही नहीं, मणिपुर से बच्चे आये और मणिपुर के मुख्य मंत्री का कथन है कि जो मेरे यहां से बच्चे ले गये और मैंने इमानुअल को कहा तो उन्होंने कहा कि 50-50 हजार रुपये हमें दो, तब जाकर आपको बच्चे देंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मणिपुर के मुख्य मंत्री हैं मि० मिथी, उनका कथन था। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की एक तरह से तस्करी करके भड़का कर, गुमराह करके वहां ले गये हैं।

यही नहीं, आसाम से भी बच्चे लाये गये। आसाम में जाकर देखा, पुलिस ने जांच-पड़ताल की तो यह पाया कि फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर कि इसके मां-बाप मर गये हैं, ये बच्चे अनाथ हैं, इनको वहां भर्ती किया गया। मामला यहीं नहीं रुक जाता है। जो मैं मिथी की बात कह रहा था, ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, मणिपुर के नहीं। मैं थोड़ा इसमें संशोधन चाहता हूं। 15 जून, 2000 को दो एजेंट 20 अबोध बच्चों को बिहार के पूर्णिया एवं कटिहार जिलों से लेकर कोटा पहुंचे। ये सारे के सारे बच्चे वहां से हिन्दू लाये जाते हैं और हिन्दू बच्चे लाकर यहां उनका धर्मान्तरण किया जाता है। उसका एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, एक बच्चे का इंटरव्यू.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मामला बड़ा गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : और भी गम्भीर है। यह और भी ज्यादा गम्भीर मामला है। इससे ज्यादा गम्भीर और बिजनेस है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह गम्भीर मैटर है।

श्री मदन दिलावर : तहसील सांगोद के गांव बांगड़स्या के उमाशंकर मीणा का कथन आपको बताना चाहता हूं जिसने दूरदर्शन को अपना इंटरव्यू दिया था, सारी प्रेस को अपना इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उसने कहा था कि मेरे मां-बाप नहीं थे, मैं कोटा की तरफ आ रहा था तो मैंने अनाथालय देखा। अनाथालय देखा तो मैं चला गया कि मेरे मां-बाप नहीं, शायद पढ़ाई-लिखाई हो जायेगी। उन्होंने मुझे भर्ती कर लिया और भर्ती करने के बाद मुझे भीमगंज मण्डी जो कोटा शहर में है, वहां भेज दिया। मैं नौवीं में पढ़ता था। मेरी आदत थी श्री गणेशाय नमः लिखने की। कोई भी पुस्तक मैं प्राप्त करता हूं, कापी लिखता हूं उसके ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखता हूं। उस संचालक को पता चला, गणेशाय नमः वाली मेरी पुस्तक फाड़ी, वह कापी फाड़ी। जब उन्होंने कापी फाड़ी तो उसमें हनुमान चालीसा निकल गयी। हनुमान चालीसा निकली तो मुझे मुर्गा बना दिया और मुर्गा बनाकर मुझे डण्डों से पीटा गया। मेरे सामने वह हनुमान चालीसा गंदे नाले में फेंक कर ऊपर से पेशाब किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

श्रीमान्, ऐसी संस्था कोटा में चल रही है, पूरा कोटा शहर आन्दोलित है। आन्दोलित इस बात से है कि यह बच्चों की तस्करी करने वाला व्यक्ति है। इन बच्चों का आज तक अता-पता नहीं है कि बच्चे कहां गये हैं, पैसा कहां से आ रहा है, ये बच्चे किस काम में लगाये जाते हैं। इन बच्चों की जांच पड़ताल करोगे, आप लेखा-जोखा लोगे। श्रीमान् तो इसमें अधिकतर बच्चियां मुझे ऐसा लगता है कि तस्करों को बेच दी गयी हैं। पूरा लेखा-जोखा लोगे तो इन बच्चों को बेच दिया गया है, कई लोगों को जबरदस्ती धर्मान्तरण में लगा दिया गया है। इन बच्चों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं अनाथालय चलाने के नाम से बाहर से बहुत ज्यादा धन लाकर उन बच्चों के नाम से वे खुद हड़प रहे हैं। समाज कल्याण विभाग में इसकी शिकायत हुई, मैंने मुख्य मंत्रीजी को शिकायत की, मैंने समाज कल्याण मंत्रीजी से बात की, मुख्य मंत्रीजी का आज तक मेरी शिकायत का कोई जवाब नहीं। मेरी समाज कल्याण मंत्रीजी से बात हुई तो समाज कल्याण मंत्रीजी कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं असहाय हूं, आप तो जिला कलक्टर से बात कर लें। समाज कल्याण सचिव का स्टेटमेंट आता है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं है तो जांच क्यों नहीं हुयी? जिला कलेक्टर से जांच करवायी है और वह जांच यहां भेजी है, उसमें यह है कि सिद्ध रूप से हिन्दुओं को प्रताड़ित करके ये धर्मान्तरण का काम कर रहे हैं। उसने स्वयं ने लिखा है कि अभी तक कोटा शहर में 10 हजार हिन्दुओं का धर्मान्तरण इसी तरीके से किया है।

यह किताब है मिशन मेंडेट, उस मिशन मेंडेट की किताब की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मिशन मेंडेट में लिखा है कि मेरा उद्देश्य है कि इस सम्पूर्ण भारत को ईसाई बनाकर रखूं क्योंकि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अन्य प्रदेशों में धर्मान्तरण कराने के लिये दरवाजे खुले नहीं हैं। ये दरवाज़े केवल हिन्दुस्तान में खुले हैं इसलिये यहां पर सबसे ज्यादा यह कराया जा सकता है। साधु-संत इकट्ठे हुये, कोटा शहर के ही नहीं, महामण्डलेश्वर हरिचन्दानन्दजी महाराज आये, महामण्डलेश्वर रामानन्द सरस्वती महाराज भी आये, विश्व प्रसिद्ध साध्वी शिवा सरस्वती भी वहां आयी कि यह अन्याय हो रहा है। किशोर कल्याण बोर्ड की एक सदस्या इसकी पूरी जांच करती है.....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये, बहुत हो गया।

श्री मदन दिलावर : और जांच करके कहती हैं कि इन बच्चों को किशोर कल्याण बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री मदन दिलावर : किशोर कल्याण बोर्ड के सामने उन बच्चों को क्यों नहीं प्रस्तुत कराया गया?

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये, बहुत हो गया। आप उसी बात को रिपीट कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सदन में और क्या होगा? (व्यवधान) कह दिया न, और क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

घोषणा

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को वार्ता का आमंत्रण

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि अभी जो शिक्षकों के सम्बन्ध में चर्चा हुयी, सरकार ने आमंत्रित किया है उनके प्रतिनिधियों को और उनके आने पर यहां वार्तालाप हो जायेगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम जी।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश खींची।

श्री मदन दिलावर : ×××

समिति का प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (क्र. सं.-1)

श्री रमेश खींची (कठूमर) (श्री जनार्दन गहलोत, सभापति के स्थान पर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2001-2002 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री सहकारिता मंत्रीजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री मोहन लाल मोदी : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 (2001 विधेयक संख्या-11) विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजादजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये आप यहां।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतकजी, इनको बैठाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव जनमत जानने का है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतकजी, आप इनको बैठाइये। (व्यवधान) सचेतकजी, आप इनको नियंत्रण में कीजिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, बहुत हो गया।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। बैठना ही पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है।

श्री मदन दिलावर : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय सहकारिता मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसमें मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज। बोलिये, हरजीरामजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मेरा जनमत जानने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन है कि मौजूदा सहकारी कानून में जो व्यवस्थाएं थीं उनकी पूर्व सरकार ने जिस प्रकार से अवहेलना करके मनमाने तरीके से कार्य शुरू किये थे तो कानून में व्यवस्था होते हुये भी आपने उस सम्बन्ध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। मेरा निवेदन है कि जब मौजूदा कानून में आप कानून के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो नया कानून बनाकर आप क्या करोगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। पुराने कानून में यह व्यवस्था है कि किसी भी संस्था के धन के सम्बन्ध में या उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी संचालक द्वारा दुरुपयोग करने पर धारा 74 के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही होती थी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस व्यवस्था को एकदम तहस-नहस कर दिया और आपने भी उस सम्बन्ध में सुधार के लिये कोई कदम नहीं उठाये। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। भीलवाड़ा का जिला कलक्टर स्पिनिंग मिल का प्रशासक था, उसने एक प्राइवेट व्यक्ति को हास्पिटल बनाने के लिये पांच लाख रुपये का अनुदान उस संस्था से दिया। जब आडिट हुयी तो आडिटर ने इस नुकसान के लिये प्रशासक के विरुद्ध धारा 74 की कार्यवाही प्रस्तावित की। वह कार्यवाही यहां पहुंची, घूम-फिरकर वही जिला कलक्टर रजिस्ट्रार बन गये। रजिस्ट्रार बनने के बाद उसने उस कार्यवाही को ड्राप करने के लिये एक ऐसी व्यवस्था कानून के विरुद्ध स्थापित की कि खुद की अध्यक्षता में एक समिति बना ली और यह आदेश दे दिया कि धारा 74 की जो कार्यवाही हो वह आगे तभी चलेगी जब वह कमेटी मंजूरी दे। उस धारा पर वह कार्यवाही भी समाप्त हुई और बहुत-सी कार्यवाहियां इस कमेटी के बहाने समाप्त कर दी गयीं और इस संस्था के करोड़ों रुपये के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने विभाग के उच्चाधिकारियों से बात भी की। वे इस बात को मान रहे हैं कि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्यों नहीं है? कि धारा 74 की कार्यवाही एक तरह से पुलिस में जो एफ.आई.आर. है उस तरह की कार्यवाही है। उसको बीच में प्रशासनिक आदेश से बन्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल सुनवायी होकर ही उसका निस्तारण हो सकता है। लेकिन आपने मौजूदा कानून की व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को जब चुनाव नहीं हो तो संस्थाओं में प्रशासक लगाने का अधिकार है। आज राजफैड में रजिस्ट्रार प्रशासक है और अपैक्स बैंक में सैक्रेटरी प्रशासक है। अब सहकारी कानून के अनुसार सहकारी संस्था की किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या थांधली के सम्बन्ध में एक्शन लेने का अधिकार रजिस्ट्रार को है। तो क्या कोई रजिस्ट्रार से गड़बड़ी हो तो रजिस्ट्रार अपने खिलाफ एक्शन लेगा? और क्या बैंक के मामले में सैक्रेटरी के खिलाफ कोई रजिस्ट्रार क़दम उठायेगा? कानून में यह कोई जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रार और सैक्रेटरी को ही प्रशासक लगाओ। बार-बार यह मामला विधान सभा में भी उठा है लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई आपने कदम नहीं उठाया। इस सम्बन्ध में आपने जो नया कानून बनाया है उसमें भी धारा 125 में यह व्यवस्था की है कि संस्था के संकल्प को रजिस्ट्रार निरस्त कर सकता है। क्या अपैक्स बैंक का प्रशासक सैक्रेटरी है, उसके संकल्प को, रजिस्ट्रार निरस्त कर देगा? क्या राजफैड का संकल्प जो उसने खुद ने पारित किया है, वहां जाकर वह उसको रिजेक्ट करेगा? ऐसे-ऐसे उदाहरण आपके सामने होते हुये भी जो पूर्व में व्यवस्थायें बिगड़ गईं उनका आपने मौजूदा कानून में सारी व्यवस्थाएं होते हुये भी कोई सुधार का काम नहीं किया।

आडिट के मामले में पुरानी सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि चार्टर्ड अकाउंटैंट से आडिट करवायी जाये। आपके विभाग के आडिटर हैं, हर बड़ी संस्था में रैगुलर जैसे राजफैड है उसमें दो बैठते हैं और दूसरे बैंकों में कई बैठते हैं। उनके द्वारा आडिट होते हुये भी प्राइवेट संस्था से आडिट करवाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इन अधिकारियों ने इसलिये इनसे आडिट करवाना जरूरी समझा कि आपके विभागीय आडिटर संस्था का कोई नुकसान हो तो धारा 74 की कार्यवाही प्रपोज करते थे। लेकिन प्राइवेट आडिटर से जो आज तक आडिट करवाई है, एक भी ऐसा मामला, एक भी ऐसा उदाहरण आपका नहीं है जिसमें धारा 74 की कार्यवाही प्रस्तावित की हो। फिर उस आडिट का क्या औचित्य है? क्या अब सारी की सारी संस्थाओं में कोई गड़बड़ी नहीं है? परमानैंट आडिटर आपके डिपार्टमेंट के बैठते हैं और आडिट करते हैं, वार्षिक

(श्री हरजीराम बुरड़क)

रिपोर्ट में या आडिट रिपोर्ट में उनके सुझावों को आप सम्मिलित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि उनमें धारा 74 जैसे कई मामले हैं। धारा 70 की जांच के भी कई मामले हो सकते हैं इसलिये आप उनको नहीं कर रहे हो।

इसके अलावा, अभी आप साल भर से कह रहे हो कि नया एक्ट बनेगा तब हम चुनाव करवायेंगे। मौजूदा एक्ट में कहां प्रतिबंध है चुनाव का? यही बात पूर्व सरकार कहती रही और आप भी यही कह रहे हो। इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध आज के एक्ट में नहीं है कि आप चुनाव नहीं कराओ।

पुरानी सरकार ने एक यह व्यवस्था की थी कि सहकारी संस्थाओं का पैसा पी.डी. अकाउंट में जमा करा दें। एक मामला, सरकार को जब पैसों की जरूरत पड़ी तो भूमि विकास बैंक के प्रशासक को बुलाकर सैक्रेटरी ने कह दिया कि आप ऋण का प्रस्ताव भेजो और प्रस्ताव यह भेजो कि प्राइमरी भूमि विकास बैंकों को ऋण देना है। उसने प्रस्ताव भेज दिया कि इतने करोड़ रुपये चाहिये। अपैक्स बैंक का प्रशासक सैक्रेटरी था, उसने उसी दिन मंजूर कर दिया। वे पैसे भी उठ गये और पी.डी. खाते में जमा हो गये। इस प्रकार की कार्यवाही जो पूर्व सरकार ने शुरू की थी, आपने किसी तरह से रोकने का कोई प्रयत्न, जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं किया। नया एक्ट बनाकर आप इस नये एक्ट में क्या करना चाहते हैं, यह समझ की बात नहीं है।

आपके अधिकारी किसी भी संस्था में जायें और वे कुछ भी करें, उसके खिलाफ एक्शन लेने का विभाग को कोई काम नहीं। जिस संस्था में गये वहां भ्रष्टाचार किया और वापस आ गये। दूसरे अधिकारी जो वहां आयेंगे वे उनकी बचत की पैरवी करेंगे, लेकिन उनके कार्य की जांच का काम कोई नहीं करेगा। ऐसे–ऐसे उदाहरण आपकी संस्थाओं में है, जिस किसी ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मामला चला और आपके डिपार्टमेंट ने और संस्थाओं ने उनको प्रमोशन दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी कानून एक ऐसा कानून है जो अधिकतम जन सामान्य से सम्बन्ध रखता है, इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा। आप जो जनता की भलाई के लिये नया कानून बनाना चाहते हैं तो इसमें आप जनता की भी राय जानें। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि आपको सहकारी संस्थाओं का काम चलाने में मौजूदा एक्ट में कोई बाधा हो। इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने अपने कठिन परिश्रम और

(श्री मांगीलाल डांगा)

अनुभवों के आधार पर इस सदन में राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया है। इस विधेयक, जिसका नाम राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 रखा गया, उसमें सहकारिता मंत्रीजी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने और इसे जनोपयोगी बनाने की कोशिश की है। कोई भी कानून बने वह जन कल्याणकारी हो, जनता का हितकारी हो। सहकारिता गांव के दूर-दराज उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जिसको हम दरिद्र नारायण कहते हैं और जिसके आंसू सहकारिता के मार्फत पोंछे जाते हैं। इसलिये ऐसे अधिनियम में राजस्थान की जनता की राय को जाना जाये, उसके लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता एक आर्थिक आन्दोलन है और हमारी पार्टी हमेशा इस आन्दोलन को बढ़ावा देती रही है। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय माननीय नेहरूजी के नाम पर तो हम सहकारिता सप्ताह मना रहे हैं और यह कानून भी उस सप्ताह के दौरान इस सदन में आया है। उपाध्यक्ष महोदय, भारत की आर्थिक व्यवस्था में अलग–अलग नीतियों को परिभाषित किया गया, राजकीय आर्थिक नीति निजी क्षेत्र की आर्थिक नीति कारपोरेट क्षेत्र की आर्थिक नीति और उसके साथ–साथ सहकारिता की आर्थिक नीति को अलग से सहकारिता आर्थिक नीति के रूप में परिभाषित किया गया, मान्यता दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता हमारे लिये नई बात नहीं है। सहकारिता हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। आदि काल से हमारे देश ने इस सहकारिता को अपनाया है और आज सहकारिता को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्रदान की गयी है, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता को परिभाषित किया गया है। मैं उस परिभाषा का उल्लेख इस पवित्र सदन में करना चाहूंगा। "सहकारी संस्था व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्तशासी संस्था है जो स्वयं स्वायत्तता वाले लोकतंत्रीय आधार पर नियंत्रित उद्यम के जरिये अपने सामान्य, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वेच्छा से एकजुट होते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के इस उदारीकरण, वैश्वीकरण और विश्व व्यापार संगठन के काल में हमारे सहकारीविदों द्वारा ऐसा महसूस किया गया, अब समझ आ गया है कि इस सहकारिता आन्दोलन को सरकार के सहारे खड़ा नहीं रखा जा सकता। आज इस प्रतिस्पर्द्धा के युग में सहकारिता वही रूप धारण करे जिस रूप में उसको परिभाषित किया गया है। इस दौर में अलग–अलग राज्यों ने सहकारिता को स्वायत्तता देने के लिये अपने विद्यमान अधिनियम के अलावा कुछ अधिनियम बनाये हैं। आन्ध्र प्रदेश ने पहल की।

(श्री मांगीलाल डांगा)

आन्ध्र प्रदेश में म्यूचुअली एडेड को-आपरेटिव सोसायटी एक्ट, 1955 पारित किया गया। उसके बाद हमारे यहां भी तत्कालीन सरकार द्वारा 1955 में, हालांकि उसको एक्ट का रूप नहीं दिया गया, एक्ट का अमलीजामा नहीं पहनाया गया परन्तु उस अधिनियम में जो प्रावधान था, उस धारा 139 का उपयोग करते हुये कुछ संस्थाओं ने उन्मुक्तता और रूपान्तरण करके कुछ प्रावधान लागू किये।

एक प्रश्न उठता है कि इस रूपान्तरण और उन्मुक्तता के आधार पर सहकारी संस्थाएं आगे नहीं आईं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक को यह सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़े कि मैं स्वतंत्र हूं। उस आदेश में यही व्यवस्था थी इसलिये आम जनता को उस आदेश के प्रति विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यदि एक्ट में संशोधन होता, यदि वह एक्ट बनता तो आम जनता को विश्वास होता, लोग उसके साथ आते। अब जब हमारा नया विधेयक आयेगा तो कुछ संस्थाओं को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, परन्तु हमारे मंत्रीजी ने इन सब बातों को ध्यान में रखा है। जिस तरह से बिहार में स्वावलम्बी सहकारी अधिनियम, 1996 पारित किया गया, कर्नाटक राज्य में कर्नाटक सहकारी एक्ट, 1997 पारित किया गया, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 पारित किया गया.....

(13.57 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में स्वायत्तता की ओर कदम उठाया गया, पर उसको वैधानिक रूप नहीं दिया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधान सभा चुनाव के दौरान 1998 में अपने घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता से यह वायदा किया, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे घोषणा पत्र में कहा गया कि राज्य में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा दिया जायेगा। लोगों में सहकारिता को बढ़ाने के लिये नये कार्य खोले जायेंगे। सहकारिता कानून में आवश्यक फेरबदल कर उसे नौकरशाही के शिकंजे से मुक्त रखा जायेगा। सहकारी संस्थाओं के चुनाव समय पर कराये जायेंगे। प्रदेश में दुग्ध उत्पादक सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा दिया जायेगा और दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा। इसके साथ ही, हमारी हाई कमान माननीया सोनिया गांधीजी ने सभी कांग्रेस शासित मुख्य मंत्रियों को 21.6.2000 को एक पत्र लिखा। जिस तरह से स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, आज हमारी हाई कमान माननीय सोनिया गांधीजी की भी यह इच्छा है कि इस आर्थिक तंत्र

(श्री मांगीलाल डांगा)

को संवैधानिक दर्जा मिले, विधिक दर्जा मिले और सहकारिता और स्वायत्तता का जो सिद्धान्त है, उनके अनुरूप हमारा अधिनियम बने। एक पत्र लिखा और उसके पश्चात् 6.6.2001 को पुनः पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिये कि सहकारी संस्थाओं को नौकरशाही की बेड़ियों से मुक्त किया जाये।

(14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय सहकारिता मंत्रीजी का कि सहकारिता के सिद्धान्तों का अधिनियम में समावेश किया गया है।

हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 81वें महाधिवेशन, बैंगलोर में 17–18 मार्च को आर्थिक और कृषि संकल्प पारित किये गये। उन संकल्पों में भी स्पष्ट रूप से संकल्प स्वीकार किया गया कि सहकारी वित्तदाता बैंकों को मजबूत किया जायेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था को इन संस्थाओं में सुनिश्चित किया जायेगा। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी संस्था के माध्यम से ऋण नीति को सशक्त और उदार बनाया जायेगा। कृषि ऋणों की समुचित व्यवस्था की जायेगी। कृषि उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने, सहकारी वेयर हाउसिंग व्यवस्था करने, उत्पादन को बाजार में वेयर हाउसिंग की व्यवस्था के माध्यम से लाने, कृषकों के उत्पादन पर 75 प्रतिशत तक ऋण की व्यवस्था करने की व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद मूल्य की समय रहते घोषणा की जाये और फसल मण्डी में पहुंचते ही खरीद शुरू की जानी चाहिये। सहकारी आंदोलन के तीन अनिवार्य सिद्धान्तों–स्वैच्छिक संगठन, लोकतांत्रिक प्रबंध और स्वशासी कर्मठता सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिक, विधायी एवं प्रशासनिक उपाय किये जायेंगे। यह भी संकल्प पारित किया गया कि कांग्रेस हमारी कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः प्रमाणित करने में सहकारी आन्दोलन के महान महत्त्व को दोहराती है। कांग्रेस संविधान में ऐसे संशोधन के लिये प्रतिबद्ध है जो समस्त सहकारी संस्थाओं को एक लोकतांत्रिक, एक स्वशासित तथा स्वैच्छिक संघ के रूप में कार्य करने में समर्थ बनायें। सहकारी संस्थाएं आर्थिक लोकतंत्र के लिये वैसे ही महत्त्वपूर्ण हैं जैसे राजनीतिक लोकतंत्र के लिये पंचायतें हैं। ये दोनों एक-दूसरे को शक्ति प्रदान करती हैं।

सभापति महोदय, इसके पश्चात् राजस्थान में राज्य सहकारी संघ द्वारा 15 और 16 अप्रैल, 2001 को सहकारी महाधिवेशन का आयोजन किया गया। सहकारी महाधिवेशन में हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा कर वचन दिया कि राजस्थान का सहकारी कानून हमारे देश के जितने भी सहकारी कानून

(श्री मांगीलाल डांगा)

हैं उनमें आदर्शतम सहकारी अधिनियम होगा। सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी की दूरदर्शिता और जो ग्रामीणों के प्रति सोच है, उसके चलते वे हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं और हमेशा ऐसे निर्देशित करते रहे हैं कि कानून ऐसा बने जिससे गांव में बैठा, ढाणी में बैठा जो हमारे कमजोर वर्ग का व्यक्ति है उसको राहत मिले, उसके द्वारा सहकारी संस्था का संचालन हो। महोदय, अब स्थिति यह होती है कि हमारा सहकारी कानून बने इस मंशा के आधार पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस पार्टी का विधान सभा चुनाव घोषणा पत्र 1998, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 81वें अधिवेशन में पारित संकल्प, तीसरे कांग्रेस पार्टी की हाई कमान माननीया सोनिया गांधीजी के पत्रों द्वारा दिये गये निर्देश, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी द्वारा राजस्थान सहकारी संघ द्वारा आयोजित सहकारी महाधिवेशन में देश का आदर्शतम सहकारी अधिनियम का दिया गया वचन और सहकारिता के सिद्धान्त जिनको विधेयक की अनुसूची 'क' में दर्शाया गया है। मैं तो समझता हूं कि इन पांच ही बिन्दुओं, इन पांच ही पहलुओं पर विचार करके हमारा अधिनियम बनना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी से कि इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम रखा गया है। हमारा जो अभी वर्तमान अधिनियम है.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सोनिया गांधी का नाम लगवा दो इस पर, प्रस्ताव ले आओ। माननीय सदस्य, इसमें सोनिया गांधी का नाम आगे अंकित हो जाये, ऐसा करवा दो।

श्री मांगीलाल डांगा : ऐसा है, माननीय सदस्य, इस अधिनियम में सोनियाजी का नाम नहीं लाने की आवश्यकता है। यह आने वाला समय बताएगा कि सोनियाजी के दिशा निर्देशों पर जो कानून बना है, जिस तरह से आज नेहरूजी का नाम लिया जा रहा है, उसी तरह से सोनियाजी का नाम लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अधिनियम पर बोल रहे हैं या सोनियाजी का स्तुतिगान कर रहे हैं?

श्री धर्मपाल चौधरी : +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सोनियाजी का स्तुतिगान कर रहे हैं या अधिनियम पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला (सिंचाई मंत्री): सोनियाजी के नाम से एलर्जी क्यों हो रही है, आप सुनने की क्षमता रखो।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, आप तो धरती से जुड़ी हुई हैं, आप गांव की रहने वाली हैं, +++ क्या पता हिन्दुस्तान कहां बसता है? जिनको यहां की संस्कृति मालूम नहीं, जिनको हमारी सभ्यता मालूम नहीं, वह सहकारिता को क्या समझेंगी? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

डा. (श्रीमती) कमला : आप यहां सोनियाजी पर डिस्कस कर रहे हैं कि सहकारिता अधिनियम पर कर रहे हैं?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सोनियाजी पर वह कह रहे हैं.....

डा. (श्रीमती) कमला : और सोनियाजी +++ है, यह तो देश के कानून ने साबित कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप उनको डांटो, वह कर रहे हैं सोनियाजी पर.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। सदन में सोनियाजी के सम्बन्ध में कोई डिस्कस न करें और माननीय सदस्य ने जो उनके सम्बन्ध में शब्द कहे हैं वे शब्द मैं एक्सपंज करता हूं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : उनकी अपनी लगन ने, उस परिवार का भारत के साथ जो सम्बन्ध है उसने भी साबित कर दिया है। इसलिये आप अभी तक भी वह राग गाये जा रहे हो जो आपने अपने मानस में बैठा रखा है, आपके कहने से न वह विदेशी होगी, न आपके कहने से उनका रूतबा कम होगा। उनका रूतबा है, वह रहेगा और जो उन्होंने अपने प्रगतिगामी कदम हमारी पार्टी को निर्देशित किये हैं, उनको अगर हमारा एक सदस्य विचार के अन्दर प्रतिपादित कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? सुनिये उसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, आप यह कहना चाहती हैं क्या कि सोनियाजी का जन्म यहां हुआ, सोनिया गांधी यहां की रहने वाली हैं, सोनिया गांधी हमारी भाषा समझती है, सोनिया गांधी हमारी संस्कृति समझती हैं, सोनिया गांधी हमारे रहन-सहन को समझती हैं....

डा. (श्रीमती) कमला : मेरा यह कहना है कि हमारी नेता ने सहकारी अधिनियम को अधिक से अधिक प्रगतिशील बनाने के लिये, सहकारी संस्थाओं को अधिक से अधिक स्वायतता देने के लिये, पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिव बनाने के लिये निर्देश दिये हैं, उसका हम उल्लेख करेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लालकृष्ण आडवाणीजी कहां के हैं? आडवाणीजी भी तो पाकिस्तान से आये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आडवाणीजी भारत के थे, भारत के हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आडवाणीजी भारत के थे और भारत के हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : लालकृष्ण आडवाणी भी पाकिस्तान में पैदा हुये थे और हिन्दुस्तान में आकर यहां पर गृह मंत्री बने बैठे हैं। भारत के मुसलमानों को वह राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, देश प्रेम की बात कर रहे हैं। वह तो खुद भी पाकिस्तान से आये हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, यह अनावश्यक चर्चा कर रहे हैं.....

मोहम्मद माहिर आजाद : लालकृष्ण आडवाणीजी कहां के हैं, माननीय सभापति महोदय?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आडवाणीजी भारत के थे, भारत के हैं आडवाणीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, लालकृष्ण आडवाणी भी तो पाकिस्तान में पैदा हुये हैं, सिंध, पाकिस्तान से आये हैं। वह भी विदेशी है, लालकृष्ण आडवाणी भी विदेशी है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आडवाणीजी भारत के थे, भारत के हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पैदा कहां हुये?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पाकिस्तान खतम। भारत में मिल जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाकिस्तान किस ने पैदा किया? पाकिस्तान भारत का बेटा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम राजस्थान में पैदा हुये, यहीं पैदा हुये, यहीं जियेंगे, यहीं मरेंगे। आपके कहने से न तो पाकिस्तान जायें, न कब्रिस्तान जायें, यहीं पर रहेंगे, हिन्दुस्तान में रहेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मन तो वहीं है आपका।

मोहम्मद माहिर आजाद : मन हमारा यहीं है, हिन्दुस्तान में है। आपका है वहां पर तो। हमारा तो हिन्दुस्तान में है, हम पहले हिन्दुस्तानी को प्राथमिकता देते हैं, विदेश जायें भाड़ के अन्दर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बार-बार क्या पैरवी कर रहे हैं यह?

श्री सांवर लाल : आपको हमारे से लड़ना है या सोनिया गांधी से लड़ना, पहले यह तो तय कर लो। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आज आपने पूरे लम्बे समय से देखा है, उन्होंने लोक सभा का चुनाव लड़ा है, वह पार्लियामेंट में प्रतिपक्ष की नेता हैं और हमारे संविधान ने, हमारी अदालतों ने उन्हें भारतीय करार दिया है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है अगर सोनियाजी का नाम आया तो? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आडवाणीजी भारत के हैं और भारत के रहेंगे। पाकिस्तान खतम हो गया, अखण्ड भारत बनने वाला है। पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान पर चिढ़ क्यों होती है गद्दारों को? पाकिस्तान खतम होगा, गद्दारों को चिढ़ क्यो होती है? यह पाकिस्तान जिन्दाबाद करके क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आप माहिर आजादजी की राय से सहमत हैं क्या?

श्री सभापति : नहीं, नहीं। आप कुछ नहीं जान सकते। आर्डर प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : कि आडवाणीजी पाकिस्तान में जन्मे इसलिये वह भारत के नागरिक नहीं है?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप भी इस तरह की बेबुनियाद और....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसे +++ की टिप्पणी का आडवाणीजी पर क्या असर है?

डा. (श्रीमती) कमला : ऐसा है, देखिये, मैंने जो बात कही है, सभापति महोदय, मैंने यही कहा है....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

डा. (श्रीमती) कमला : कि हमारी पार्टी की नेता ने अगर हमें सहकारिता के बाबत में कुछ निर्देश दिये हैं......

श्री मानिक चन्द सुराना : उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व मंत्रीजी, आप कोई भी प्रेरणा सोनिया गांधीजी से लें तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

डा. (श्रीमती) कमला : और वह बहुत अच्छा और प्रगतिशील कदम है। उनका उल्लेख करते वक्त आपको तकलीफ क्या हो रही है?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कोई प्रेरणा सोनियाजी से लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिन्होंने मेहनत की है, आप खेतसिंहजी की बात करें, हमारी समझ में आ सकता है। आप विधेयक लेकर आये हैं, आपका अनुभव है राजस्थान के लिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : और न यह कहा गया कि सोनिया गांधी विदेशी हैं, इटली में जन्मीं तो जन्मीं लेकिन फिर भी कुल मिलाकर देश के कानून ने उनको भारतीय माना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिनको पता नहीं है हमारी संस्कृति क्या, हमारी सभ्यता क्या, क्या बात कर रहे हैं?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : और इस मुद्दे पर चर्चा करने से कि वह विदेशी हैं.....

डा. (श्रीमती) कमला : कुछ भी मतलब नहीं है, यही तो कह रहे हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : और फिर यह कि आडवाणी साहब भी पाकिस्तान में पैदा हुये। लाखों लोग पाकिस्तान में पैदा हुये हैं, हिन्दुस्तान में रह रहे हैं वे। (व्यवधान) भारतीय हैं।

श्री सांवर लाल : ....(व्यवधान) पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान में पैदा हुये, हिन्दुस्तान में आये हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : इस निरर्थक बहस का मतलब क्या है? सोनियाजी के डिफेंस में माहिर आजाद साहब आडवाणी जी को.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आदरणीय राठौड़ साहब, आप क्या चाहते हैं? जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उनके खिलाफ इन्होंने गवाही दी और...... (व्यवधान) उनकी तारीफ करें, या जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिये उनकी तारीफ करें, क्या चाहते हैं आप, बताइये? (व्यवधान)।

श्री सभापति : विराजिये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ......(व्यवधान) आडवाणीजी पाकिस्तान को खतम कर रहे हैं इसलिये +++ को दु:ख हो रहा है। पाकिस्तान का खातमा होना वाला है। आडवाणीजी खतम कर रहे हैं, दुबारा अखण्ड भारत में मिला रहे हैं पाकिस्तान को। इन +++ को दु:ख हो रहा है पाकिस्तानियों को और....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कल करते आज करो, हमें कहां दिक्कत आ रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पाकिस्तान सीमा पर पड़ने वाले गद्दार। आडवाणीजी तो पाकिस्तान को खतम कर रहे हैं इसलिये आपको दु:ख हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का खातमा होने वाला है, भारत अखण्ड होने वाला है। अखण्ड भारत के ही थे आडवाणीजी और आज भी अखण्ड है। भारत चूंकि अखण्ड होने वाला है और पाकिस्तान खतम होने वाला है इसलिये आपको दु:ख हो रहा है +++.

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, इस बात का तो कोई विवाद ही नहीं था कि सोनियाजी अब हिन्दुस्तान की नागरिक हैं कि नहीं। असली मुद्दा तो माननीय सदस्यों ने यह उठाया था कि यह सहकारिता कानून है और यह कानून माननीय खेतसिंहजी की अध्यक्षता में प्रवर समिति बनी इस सदन की, उस समिति ने इसको विचार करके यहां पेश किया। मेरी समझ में नहीं आता है कि सहकारिता के बारे में.....

श्री सभापति : उसी पर विचार हो रहा है। माननीय सदस्य, उसी पर विचार हो रहा है।

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सोनिया जी ने हमको कोई गाइडेंस दिया है बार-बार सोनियाजी मेरे खयाल से सहकारिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखती होंगी। इस बात से तो हम सहमत होंगे।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय डांगा साहब, प्लीज बोलिये आप। माननीय श्री डांगा।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, इस देश में जब प्रधानमंत्री राजीवजी थे उस टाइम भी आपको ध्यान होगा.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री डांगा।

श्री सांवर लाल : ....(व्यवधान) हमको उन्होंने जानकारी दी यह बात हमारे गले नहीं उतरती।

श्री मांगी लाल डांगा : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारिता संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 46 में सहकारी आन्दोलन की उन्नति... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य बिलकुल विषय के अन्तर्गत बोल रहे हैं और बहुत रेलेवेंट बोल रहे हैं, टू दी पाइंट बोल रहे हैं। इनको जबरदस्ती इन्टरवीन करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री सांवर लाल : ......(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इस देश के किसानों को आज तक हाउस में बैठ करके अधिकार दिलवाया, चौधरी चरण सिंह ने दिलवाया, उसी वजह से यहां पर किसानों की चर्चा हो रही है, सहकारिता की चर्चा हो रही है। यह सोनियाजी की वजह से नहीं हो रहा है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

डा. (श्रीमती) कमला : यह भी एक विधेयक के ऊपर ही चर्चा का भाग है कि हम क्या सोचतें हैं, हमारी पार्टी क्या सोचती है। उसको हमारे मंत्री महोदय को हम बताना चाहते हैं, आपको इसमें कहां दिक्कत हो रही है? आप अपनी शीट पर बैठिये, मौका आये तब बोलिये।

श्री सांवर लाल : .... (व्यवधान) आपके मंत्रीजी की क्षमता पर हमको कतई शंका नहीं है, यह पूरी जानकारी रखते हैं। हम कहने में......(व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : ...(व्यवधान) आपकी नहरों को तो सम्भालिये वहां पर जाकर नहरें खुली नहीं, किसान रो रहे हैं। नहरों की कोई सफाई करने वाला नहीं है।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वर्तमान अधिनियम में....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूलाल गुर्जर : एक तरफ किसान रो रहे हैं, दूसरी ओर अकाल पड़ा हुआ है और यहां पर आप +++

श्री मांगीलाल डांगा : सहकारिता आन्दोलन की उन्नति करना। सरकार का कर्तव्य है, अब जो नया विधेयक है उस विधेयक में....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : (व्यवधान) उससे वोट मिल जायेगा, आपको काम से वोट मिलने वाला है, केवल तस्वीर से वोट नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय डांगा साहब, आपका प्रस्ताव जनमत जानने के लिये है।

श्री मांगीलाल डांगा : तो इसी लिये बोल रहा हूं, साहब।

श्री सभापति : हां, तो जनमत जानने के सम्बन्ध में जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनके ऊपर आइये। आपका उद्देश्य यह है कि यह जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री मांगीलाल डांगा : मैं उसी पर बोल रहा हूं, साहब। उसी पर आ रहा हूं, साहब।

डा. (श्रीमती) कमला : उसी की तो दलील दे रहे हैं।

श्री सभापति : उसके सम्बन्ध में आप लाजिकल आर्ग्यूमेंट्स दीजिये, आप बीट अबाउट दी बुश मत करो। आप सीधे उस पर आ जाइये। आप अपने भाषण को प्रभावशाली बनाइये ताकि हस्तक्षेप नहीं हो।

डा. (श्रीमती) कमला : जनमत के लिये क्यों भेजा जाये, उसकी दलील दे रहे हैं, उसमें क्या एतराज है? आप कहें तो बोलेंगे क्या?

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय सभापति महोदय, मैं वह दलील पेश कर रहा हूं कि जनमत जानने के लिये क्यों भेजा जाये। इसमें बहुत अच्छाइयां हैं फिर भी क्या कमियां रह गयीं जिस पर जनता की राय जानना जरूरी है।

श्री सभापति : आपको अपने भाषण में....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : .....(व्यवधान). खेतसिंहजी का नाम लेना नहीं चाहते हैं।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय सभापति महोदय, हमारे नये विधेयक में राज्य सरकार द्वारा कर्तव्य के स्थान पर इसको नीति घोषित किया गया है। सरकार ने महसूस किया होगा कि उदारीकरण का युग है, सरकार का नियंत्रण हटना चाहिये और सदस्यों की भागीदारी इसमें सफल बननी चाहिये। सरकार के विनियोजन की जो दिनों-दिन कमी आ रही है तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार एक संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही सरकार है, इस पर जनमत जाना जाये कि इस तरह के प्रावधान पर आम जनता की क्या राय है।

माननीय सभापति महोदय, विधेयक में पंजीयन के सम्बन्ध में समयबद्ध पंजीयन हो, इसकी व्यवस्था की गयी है। उसके लिये माननीय मंत्री महोदय की मैं सराहना करता हूं। उसके साथ ही, विधेयक में जगह-जगह विधेयी वीत-वीत शब्दों का जो प्रयोग किया गया है.....

श्री सभापति : जब आप सराहना करते हैं तो फिर जनमत जानने के लिये क्यों कहते हैं?

मोहम्मद माहिर आज़ाद : कमी बताएं कि यह कमी है इसलिये जनमत जानने के लिये भेजा जाये। जब सारा अच्छा है तो फिर खेतसिंहजी को धन्यवाद दो और इसका समर्थन करो। (व्यवधान) हम सिंचाई मंत्रीजी...(व्यवधान) थोड़े हो गये कि आप बिलकुल सही बोल रहे हैं और आपकी बात का समर्थन कर देंगे सारा।

श्री मांगीलाल डांगा : नहीं, अच्छी बात है उसके साथ ही इसमें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो क्या इसमें लैकूना रह गया, क्यों भेजना चाहते हैं इसको जनमत जानने के लिये, वह बताइये। आप सारी चीज हर चीज अच्छी है.....

श्री सांवर लाल : आप क्या चाहते हैं, यह तो बताइये। इसमें सारा ठीक है तो फिर पास कर दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : हर चीज अच्छी है तो फिर सहकारिता मंत्रीजी को धन्यवाद दो और इसका समर्थन करो। (व्यवधान) कमेटी को धन्यवाद दो।

श्री मांगीलाल डांगा : जो कमियां रह गयी हैं वह बता रहा हूं। इसमें जुड़ी हुई है वह।

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां बता रहे हैं आप? एक कमी नहीं बताई अभी तक, रिकार्ड उठा कर देख लें।

श्री मांगीलाल डांगा : जो वीत-वीत शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिये इसमें ऐसा प्रावधान नहीं आ जाये कि जो हमारे.....

मोहम्मद माहिर आज़ाद : कमी है ही नहीं, खेतसिंहजी ने बहुत बढ़िया बनाया है।

श्री मांगीलाल डांगा : इस अधिनियम को बनाने के जो लक्ष्य थे उन पर जनमत जानने के लिये भेजा जाये। सहकारी संस्था की उप विधियों के सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विषय वस्तु का जो उसमें उल्लेख किया गया है, समावेश किया गया है उसकी सारी विषय वस्तु आये और इसमें जनता की भावना के अनुसार विषय वस्तु को अंकित किया जाये, मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर भी जनमत जाने।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी सहकारी संस्था की उप विधियां उसका स्वयं का संविधान है। किसी भी सहकारी संस्था की उप विधियों का सृजन, उप विधियों का संशोधन करने का एकमात्र अधिकार उस संस्था की साधारण सभा और उस संस्था के साधारण सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा अंगीकार करने के पश्चात् ही होना चाहिये। उसी के नियमों के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो है पढ़ा ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : अगला नाम पुकार लो आप तो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगला नाम बोलो, साहब।

श्री मांगीलाल डांगा : आप सुन तो लो, माननीय सभापति महोदय, किसी भी....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, कोई कारण नहीं बता रहे हैं जनमत जानने के लिये क्यों भेजा जाये, फिर मतलब क्या है?

श्री मांगीलाल डांगा : हां, बोल रहा हूं, साहब, आप सुनिये। सुनने की हिम्मत रखिये।

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) क्या कहना चाहते हैं आप?

श्री मांगीलाल डांगा : इसमें रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करने का प्रावधान रखा गया है और रजिस्ट्रार की राय नहीं मानेंगे तो राज्य सरकार को उस प्रस्ताव को भेजेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोकतांत्रिक संस्था है और सहकारी सिद्धान्तों की पालना में यदि हम अधिनियम बनायेंगे तो इस तरह का प्रावधान नहीं होना चाहिये। माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भी निवेदन करना चाहूंगा, आप बार-बार कह रहे हैं कि सदन में जो मल्टी सोसायटी एक्ट, 2000 पेश किया गया है उसमें भी यह प्रावधान नहीं रखा गया है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, सहकारी संस्थाओं के जब भी विलीनीकरण/पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ती है तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति के अनुसार नये जिलों का सृजन हो, कहीं नये उप खण्ड का सृजन हो उसके आधार पर किसी प्रकार की संस्था का गठन करना पड़े तो सरकार आवश्यकतानुसार उस संस्था को सुझाव दे सकती है कि इसका पुनर्गठन समामेलन किया जाये। इस खण्ड-13 के उप खण्ड-4 में यह शक्ति रजिस्ट्रार को दी गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर जनमत जानना आवश्यक है कि किसी भी संस्था को एक संस्था में मिलाया जाये, दो संस्था का विभाजन किया जाये उनमें जनता की राय में कैसे बने, यह मत आये। इसलिये इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किये जाने के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सहकारिता की खुली सदस्यता है और उसमें सारे निकायों में जनरल बाडी सर्वोपरि है। इसमें यह प्रावधान होना चाहिये, सदस्यता के सम्बन्ध में जैसे

(श्री मांगीलाल डांगा)

हमारी अपील विधि रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल में तो होती है पर आम सभा में भी किसी सदस्य को अपनी अपील पेश करने का अधिकार हो। इसके लिये भी आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर जनमत जाना जाये। दूसरा सदस्यता....

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : मैं एक निवेदन करना चाहता था, सभापति महोदय। माननीय डांगाजी ने इसमें बहुत अमैंडमेंट्स पेश किये हैं उन पर जब धारावाइज चलेंगे तब हर एक पर क्लाज बाई क्लाज खूब डिटेल में विचार होगा। जनमत भी चाहते हैं और इधर इन्होंने अमैंडमेंट्स भी दिये हैं, तो फिर यह जनमत कैसा? और फिर उसके ऊपर अमैंडमेंट क्यों? इसलिये मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जनमत का तो हो गया, अब आगे चलने दीजिये। जिनको और कोई विचार रखने हों, रख दें। फिर अपना क्लाज वाइज आयेंगे तो आपके जितने भी अमैंडमेंट हैं उन सबका मैं एक-एक का जवाब दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, इनकी एक दिक्कत है...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, सहकारिता मंत्रीजी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मेरी सहमति है। माननीय डांगा साहब, जनमत जानने हेतु जनरल बात जो प्रिंसिपल की है, हो गयी। एक-एक क्लाज पर आप कह रहे हो यह होना चाहिये, यह होना चाहिये, उसमें तो आपके अमैंडमेंट हैं। मंत्री महोदय का जो सुझाव है वह ठीक है, उस वक्त आप इन पर अपने पेश करना, उन पर वह जवाब दे सकेंगे। अब जनरलाइज बहस क्यों करें? आप प्रिंसिपल पर बोलिये, काफी बोल चुके हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब आप अपने भाषण को समाप्त करें।

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में ही कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

एक प्रिंसिपल है कि किसी भी निर्वाचित सदस्य के खिलाफ जब भी किसी भी आरोप पर कार्यवाही की जाये तो एक चुनी हुयी सरकार में से अधिकार होने चाहिये। इसलिये इसमें समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने जिस तरह से जवाब दिया है, मुझे पूर्ण आशा बंध गयी है कि जो मेरे विशेष मुद्दे हैं, जो संशोधन हैं उन्हें मंत्री महोदय जरूर मानेंगे। इसके साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रिंसिपल की बात है। हमारी पार्टी हमेशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को समर्थन देती आई है, इसलिये उनके लिये भी इस अधिनियम में उचित समावेश हो। साथ ही एक बात मैं जरूर यहां निवेदन करना चाहता हूं ताकि इस अधिनियम के साथ नियम जब बनें तो उस पर मंत्रीजी विशेष गौर करेंगे। हमारे

(श्री मांगीलाल डांगा)

अधिनियम में मुख्य कार्यकारी के लिये जो व्यवस्था होनी चाहिये उसमें हमारा एक ग्राम सेवक का मेम्बर भी है, उसके लिये आप ध्यान रखकर भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनायें रखें ताकि हमारे गांव का जो ग्राम सोसायटी का मैनेजर है उसकी सेवा की सुरक्षा, उसके प्रमोशन की व्यवस्था, उसकी सेवाओं के स्थाइकरण की व्यवस्था बन सकें। इसके साथ संस्था की स्वायत्तता और विधि के अनुसार उनके जो अधिकार होने चाहिये उनको बनाये रखने के लिये निवेदन करते हुये, सभापति महोदय, आपके निर्देशानुसार मेरी बात को समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री घासीलाल मेघवाल।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सहकारिता मंत्रीजी को जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, जब यह सहकारिता विधेयक प्रवर समिति में अंतिम चरण में पास होने जा रहा था उस समय इन्होंने सारे सदस्यों से एक वायदा किया था। मैं जानता हूं कि बहुत अनुभवी और पुराने आदमी हैं और इनकी यह परम्परा भी रही है कि जो बात इन्होंने मुंह से कह दी, चाहे कुछ भी मजबूरी रही हो उसको इन्होंने पूरा किया है। उन्होंने उस समय यह वायदा किया था कि जब यह सहकारिता संशोधन विधेयक हाउस में रखेंगे उसी समय हम मध्य प्रदेश के माडल पर, मध्य प्रदेश में माननीय विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाये गये, उनको सुविधा दी गयी है। हमारी प्राक्कलन समिति कर्नाटक और महाराष्ट्र गई थी वहां भी बहुत सुविधा दी गयी है। आप भी उसमें मौजूद थे और पण्डित नवल किशोरजी भी मौजूद थे, तब यह वायदा किया था कि मैं सहमत हूं कि माननीय विधायकों को न तो पूल से गाड़ी मिलती है, मिलती है तो बड़ी खराब स्थिति की मिलती है। आज तक सबको पी.ए. नहीं मिल पाये, टेलीफोन की रेट बढ़ गयी, उसके हिसाब से पैसे नहीं बढ़े, पोस्टेज की रेट बढ़ गयी, बुक पोस्ट की भी 2 रुपये के बजाय 3 रुपये हो गयी, पत्राचार भत्ता भी नहीं बढ़ा, डीजल की रेट भी बढ़ गयी, लेकिन गाड़ी का भत्ता वही मिलता है। उन्होंने कहा था, उसके साथ ही कर देंगे। माननीय सहकारिता मंत्रीजी, जरा सोचो, आज आपके इस सहकारिता विधेयक के ऊपर जितने संशोधन आये हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में पहले कभी इतने संशोधन नहीं आये होंगे। ये इसीलिये आये हैं आप पर प्रैशर डालने के लिये, आपको प्रभावित करने के लिये कि आप अपना वचन पूरा कर दो। जो आपने वायदा किया था कि सदस्यों का 10-10 हजार रुपये, पार्लियामेंट के सदस्यों ने तीन-तीन गुणा वेतने और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भत्ते बढ़ा लिये, अगर आप माननीय सदस्यों को भी दूसरे प्रान्तों की तरह से ये सुविधाएं फराम कराते हैं तो मैं माननीय सदस्यों की तरफ से आपको यह आश्वस्त करता हूं कि इसको आसानी से पास कर दिया जायेगा। कृपया आप अपने वचन पर कायम रहें। सदस्यों को जो असुविधा हो रही है, विधायी कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, देश के दूसरे राज्यों में सारी सुविधाएं बढ़ा दीं, आप भी राजस्थान में अकाल का बहाना मत लो। आप दूसरे कार्यक्रमों पर, लोकार्पण पर रोज लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। इसलिये मेरा आसन के माध्यम से आपसे निवेदन है कि कृपया आपके इस आश्वासन को आप पूरा करवायें और इस सहकारिता बिल के साथ–साथ ही वह बिल भी लाकर दोनों को एक साथ पास करवायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, क्या अभी इसका जवाब देना आवश्यक है?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप दे सकते हैं, रोकेंगे थोड़े ही आपको? आपने वादा किया था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : आपको मालूम है कि आप वेतन बढ़ा नहीं सकते, आप भत्ता बढ़ा नहीं सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप एक तरह से प्रलोभन दे रहे हो सदस्यों को कि आपके विधेयक के खिलाफ संशोधन नहीं दें। आप वेतन भत्ते बढ़ाने की बात करो अगर आपने वादा किया है और आप में वास्तव में राठौड़ी वाली बात है तो खड़े होकर कह दीजिये।

श्री हरिसिंह महुवा (महुआ) (मुख्य सचेतक): राठौड़ों ने कब निहाल किया है? माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है यह अखबारों में छप जायेगा और इस पर जनमत की राय आ जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने आश्वासन क्यों दिया? प्रलोभन देने की आवश्यकता क्या थी? क्या आपके प्रलोभन से हम चुप हो जायेंगे? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बात अखबार में छपने की नहीं है। हम जानते हैं, कलक्टर ने हमको यह चिट्ठी लिख दी कि प्रशासन गांवों की तरफ जा रहा है, आप 31 दिसम्बर तक गाड़ी मत मांगो। बताइये, हम क्या करेंगे? आज तक आपने हमको पी.ए. नहीं दिया, कैसे विधायी कार्य चले? आज हम चिट्ठी भेजते हैं, पोस्टेज की रेट बढ़ गयी, टेलीफोन की रेट बढ़ गई। आपने वादा किया था, अगर आप आज नहीं करें तो कल कर दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हमारा तो आपसे यही निवेदन है, आपने जो हमको आश्वासन दिया हम तो वही आपको याद दिला रहे हैं। आपने हां की थी या नहीं की थी?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, उसी प्रवर समिति में आप भी मैम्बर थे और सामने विराजे हुये श्री गुलाब चन्दजी भी मैम्बर थे, उनके पीछे बैठे हैं सुराना साहब, वह भी मैम्बर थे और नवल किशोरजी भी मैम्बर थे। डिस्कशन यह हुआ था कि दूसरी स्टेट्स में भी एम.एल.एज. को कुछ और सहूलियतें दी गयी हैं और महंगाई वगैरह को देखते हुये अपने यहां पर इसके बारे में सोचा जाना चाहिये। पार्लियामेंट के मैम्बरों को भी कुछ सुविधाएं दी गयी हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुये अपने यहां जीप की भी तकलीफ है, अपने यहां रेलवे के जो कूपन देते हैं, वे भी कम हैं, रेल का किराया बहुत बढ़ गया है, कुछ टी.ए., डी.ए. की भी बात हुई थी। इस तरह से एक डिस्कशन हुआ था, मान्यवर। उस डिस्कशन में मैंने यह जरूर कहा था कि मैं ये सारी बातें माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने रखूंगा और मेरा उद्देश्य यही होगा कि अन्य स्टेटों में जितना दिया जा रहा है उतना हमें भी मिलना चाहिये। लेकिन अभी मेरी वार्ता हो नहीं सकी। कल मैंने कोशिश की थी लेकिन मुख्य मंत्रीजी दिल्ली पधार गये। अब वह वापस आयेंगे उस वक्त मैं उनसे विचार करूंगा। उनसे निवेदन भी करूंगा, आपकी भावनाएं भी रख दूंगा और कोशिश यही करूंगा कि आप हर तरह से खुश रहें।

श्री सभापति : माननीय श्री घासीलालजी। माननीय श्री संयम लोढ़ा। घासीलालजी, बोलिये।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 के सम्बन्ध में मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिये सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सहकारिता एक व्यापक आधार वाला जन आन्दोलन है। अभी कुछ दिन पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा "सहकार आपके द्वार" कार्यक्रम चलाया गया था। जिसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आये। मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में विधायक महोदय, माननीय मांगीलालजी डांगा द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, कृपया उनको स्वीकार किया जाये।

सभापति महोदय, साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक में नये आदर्श अधिनियम लाने का मकसद इसे सहकारी मशीनरी के अनावश्यक शिकंजे से मुक्त कर लोकाभिमुख बनाना है। इस प्रस्तावित अधिनियम में विभिन्न प्रावधान लोकतंत्र विरोधी एवं सरकारी तंत्र के अनावश्यक हस्तक्षेप को बढ़ाने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, नौकरशाही की दखलअंदाजी के कारण राजस्थान राज्य की एक मात्र सहकारी शुगर मिल, केशोरायपाटन बन्द हो गयी है। यदि वहां पर चुने हुये जन-प्रतिनिधि होते, प्रबन्ध संचालन मण्डल का गठन किया हुआ

(श्री घासीलाल मेघवाल)

होता तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वह मिल घाटे में नहीं जाती। इस अधिनियम में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये आवश्यक प्रावधान किया जाये। सहकारी संस्थाएं देश की आर्थिक व्यवस्था, मुख्यतया ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की धुरी है। अतः पंचायत के प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और सांसद की भी इनके विकास में सक्रिय भूमिका होनी चाहिये। इन संस्थाओं के संचालन मण्डल में, उनके निर्वाचन आदि में किसी प्रकार की नियोगिता नहीं होनी चाहिये। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं हमारी प्रवर समिति के अध्यक्ष और माननीय सहकारी मंत्री महोदय को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने पूरे चिंतन के साथ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। आज इस विधेयक पर चर्चा हो रही है....(व्यवधान) जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है, उसके प्रभारी मंत्रीजी तो बतिया रहे हैं। सभापति महोदय, इस सदन में थोड़ी बहुत गम्भीरता तो होगी। आज पूरा राजस्थान इस सदन के माध्यम से हमारे सारे कार्यकलापों को देखता है। यह पुराने राजनीतिज्ञ हैं। आप इनको प्रताड़ित कीजिये। इनका यहां पर बात करने का क्या अर्थ है? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : आप भी गम्भीर नहीं है। आपको क्या मालूम क्या हो रहा है? आप तो इनको कह रहे हैं....(व्यवधान) आप सुन रहे थे कि क्या बात हो रही थी? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जारी रखिये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से प्रवर समिति ने एक-एक खण्ड पर पूरी मेहनत करके इस कानून का निर्माण किया है और मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कानून आज की परिस्थितियों में बनाया भी नहीं जा सकता। यह एक बहुत अच्छा कानून है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और इसके लिये व्यक्ति को तैयार भी रहना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैंने कोई खण्डवाइज संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है और मेरे लिये एक यही बोलने का अवसर रहेगा, इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : आप चाहेंगे तो आपको और भी अवसर दे देंगे।

श्री संयम लोढ़ा : पूर्ववर्ती सरकार ने इस अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत जो एग्जम्पशन दिये थे उसके बाद में क्या परिस्थितियां बनीं और यह कानून उन आवश्यकताओं की पूर्ति किस रूप में करता है, वह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जनता के धन का अपने हित में दुरुपयोग करने का जो काम अरबन बैंक मूवमेंट ने किया है, उसके उदाहरण राजस्थान में भी मौजूद हैं। राजस्थान में अरबन बैंक का एक ऐसा माफिया खड़ा हो गया जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। 500 रुपये बीघे की जमीन है और, सभापति महोदय, ये लोग कलक्टर को खरीद लेते हैं, एस.डी.ओ. को खरीद लेते हैं और 50,000 रुपये बीघा जमीन की कीमत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं। उसके आधार पर अरबन बैंक दो-दो करोड़ रुपये का लोन दे देता है और सरकार के पास उसके खिलाफ कार्यवाही का कोई आधार नहीं रहता।

अरबन बैंक भूकम्प पीड़ितों के नाम पर 15 लाख रुपये की राशि भेजने का ढोंग रचते हैं। उसमें चार लाख की सामग्री है या नहीं, पांच लाख की सामग्री है या नहीं, यह भी देखने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान में अरबन बैंकों ने इस तरह का वातावरण बना रखा है। इस अधिनियम के माध्यम से उनके ऊपर अंकेक्षक की नियुक्ति, उनके चुनाव सब उसके अधिकार क्षेत्र में लिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि अरबन बैंक के प्रभावशाली लोगों की लाबी जयपुर से दिल्ली तक अपना पूरा प्रयास कर रही है कि इस अधिनियम को प्रभावित किया जाये और जो उनके हितों में बाधा खड़ी करते हैं, जनता के धन को लूटने से उनको रोक रहे हैं, उन प्रावधानों को किसी तरीके से आपके माध्यम से बदलवाया जाये। सदन के बाहर अरबन बैंक की लाबी पिछले कई दिनों से इस बात का प्रयास कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरी तरह से इस मामले में मजबूत रहें। भले ही इनमें सरकार का एक पैसा नहीं लगा हुआ है, लेकिन राजस्थान की जनता का पैसा लगा हुआ है, और राजस्थान की जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाना चाहिये और उसका पूरा संरक्षण होना चाहिये।

सभापति महोदय, जितने भी अरबन बैंक हैं, जिनको धारा 139 के अन्तर्गत उन्मुक्तता दी गई थी, वे सारे जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे-ऐसे लोन दे दिये, जिस आदमी के खाते में 50,000 रुपये नहीं है उसको दो करोड़ रुपये की बैंक क्रेडिट दे दी। ये जो मोशन आ रहे हैं....(व्यवधान) उनके पीछे मंशा यही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्लाज बाई क्लाज जब इसके ऊपर विचार होगा, अरबन को-आपरेटिव का भी चैप्टर आयेगा, एक क्लाज है, उस वक्त आप अपने विचार....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, इसमें कई धाराएं इससे प्रभावित हो रही हैं और मेरा संशोधन है नहीं इसलिये मैं पहले निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : उस वक्त आपको बुलवा देंगे, आप चाहेंगे तो। नहीं है तो भी आपको बुलवा देंगे।

श्री संयम लोढ़ा : आपका शुक्रिया।

श्री सभापति : इस समय तो आप इसको जनमत जानने हेतु क्यों भेजना चाहते हो...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : वही निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय, सहकारिता आन्दोलन का सूत्रपात इसलिये किया गया कि समाज के उस वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर मिले, उनको तरक्की करने का अवसर मिले जो वर्षों से वंचित रहे हैं और समाज की मुख्यधारा में आकर प्रगति नहीं कर सके हैं। लेकिन इस आन्दोलन की व्यवस्था लगातार इस तरीके की बनायी जाती रही कि वह उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये। आज जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो माननीय मंत्रीजी ने प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान रखा। माननीय सभापति महोदय, जहां-जहां भी प्रशासक लगाये जाते रहे, उनका अनुभव किस तरीके का है? एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जब से सक्रिय हुआ हूं। मैंने दस कलक्टर देखें हैं। सभापति महोदय, जिलों में इन बैंकों के प्रशासक कलक्टर ही होते हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 10 में से 8 कलक्टर चोर थे। वे पैसा मंजूर करने पर एक-एक फाइल के अन्दर पैसा लिया करते थे। इसलिये आप वापस यह प्रावधान करने जा रहे हैं, यह प्रावधान पूरी तरह से जन विरोधी होगा। आप इस अधिनियम के माध्यम से जो सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जो प्रोन्नत करना चाहते हैं और जो इस सरकार की मूल मंशा है उस मूल मंशा और भावनाओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिये प्रशासक के बजाय यदि आप एक समिति रख सकेंगे तो यह बहुत लोक हित में होगा, आम जनता के हित में होगा और सहकारिता की मूल भावनाओं की पूर्ति में बहुत बड़ा सहायक साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, इन प्रशासकों का किस तरह का आचरण रहता है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। ये एम.डी. तक को रिलीव करके भेज देते हैं जिसका इनको कोई अधिकार ही नहीं है। इस तरह से अपने अधिकारों का पूरी तरह से दुरुपयोग करते हैं और उसके बाद में येन-केन-प्रकारेण जोड़-तोड़ करके वापस काबिज हो जाते हैं। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, यदि सरकार की यह मंशा है कि इसका लाभ लोगों को प्राप्त हो तो प्रशासक के बजाय समिति का आप इसमें प्रावधान करें, यह बहुत लोक हित में होगा।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, इसके अलावा, मंत्री महोदय ने इस विधेयक के माध्यम से 5 लाख तक की अंश पूंजी वालों को अपने दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है। पहले के अधिनियम में यह प्रावधान 2 लाख तक का था। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर पहले के प्रावधान को ही यथावत रखेंगे तो यह भी एक अच्छा प्रयास होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहकारिता मंत्री से इस समय बातचीत न करें, उनके भाषण को सुनें। आप अपने स्थान पर जायें, मंत्रीजी को डिस्टर्ब न करें।

श्री संयम लोढ़ा : यह मूल बात मुझे आपसे निवेदन करनी थी। (व्यवधान) इसके अलावा, सभापति महोदय, यह एक बहुत अच्छा अधिनियम है, मैं इसका स्वागत करता हूं। जो मैंने सुझाव दिये हैं उनके आधार पर आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि एक माह के लिये इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : सभापति महोदय, चर्चा हो रही है सहकारिता पर, मैं थोड़ी-सी एक बात बता दूं, आपकी इजाजत हो तो? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। नहीं, माननीय सदस्य, मैंने इनका नाम पुकार लिया है। माननीय श्री राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। सभापति महोदय, इसको हमें साफ मन से स्वीकार करना पड़ेगा कि आजादी के बाद जहां सहकारी आन्दोलन के अन्दर दूसरे राज्य बहुत आगे बढ़ गये, राजस्थान पिछड़ गया। सभापति महोदय, देश के पैमाने पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो यह स्पष्ट महसूस होता है कि को-आपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र में चला, गुजरात में चला, आन्ध्र प्रदेश में चला, वहां इस मूवमेंट के साथ आम-अवाम जुड़ा। राजस्थान में वह सब कुछ नहीं हो सका। 38 वर्षों के अन्तराल के पश्चात् नया विधेयक आज सदन के सामने विचारार्थ आया है। अच्छा होता अगर सहकारिता अधिनियम, 1965 के अन्दर जो विसंगतियां रह गयीं थीं, जो ऐसे कारक थे जिनके कारण सहकारिता आन्दोलन के साथ आम व्यक्ति नहीं जुड़ सका, उन वास्तविक कारणों को खोज कर इस नये विधेयक में सम्मिलित करते।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आफिसर्स गैलेरी में बैठे हुये अधिकारियों से यदि कोई माननीय सदस्य सहयोग लेना चाहते हैं तो वे और सम्बन्धित अधिकारी कृपया

(श्री सभापति)

बाहर चले जायें और उनसे सलाह मशविरा कर लें।

Officers gallary is meant only for the Ministers of the Treasury Benche not for the Hon'ble Members. Hon'ble Members will go to the officers lobby for consultations.

उनको आवश्यकता हो तो उनको बाहर बुला लें और बाहर जाकर बातचीत कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपने आज आसन से ऐतिहासिक व्यवस्था दी है और, सभापति महोदय, मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि आज नयी व्यवस्था भी प्रारम्भ कर दें। अभी जो अधिकारीगण आगे झुक-झुक कर बात कर रहे थे उनके सबके नाम-पते नोट करें और निर्देशित करें सरकार को कि इनको आरोप पत्र जारी किया जाये। सदन की गरिमा और सदन में आचरण इन उच्चस्थ अधिकारियों का कैसा होना चाहिये, यह पाठ पढ़ाने का भी अगर कोई व्यक्ति काम कर सकता है तो आपके अलावा मुझे कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो विधेयक विचारार्थ है, इस विधेयक के लिये प्रवर समिति के अन्दर कई विद्वान माननीय सदस्य, आप जैसे विराजे थे। मुझे दुःख और तकलीफ इस बात की है कि आप भी, सभापति महोदय, माननीय सहकारिता मंत्रीजी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गये। मुझे इस चीज की भी तकलीफ है कि सहकारिता मंत्रीजी खुद इस अधिनियम को लाना नहीं चाह रहे थे। इस विधेयक को खुद लाना नहीं चाह रहे थे। अभी माननीय मांगीलालजी डागा ने सही फरमाया, दिल्ली से इन्हें निर्देशित हुआ, दिल्ली से आदेश हुआ, सोनिया गांधीजी ने जब इनको कड़ा पत्र लिखा और जब इनको लगा कि अब इनकी कुर्सी को खतरा है, तब आनन-फानन के अन्दर आप लोगों की +++ करके यह अधकचरा विधेयक लेकर आये हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, 1965 के अधिनियम में एक धारा 139 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1995 में कुछ क्रांतिकारी संशोधन किये थे। उस वक्त उन संशोधनों के पीछे सरकार की मंशा एक ही थी कि हम इस सहकारी आन्दोलन को सरकारी नियंत्रण के बाहर रखें। उसके लिये प्रयास भी हुये। सहकारी समितियों को आटोनामी दी जाये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कहने को तो प्रवर समिति की रिपोर्ट रखते हुये मंत्री

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय यह तक कह गये कि ये संशोधन सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्त बनाने, वर्तमान प्रावधानों में स्पष्टता लाने, सहकारी सोसायटियों के चुनाव में निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से किये गये हैं।

सभापति महोदय, आपने पूरा विधेयक देखा है, आपने इसका खण्ड–खण्ड देखा है और आप गांव और धरती से जुड़े हुये हैं, इनका लाभ गांव के व्यक्ति को कहीं होने वाला नहीं है, सहकारी मूवमेंट को कहीं होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, विधेयक में एक अनुसूची जारी की है, अनुसूची "क" के अन्दर सहकारिता के सिद्धान्त को जो आपने प्रतिपादित किया हुआ है, मैं समझता हूं आपने उसको पढ़ा नहीं होगा। सहकारिता के सिद्धांत के जिस उद्देश्य से आप विधेयक लेकर आये हैं, उसे अगर आप स्वयं माइन्यूटली देखते तो शायद आप इस तरह का अधकचरा विधेयक लेकर नहीं आते। आपने कहा, स्वैच्छिक खुली सदस्यता, पहला सिद्धान्त। दूसरा, सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता और स्वतंत्रता। सहकारी संस्थाओं के मध्य सहकारिता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह घोषणा करने के लिये अच्छी है, सभापति महोदय, परन्तु अमली जामा पहनाने के लिये कोसों दूर है। सहकारिता मंत्रीजी, आपके मन में इच्छा है कि आप राजस्थान के अन्दर सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। आपके मन में भय बैठ गया कि अगर चुनाव हो गया और चुनाव के माध्यम से अगर ये सारी संस्थाएं उन लोगों के हाथ में आ जायेंगी जो लोग आपसे त्रस्त हैं, तो शायद आपकी कुर्सी को खतरा हो जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पहले तत्कालीन सहकारिता मंत्रीजी ने घोषणा पत्र से घोषणा प्रारम्भ की थी। घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम सहकारी आन्दोलन को मजबूत करेंगे, सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवायेंगे। उसके बाद, सदन जब पहली बार आहूत हुआ उस सत्र के अन्दर गुलाब सिंह जी ने कहा, तब गुलाब सिंह जी विराजते थे सहकारिता मंत्री के रूप में। उसके बाद जब को–आपरेटिव कांग्रेस के सम्मेलन में आपके मुख्य मंत्रीजी भी गये, वह कहकर आये कि हम सहकारी समितियों के चुनाव जल्दी से जल्दी करवायेंगे। आप तो न जाने कितनी बार कहां–कहां क्या बात कहते हैं। मैं समझता हूं, सहकारिता मंत्रीजी, आपके नाम के आगे एक और सूचक लगा हुआ है, उसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है। आपको वह भी देखना चाहिये कि आने वाले लोग जब आपका राठौड़ का नाम पढ़ेंगे और यह कहेंगे कि आपकी घोषणा थोथी घोषणा है तो क्या संदेश लेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट जब इनको कहा कि आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे तब इन्होंने बहाना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिया कि हम विधेयक के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिये हमें समय दिया जाये। सहकारिता मंत्रीजी, मेरा आपसे स्पष्ट पूछना है, आप इस कानून लाने के बहाने से चुनाव को टालते गये, टलते गये। अब यह कानून भी विचारार्थ है और आप जिस तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, जिस तरह की चर्चा, कानाफूसी आप कर रहे हैं, जिस तरह आप चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनकर आये हैं, चाहे कांग्रेस के साथी हों, चाहे भाजपा के साथी हों, एक–एक के पास जाकर आप कह रहे हैं कि संशोधन वापस ले लें क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है। हो सकता है यह विधेयक पारित भी हो जाये, परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस चुनाव से आप कब तक बचेंगे?

माननीय सभापति महोदय, उन्होंने जो एक–दो अच्छे काम किये हैं उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहूंगा। इन्होंने इस विधेयक की धारा 33, 34 और 35 में सहकारी संस्थाओं के चुनाव को राजस्थान निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराने की बात कही है, स्वागत योग्य बात है। परन्तु, मंत्रीजी, कभी आपने विचार किया कि राजस्थान के अन्दर 20 हजार के लगभग छोटी–मोटी सारी सहकारी संस्थाएं हैं? इन संस्थाओं की दो श्रेणियां हैं, सभापति महोदय, इन संस्थाओं में वे संस्थाएं भी हैं जो सरकार से किसी तरह का अनुदान नहीं लेतीं, जिनके पास सरकार की कोई शेयर कैपिटल नहीं और वे संस्थाएं भी हैं जो सरकार के द्वारा दिये गये अनुदान पर ही चलती हैं। अब इन सारी संस्थाओं का समय अलग–अलग है। यह कोई ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है। ग्राम पंचायतें राजस्थान में एक निश्चित तिथि को गठित होती हैं, उनकी कालावधि भी निश्चित तिथि को समाप्त हो जाती है। परन्तु इन संस्थाओं का, को–आपरेटिव सोसायटीज का जब समय अलग–अलग है। किसी का समय कब समाप्त होगा और किसी का समय कब समाप्त होगा, आप कैसे करा लेंगे चुनाव इनका? क्या राजस्थान निर्वाचन आयोग को सिर्फ एक ही काम रहेगा कि वह आपके चुनावों में लगा रहे? सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि निर्वाचन आयोग के पास कोई मशीनरी नहीं है। निर्वाचन आयोग तो वापस चुनावों के लिये को–आपरेटिव विभाग को कहने वाला है, तिथियां घोषित कर सकता है। तिथियां घोषित करने के बाद चुनाव कौन करवायेगा? सहकारिता मंत्रीजी, वही को–आपरेटिव इंस्पेक्टर और वही व्यवस्थापक और वही ए.आर. चुनाव कराने वाला है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने विधेयक की धारा 27(2) में कार्यकाल तो बढ़ा दिया। कार्यकाल तीन साल से पांच साल हम जो संशोधन लेकर आये थे। 1955 में, उस संशोधन में भी बढ़ा दिया था, परन्तु आपने यह निश्चित नहीं किया कि यह कार्यकाल कब से गिना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जायेगा और कैसे गिना जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज राजस्थान के अन्दर सहकारिता आन्दोलन अगर खड़ा है और राजस्थान के अन्दर, सभापति महोदय, सहकारिता की अगर सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई है तो वह है ग्रामीण सहकारी समिति जिसको हम जी.एस.एस. कहते हैं। नई ग्रामीण सहकारी समितियों का गठन हो, इसके लिये आपने कहीं उल्लेख नहीं किया है। सभापति महोदय, आज राजस्थान की जनसंख्या साढ़े पांच करोड़ के आंकड़े को मार कर रही है। आज हालत यह है कि आप मण्डावा में विराजते हैं, मण्डावा के अन्दर तीन–तीन ग्राम पंचायतों में एक–एक ग्रामीण सहकारी समिति है। तीन–तीन ग्राम पंचायत और एक ग्रामीण सहकारी समिति, कितना बड़ा कार्य क्षेत्र और आपकी इच्छा है कि आप इस सहकारी आन्दोलन को सहकार के साथ जोड़ना चाहते हैं। ''सब एक के लिये और एक सबके लिये'' यह भावना कैसे पूरी होगी? इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नई सहकारी समितियों का किस तरह गठन हो और इनकी संख्या किस तरह बढ़े इस पर, मंत्री महोदय, आपको विचार करना चाहिये।

अब एक और क्रांतिकारी परिवर्तन, क्योंकि आप सहकारिता आन्दोलन से जुड़े हुये हैं। एक बार आप जोधपुर को–आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी बने। पर आप अध्यक्ष किस तरह से बने थे, सहकारिता मंत्रीजी? सभापति महोदय, जिस तरह इन्होंने उस कुर्सी पर कब्जा किया था, उसी तरह के सिद्धान्त को इन्होंने कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश की है। इन्होंने विधेयक की धारा 20 में मत प्रयोग की जिस रीति का उल्लेख किया है, सभापति महोदय, कोई भी सहकारी संस्था जब दूसरी सहकारी संस्था को वोट दे तो सहकारी संस्था का बोर्ड आफ डायरेक्टर प्रस्ताव पारित कर दे कि अमुक व्यक्ति वोट देगा, उसको वोटिंग राइट हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : आज इसमें संशोधन ले आये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्रावधान कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सहकारिता मंत्रीजी, आप जो कानून लेकर आये हैं, 1965 के बाद पहली बार इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप क़ानून लेकर आये हैं, वर्षों तक बात चलेगी, लोग इसको पढ़–पढ़कर आपको कोसेंगे। मैं नहीं चाहता कि आने वाले लोग आपको कोसें। जहां आपसे गलतियां हुयी हैं, बड़ा मन करके गलतियों को स्वीकार करना चाहिये। हालांकि गलतियां आप करते हो। सभापति महोदय, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि गलती करके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पछताते नहीं है। यह आप पश्चाताप करना प्रारम्भ कर दें, जीवन में खुशहाली आयेगी और प्रगति की तरफ बढ़ोगे।

विधेयक की धारा 20 के माध्यम से जो गलतियां आपने की हैं, आप करना क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं, सहकारिता मंत्रीजी, कि ग्रामीण सहकारी समिति का अध्यक्ष का चुनाव तो लोकतांत्रिक रूप से हो, अध्यक्ष को वोटिंग राइट होना चाहिये, लेकिन आप उसको करटेल करके व्यवस्थापकों के हाथ में सारी चीज सौंपना चाहते हैं। सहकारिता मंत्रीजी, राजस्थान के अन्दर इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, सरकार चाहे आपकी रही हो और सरकार चाहे हमारी रही हो, ग्रामीण सहकारी समितियां आज भी व्यवस्थापकों के बस्ते में चलती हैं। ग्रामीण सहकारी समिति में, सभापति महोदय, अगर व्यवस्थापक नाराज हो जाये तो चाहे सारा बोर्ड आफ डाइरेक्टर एक तरफ बैठ जाये, कोई प्रस्ताव वह अंकित नहीं करता है। वही प्रस्ताव बनाता है और वही काम करता है। आप क्यों मजबूत करना चाहते हैं इनको? इसीलिये आप संशोधन लेकर आये तो आपका स्वागत और संशोधन नहीं लाये तो आपको निश्चित तौर पर इस बारे में विचार करना चाहिये।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सहकारिता मंत्रीजी, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का संविधान प्रदत्त अधिकार है। आप धारा 28 के अन्दर यह प्रावधान लेकर आ गये जो इस सम्मानीय सदन का सदस्य होगा, जो पार्लियामेंट का सदस्य होगा, जिसको लोगों ने जिला प्रमुख बना दिया, प्रधान बना दिया...... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और आप यह संशोधन लेकर आये हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको पुराने वाले कागज दे दिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : कम से कम +++ से कहकर वह कागज तो नये वाले ले लेते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैम्बर का नहीं है....(व्यवधान) केवल प्रमुख और मिनिस्टर का ही है। आपका नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मुझे मालूम नहीं है। अगर यह संशोधन लेकर आये हैं तो मैं उस बात का स्वागत करूंगा। मुझे प्रसन्नता इस बात

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की है कि जो काम इन्होंने किया, प्रवर समिति में आप जैसे विद्वान सदस्यों को राजी करके जो यह रिपोर्ट इन्होंने यहां पेश की उसमें आखिर आपको संशोधन करना पड़ा। सहकारिता मंत्रीजी, अच्छा रहे, इसलिये मैं कहता हूं कि आप जो संशोधन ले आये, उसके लिये तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हालांकि 1965 के अन्दर भी धारा 34 के अन्दर पहले यह प्रावधान था परन्तु आप तो आमूलचूल परिवर्तन की ओर बढ़े हैं, आप तो लोकतांत्रिक परम्पराओं को बढ़ाना चाहते हैं इसलिये निश्चित तौर पर आपको उस सारे काम को करना चाहिये। अब सभापति महोदय, 1995 में....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह तो राठौड़ों की मिलीभगत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इसको मैं मेरा सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं कि सामने विराजे हुये हमारे +++ और +++ के पास से कोई आदमी निकलवा ले कोई चीज। आपको मालूम है, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था यह जो कुछ लेकर आये हैं.....

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, यह +++ क्या है? आप सहकारिता मंत्रीजी कहकर सम्बोधित करें या तो। यहां पर वे मंत्री की हैसियत से बैठे हैं और आप सदस्य की हैसियत से बोल रहे हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : इन रिश्तों को घर पर रखिये आप।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इस सदन में सभी माननीय सदस्य हैं और ट्रेजरी बैंच मिनिस्टर्स की बैंच है, वरिष्ठ माननीय सदस्य, न कोई +++ है और न कोई "श्री" है।

श्री राजेन्द्र पारीक : जिनके लिये होते हैं, माननीय सदस्य वो +++ ही होते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य द्वारा सहकारिता मंत्रीजी को +++ के नाम से सम्बोधन करने का अधिकार नहीं है, यह नियमों और परम्पराओं के विपरीत है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री सभापति : नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरी एक प्रार्थना तो मान लें। सभापति महोदय, आपने व्यवस्था दे दी, शिरोधार्य है। सभापति महोदय, +++ तो निकाल दो पर "श्री" तो रहने दो। दोनों शब्द

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं निकालो, सभापति महोदय, अनर्थ हो जायेगा। +++ निकाल दो, "श्री" तो रहने दो।

श्री सभापति : "श्री सहकारिता मंत्रीजी"।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, पर +++ तो बने रहेंगे न, साहब?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

श्री सभापति : माननीय सहकारिता मंत्रीजी, श्री मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल : +++ तो बने रहेंगे न, साहब?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, रिश्ते से +++ है तो +++ ही कहेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो यह यहां हाउस में थोड़े ही कहेंगे? अभी तो कह रहे थे इनको प्रताड़ना दीजिये। तब रिश्ता कहां चला गया था?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हाउस में कोई +++ नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक साथ, एक मिनट में दो बातें सुनाई। अभी तो कहा कि इनको प्रताड़ना दीजिये और अब कह रहे हैं कि मेरे यह लगते हैं, सम्मानीय हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। सम्मान करिये आप, पांव छूइये, आदर से बोलिये पर फिर प्रताड़ना क्यों दिलवा रहे थे आप? ये दोनों चीजें नहीं चल सकतीं एक साथ। (व्यवधान) आपको धन्यवाद देना चाहिये कि इतना अच्छा सहकारिता विधेयक लेकर आये हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, जो ट्रैजरी बैंच में बैठे हैं वह +++ ही है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 1995 में सहकारिता अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत दो संशोधन तत्कालीन सरकार लेकर आयी थी। जो स्वायत्तता प्रदान करने की मंशा तत्कालीन सरकार ने दिखायी थी। उससे ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 139 के अन्तर्गत सरकार को शक्तियां प्रदान थीं कि वह अधिनियम के प्रावधानों को रूपान्तर रूप से लागू कर सकती है।

(15.00 बजे)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, 1995 में यह जो स्वायत्तता देने की बात थी, इसमें मुख्य रूप से उन को-आपरेटिव सोसायटीज को जिनका सरकारीकरण नहीं रहे, वह थी जिनमें सरकार का पैसा नहीं लगा, सरकार का अंशदान नहीं लगा। हम वह संशोधन लेकर आये। 1965 की धारा 14 में। किसी सहकारी संस्था के बाई-लाज जिनके वह संस्था गवर्न होती है, सभापति महोदय, उन बाई-लाज में परिवर्तित करने का रजिस्ट्रार को अधिकार था। 1999 में संशोधन करके इस अधिकार को वापस लेने का काम हुआ। धारा 33 में किसी सहकारी संस्था के चुनाव करवाने और चुनाव अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास था। हमने 1995 में संशोधन लेकर इसको भी वापस किया। परन्तु, मंत्री महोदय, आप इस विधेयक के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? आप इस विधेयक के माध्यम से पुनः नौकरशाही के शिकंजे में सहकारी आन्दोलन को कसना चाहते हैं। आपने कभी इस विधेयक की धारा 125 पढ़ी? विधेयक की धारा 125 में आप प्रस्ताव लेकर आये हैं कि रजिस्ट्रार सहकारी संस्था के बोर्ड के प्रस्ताव को स्टे करा सकता है और उसको रद्द करने के लिये अधिकरण को भेज सकता है। मतलब कोई भी प्रस्ताव सहकारी संस्था पारित करें, रजिस्ट्रार के मन में अगर आ गया कि उस प्रस्ताव के अनुसार सहकारी संस्था अपने बाई-लाज में किसी तरह का प्रस्ताव नहीं करे तो स्टे करके छोड़ देंगे। इसलिये मैं समझता हूं, इन सारी चीजों को आपको दुबारा से देखने की आवश्यकता है।

इसी तरह धारा 10 के अन्दर जो उप नियम बाई-लाज के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित है, उसमें आपने कितना समय दिया? 60 दिन, सभापति महोदय, 60 दिन तक कोई पूछ ही नहीं सकता कि हमने जो बाई-लाज में परिवर्तन किया है, रजिस्ट्रार साहब, आपने उनका पंजीयन किया है कि नहीं किया। रजिस्ट्रार साहब के मन में आ गया, आपको मालूम है, 1965 के कानून के अनुसार भी बाई-लाज के रजिस्ट्रेशन की बात थी, लम्बे समय से रजिस्ट्रार कार्यालय में पड़ी रहती थी। आपने 60 दिन का समय दिया और उसके बाद 30 दिन का समय फिर दे दिया कि 60 दिन में अगर नहीं करें, 30 दिन बाद दुबारा वह जाकर कहे। इसको क्यों नहीं मैंडेटरी बनाते आप? 60 दिन के अन्दर अगर बाई-लाज का रजिस्ट्रेशन नहीं हो, इस पर रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह के और भी कई मामले हैं, मैं खण्डशः विचार होगा तब अपनी बात कहूंगा। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं इस विधेयक के माध्यम से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहकारिता आन्दोलन और सहकारिता आन्दोलन की बात, सभापति महोदय, अपने आप जिस तरह परिवार नियोजन की बात की है, लोगों के मन में अब सहकारिता आन्दोलन के साथ जुड़ने की बात चली है। परन्तु आप इस आन्दोलन को तोड़ना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, और तो सारी बातें आ गयीं। ये गृह निर्माण सहकारी समितियां, सभापति महोदय, भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुयी हैं। आज जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े नगरों के अन्दर इन गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से जिस तरह भू—माफिया चाहते हैं, उनका उपयोग करते हैं। बरसों से इन्होंने अपनी कोई बैठक बुलाई नहीं, बोर्ड आफ डायरेक्टर इनका है नहीं, कई संस्थाएं लिक्विडेशन में चली गयीं। मंत्री महोदय, इस कानून में कोई ऐसा प्रावधान करो कि कम से कम जिन संस्थाओं के विरुद्ध कोई शिकायत आये, उन संस्थाओं का लिक्विडेशन जल्दी से जल्दी हो जाएं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुये आपसे निवेदन करूंगा, हालांकि और भी कई धाराएं हैं जिन धाराओं के बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा था।

श्री सभापति : आगे बोल लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम उन सहकारी संस्थाओं को जिन सहाकारी संस्थाओं में सरकार का धन लगा हुआ नहीं है, जिन सहकारी संस्थाओं में सरकार की शेयर कैपिटल नहीं है, उनको तो इससे मुक्त रखो। जो संशोधन 1995 में हुये थे, धारा 139 के अन्तर्गत तत्कालीन सरकार जिस मंशा के साथ संशोधन लेकर आयी थी, उस मंशा के साथ आप सहकारी संस्थाओं को सरकार के शिकंजे से दूर रखो। इन आटोनोमी को और बढ़ाओ। आटोनोमी को और बढ़ाओगे तो निश्चित तौर पर इसके वांछित परिणाम आयेंगे।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ग्रामीण सहकारी समितियों को जब तक आप अधिकार सम्पन्न नहीं बनाओगे, इन ग्रामीण सहकारी समितियों का आप कार्य क्षेत्र निर्धारित नहीं करोगे, इन ग्रामीण सहकारी समितियों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम समय पर होना चाहिये। परन्तु आज इस कानून के अनुसार कहीं प्रावधान नहीं है कि आवश्यकता पड़े तो इन ग्रामीण सहकारी समितियों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। हालांकि कानून में प्रावधान यह जरूर कर दिया इन्होंने, कि कोई दो सहकारी संस्थाओं को जब चाहे प्रस्ताव ले लें, रजिस्ट्रार उनको जोड़ देगा। किनको विभक्त कर सकता है? परन्तु नई ग्रामीण सहकारी संस्थाएं बनें, इसके लिये भी आपको प्रयास करना चाहिये। दो दिन की तार्किक बहस के बाद मैं समझता हूं, सभापति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, अच्छा तो यह हो, अब खुद यह महसूस कर रहें हैं, आप इनके चेहरे पर आते-जाते भाव पढ़ रहे होंगे, इनको खुद को महसूस हो रहा है कि जो कुछ हुआ, गलत हुआ। इसलिये कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। सहकारिता मंत्री महोदय, खड़े होकर कह दो कि आप एक बार और इस पर पुनः विचार करेंगे। आपने एक बार सलैक्ट कमेटी बना दी, आप इसको जनमत जानने के लिये परिचालित कर दें। जनता से सारी की सारी बातें आ जायेंगी। हम सबकी मंशा एक ही है। हमारी मंशा सिर्फ क्रिटिसाइज करने की नहीं है, हम खुद चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर सहकारी आन्दोलन आगे बढ़े। "एक सब के लिये और सब एक के लिये", इस भावना से लोग इससे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जुड़े। और यह तभी होगा जब इसमें व्यावहारिकता नजर आयेगी। मुझे इतना ही निवेदन करना है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जसवन्त सिंह गुर्जर। (अनुपस्थित) माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 प्रवर समिति की ओर से माननीय मंत्री महोदय सदन में चर्चा के लिये लाये हैं। सभापति महोदय, राजस्थान में यह सहकारी कानून 1965 में बना था। उसमें कुछ कमियां थीं, कुछ खामियां थीं। उन कमियों-खामियों को ठीक करते हुये 1995 में पुनः संशोधन करके सहकारिता पर राज्य सरकार का नियंत्रण बढ़ा। सरकार का नियंत्रण बढ़ने के कारण सहकारी आन्दोलन का गवर्नमेंटाइजेशन-सा होने लगा और यह जो सरकारीकरण है इसके कितने बड़े नुकसान हैं, आप जानते हैं। जब आजादी मिली, आजादी के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरूजी ने अन्धाधुन्ध सोवियत रूस का अनुकरण करके सारे उद्योगों को लगभग सरकारीकरण की तरफ, राजकीयकरण की तरफ बढ़ाया। उसके परिणाम क्या निकले? परिणाम ये निकले कि आज केन्द्रीय पब्लिक अण्डरटेकिंग हैं चाहे स्टेट के उपक्रम हैं, सब लगातार घाटे में हैं, सबका दिवाला निकलने लगा। उस सरकारीकरण के कारण आज केन्द्र के आई.टी.डी.सी. के होटल बिक रहे हैं, सेल और भेल बिक रहे हैं। स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता पर चलने वाले जयपुर मैटल (जिला जयपुर), गुलाबपुरा स्पीनिंग मिल (जिला भीलवाड़ा), हनुमानगढ़ स्पीनिंग मिल (जिला श्रीगंगानगर), इसके साथ तिलम संघ और भी कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें प्रशासक सरकारी अधिकारी बिठाये गये थे।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

और उसके कारण दुर्भाग्य से क्या हुआ कि वे सब घाटे में गये। जयपुर मैटल के श्रमिकों को पिछले 21 महीनों से वेतन नहीं मिला। मिल संघ लगातार बंद हो रहा है, घाटे में जा रहा है। स्पीनिंग मिल घाटे में चली गयी। स्पिन फैड घाटे में चला गया। यह जो बिल है, इससे सरकारीकरण बढ़ेगा। इसमें जो आई.ए.एस. और आर.ए.एस. अधिकारी प्रशासक बनकर बैठेंगे, वे कैसा प्रशासन चलाने वाले हैं, आप जानते हैं पिछले सत्र में भी चार-चार अधिकारी, को-आपरेटिव के एम.डी. रह चुके, जोइंट रजिस्ट्रार रहे चुके, मंत्री महोदय को विधान सभा में सत्र के दौरान उनके सस्पैंशन के लिये घोषणा करनी पड़ी। आगे क्या कार्यवाही हुई, वह तो वही जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, इस सरकारीकरण का आज निजीकरण हो रहा है। इस बिल पर आपको पुनः विचार करना चाहिये, मेरा आप लोगों से निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी बहुत बुजुर्ग हैं और समझदार हैं। अभी को-आपरेटिव डिपार्टमेंट में काम करने वाले के लिये तो कहा गया, माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ ने भी कहा। शायद और भी कोई चर्चा करे, लेकिन मूल मुद्दा है पेट की गरीबी का। व्यवस्थापक और सह-व्यवस्थापक जो वहां काम करते हैं, माना जाता है कि वे बहुत चोरी करते हैं। छोटे कर्मचारी गबन करते हैं। असल में तो जो हाथी हैं और जो बघेरे हैं, बड़े जानवर की तरह से डकार रहे हैं. बड़े अधिकारी, जो इसमें सरकारीकरण के नाते से बैठना चाहते हैं। सह व्यवस्थापक, व्यवस्थापक के बारे में एक दस महीने का आन्दोलन चला और आज भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके बारे में तय नहीं हुआ और इस बिल में भी उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि वे सोसायटी के कर्मचारी होंगे, सी.सी.बी. के कर्मचारी होंगे या वे सरकार के कर्मचारी होंगे। सभापति महोदय, यह बात इसमें मौन रखी गयी है कि व्यवस्थापक और सह व्यवस्थापक के ऊपर कौनसा नियम लागू होगा। आर.एस.आर. का लागू होगा या ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 लागू होगा या को-आपरेटिव के नियम लागू होंगे? व्यवस्थापकों, सह व्यवस्थापकों को अधरझूल में लटका दिया गया है। अब इनके बारे में कहा जाता है कि वे गड़बड़ करते हैं। छोटा कर्मचारी भूखे मरता गड़बड़ नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं कोई चोरी को सपोर्ट नहीं करता, मैं नैतिकता के नाते से यह बात अच्छी नहीं मानता। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, की ओर से नोट कर रहे हैं परसादी लालजी साहब, विद्वान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कि वे इस बारे में भी नोट करें और व्यवस्थापक और सह व्यवस्थापक के बारे में तय करें कि वे किस नियम के अन्तर्गत आयेंगे। (व्यवधान) भाषण में तो विद्वान ही कहा जायेगा, भाई। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : विद्वान हैं यह?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बराबर हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने स्वीकार कर लिया न?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हां, मैं मानता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, इनको बोलने दीजिये।

श्री ज्ञानदेव अहूजा : जिन संस्थाओं में सरकार की भागीदारी नहीं थी उन पर संस्थाओं के लिये हमने 1995 में राजस्थान सहकारी संस्था के 139 का उपयोग कर कानून में संशोधन किया। सहकारी संस्थाओं से कहा गया कि जिनमें राज्य की भागीदारी नहीं है वे सहकारी विभाग के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर स्वयं अपना व्यापार बढ़ाना चाहें, सहकारी विभाग से आवेदन कर स्वतंत्रता प्राप्त करें। मुझे यह कहते हुये गर्व है कि जिन सहकारी संस्थाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति की, उनके चुनाव समय पर हुये। आडिट समय पर हुये, उन संस्थाओं की वार्षिक आम सभा समय पर हुयी, उनके व्यवसाय में वृद्धि हुयी। लेकिन जिनमें चुनाव नहीं हुये, उनमें लगातार घाटे ही घाटे चले।

सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में निवेदन है कि हम लोगों ने बहुत सारे संशोधन रखे हैं, लेकिन इसके बारे में पुनर्विचार करें और भ्रष्टाचार की कार्यवाही ऊपर उठा कर सहकारिता आन्दोलन को बचाया जाये।

मंत्री महोदय, क्या यह बता सकेंगे कि उनमें से कितने जन प्रतिनिधि हैं? सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामलों से जो अधिकारी आज को–आपरेटिव में काम कर रहे हैं, वे ऊपर हैं। ऐसे लगभग हर को–आपरेटिव बैंक में अगर हम ढूंढ़ना चाहें तो मृत व्यक्तियों को भी लोन दिये गये और उन लोगों को भी लोन दिये गये जो उस गांव में नहीं है। मेरे रामगढ़ क्षेत्र में गोविन्दगढ़ कस्बे में जी.एस.एस. है। वहां की एक जी.एस.एस. आठ जी.एस.एस. का लोन और खाद बांटती है, क्योंकि बाकी जी.एस.एस. घाटे में हैं। अब ये घाटे क्यों हुये? वहां की व्यवस्थापक की व्यवस्था से और कलक्टर को प्रशासक बना कर व्यवस्था की गयी उससे अगर जन प्रतिनिधि होते, जन प्रतिनिधियों का वहां समावेश होता, लेकिन जन प्रतिनिधियों को तो रोक दिया। कोई एम.एल.ए., कोई एम.पी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपके भाषण के बीच में कोई विघ्न नहीं डाल रहा हूं, आपके खण्डशः विचार में संशोधन हैं। यह आप जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, उस वक्त भी यह कर सकते हैं। इस समय तो आप साधारण जनमत जानने हेतु जो पालिसी है.....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं जनमत जानने के लिये ही निवेदन कर रहा हूं, साहब।

श्री सभापति : आप जो बता रहे हैं प्रशासक और यह सब खण्डशः में आ जायेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : साहब, मैं जनमत जानने के लिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : उस वक्त भी आपको मौका मिलेगा। इस पर बोलने वाले बहुत माननीय सदस्य हैं इसलिये आप कनक्लूड कर दें भाषण को।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठीक है, सभापति महोदय। जनमत जानने के लिये भूमिका तो बनायेंगे, साहब।

श्री सभापति : भूमिका तो बनी हुयी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले आने वाले माननीय सदस्य को तो आप बोलने दें, बाकी पुराने लोगों को......

श्री सभापति : आपके खण्डशः पर बहुत हैं, हर खण्ड में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठीक है। मंत्री महोदय, अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि यह सप्ताह सहकारिता का सप्ताह चल रहा है। कैसा नाटक है, कैसी नौटंकी है इस सप्ताह की। कैसा ड्रामा किया गया है इस सप्ताह का। 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक यह सप्ताह और इस सप्ताह में 14, 15, 16, 17 और 18 को छुट्टी। सी.पी. जोशी साहब हंस रहे हैं, हंसने की बात भी है इनकी नौटंकी पर बचे 19 और 20 तो 20 को माननीय खेत सिंहजी सदन छोड़कर जाते हैं और वहां जाकर ट्रैक्टरों की तीन चाबियां किसानों को देकर आते हैं। हो गया ड्रामा पूरा। एक बहुत बड़ी नौटंकी करना चाहते हैं। सहकारिता के नाम पर सप्ताह मना कर कहा गया कि यह सप्ताह नेहरूजी के जन्म दिन और इन्दिराजी के जन्म दिन के बीच का सप्ताह है और हमारी इसमें बड़ी वाहवाही की गयी। मैं इस बारे में और ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन को–आपरेटिव सप्ताह की नौटंकी किसलिये? अगर सप्ताह मनाना था तो एक पखवाड़ा आगे–पीछे कर लेते, लेकिन छुट्टियां मना कर किया।

सभापति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय को जो पावर दे रहे हैं, अधिकारियों को जो पावर दे रहे हैं उस पावर के बारे में मेरा यह कहना है, मंत्री महोदय, कि आपके सम्मान में कमी नहीं आ जाये। सम्मान में कमी कैसे आ जाये? अभी माननीय हरिसिंहजी बैठे नहीं हैं, पहले बैठे थे, कल साफा पहन कर आये थे रंगीला, भड़कीला और चमकीला। कल क्या हुआ, पता नहीं। वह साफा, तिमनगढ़ी था कि अलवरी था, भरतपुरी था कि

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जयपुरी था, आज वह साफा पहन कर नहीं आये। कहीं ऐसा नहीं हो जाये,

(15.15 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

मंत्री महोदय, कि को–आपरेटिव का यह विधेयक लाकर आपके सम्मान का साफा उतर जाये। मैं नहीं चाहता कि आपका साफा उतरे, आपका साफा बिगड़े। आपका सम्मान बना रहे। इसलिये माननीय खेतसिंहजी राठौड़ से उनकी तरफ से बैठे मीणा साहब को निवेदन करना चाहता हूं कि को–आपरेटिव की जरा आप लोग चिन्ता न करें और रजिस्ट्रार को पावर न दें। आपने रजिस्ट्रेशन का पावर दिया है, कि हम लोग सोसायटी का रजिस्ट्रेशन भेजेंगे, वह 60 दिन तक उनके पास रहेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ए.आर., डी. आर. ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फिर 30 दिन में एप्लीकेशन लगायेंगे, उसके बाद स्वतः माना जायेगा। नियम स्पेसिफिक ही होता है। एक निश्चितता होती है नियम और कानून की। स्पेसिफिक नियम होता है उसके अन्तर्गत जो काम होता है वह होना है। दो और दो चार, यह होती है रूलिंग, यह होता है नियम। अब रजिस्ट्रेशन अपने आप ही माना जायेगा, अपने आप कैसे माना जायेगा? क्योंकि रजिस्ट्रार महादेव ने या जोइंट रजिस्ट्रार ने या को–आपरेटिव की ब्यूरोक्रेसी ने जो तैयार करके दे दिया आपको, आपने विचार ही नहीं किया, आपने ब्लाइंडली उसको विधेयक के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये भेजा जाये।

मेरा यह भी निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करें, हालांकि संशोधन तो बहुत सारे आ रहे हैं। मेरा भी संशोधन है, और माननीय सदस्यों के भी संशोधन हैं। यह रजिस्ट्रार की धांधलीबाजी, यह प्रशासक की धांधलीबाजी, यह आई.ए.एस., आर.ए.एस. अधिकारियों की धांधलीबाजी को रोक कर जो जन प्रतिनिधि पहले से चुने हुये हैं उनको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाये।

अभी अरबन को–आपरेटिव बैंक के बारे में एक माननीय सदस्य ने बोला, बाद में 139 के बारे में बोल गये। उन्होंने शायद पूरा अध्ययन नहीं किया। अरबन को–आपरेटिव बैंक वित्तीय संस्था है, उसका सदस्य इसका भी सदस्य हो सकता है, को–आपरेटिव बैंक भी हो सकता है, भूमि विकास बैंक का भी हो सकता है। साथ में यह अधिकार भी दिया जाये कि एम.एल.ए., एम.पी., विधान परिषद् सदस्य अगर यहां विधान परिषद् बनती है या जन प्रतिनिधि चुने हुये हैं, वे भी बन सकें। यह मेरा मैंने जनमत जानने के लिये निवेदन किया है कि इसको तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये भेजा जाये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय सदस्यों ने आज बड़ी शांतिपूर्वक सुना, इन सबको, विशेष रूप से राजेन्द्रजी पारीक को बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलालजी जाट। (अनुपस्थित) माननीय श्री कन्हैया लालजी मीणा।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : सभापति महोदय, सहकारिता कानून 1965 में बन कर राजस्थान में आया, तब से लेकर अब तक सहकारिता कानून में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। आज उसमें एक नया विधेयक लाकर जो सहकारिता मंत्री महोदय ने यहां पेश किया है सदन में, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये भेजा जाये।

सभापति महोदय, 1965 से लेकर अब तक आपने देखा कि 15-15 ग्राम पंचायतों पर एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बनी हुयी है, 10-10, 15-15 किलोमीटर के फासले पर एक-एक सदस्य 15-15, 20-20 किलोमीटर से इस ग्राम सेवा सहकारी समिति में आते हैं। इनके ऊपर तो कोई संशोधन नहीं किया आपने कि दो-तीन पंचायतों के बीच में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति होनी चाहिये थी।

1965 से लेकर अब तक धारा 36 के तहत जिस बोर्ड को पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार होना चाहिये था बोर्ड जो काम करते हैं अपने सदस्यों को साथ लेकर, उसकी बजाय ए.आर. के द्वारा उस बोर्ड को भंग कर देना, प्रशासक नियुक्त कर देना, ये काम हुये हैं। प्रशासक नियुक्त करने के बाद आपने देखा होगा, 1983 से लेकर 1989 के बीच में लाखों रुपये के गबन के केस रजिस्ट्रार आफिस में चल रहे हैं। आज हरेक व्यवस्थापक ने डुप्लीकेट रसीद बुकें छपा रखी हैं या छपा रखी थीं। काश्तकार अशिक्षित हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब ने ऐसे लोग जो ऋण नहीं लौटा सकते थे, उनका ऋण माफ किया, 377 करोड़ रुपये माफ किये। सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अधिकारी और रजिस्ट्रार को शिकायत करने पर डुप्लीकेट रसीद बुक पेश कर देते हैं। सैकड़ों की संख्या में उन व्यक्तियों ने डुप्लीकेट रसीद बुकें छपा रखी हैं। पैसे आपके रिकार्ड में कहीं जमा नहीं हैं जबकि काश्तकार से लाखों की संख्या में ये ऋण वापस ले लिये गये हैं। बस्सी में पाटन एक गांव है, मैं उदाहरण दे सकता हूं, तीन लाख रुपये काश्तकारों ने पकड़कर ए.आर. के सामने वसूल किये उसके बावजूद उन कर्मचारियों को खाली सस्पैण्ड किया। लेकिन वह राशि आज तक वसूल नहीं की गयी। जो राशि पैंडिंग है उस राशि को आपके विभाग को वसूल करना चाहिये था। ऐसे कर्मचारियों को उस स्थान पर नहीं लगाकर दूसरी जगह लगाना चाहिये था। वह काम तो आपने किया नहीं और यह नया कानून आप लेकर आ गये।

(श्री कन्हैया लाल बस्सी)

माननीय सभापति महोदय, 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा कानून में संशोधन किया था। एक तरफ तो आप दुहाई देते हैं, आपके चुनाव एजेंडे में आपने घोषणा की है कि हम प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते हैं, हम सहकारिता के सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं, हम सहकारिता को और मजबूत बनायेंगे। अभी 14 अप्रैल को को-आपरेटिव कांग्रेस की मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लोगों के सामने कहा कि मैं सहकारिता को मजबूत बनाऊंगा। सारे बोर्डों को मजबूत बनाकर उनको ज्यादा अधिकार दूंगा। अधिकार देकर उनको ज्यादा प्रबल बनाया जायेगा। लेकिन यहां तो उलटा हो रहा है। मुख्य मंत्रीजी एक तरफ वह बात बोलते हैं और यहां मंत्री महोदय एक नया कानून लेकर आये हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिये। चुनाव के लिये पांच साल का पीरियड है। पांच साल के बाद छह माह हो गये, तो आपने पांचवें वर्ष में बोर्ड को भंग कर दिया, आपने प्रशासक नियुक्त कर दिया वहां पर वह प्रशासक जो मर्जी आये करे, कोई देखने वाला नहीं है। जन प्रतिनिधियों को तो आपने चोर माना, जन प्रतिनिधियों को तो आपने बेईमान माना। आज जन प्रतिनिधियों का कोई लेना-देना नहीं है, आप चुनाव तीन साल तक नहीं करवायें, पांच साल तक नहीं करवायें और प्रशासक नियुक्त कर दें। आज वास्तव में गांवों के अन्दर व्यक्ति को जो फायदा मिलना चाहिये था, वह बिलकुल नहीं मिल पा रहा है। लगातार तीन साल से अकाल से पीड़ित राजस्थान का किसान आज त्राहि-त्राहि कर रहा है। आज ऋण के लिये वह दर-दर भटक रहा है। उसकी फाइल बनाकर भेजी जाती है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है।

पूरे बस्सी विधान सभा क्षेत्र में मुश्किल से दो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, वहां का बोर्ड मजबूत था, पढ़ा-लिखा था। जाकर कहा, मुश्किल से पचास लाख के करीब वह पैसा आया। अन्य किसी ग्राम सेवा सहकारी समिति को ऋण नहीं दिया गया। इसमें होना यह चाहिये था कि आप बोर्ड को मजबूत बनाते। जन प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार देते। जन प्रतिनिधि गांव के लोगों को, गरीब लोगों को ज्यादा काम कर सकते थे। वे ज्यादा समझ सकते हैं कि कौनसा व्यक्ति गरीब है और कौनसे व्यक्ति को किस काम के लिये कितने पैसों की आवश्यकता है। उन व्यक्तियों को नहीं लगाकर प्रशासक को ज्यादा महत्त्व दिया जा रहा है आपकी ओर से।

1995 में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय भैरोंसिंहजी के राज में बोर्ड को लोकतांत्रिक सिद्धान्त के आधार पर मजबूत बनाया। सारे जो बोर्ड थे उनको एक मजबूती मिली, एक सम्बल मिला। ग्राम सभा को सर्वोच्च संस्था माना गया। ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके भेजे कि

(श्री कन्हैया लाल बस्सी)

हमारे गांव के लाभ के लिये इन लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। वह वहां पर भेजा। आप एक तरफ तो कहते हैं कि ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दिया जायेगा, जन प्रतिनिधियों को हम अधिकार देंगे, ग्राम पंचायतों को डाक्टर्स को सम्भालने का अधिकार दिया जायेगा और दूसरी तरफ आप जन प्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करने जा रहे हैं। कुठाराघात करने जा रहे हैं, उन पर पाबन्दियां लगाने जा रहे हैं। एक नंगी तलवार कच्चे सूत के धागे के ऊपर जन प्रतिनिधियों के ऊपर जो आप लटकाने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि यह बहुत गलत बात है, इसको दूर किया जाना चाहिये। लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को, सहकारिता के सिद्धान्तों को अगर आप जीवित रखना चाहते हैं तो इस विधेयक को तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये भेज दिया जाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री केसाराम चौधरी। डा. रघुवीर सिंह गौड़। माननीय श्री हरचन्द सिंह सिद्दू।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माइक ही नहीं चल रहा। मैं बोल रहा हूं, केसाराम चौधरी, मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री सभापति : आप विलम्ब से उठे इसलिये दूसरे नाम पुकार लिये।

श्री केसाराम चौधरी : नहीं, सर, माइक चालू नहीं हुआ इसलिये मैं बोला नहीं।

श्री सभापति : अब शुरू कर दीजिये।

श्री केसाराम चौधरी : राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 आज इस सदन में रखा गया है। इस विधेयक को 11 मई, 2001 को भी इसी सदन में रखा गया था और उसी दिन इसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। कई विसंगतियां होने की वजह से प्रवर समिति को सौंपा गया। उसके बावजूद भी इसमें अनेकानेक विसंगतियां रह गयी हैं इस कारण से इस विधेयक को तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति इस संस्था की प्रथम कड़ी होती है, लेकिन इस कड़ी में सहकारी समितियों को दबाया गया है, इनके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। बड़े हाथी पालने के लिये आपने करोड़ों रुपये का अनुदान दिया। आप देख लीजिये जालौर में, वहां एक तेल मिल लगी थी। बूटासिंहजी लेकर आये थे। करोड़ों रुपये खर्च हो गये। आज उस मिल का क्या हाल है? शुगर मिल का भी उदाहरण दे रहे थे। कई ऐसे बड़े–बड़े स्कैण्डल सहकारिता के नाम से हो रहे हैं और गांवों में बैठा सहकारी समिति का सदस्य जिसने अपने हिस्से के पैसे जमा करवाये इस संस्था में, उस हिस्से

(श्री केसाराम चौधरी)

का लाभ आज दिन तक किसी सोसायटी को नहीं दिया गया। उन पैसों का दुरुपयोग ये बड़े-बड़े हाथी लोग कर रहे हैं। अगर गांधीजी के सपनों को साकार करना है तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों को जीवित रखने के लिये, उनके व्यवस्थित ढंग के संचालन के लिये कानून बनाया जाये। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को समृद्ध करने के लिये कोई कानून नहीं बनाये गये हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति जो ग्राम का सबसे पहला हिस्सा है, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पहला व्यक्ति ग्रुप सचिव कहलाता है, जी.एस.एस. का व्यवस्थापक कहलाता है। उस व्यवस्थापक की तनख्वाह क्या है? उसकी हैसियत अगर पूरे राजस्थान में जांच करवा दी जाये तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि इन समितियों में किस तरह से घपले होते हैं। ग्रामीण भोली-भाली जनता के लोन के लिये सिर्फ प्रलोभन की बात करते हैं। फसल बोने के लिये क्राप लोन देते हैं, क्राप लोन में कितना पैसा दिया कितना नहीं दिया उसका हिसाब, मैं तो कहता हूं कि मेरे साथ चलिये, समिति बनाकर आप एक सोसायटी की जांच करवा लीजिये। मालूम पड़ जायेगा कि वास्तव में कितनों को दिया और कितनों को नहीं दिया। इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये ताकि जो ग्राम की जनता है वह सहकारी समितियों से लाभान्वित हो सकें। इसलिये मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जो राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 सदन में लाये हैं, इसको तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। इतना ही कहकर मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह गौड़। (अनुपस्थित) श्री हरचन्द सिंह सिद्धू। (अनुपस्थित) श्री रतन लालजी ताम्बी। (अनुपस्थित) श्री हीरासिंह (रायपुर)।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बाद यहां सदन में रखा गया है। सभापतिजी, मैं सबसे पहले आपका ध्यान सन् 1965 में राजस्थान सहकारी अधिनियम, राजस्थान में लागू किया गया था, उस अधिनियम को लागू करने के पीछे क्या भावना थी, उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारी अधिनियम को लागू करने में सरकार की यह मंशा थी कि गांव-गांव में इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि किसान अपनी आवश्यकता के लिये, अपनी फसल बुवाई के लिये खाद-बीज या अन्य खेती में उन्नति करने के लिये सहकारी समिति से लोन लेकर अपने कार्य को आगे बढ़ायें। यह कार्य

(श्री हीरासिंह चौहान)

प्रारम्भिक काल में काफी अच्छा चला राजस्थान में और मुझे खुद को अनुभव है, सन् 1980 तक इस सहकारी अभियान का गांव-गांव में अच्छा प्रचार-प्रसार हुआ। लोगों ने अपने कई खेती के कामों के लिये कई प्रकार के ऋण भी लिये और उनकी आर्थिक बहबूदी अच्छी होने के लिये कई प्रकार के काम किये। लेकिन धीरे-धीरे इसमें विसंगतियां आने लगीं। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष या उनका जो पदाधिकारी मण्डल होता था, उसमें सरकार का हमला हुआ और उसके अधिकारी धीरे-धीरे कम किये जाने लगे। उसके बाद धीरे-धीरे लोगों की रुचि सहकारी अभियान से हटती गयी। आज मैं बहुत दावे के साथ, सभापतिजी, सरकार को यह बताना चाहता हूं कि गांवों में अब लोगों का ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रति आकर्षण नहीं रहा। हम सहकारी समिति का एक नया विधेयक ला रहे हैं जिससे आमूलचूल परिवर्तन किया जायेगा और ग्रामीण जनता की बहबूदी के लिये, उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिये ठीक प्रकार से कानून बनाया जायेगा। लेकिन मैंने इस पूरे कानून को पढ़ा है, पूरे एक्ट को पढ़कर मुझे बड़े दुःख और वेदना के साथ कहना पड़ता है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति का सृजन प्रत्येक ग्राम पंचायत में हो उसके बारे में Not a single line has been written. इतना अनदेखा किया गया है कि केवल सैक्शन तीन में इनकार्पोरेशन वर्ड लिखा है और उसमें भी स्पष्ट नहीं दिया। आप एक गांव को इकाई मानते हैं, ग्राम पंचायत को इकाई मानते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समिति होनी जरूरी है। लेकिन आपने पिछले वर्षों में आठ-आठ, दस-दस ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक सोसायटी बना दी। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच पंचायतें हैं जो बीस किलोमीटर के रेडियस के अन्दर आती हैं, उनकी एक करमावास सोसायटी बना दी। उसमें बीजागोड़ा भी मिला दिया, रायड़ा भी मिला दिया, खौलिया भी मिला दिया और देवलीउला भी मिला दिया। इस प्रकार चार ग्राम पंचायतों के बीच में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बना रखी है और उनकी दूरी इतनी है कि लोगों को कोई लेना-देना नहीं। इस एक्ट में भी इस प्रकार की समितियों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया। जो पहले बनी हुई थीं। आर्थिक आधार पर पता नहीं किस प्रकार इन्होंने सर्वे करवाया। उस समय भी हो सकता है माननीस खेतसिंहजी राठौड़ साहब ही सहकारिता मंत्री होंगे। पता नहीं किस प्रकार सर्वे करके लम्बे समय से जो सोसायटीज गांवों में एस्टेब्लिश्ड थीं उन सबको बन्द करके पांच-पांच, सात-सात सोसायटीज को मिलाकर एक सोसायटीज बना दी और अब इसमें क्या प्रावधान रखा

(श्री हीरासिंह चौहान)

है? कि इसमें डिवीजन भी कर सकते हैं, इनका अमालगमेशन भी कर सकते हैं। कौन करेगा? कौन सोसायटी बनायेगा गांव में? जब तक सरकार के आदेश नहीं होंगे, जब तक आपका रजिस्ट्रार नहीं कहेगा तब तक ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने का कोई प्रोविजन इसमें नहीं रखा है। इसमें डिवीजन करने की बात रखी है, डिवीजन कौन करेगा? डिवीजन करने के लिये कोई मेरे गांव की एक सोसायटी है, दूसरे गांव में सोसायटी बनाने का क्यों डिवीजन करेगी? उसको क्या जरूरत पड़ी कि उसका डिवीजन किया जाये?

इस प्रकार कौनसी सोसायटीज के लिये आप यह बिल लाये हो? जो दूसरी सोसायटीज चल रही थीं वे तो अपने हिसाब से चल रही हैं। वह उनकी निजी सोसायटी है, निजी पूंजी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बहबूदी के लिये, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये सन् 1965 में जिस भावना से एक्ट को बनाया गया था, इस नये एक्ट में कुछ भी देखने को नहीं मिलता इसलिये मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है।

माननीय सहकारिता मंत्रीजी और राज्य मंत्रीजी दोनों बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इस एक्ट को बनाते समय इस बात को आप लोगों ने ओवर रूल कैसे किया। यह तो कम से कम प्रारम्भिक कथन में होना चाहिये था, कि इस प्रकार की सोसायटीज़ जो गांवों में बनी हुयी नहीं हैं उन सोसायटीज को पुनर्जीवित करेंगे और सभी जगह सोसायटीज का चुनाव करायेंगे। राजस्थान भर में आप सर्वे करा लीजिये प्रत्येक जिले का, सर्वे कराने के बाद आपको स्थिति मालूम हो जायेगी। ऐसा अगर आप करेंगे तो ग्राम पंचायतें अपने-अपने गांव की बहबूदी के लिये जिस प्रकार से काम कर रही हैं, उसी प्रकार के काम को अंजाम दिया जा सकता है।

सभापतिजी, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यह कहावत इस एक्ट के बनाने में चरितार्थ हुयी है। इस एक्ट के हर सैक्शन का मैंने अध्ययन किया है। हर सैक्शन का अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र को इकोनोमिकली कैसे डवलप किया जा सकता है, उसके लिये, सिंगल लाइन भी माननीय मंत्रीजी, आपने कहीं लिखी नहीं है। जब आप एक्ट में ही आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हो, नया संशोधन विधेयक ला रहे हो, नया विधेयक लाने के बाद इतनी बड़ी भूल, मैं सोचता हूं आप कैसे कर बैठे? आप किसके लिये एक्ट बना रहे हो? वे सोसायटीज जो चल रही हैं, प्राइवेट बनाते हैं करते हैं, उनके लिये? वे तो आलरेडी चल रही हैं। उनकी व्यवस्था इस एक्ट के तहत हो रही है। इसको कंट्रोल करने की आपने कहीं व्यवस्था की होगी। लेकिन सहकारी अधिनियम, 1965 में जिस भावना के साथ लागू किया गया था, उस भावना को यहां पर ओवर लुक किया गया है। बिलकुल नहीं देखा गया है।

(श्री हीरासिंह चौहान)

माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अभी तक और संशोधन ला रहे हैं, बहुत सारे क्लाज जो ठीक नहीं थे उनमें संशोधन कर रहे हैं। यह है—

Chapter II— Incorporation.

"3 Promotion of co-operative movement. It shall be the policy of the Government to encourage and promote the co-operative movement in the State and to take such steps in this direction, as may be necessary or desirable."

ये तीन लाइनें आपने इसमें लिख दी हैं, इसके अलावा आपने कोई लाइन नहीं लिखी है। इसके जस्ट बाद एक रजिस्ट्रार का पद आपके पास पहले से ही है। रजिस्ट्रार इनका निवेदन करता है, वह सारा प्रबन्ध सम्भालता है, कोई न कोई तो राज का अधिकारी सम्भालेगा। लेकिन इसके बाद में आपने सैक्शन छह में जो दिया है रजिस्ट्रेशन, माननीय सभापतिजी, मुझे बड़ी आपत्ति है। कानून जब बनाते हैं, तो वह बहुत डेफिनिट होना चाहिये, बहुत स्पष्ट होना चाहिये। सैक्शन 6, 7, 8, 9, 10 में आपने एक प्रकार की व्यवस्था की है। पहली व्यवस्था तो आपने छह में यह की है कि रजिस्ट्रार किस-किस प्रकार से रजिस्ट्रियां करेंगे। अब इनमें से एक सब क्लाज-2 पढ़ना चाहता हूं—

"If the Registrar finds that any one of the conditions laid down in sub-section (1) is not satisfied, he shall, after giving such of the applicants, as may be prescribed, an opportunity of being heard, communicate the order of refusal together with the reasons thereof, within sixty days from the submission of the application." यहां तक तो ठीक है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन के लिये एप्लीकेशन को नहीं मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद आगे और प्रोविजन करते हैं, सैक्शन थ्री में कि विदिन थर्टी डेज रजिस्ट्रार करे, या गवर्नमेंट करें। गवर्नमेंट है इसमें। विदिन 30 डेज अगर गवर्नमेंट और रजिस्ट्रार नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह रजिस्टर हो गयी। मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र कहां से मिलेगा? इसका सैंस क्या ले रहें हैं, आप? Is it a definite law? It creates ambiguity. It is not a definite law. इस क्लाज को आपको हटाना चाहिये और बहुत स्पष्ट बात कहनी चाहिये।

यह आपने एक में ही नहीं किया, बाई लाज में भी यह की यह भाषा है। रजिस्ट्रेशन में यह भाषा है, बाई लाज में यह भाषा है। आपने सैक्शन 10 और 11 तक सबमें यह की यह लैंग्वेज लिख

(श्री हीरासिंह चौहान)

दी। इस लैंग्वेज की कहां आवश्यकता थी, मुझे आप समझाने की कोशिश करेंगे? रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन देगा? जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है सोसायटी का, सोसायटी को प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। उसकी सैंक्टिटी क्या होगी? कानूनी उसका क्या स्वरूप बनेगा? तो यह जो क्लाज आपने रखा है मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, इस क्लाज में आप थोड़ा सुधार कीजिये और सुधार करके डेफिनिट कीजिये। रिफ्यूजल मीन्स रिफ्यूजल। ला कोई असैप्ट नहीं करता तो रिफ्यूजल-रिफ्यूजल, या असैप्ट-असैप्ट, 30 डेज की क्या बला है समझा जायेगा कि यह रजिस्टर हो गयी? किसके विश्वास पर आप छोड़ रहे हो? यह तो क्या होगा, सोसायटी के बीच में, रजिस्ट्रार के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक फुटबाल, खेलने वाला नाटक होगा और यह नाटक पांच साल तक चलता रहेगा। पांच साल तक न तो इसका रजिस्ट्रेशन होगा और न वह सोसायटी काम कर सकेगी। हां बताइये....

श्री परसादी लाल (सहकारिता राज्य मंत्री): माननीय सदस्य, अगर 30 दिन में रजिस्ट्रार या सरकार फैसला नहीं करती है रजिस्ट्रेशन का, तो सुओमोटो रजिस्ट्रेशन हो जायेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : प्रमाण पत्र कौन देगा?

श्री परसादी लाल : उसका प्रमाण पत्र यह सब रूल्स में आयेगा। रूल्स और बनेंगे, सारी चीजें रूल्स में आयेंगी। एक्ट में सारी चीजें थोड़े ही आयेंगी।

श्री हीरासिंह चौहान : जब आप ला में ही साइलेंट रह रहे हो तो रूल्स में क्या बनेगा? रूल्स भी पढ़े हैं मैंने। उसमें क्या-क्या बातें हैं, रूल्स भी मैं बता दूं....

श्री परसादी लाल : अभी रूल्स बने ही नहीं हैं, पढ़े कहां से हैं?

श्री हीरासिंह चौहान : मैं बताऊं आपको। रूल्स नहीं बने, बन जायेंगे।

श्री परसादी लाल : आपकी मंशा के अनुरूप बनायेंगे, उसको प्रमाण पत्र मिल जायेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, नहीं। प्रमाण पत्र मिल कहां से जायेगा? जो आपने रूल्स वाली भाषा लिखी है वह भी मैं बता दूं। आप किन-किन बातों के रूल्स बनायेंगे? उप विधियों की विषय वस्तु क्या होगी? सोसायटी का नाम, पता, उसका कार्य क्षेत्र, सोसायटी के उद्देश्य, रीति-नीति, निधियां जुटा सकेगी, शेयर पूंजी, सदस्यों के दायित्वों का प्रकार और सीमा, व्यय सीमा इसमें लिखा है। आपने डायरेक्ट गाइड लाइन दे दी है कि ये-ये उप विधियां बनेंगी, बाई लाज बनेंगे, इन-इन बातों को शुमार किया जायेगा। जब इन-इन बातों को शुमार किया जायेगा

(श्री हीरासिंह चौहान)

तो कहां से वह सर्टिफिकेट हासिल करेगा? इस समय एक्ट बना है इतने समय बाद, प्रवर समिति के बाद चार-छह महीने हो गये, साल से लेकर अभी मई भी आने वाली है और प्रवर समिति ने अध्ययन क्या किया? आई.पी.सी. बनी हुयी नहीं है? सी.आर.पी.सी. बनी हुयी नहीं है? सी.पी.सी. बनी हुयी नहीं है? वैरी डेफिनिट ला होता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस प्रकार की एम्बिग्यूटी रखकर आप कानून बनाना चाहते हो, क्यों किसी की दया पर छोड़ना चाहते हो? मैं तो सबसे पहले एतराज करता हूं कि किसकी दया पर छोड़ना चाहते हो और इस प्रकार के कानून विधान सभा में पास करके हम सबकी खिल्ली क्यों उड़ाते हो आप? हम कानून बनाना नहीं जानते हैं? कानून बनाना नहीं जानते हैं, मतलब क्या है? अंग्रेजों का कानून बना हुआ है 1862 में, आई.पी.सी. में हम दो सैक्शन में परिवर्तन अब तक कर सके हैं। बहुत कोशिश के बाद भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। सी.पी.सी. में हमने अभी तक परिवर्तन नहीं किया। तो यह क्या कानून बना रहे हो आप जिसमें स्पष्ट स्पीकिंग ला नहीं है? हम एक्शन ले सकते हैं, इस प्रकार की भाषा आप इन्सर्ट नहीं कर सकते, इस प्रकार की भाषा आप नहीं लिख सकते। कौनसे विद्वान हैं जिन्होंने आपके इस बिल को बनाया? क्या बनाया आपने? ये जितने भी सैक्शन हैं, एक ही नहीं है, सैक्शन 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 है और 11 में तीनों के बाई लाज में यही है।

आपके अमालगमेशन का तो आपने एक बहुत जोरदार ही ऊंचा काम किया, 13 में मैं बताना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, आप सैक्शन 13 देखिये—

"Proposal by Registrar for amalgamation, division and re-organisation in public interest etc...."

आपने दिया। पब्लिक इंटरेस्ट में एक जगह आपने सैक्शन 14(3) में क्या लैंग्वेज लिखी है? आपको खुद भी इस लैंग्वेज को पढ़कर हंसी आयेगी? अपने यह लिखा है कि सोसायटीज का डिवीजन हो सकता है। डिवीजन मांगा है कि एक सोसायटी की दो होंगी। दो होने के बाद आपने क्या लैंग्वेज लिखी है, कि वह जो पहली सोसायटी है वह कैंसिल हो जायेगी। यह आप देखिये 14(3) में—

"Where a co-operative society divides itself into two or more co-operative societies in accordance with the provisions of section 12 or is to be divided by the Registrar in accordance with the provisions of section 13, the registration of the society shall stand cancelled...."

(श्री हीरासिंह चौहान)

किसको कैंसिल कर रहे हो आप? एक से दो में पहले वाली तो जीवित है, कैंसिल किसको कर रहे हो आप? आप कैंसिल किसको करने जा रहे हो? एक से दो बनी हैं, तो एज इट है पहले वाली तो। तो फिर कैंसिल किसको करना चाहते हो? लैंग्वेज लिखी है कैंसिल किस सोसायटी को आप कैंसिल करने जा रहे हो? हां, बताइये आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह तो जनमत जानने के लिये प्रस्ताव है, आप हरेक सैक्शन पर बोलना शुरू हो गये। जब बिल का 14 सैक्शन आयेगा तो हम उसका जवाब देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : तो भजन बोलें क्या आपके सामने? सैक्शन पर नहीं बोलूंगा तो भजन बोलूंगा क्या? I am putting the reasons. कि इसमें जनमत जानने के लिये क्यों भेजा जाये? आपने गलतियां की हैं इसीलिये इसको बता रहा हूं मैं। गलत कानून बनाया इसीलिये तो हमने विरोध किया कि इसको तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये भेजा जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : या फिर एक-एक क्लाज का मैं जवाब दे दूं।

श्री हीरासिंह चौहान : ये गलतियां आप मंजूर नहीं कर रहे हैं क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं मंजूर....

श्री हीरासिंह चौहान : यह करैक्ट लिखी हुयी है। आप ईमानदारी से उठाइये, सैक्शन 14 और सब क्लाज (3) देखिये। आप करैक्शन पर बात करो, क्या लिखा है इसमें। फिर आपने कैंसिल कैसे लिखा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तानाशाही है कि नहीं मंजूर? मंत्री महोदय, आप सड़कों पर कहो, नहीं। यह राजस्थान की विधान सभा है, कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। आपने टैक्नीकली उठाया और आप बैठे-बैठे कह रहे हो, मंजूर नहीं करोगे। तर्क से आप बताइये, क्यों नहीं करोगे आप?

डा. किरोड़ी लाल : इतनी मानो इतनी बात तो +++ मानो आप भतीजे की। इतनी बात तो मानो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सभापति महोदय, मंत्री महोदय किस अदा से हाथ हिला रहे हैं, नहीं करूंगा मंजूर। राजस्थान की विधान सभा में चुनकर आये हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी हो, पारदर्शी सरकार कहते हो, उत्तरदायी सरकार कहते हो, बैठे-बैठे कह दिया मंजूर नहीं करोगे।

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय ने कोई बात नहीं कही। मंत्री महोदय ने तो....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप दूसरी बार, तीसरी बार आये हैं, मैं कई बार आया हूं। इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : आप सौ बार आओ, और आओ, स्वागत है आपका। हम कोई नाराज नहीं है, आप सौ बार आओ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन धमकियों से मेरे पर असर नहीं पड़ेगा। इन धमकियों से मैं नहीं डरता। आप मेहरबानी करके शांति से सुनिये और शांति से बोलिये। मैंने आपसे यह निवेदन किया है कि सैक्शन 14 में आप जो चाहते हैं उसके बारे में क्लाज बाई क्लाज मैं डिटेल में आपको रिप्लाई दे दूंगा। And you will be convinced. यह बात मैंने आपसे कही है।

डा. किरोड़ी लाल : यह बात क्या कही है आपने, यह बात समझ में नहीं आयी। मैं तो बहुत बार आया हूं, आप जैसे.....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यूं अभी मैं एक-एक क्लाज का जवाब शुरू करूं फिर वापस एक-एक क्लाज का जवाब दूं, इतना समय और....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय किरोड़ी लालजी, आप बीच में कहां आ गये? यह दोनों राठौड़ों का मामला है, आप विराज जाओ। यह दोनों राठौड़ों का मामला है।

डा. किरोड़ी लाल : यह राठौड़ों का मामला नहीं है, काका-भतीजे का मामला है। मेरे को ऐसी बात सुनायी दी आपने जो बहुत कहा, मैं तो बहुत पहले से हूं, आपने तो बहुत निकाल दिये, कुछ ऐसी बात कही है। उन्होंने क्यों.....(व्यवधान) फिर कहो ना आप उनको, यह क्या है।

श्री सभापति : माननीय हीरासिंहजी। माननीय मंत्रीजी ने यह कहा था, माननीय मंत्रीजी का यह कहना था कि जिस वक्त आपने जनमत जानने के लिये कहा है, आप खण्ड पर बात कर रहे हो इसलिये जनमत जानने के कारणों पर प्रकाश डालिये। जब माननीय मंत्रीजी इसका उत्तर देंगे तो आपको सारी खोल देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर प्रकाश तो डालना पड़ेगा।

मेरा निवेदन है इसको आप देखिये। मैं और नोटिस में लाना चाहता हूं, इसको मैं पूरा पढ़ लेता हूं— ".......the registration of the society shall stand cancelled on the registration of the new societies, and that society shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as a corporate body." इस डिवीजन में भी नयी बनने वाली सोसायटी, एक सोसायटी से बनने वाली, यह भाषा किस प्रकार आपने प्रयोग कर ली? इसको आप देखने का कष्ट कीजिये।

(श्री हीरासिंह चौहान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, कि हमारी पूर्व सरकार में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने सन् 1955 में धारा 149 के कुछ प्रावधानों में छूट देकर अरबन को–आपरेटिव सोसायटीज इत्यादि का पूरे राजस्थान में जाल फैलाया। अभी संयम लोढ़ाजी कह रहे थे कि अरबन को–आपरेटिव सोसायटीज के कार्य–कलाप ठीक प्रकार से नहीं है। कई लोगों के साथ चीटिंग करती हैं और लोगों को करोड़ों रुपयों का लोन दे देती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आपने इंडिवीजुअल मैम्बर बनाने की भी रोक लगायी है कि कोई इंडिवीजुअल मैम्बर नहीं बन सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंडिवीजुअल मैम्बर नहीं बनेंगे सोसायटी की मैम्बर बनेंगी? क्या ग्रुप मैम्बर बनेंगे? यह जो लैंग्वेज लिखी है उसकी भी मैं बता देना चाहता हूं कि इंडिवीजुअल मैम्बर बनने पर आपने रोक लगायी है तो कौन मैम्बर बनेगा?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पेज नम्बर?

श्री हीरासिंह चौहान : यह लिखा है पेज नम्बर 17 पर, चैप्टर 3 और पार्ट 15 — Members of co-operative societies and their right and liabilities. इसमें आपने प्रोविजन में किया है— "Provided that an individual shall not be eligible to the member-ship of a financing bank......"

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप हिन्दी में पढ़िये, मुझे हिन्दी में जवाब देना है।

श्री हीरासिंह चौहान : सैक्शन तो आप देख लीजिये, वही का वही है। हिन्दी का बता देता हूं, चैप्टर 3, सब हैं इनके पास लेकिन मेरी एक्सरसाइज करायेंगे।

यह पेज 15 पर है हिन्दी में, सहकारी सोसायटी की सदस्यता, उसके अधिकार और दायित्व। इसमें आपने और बातें तो लिखी हैं कि भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, स्वस्थ चित्त हो, प्रवर समिति किसी विधि संहिता के तहत निहित हो। लेकिन इसके आगे परन्तुक में लिखा है, परन्तु कोई व्यक्ति भूमि विकास बैंक या किसी ऐसे वर्ग की सहकारी सोसायटी के सदस्य का पात्र नहीं होगा जो इस निमित्त विहित किया जाये। इसको हम नहीं समझ पाये हैं। इंडिविजुअल मैम्बर क्यों नहीं बनेगा? जितनी भी आपकी अरबर को–आपरेटिव सोसायटीज हैं, इनमें सारे इंडिविजुअल मैम्बर हैं और जितनी भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उसमें भी सारे इंडिविजुअल मैम्बर हैं। अब इंडिविजुअल मैम्बर नहीं बनेगा तो क्या सहकारी संस्था मैम्बर बनेगी? इस वर्ड को भी आप देखिये, इसको क्यों इनसर्ट किया गया है, क्लाज बनाया गया है। यह भी एक गम्भीर विचार का विषय है।

मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रस्तुत करते समय अनुसूची 'क' में आपने पृष्ठ संख्या 94 पर कुछ बातें लिखी हैं

(श्री हीरासिंह चौहान)

स्वैच्छिक और खुली सदस्यता। सहकारी अभियान को आगे बढ़ाने के लिये आपने जो सिद्धान्त इनकारपोरेट किये हैं, उनमें है, स्वैच्छिक और खुली सदस्यता। सैक्शन 15 का यह जो प्रोविजन है, उसमें एकदम दखल कर रहे हैं। आप किस प्रकार स्वैच्छिक मैम्बर बनाये और इसमें भाग लेवें? खुली सदस्यता के ऊपर भी रजिस्ट्रार को इतने पावर दियें गये हैं, हमने देखा है कि किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होते हुये भी, कोई ना तो चार्ज शीट देनी, न उस सदस्य के खिलाफ कोई आरोप लगाना, केवल एक जनरल वर्ड आपने लिख दिया, किसी भी सदस्य को रजिस्ट्रार हटा सकता है। What right has a Registrar got to cancel the membership of a member. है क्या इसमें? आपने इसमें उसके खिलाफ कोई ऐसे चार्जेज भी नहीं लिखे। कुछ बातें लिख दी हैं, किसी प्रकार का दोष सिद्ध हो जाये या पैसा मांगते हों। खुली छूट और स्वैच्छिक सदस्यता, सबसे पहले तो आप इसी पर हमला कर रहे हैं। आप इस प्रकार की खुली सदस्यता नहीं बनाने देना चाहते। हम मानते हैं कि जो मनी लैंडिंग का काम करे, वह मैम्बर नहीं बने, लेकिन और कुछ धंधा करें, उसकी मैम्बरशिप पर भी आपने कुठाराघात किया है। यह तो आपने पहले को-आपरेटिव सिद्धान्त पर ही हमला कर दिया। इसलिये, माननीय राठौड़ साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि खुली सदस्यता पर जहां-जहां आपने रोक लगायी है, आप उसको हटायें। मैम्बर तो इसमें इंडिविजुअल बनता है, कारपोरेशन तो बन नहीं सकता है। एक सोसायटी दूसरी सोसायटी की मैम्बर बनती है तो अपैक्स बैंक वगैरह इनकी बनती है, वह बनने का अधिकार उनको आलरेडी है।

श्री परसादी लाल (सहकारिता राज्य मंत्री): यह अभी जो आप कह रहे थे इंडिविजुअल मैम्बरशिप, यह बात दूर हो जायेगी।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, बढ़िया, आपको धन्यवाद।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): हमारे जिले के मंत्री को देखा।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी.... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल (बंशीवाल) : आपने अपने +++ भी देखे और हमारे मंत्रीजी देखे।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, जो आपने संशोधन का जिक्र किया है, क्या सर्कुलेट कर दिया है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, कर दिया है।

श्री सभापति : फिर आपका ध्यान होना चाहिये। यह सर्कुलेट हो चुका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सर्कुलेट नहीं हुआ है। कोई अभी रीसेन्ट आ गया हो तो पता नहीं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. किरोड़ी लाल : आ गया, आ गया। सभापति महोदय, मैंने यह मान लिया कि इनके +++ प्रभावी नहीं हैं, मेरे +++ ने सर्कुलेट करा दिया है। इन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : इग्नोरेंस आफ ला इज नो एक्सक्यूज, आपने कागज नहीं देखा। इसका मतलब यह नहीं कि सर्कुलेट नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब हुआ...... (व्यवधान) हाउस में हुआ ना।

डा. किरोड़ी लाल : हो गया, हो गया, यह है +++ का प्रभाव।

श्री हीरासिंह चौहान : इस प्रकार को-आपरेटिव सोसायटी की संस्थाओं पर आपने शिकंजा कसने की कोशिश की है। माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, जो संस्थाएं स्वायत्तता के साथ सरकार से किसी प्रकार का लोन लिये बिना काम करना चाहती हैं, कल हमारे पास एक एग्जाम्पल आया, सीकर अरबन सोसायटी वाले एक लाख रुपये का उनका कोई शेयर था, लौटाने आये तो आपके रजिस्ट्रार वगैरह ने मना कर दिया कि हम इस पैसे को वापस नहीं लेते हैं। मनी लौटाना है और उस पैसे को आप वापस नहीं लेते हैं। आपका कानून अपनी जगह है, कानून में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। हम हमारी बात को रख रहे हैं, वह अपनी जगह है। लेकिन एक अरबन को-आपरेटिव सोसायटी एक लाख रुपये वापस जमा कराने आये और आपके सहकारिता रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी उसको लेने से मना कर रहे हैं, क्या कारण है? पैसे ही तो लेने हैं। क्या हर इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उनमें एड देते हैं? एड आप दे भी नहीं सकते हैं और एड देकर चला भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप आडिट करा सकते हैं। इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं आपके राज में चल रही हैं। राज्य में कोई संस्था चलती है तो आपको पावर होता है, कई प्रकार से उसकी देखरेख करने के पावर होते हैं। लेकिन उन संस्थाओं पर बिना कारण के हमला करने से जो व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं, वे शिकंजे में होकर वह काम कर रही हैं। एक अरबन को-आपरेटिव सोसायटी के हमारे पाली में चुनाव हुये हैं, ब्यावर में चुनाव होते हैं जो ठीक ढंग से चल रही हैं उनको ठीक ढंग से चलते रहने देना चाहिये। इसलिये मेरा सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन है कि सिद्धान्तों के साथ आप ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से राजस्थान के गांवों की स्थिति को कुछ सुधारना चाहते हैं तो इसमें आपको प्रारम्भिक तौर से एक बात इन्सर्ट करनी पड़ेगी कि प्रत्येक गांव में ग्राम सेवा सहकारी समितियां

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हीरासिंह चौहान)

बने। यह जब तक आप नहीं बनायेंगे इस एक्ट के कोई मायने नहीं है। कोई अर्थ ही नहीं रहता है। उसे सबसे पहले लाना पड़ेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत जहां राजस्थान में स्थित हैं वहां पर हम नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनायेंगे। जिनका पहले अमालगमेशन कर दिया, बड़ी-बड़ी सोसायटियां बना दीं, आर्थिक रूप से गांव में विकास के लिये कोई अर्थ नहीं रहता है। उनका बड़ा दायरा बनाने की कोशिश करेंगे।

इसी प्रकार किसानों की जो हालत है, आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि भारत में आधे राज्यों में किसानों का फसली बीमा हो गया। लेकिन राजस्थान सरकार अभी तक फसल बीमा नहीं कर पा रही है। वह 80 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार से मांग रही है जबकि दूसरे जितने भी राज्य हैं, उनमें सबमें 50-50 प्रतिशत के हिसाब से फसली बीमा होना शुरू हो गया। फिर हमारी राजस्थान सरकार किसानों के गीत गाती है कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिये हम काम कर रहे हैं। पिछले तीन सालों में 16 हजार करोड़ रुपये का किसानों का नुकसान हुआ। इसके लिये सहकारी समितियां एक माध्यम हो सकती है। एक-दो बार मेरे विधान सभा क्षेत्र रायपुर में किसानों ने देवली, कुशालपुरा इत्यादि गांवों में इस प्रकार का फसल बीमा लिया था, लेकिन जब तक सोसायटियां सब जगह बनेंगी नहीं, जाल को आप सब जगह फैलायेंगे नहीं, तब तक.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप वही बात रिपीट कर रहे हैं, आपने बात कह दी, जनमत जानने के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान : इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को पास करना है तो इसमें क्या-क्या कमियां रह गयी हैं, उन कमियों को हटाने की व्यवस्था करें। जब तक नहीं हटती हैं तब तक मेरा निवेदन है कि इसे तीन महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति : आप बोलेंगे? आप उपस्थित तो थे नहीं, समय का ध्यान रखें।

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : सभापति महोदय, दो-चार बातें मैं सहकारिता पर कहना चाहता हूं। मंत्रीजी से निवेदन है मेरा कि यह कानून तो बहुत पुराना बना हुआ है....

श्री सभापति : एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री आदराम मेघवाल : मैं दो ही बातें कहूंगा।

श्री सभापति : एक मिनट आप विराजें। आपको मौका दे देंगे। मैंने माननीय रतन लालजी का नाम पुकारा है।

(16.00 बजे)

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के ग्रामीण जीवन के आर्थिक, सामाजिक विकास और उसकी खुशहाली के लिये सहकारिता का आन्दोलन आजादी के बाद राजस्थान में स्थापति हुआ। राजस्थान में कई अच्छी-अच्छी सहकारी समितियों के गठित गठन से यह आन्दोलन आगे बढ़ा। 1965 के बाद पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाली सरकार ने एक आदर्श कानून बनाने का संकल्प जाहिर किया, इसका मैं स्वागत करता हूं। बताया गया कि मध्य प्रदेश के पैटर्न पर राजस्थान का नया सहकारी अधिनियम लाने का प्रयास किया जायेगा। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इस देश में सहकारिता के आन्दोलन में आगे बढ़े हुये राज्य माने जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस अधिनियम में उन राज्यों के अधिनियमों और नियमों की प्रतिछाया बहुत कम लक्षित हो रही है।

सबसे पहले तो मैं यह चाहूंगा कि राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 के स्थान पर उसका नाम राजस्थान सहकारी संस्था या समिति विधेयक, 2001 संशोधित किया जाना चाहिये। सोसायटी के स्थान पर समिति या संस्था इसमें हो, यह मेरा विनम्र सुझाव है।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि नया आदर्श अधिनियम लाने का मकसद सरकार का यह था कि लोकतांत्रिक भावनाओं का समावेश हो। लेकिन सारे अधिनियम को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जितना लोकतांत्रिक यह होना चाहिये वह नहीं हो पाया और सरकारी मशीनरी के शिकंजे से कैसे मुक्त हो, यह अवधारणा भी पूरे तौर से इस अधिनियम में नहीं हो पायी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पंचायती राज विधेयक बना, जो इसमें सोच रखने वाले व्यक्ति थे, सभापति महोदय, आप भी सम्मिलित थे, दूसरे लोग भी सम्मिलित थे, तत्कालीन सरकार ने काफी विचार-विमर्श किया, चाहे सारा न माना हो किन्तु बहुत सारी बातों को माना भी था। इसी तरह से इस अधिनियम में भी मैं समझता हूं कि काफी चिंतन की आवश्यकता है। जब तक इसको लोकाभिमुख बनाने के बारे में नहीं सोचा जायेगा। तब तक हमारी अवधारणा पुष्ट नहीं हो पायेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिये। उसके बाद इस अधिनियम के कई खण्ड ऐसे हैं, 13, 28, 30, 34 मैं अलग-अलग इस समय व्याख्या नहीं करना चाहता क्योंकि बाद में इसमें शायद बोलना पड़े, 54, 55, 111, 123 की जो स्थिति है वह सब ठीक प्रकार से इसमें नहीं आ पाई है, उनको और भी ज्यादा लोकतांत्रिक स्वरूप देने की आवश्यकता है।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

(16.03 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जब हम स्वयं यह मानते हैं, "एक सब के लिये और सब एक के लिये" की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस तरह के महत्त्वपूर्ण विधेयक को जिस भावना के साथ तैयार करना चाहिये वह नहीं हो पाया है।

इसको मूल कर्मचारी, जो ग्राम सेवक सहकारी समिति का व्यवस्थापक होता है, उसकी सेवाओं की सुरक्षा, पदोन्नति, पेंशन आदि बातों के लिये बहुत आन्दोलन होते रहे, कई बार सामने भी आता गया, उसके बावजूद भी इसके बारे में कोई स्पष्ट नीति और भावना इस अधिनियम में आनी चाहिये, वह नहीं आ पाई, इसलिये भी यह आवश्यक है।

इसमें प्रशासक का महत्त्व फिर बढ़ाया गया है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में तिलम संघ हो, गुलाबपुरा की और गंगापुर की को–आपरेटिव मिल हो, केशवरायपाटन की मिल हो, जब तक लोकतांत्रिक रूप से चुने हुये लोगों के हाथ में थीं, ठीक चलती रहीं। ये बड़ी संस्थाएं जो तत्कालीन सरकारों ने बड़ी सूझ–बूझ और व्यवस्था के साथ स्थापित की थी, उनकी प्रशासक काल के बाद क्या दुर्दशा हुयी, यह बात आपसे छिपी हुयी नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों को आप देखकर जनमत के आधार पर उनका समावेश करने की आवश्यकता है।

25–30 साल पहले एक दांते समिति बनी थी। उस दांते समिति ने सोसायटियों के बारे में कुछ सुझाव दिये थे। उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में अन्तर है। उस समय इकोनोमी के आधार पर 5–5, 7–7 पंचायतों की एक समिति बना दी गयी थी, जबकि हमारे राष्ट्र के निर्माता पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने यह कल्पना की थी कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक को–आपरेटिव सोसायटी और एक विद्यालय होगा। आज उसी परिकल्पना के आधार पर हम राजस्थान की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालें तो 4–4, 5–5 पंचायतों पर एक–एक सहकारी समिति बनी हुयी है। इस एक्ट में इस सब भावनाओं को कहीं न कहीं किसी ढंग से स्पष्ट करके लाना चाहिये था।

बहुत सारी बातें माननीय राज्य मंत्री महोदय ने कहा कि नियमों में आयेंगी। नियमों में जो बातें आती हैं और एक्ट में जो बातें आती हैं, उनमें बड़ा अन्तर है। एक्ट में मूल भावना मोटे तौर से आनी चाहिये और उसके अन्तर्गत नियम बनते हैं। अभी नियम बनाने की बात तो बाद में आयेगी जब आयेगी, पर एक्ट में जो कमियां हैं उनको आज ही दूर करने की आवश्यकता है। गांव और गरीब को गणेश तब तक नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले जन

(श्री रतन लाल ताम्बी)

प्रतिनिधि लोगों के हाथों में ये संस्थाएं नहीं होंगी। जिस तरह के अधिकारी वर्ग के आधार पर संस्थाएं राजस्थान में चलीं और उनका जो हश्र हुआ है, उसको बचाने के लिये इसमें खास तौर से ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये मैं जनमत के लिये परिचालित करने की बात कहना चाहता हूं। आप भी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश को आदर्श बनाकर उसी भावना के आधार पर राजस्थान में इस महत्त्वपूर्ण एक्ट को लोने का प्रयत्न करें। बहुत सारी बातें समावेश कीं, मैं यह आरोप भी नहीं लगा रहा हूं कि नहीं कीं, पर अभी गुंजाइश है। बार–बार एक्ट नहीं बनते हैं। यह पहली सरकार है जो 36 वर्ष बाद इतना शानदार निर्णय करके यह अधिनियम लायी। इसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। पर साथ ही इसमें जो कुछ भी सुधार किया जा सकता है उसकी गुंजाइश नजर आती है। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, सहकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों तक जुड़े हुये माननीय सदस्यगण इस विधान सभा के प्रांगण में जो अपने विचार रखते हैं उनको सरकार को बहुत गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। सहकारिता मंत्री महोदय हमारे सदन के बहुत लम्बे समय से सदस्य रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुये रहे हैं। सहकारिता के राज्य मंत्री महोदय भी इस मामले में काफी लम्बे समय से जुड़े हुये हैं। मैं चाहूंगा कि सारे सदस्यों की भावना व राजस्थान के आम जन–जीवन से जुड़े इस महत्त्वपूर्ण विधेयक को बहुत गम्भीरता से बनाने के लिये चाहे हमको 2–4 महीने और लगें, बजट सत्र तक इसको पास करें, पर यदि आप और इसको ठीक बनाने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में आपका नाम जुड़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जनमत जानने के लिये परिचालित करने का जो मैंने अनुरोध किया है। उस पर विचार किया जायेगा, ऐसी मैं आशा करके अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायणजी विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 को पुनः एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये; जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत करें, सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत की जायेगी, के वास्ते प्रस्ताव पेश करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 11 मई, 2001 को यह विधेयक माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये निर्णय किया गया था। प्रवर समिति की 11 ही बैठकें हुईं और प्रवर समिति के 21 सदस्य जैसा बातचीत करने से मालूम हुआ, पूरा समय इस अधिनियम को एक

(श्री रामनारायण विश्नोई)

पूर्ण रूप देने के लिये नहीं लगा सके। इसी कारण आज अभी तक भी माननीय मंत्री महोदय की तरफ से भी संशोधन उपस्थित किये जा रहे हैं और बाकी बहुत से संशोधन विभिन्न खण्डों के ऊपर माननीय सदस्यों के द्वारा भी दिये गये हैं। जो विचार सदस्यों ने रखे हैं। उसमें एक बात यह निश्चित रूप से सामने आती है कि अभी भी इस महत्त्वपूर्ण विधेयक में बहुत सी खामियां रह गयी हैं। इसलिये यह जनमत जानने के लिये परिचालित न होकर वापस प्रवर समिति को ही भेजा जाना चाहिये ताकि विधायकगण जन भावनाओं को लेकर जो सजेशन लाये हैं, उन पर वापस पूरा समय दें और जो संशोधन आज प्रस्तुत किये गये हैं, उन संशोधनों के हिसाब से वापस नये विधेयक को पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको भली-भांति मालूम है कि जब राजस्थान का गठन हुआ था 1949 में, उस वक्त कोई सहकारी आन्दोलन नहीं था। राजस्थान के अन्दर सबसे पहले राजस्थान को-आपरेटिव सोसायटी एक्ट, 1953 दिनांक 1.4.1953 को फोर्स में आया। उसके बाद 1956 में राजस्थान को-आपरेटिव लैण्ड मोरगेज बैंक्स एक्ट, 1956 पास हुआ। इन दोनों एक्टों को अजमेर, आबू एरिया और सुमेल एरिया में 1.9.1957 से लागू किया गया। इसके बाद 1965 में दोनों एक्टों को मिलाकर राजस्थान में सरकार की तरफ से राजस्थान को-आपरेटिव एक्ट, 1965 बना। इसके अधीन प्रदेश के अन्दर सहकारिता आन्दोलन से आर्थिक और सामाजिक विकास काफी हद तक हुआ है।

सहकारिता लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित कार्यक्रम है। राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में सहकारिता का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। "सब एक के लिये और एक सब के लिये" के मूल मंत्र से राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे लाने में काफी हद तक सहकारिता आन्दोलन का योगदान रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये जब हम 35-36 साल बाद नया सहकारिता विधेयक ला रहे हैं तो इसमें जल्दी नहीं करके काफी सुझाव जो सदस्यों के आये हैं उन पर गहनता से दुबारा विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ विशेष तथ्य जिन पर माननीय मंत्रीजी को ध्यान देना चाहिये, उनके ध्यान से रह गये। इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के लिये जब आवेदन पत्र दिया जाता है, उस आवेदन पत्र के साथ में उप विधियां, बाई लाज सोसायटी के द्वारा तैयार करके पेश किये जाते हैं। उन बाई लाज को देखकर जब रजिस्ट्रार सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद में रजिस्ट्रार को धारा 11(3) और (4) में फिर यह अधिकार

(श्री रामनारायण विश्नोई)

देना कि वह किसी भी समय अपनी मनमर्जी से उन उप विधियों को उन सारे बाई लाज को समाप्त कर सकता है, रद्द कर सकता है, कहां तक ठीक है? स्वायत्तता का सिद्धान्त जो है, अपने बाई लाज पर एक्ट करके काम करने की जो विधि थी, उस प्रिंसिपल को फोलो नहीं किया है। मैं आपका ध्यान धारा 11 (3) और (4) की ओर दिलाना चाहता हूं।

"यदि किसी भी समय रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी सहकारी सोसायटियों के किसी वर्ग की उप विधियों का संशोधन ऐसी सोसायटी या सोसायटियों के वर्ग या उसके सदस्यों के व्यापक हित में या लोक हित में आवश्यक या वांछनीय है तो वह ऐसे संशोधन के प्रस्ताव सोसायटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को यह अपेक्षा करते हुये भेज सकेगा कि प्रस्ताव पर सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक में तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर विचार किया जाये।"

सोसायटी को भेजने के बाद अगर वह सोसायटी बहुमत से इस निर्णय पर आती है कि हमें इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है उसके बावजूद, "(2) जहां सोसायटी प्रस्तावित संशोधन पर अपनी सहमति से संसूचित करती है वहां रजिस्ट्रार संशोधन का रजिस्ट्रीकरण कर सकेगा और उसका प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। जो सोसायटी की उप विधियों का भागरूप होगा।"

"अगर सोसायटी अपनी जनरल बाडी की मीटिंग में रजिस्ट्रार के संशोधन के सुझाव को स्वीकार नहीं करती है, उसके बाद रजिस्ट्रार को यह अधिकार देना उप धारा 3 के अन्दर, "(3) जहां सोसायटी रजिस्ट्रार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार करती है, उसके बाद रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा संशोधन किया जाना आवश्यक है वहां वह ऐसे इंकार की संसूचना की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर–भीतर प्रस्ताव को उसके कारणों सहित उस पर विचार के लिये राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार, (प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् सोसायटी को उप विधियों में तद्नुसार संशोधन करने का निर्देश देगी)। सोसायटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रार को, (4) जहां सोसायटी उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर रजिस्ट्रार के प्रस्तावों पर विनिश्चय करने में विफल रहती है वहां ऐसी कालावधि की समाप्ति पर प्रस्तावित संशोधन सोसायटी द्वारा सम्यक् रूप से पारित किया हुआ समझा जायेगा और रजिस्ट्रार संशोधनों का रजिस्ट्रीकरण करेगा और इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा।"

तो मेरा निवेदन यह है कि आप जब यह संशोधन करने जा रहे हैं तो धारा 11 की उप धारा (3) और (4) के अन्दर रजिस्ट्रार को जो अधिकार दिये गये

(श्री रामनारायण विश्नोई)

हैं, उप विधियों के अन्दर, बिना सोसायटी की मर्जी के उन पर थोपने के लिये, इसमें ये संशोधन क्यों दिये? इससे वे हटा दिये जाने चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि धारा 2(ड) में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को डिफाइन किया गया है। 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' से ऐसा व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है जिसे समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अध्यधीन रहते हुये सोसायटी का प्रबन्ध सौंपा जाता है।'' परिभाषा बिलकुल ठीक है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अध्यधीन रहते हुये सोसायटी का प्रबन्ध करेगा। अगर हम इससे सम्बन्धित धारा 29 को देखें तो धारा 29 के अन्दर सोसाइटी का उसमें किसी प्रकार का कोई सुपरवीजन नहीं रह पा सकेगा। अधिनियम की धारा 29 की उप धारा 2, ''इस अधिनियम या किसी सोसायटी की उप विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहां सरकार ने किसी सहकारी सोसायटी के शेयर पूंजी में पांच लाख रुपये या अधिक की सीमा तक अभिदाय किया है वहां सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी उप धारा (1) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त दूसरा सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेगा और उसे ऐसी सोसायटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा, जो समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा। सरकार या यथा विनिर्दिष्ट ऐसा प्राधिकारी ऐसी सोसायटी में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करने के लिये किसी अन्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकेगा।''

''(3) सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट या नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति सरकार या सरकार द्वारा निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।''

सरकार की मंशा जब तक रहेगी, उसकी स्वीटविल पर यह मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहेगा, सरकार ही इसको अपाइंट करेगी। इसमें सोसायटी का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इस प्रकार से एक सोसायटी को बिलकुल पंगु बना दिया एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीन यह प्रावधान किया भी जाना था तो यह प्रावधान होना चाहिये कि किसी भी सोसाइटी की पूर्व अनुमति लिये बिना किसी भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जायेगी ताकि कम से कम उस अधिकारी को यह एहसास तो हो कि इस समिति के अनुसार, इस समिति के सदस्यों, कार्यसमिति, एक्जीक्यूटिव कमेटी की भावना के अनुसार मैं काम

(श्री रामनारायण विश्नोई)

करूं। तो मेरा यह निवेदन करना है कि यह धारा 2(ड) के अन्दर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करने के पहले उस सोसायटी की पूर्व अनुमति ली जानी आवश्यक है। उसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियंत्रण है समिति के अधीन ही रहना चाहिये। सरकार के प्लेजर पर किसी भी समय उसको लगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा सरकार द्वारा तीन अन्य सदस्यों का जो समितियों के अन्दर पांच लाख से ऊपर राज्य सरकार की पूंजी होने के बाद में नोमिनेशन किया जा रहा है, उस नोमिनेशन के अन्दर तीनों ही सदस्य सरकारी कर्मचारी होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन करना यह है कि तीनों ही सदस्य सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति के अन्दर जो स्वायत्तता की बात सहकारी समितियों के बारे में की जा रही है, कि सहकारी समितियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकेंगी, वह समाप्त हो जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि इसके अन्दर अच्छे सहकारिता क्षेत्र के अन्दर काम करने वाले जन प्रतिनिधि या दूसरे स्वयंसेवी संस्थाओं के आदमी जिन्होंने हमेशा सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर काम किया है, ऐसे कम से कम एक–दो सदस्यों का नोमिनेशन किया जाना चाहिये वरना सरकारीकरण होकर सरकारी समितियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में मैं धारा 15 की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो मैम्बरशिप से सम्बन्धित है। मैम्बरशिप से सम्बन्धित धाराओं के अन्दर जैसा रात–दिन हम लोग महसूस कर रहे हैं, गांव के अन्दर अगर किसी सहकारी समिति की एक्जीक्यूटिव कमेटी ने विचार कर लिया कि किसी मैम्बर को सदस्य नहीं बनने देना है तो उस स्थिति के अन्दर उसके लिये बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। इसके लिये जो प्रोविजन दिया हुआ है वह यह है कि "यह सहकारी समिति/सोसायटी के सदस्यों में सम्मिलित होने के लिये कार्य समिति जो सहकारी समिति की है, वह एक महीने के अन्दर उसको मैम्बर/सदस्य बनाने का निर्णय नहीं देगी तो उसकी अपील रजिस्ट्रार को की जा सकती है।" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 30 दिन की कालावधि के भीतर–भीतर आवेदन पर विनिश्चय करने का किसी सहकारी सोसायटी के लिये जो समय दिया गया है वह बिलकुल ठीक है। लेकिन उसके बाद में रजिस्ट्रार के यहां अपील पेश करने के लिये कोई न कोई निर्धारित समय दिया जाना चाहिये। अगर अपील पेश करने के बाद में छह–छह महीने तक अपील का निर्णय नहीं

(श्री रामनारायण विश्नोई)

होकर कोई व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य नहीं बन सकेगा तो इसकी सारी मूल भावना सदस्य बनने की है वह समाप्त हो जायेगी और जो सहकारी समिति की एक्जीक्यूटिव कमेटी कुछ सदस्यों को वहां सदस्य बनाने से वंचित रखना चाहती है, उनका ध्येय पूरा हो जायेगा। तो यह प्रोविजन एक निर्धारित समय रजिस्ट्रार के लिये भी धारा दो और तीन के अन्दर तय किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पुराने सहकारी विधेयक के अन्दर धारा 74 और 75 सबसे ज्यादा दुःखदायी धाराएं रही हैं। 74 के अन्दर सरचार्ज लगा दिया जाता था.....(व्यवधान) पुराने की कह रहा हूं 74 व 75, नये 57 और 58 हैं, 74 और 75 की जो धाराएं थीं उनमें सरचार्ज लगाने के बाद में भी पीड़ित व्यक्ति को रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता था और आज भी वही स्थिति है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी को-आपरेटिव के इंस्पैक्टर ने या और किसी अधिकारी ने कोई चार्ज लगा दिया, उसके बकाया राशि निकाल दी, उसके बाद में वह रजिस्ट्रार के पास जा सकेगा। रजिस्ट्रार उसका निर्णय करेगा या रजिस्ट्रार किसी दूसरे आदमी को अपाइंट कर देगा। पर धारा 75 के अन्दर इसी प्रकार के मिलते-जुलते डिस्प्यूट हैं, उनके अन्दर भी रजिस्ट्रार तय करेगा कि किसी आर्बिट्रेटर को नियुक्त कर देगा। तो मेरा निवेदन करना यह है कि 57 और 58 दोनों धाराओं को मिलाकर एक ही स्थिति की दी जाये ताकि इसके अन्दर सुविधा हो जाये। धारा 58 के अन्दर जो डिसीजन होंगे उनकी तो अपील का प्रोविजन ट्रिब्यूनल के अन्दर की जा सकती है। 57 की धाराओं के अन्दर अपील का प्रोविजन ट्रिब्यूनल के अन्दर नहीं है। ऐसी स्थिति में इस समस्या को दो जगह डुप्लीकेट करने की बजाय 57 और 58 को एक ही धारा बनाकर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वहां पर जो भी सरचार्ज का डिस्प्यूट्स है या कोई आपस में मैम्बर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स को तय किया जा सके।

विधेयक के अन्दर पहले तो धारा 152 थी और अब नयी धारा 118 इस एक्ट के अन्दर लगायी है, कोई अधिवक्ता वहां मर अपीयर नहीं हो सकता सोसायटियों के मामलों के अन्दर। अगर इसके अन्दर भी धारा 118 हटाकर, धारा 57 और 58 के मामलों के अन्दर किसी अधिवक्ता को अपीयर होने के लिये प्रतिबंध हटाते हैं तो उससे किसी सदस्य का नुकसान होने वाला नहीं है। ग्रामीण व्यक्तियों को जो कानून की जानकारी नहीं है, उनको पूरी जानकारी होकर सही निर्णय हो सकेगा, क्योंकि उसी व्यक्ति को जब वह ट्रिब्यूनल के अन्दर जाता है तो एक वकील को अपीयर होने के लिये आपने सुविधा दे रखी है। ऐसी स्थिति में यहां उसके अन्दर आप डालते हैं तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी नया संशोधन जो मंत्री महोदय ने पेश किया है उसकी धारा 51 के अन्दर कुछ अमेण्डमेंट करने की बात है। धारा 51

(श्री रामनारायण विश्नोई)

के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़े जाने का आप नया संशोधन पेश करने जा रहे हैं— "पर नागरिक बैंकों के लिये जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश किये गये हों, प्रभावशाली होंगे।" मेरा इसमें निवेदन करना यह है कि धारा 51(5) इसमें हटा दीजिये, क्योंकि धारा 51(5) में किसी वित्तीय बैंक की उधार नीति सरकार द्वारा अनुमोदित की जायेगी। वित्तीय बैंकों की जो भी उधार देने की नीति है वह सरकार द्वारा अनुमोदित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उधार देने की नीतियां रिजर्व बैंक, नाबार्ड वगैरह ने बना रखी हैं और कपूर कमेटी की भी यही सिफ़ारिश है कि जब बैंकों ने उधार देने की नीति बना रखी है तो उस स्थिति में उधार देने की नीति का सरकार द्वारा अनुमोदन करने के अन्दर बिना वजह समय लग जाता है और समय पर लोगों को ऋण नहीं दिया जाता। वित्तीय संस्थाओं, बैंकों की उधार देने की नीति है उसी के आधार पर ऋण दिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बाकी पारण पर बोल लेना, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का तो मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के चुनाव के अन्दर जिस प्रकार की गड़बड़ियां हमारे सामने आया करती थीं, उनको आपने दूर करने की कोशिश की है। पर फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सैक्शन 32 के अन्दर जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये हैं, उसमें आप फिर थोड़ी-सी कमजोरी कर गये। राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकरी अगर आपका इंडिपैंडेंट इनका निर्वाचन कराने की मंशा है तो किसी राजपत्रित अधिकारी को जो राजस्थान राज्य सहकारी सेवा के ऊपर रजिस्ट्रार के नीचे की रैंक का न हो। मेरा इसमें निवेदन करना यह है कि इसमें या तो आप किसी जुडीशियल अधिकारी को रखें। अगर सहकारी सेवा के ही आदमी को इसमें एडिशनल रजिस्ट्रार को करना चाहते हैं तो फिर इसके अन्दर हम जो स्वतंत्रता की भावना लेकर आये हैं कि इलैक्शन कमीशन बिलकुल इंडिपैंडेंट बाडी होगी, वह इंडिपैंडेंट बाडी इसमें नहीं हो पायेगी। इसके अलावा आप सहकारी सेवा के अलावा भी अगर किसी प्रशासन अधिकारी को, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को जो एडिशनल रजिस्ट्रार के पद से नीचे का न हो, उनको लगाये तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन मेरी राय में किसी जुडीशियल अधिकारी को इसमें लगाये तो बहुत अच्छी सुविधा की बात होगी। इलैक्शन के अन्दर हम निष्पक्षता चाहते हैं। हमारी मंशा यह है जिस प्रकार के इलैक्शन हुआ करते थे, एक इंस्पैक्टर जाता था 10-10, 15-15, 20-20 फार्म खारिज करके और वहां समिति के सदस्यों का....

श्री परसादी लाल : अब तो राज्य निर्वाचन को दे रहे हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : राज्य निर्वाचन आयोग, इसमें तो सहकारी निर्वाचन है।

श्री परसादी लाल : नहीं, नहीं, यह इस कालम में है। यह 32 है, इसको विलोपित करके नया जो नीचे अण्डरलाइन है, इसको जोड़ दिया।

श्री रामनारायण विश्नोई : नीचे अण्ड़रलाइन सहकारी सोसायटियां एवं समितियां?

श्री परसादी लाल : हां, तो कोष्टक में जो है, इसको हटा दिया।

श्री रामनारायण विश्नोई : नहीं सहकारी में?

श्री परसादी लाल : यह 32 में हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : अभी नया संशोधन भी दिया है क्या?

श्री परसादी लाल : नहीं, नहीं। 32 में जो पहले की रिपोर्ट है उसी में आया है। कोष्ठक में जो है 32 वाला, यहां से नीचे तक।

श्री रामनारायण विश्नोई : कहां 32 में?

श्री परसादी लाल : उसको तो विलोपित कर दिया और एक नया जोड़ दिया नीचे। सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन, जो अण्डरलाइन हो रहा है नीचे।

श्री रामनारायण विश्नोई : अच्छा, सहकारी सोसायटियां व समितियों का निर्वाचन।

श्री परसादी लाल : हां, यह जोड़ दिया, इससे ऊपर आले को बिलकुल हटा दिया।

श्री रामनारायण विश्नोई : नहीं, ऊपर इसमें तो लिखा है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग उसके अन्दर निर्वाचन नियमावली तैयारी और उनकी सहकारी.....

श्री परसादी लाल : यह ऊपर वाला पोरशन बिलकुल हटा दिया।

श्री रामनारायण विश्नोई : निर्वाचन आयोग में निहित होगी। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : हटा दिया है।

श्री रामनारायण विश्नोई : ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग भी इसके अन्दर काम कर सकेंगे तो हमारी सबकी मंशा भी.....

श्री परसादी लाल : सरकार को धन्यवाद दो इसके लिये तो।

श्री रामनारायण विश्नोई : हमारी भी मंशा यही थी।

श्री परसादी लाल : आपकी मंशा के अनुरूप ही कर दिया है।

श्री रामनारायण विश्नोई : इसमें स्वतंत्रता क्योंकि इलैक्शन में जिस प्रकार की लोगों को नाराजगी हुआ करती थी जो धांधली हुआ करती थी....

श्री परसादी लाल : हां, अब नहीं होगी।

श्री रामनारायण विश्नोई : उसको मिटाने के लिये यह बात आवश्यक है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): दो बच्चों वाला भी बढ़िया कर दिया।

श्री रामनारायण विश्नोई : एक मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि धारा 90 में बैंकों के अन्दर मोरगेज जमीनों की जो नीलामी हो रही है यह जो कंफर्मेशन आफ सेल का है, इसमें कोई समय निश्चित होना चाहिये। नीलामी होने के बाद 2-2, 4-4 साल खरीदने वाले लोग भी हैं, उस कंफर्मेशन का कोई निश्चित समय नहीं है और लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती है। जो जमीन को-आपरेटिव सोसायटी की तरफ से नीलाम की जाती है, जो लोन नहीं दे पाते हैं, उन लोगों की जमीनों को जो लोग खरीद लेते हैं, पैसा दे देते हैं, उस कंफर्मेशन आफ सेल के लिये कोई निश्चित समय नहीं है। कंफर्मेशन निश्चित समय के अन्दर हो जाना चाहिये, चाहे महीना लगे, चाहे दो महीने लगें। माननीय मंत्री महोदय, मैं धारा 90 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धारा 90 में जमीनों की विक्रय होती है, जो लोग अपना लोन नहीं दे सकते हैं जिनकी लैण्ड लीज बैंकों के पास में रखी हुयी हैं, उनकी जमीनों की नीलामी होने के बाद में सेल का कंफर्मेशन नहीं होता है, कई महीनों तक नहीं होता है। कई बार तो साल-साल लग जाते हैं। उसके अन्दर मेरा निवेदन यह करना है कि निश्चित समय के अन्दर यह दिया जाना चाहिये ताकि खरीदने वाले व्यक्ति को उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इसमें कोई आपने समय नहीं दिया है। सैल कंफर्मेशन का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर और गहराई से जानने के लिये प्रवर समिति को इसको वापस भेजा जाना चाहिये। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री परसादी लाल : आपकी सब बात मान ली फिर क्यों भेज रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) **:** मैं बता दूं आपको, मेरा नाम फिर से आयेगा नहीं, मैं दो मिनट ही बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री आदराम मेघवाल : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अवसर देंगे बोलना चाहते हैं तो, बहुत टाइम है। दो रोज हैं इसके लिये, आज ही नहीं है इसके लिये। (व्यवधान) कोई बात नहीं है, उनका संशोधन नहीं है, बुला देंगे, बुला देंगे, चिन्ता मत करो आप। अभी बुला देंगे। (व्यवधान) इनके जवाब के इंतजार में दो मिनट रुको। (व्यवधान) अच्छा बोलें।

श्री आदराम मेघवाल : मेरा निवेदन यह है कि यह कानून तो बहुत पुराना बना हुआ है, एक बाप के बेटे हैं उनको क्रोप लोन नहीं मिलता है। खेती करता है, अलग बैठा है 20-20 साल से। तो उनको मंजूरी देनी चाहिये, उसके पांती में जो जमीन आती है उस पर लोन मिलना चाहिये। यह अभी इसके नियम में तो नहीं है, उसको बदलना चाहिये कानून को। हमेशा ही वही चलता रहेगा, 20-20, 30-30 साल से बेटा अलग है, उसको लोन मिलना चाहिये। उनकी पांती में आती है, उनकी जैसे भी हो।

दूसरा जो व्यवस्थापक है, 20-20, 30-30 साल से वह एक समिति में बैठा हैं उसको बदलना चाहिये। 5 साल से ज्यादा वह नहीं रहना चाहिये। उसी गांव का व्यवस्थापक है, वह मनमर्जी से चलता है, एम.डी. वही बना रहता है तो उसको भी हटाना चाहिये।

एक हमारा हनुमानगढ़ जिला अलग हो गया है, गंगानगर जाते हैं तो जमींदारों को बड़ी दिक्कत आती है इसलिये को-आपरेटिव सोसायटी बैंक हनुमानगढ़ में खोलना चाहिये, यह भी एक मेरा निवेदन है। मेरा ज्यादा निवेदन नहीं है, जो जमीनों वाला लोन है वह बेटों के नाम मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जनमत जानने के लिये 15 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया, सबने अच्छे-अच्छे सुझाव दिया। कई क्लाजेज में चेंजेज करने के लिये भी उन्होंने अपने सुझाव दिये, उसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहना चाहूंगा क्योंकि यह सारा बिल एक-एक खण्डशः लिया जायेगा। जितने भी सुझाव यहां पर माननीय सदस्यों ने दिये हैं, आम तौर पर वही सुझाव थे कि जो इस बिल के अन्दर एक-एक क्लाज के बारे में दिये हुये हैं। कुछ बातें आपने जरूर कहीं कि इस बिल को आप जनमत में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं। उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि यह तय किया गया कि एक नया बिल लाया जाये और इसलिये लाया जाये कि 35-36 वर्ष गुजर गये पुराने बिल को, 35-36 वर्ष में बहुत कुछ चेंजेज आ गये, इसलिये नया बिल आना ही चाहिये। उधर यह भी बात हुयी, उन दिनों में यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी आये हुये थे उन्होंने भी यह बात कही कि हमारे प्रान्त के अन्दर बहुत ही बेहतरीन तरीके का बिल है, हमने उसमें बहुत प्रगतिशील बातें लिखी हैं और की हैं और उनका कार्यान्वयन कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने मुझे बुलाकर यह आदेश दिया कि आप एक बार मध्य प्रदेश में जा आइये, वहां का जो एक्ट बना है उसे देख लीजिये और उसके बाद में आप फिर उस पर कार्यवाही शुरू कीजिये। मैं वहां गया, वहां का कानून देखा। वहां की सोसायटीज को भी देखा, नये जो उन्होंने प्रोविजंस किये हैं उनको

(श्री खेतसिंह राठौड़)

भी देखा। उन लोगों से भी मिला। उसके बाद आकर यह तय किया कि एक कमेटी बनायी जाये। हमने को-आपरेटर्स वर्षों से जिन्होंने को-आपरेटिव में काम किया है, उन माननीय सदस्यों को उस कमेटी के अन्दर रखा। उनमें से बड़े तजुर्बेदार थे भट्टजी। मांगीलालजी डांगा भी उसी कमेटी में थे और हमारे हरचन्द सिंहजी सिद्धू भी थे, अन्य भी भार्गव साहब थे, तिवाड़ीजी वकील साहब थे, नत्थीसिंहजी थे, कई और सदस्य भी थे। इस प्रकार जिन्होंने वर्षों तक को-आपरेटिव में काम किया है, उन लोगों की कमेटी बनाकर हमने कमेटी वालों को यह कहा कि आप पुराने एक्ट को भी देखें कि इसके अन्दर कौन-कौन सी धाराओं में परिवर्तन आवश्यक है और किस प्रकार जो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में को-आपरेटिव को ज्यादा मानते हैं कि रजिस्ट्रार बहुत ज्यादा पावरफुल है, रजिस्ट्रार्स के पावर्स को कम किया जाना चाहिये। हमने उनसे यही कहा था कि आप इसको पढ़कर सुझाव दें, बहुत ही अच्छे रहेंगे।

उस कमेटी ने स्टडी की, उस कमेटी ने उसके बाद रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाने के पहले उन्होंने जिन संस्थाओं की जानकारी हासिल की वे हैं, भारत सरकार द्वारा गठित चौधरी ब्रह्मप्रकाश कमेटी रिपोर्ट, योजना आयोग द्वारा प्रसारित मांडल को-आपरेटिव एक्ट, रिजर्व बैंक द्वारा गठित कपूर कमेटी, राजस्थान सरकार द्वारा गठित विधि आयोग, मिर्धा कमेटी, सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति। अन्य जो प्रान्त हैं– आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इन प्रदेशों के भी एक्ट्स हमने मंगाये, उनके एक्ट्स को भी इस कमेटी ने देखा। सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये पुराने एक्ट और नये एक्ट के अन्दर हम क्या परिवर्तन लायें, उसके बारे में इस कमेटी ने कड़ी मेहनत की। परसादी लालजी, हमारे राज्य मंत्रीजी चेयरमैन थे, इस कमेटी ने रिपोर्ट दी। 7-8 मीटिंग कीं, लगातार मीटिंगें चलीं, उसके बाद यह रिपोर्ट जब पेश हुयी तो हमने मुख्य मंत्रीजी को पेश की। मुख्य मंत्रीजी इसको कैबिनेट में ले गये, कैबिनेट में भी इस पर विचार-विमर्श हुआ। उसके बाद में एक आफिशियल की भी हमने कमेटी की, से पावर्स हैं जो हम करटेल कर रहे हैं, उन्होंने भी उसको देखा। उन्होंने भी अपने सुझाव दिये। उसके बाद में हाउस के अन्दर पूरी रिपोर्ट एक बिल के शेष में आपके सामने आयी। आपने कहा कि नहीं, इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करो, हमने प्रवर समिति को सुपुर्द किया। उसके अन्दर बहुत ही अच्छे जो एक्सपीरियंसड एम.एल.ए. हैं, उनको हमने इसमें रखा, जिनका इसके बारे में ज्ञान है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो वास्तव में को-आपरेटिव से ताल्लुक रखे हुये हैं। उन लोगों को रखकर हमने इसकी 12-13 मीटिंगें कीं और उन मीटिंगों के अन्दर क्लाज बाई क्लाज, एक-एक क्लाज पर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

इनके सुझाव लिये गये। कौनसे शब्द को हटाकर कौनसा शब्द वहां रखा जाये। यहां तक हम पहुंचे। इस प्रकार से यह कमेटी की बैठकें होकर, आखिर में जाकर प्रवर समिति ने रिपोर्ट बनाकर वापस दी, वह मैं आपके सामने हाउस में लाया हूं।

यह मुझे बैक ग्राउण्ड बनाने की इसलिये आवश्यकता पड़ी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे कई मित्रों ने, कई खास एम.एल.ए. साहिबान ने यह कहा कि यह तो जल्दी–जल्दी में कानून बनाकर आप ले आये, इसके अन्दर प्रोविजंस भी ठीक तरीके से आपने एड नहीं किये हैं। कइयों ने हरेक क्लाज के अन्दर कहा कि अब आप बताइये कि चुनाव हो जायेंगे और अगर वह डिजोल्व हो गई, फिर वापस कैसे होंगी। यह पूरा इन्होंने एक्ट पढ़ा नहीं, कोई क्लाज पढ़ा नहीं, कहीं थोड़ा–सा पढ़ लिया और उसको लेकर इन्होंने यहां बहस चालू कर दी। मैं इनसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जिस वक्त अपन खण्डशः इसके ऊपर लेंगे तो आपको और मौका मिल जायेगा। हमने खुद इसमें बहुत प्रयत्न किया, उसके बाद में अभी मिर्धाजी ने एक कमेटी बिठाई, उसमें भी हमने बातचीत की, कल तक हमने विचार किया। इसमें मांगीलालजी डांगा और इन लोगों को हमने सबको बुलाया और पूरी बात की। इसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि जितना लिबरल हम इस कानून को बना सकते हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति से लेकर अपैक्स बैंक तक जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अन्दर हम किस तरह से लिबरलाइजेशन कर सकते हैं। इनके चुनावों में, इनकी मैम्बरशिप में और इनके डाइरेक्टर रखे हैं उसके अन्दर भी बहुत विस्तार से रखा है। महिलाओं को दो सीट दी है डाइरेक्टर्स में, किसी भी सोसायटी के अन्दर जो पदधारी होंगे, उनमें दो महिलायें निश्चित रूप से होंगी। एक बैकवर्ड कम्युनिटी से आयेगी, एक एस.सी. से आयेंगी, एक एस.टी. से आयेंगी और बाकी जनरल आयेगी और 11 का बोर्ड बनेगा। इस प्रकार से हमने यह चाहा है कि ज्यादा से ज्यादा वर्गों को इसमें लिया जाये। आज तक औरतों का रिप्रजेंटेशन बहुत कम होता था, या होता ही नहीं था तो हमने उनके लिये भी यह प्रोविजन किया है। आखिर देश की आबादी का आधा हिस्सा वे हैं तो उनको भी इसके अन्दर मौका मिलना चाहिये। वे भी को–आपरेटिव के अलग–अलग इंस्टीट्यूशंस के अन्दर भाग लें, उसमें अपने सुझाव दें और अपना कार्य करें। यह सारा विचार रखकर ही हमने यह कानून बनाया है।

मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारा कानून जब यह पास हो जायेगा, उसके बाद में मेरी यह मान्यता है, मैं भी 2–3 कांफ्रेंसेज में दिल्ली गया हूं, जहां पर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कि को-आपरेटिव मिनिस्टर्स की मीटिंग हुयी हैं, दूसरे महानुभाव हैं जो हरियाणा के मिनिस्टर थे उनसे भी मैंने डिस्कस किया है। जब मैंने कुछ क्लासेज के बारे में उनको जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि आपका एक्ट हम सबसे ज्यादा प्रगतिशील है। अब वह प्रगतिशील कितना होगा इसमें आप कई ऐसे सुझाव देंगे जिसका जन हित में आवश्यक हो तो मेरा दिमाग खुला है, चाहे अपोजिशन के हों, चाहे हमारे सपोर्ट के हों। आपने उसमें सुझाव दिये हैं इसलिये मैं नहीं मानूं, यह मेरी प्रकृति नहीं है। आपका अगर सुझाव अच्छा होगा, आप अगर कोई ऐसा सुझाव देंगे कि जिससे निश्चित रूप से जन हित में, को-आपरेटिव में काम करने वाले व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, को-आपरेटिव मजबूत होगी, लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा, काम करने का और इनको अवसर मिलेगा, ये सब बातें होंगी तो आपके सुझाव भी लूंगा, उनको भी एक्सेप्ट करूंगा। कुछ हमने संशोधन पहले ही करके आपके सामने रखे हैं, आपके सामने पेश भी कर दिये हैं। उसकी एक-एक कापी भी आपके पास भेज दी है। मेरा खयाल है, यह पहला मौका होगा कि जब किसी मंत्री ने अभी डिस्कशन शुरू होने के पहले ही यह कहा हो कि ये-ये अमेंडमेंट तो हम मानने के लिये तैयार हैं। काफी बड़ी तादाद के अन्दर मैंने अमेंडमेंट माने हैं, इसलिये माने हैं कि.....

श्री धर्मपाल चौधरी : यह तो मनवा दिया आपसे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ....जन हित में मैंने इन अमेंडमेंट को बेहतरीन समझा है। बाकी आम तौर पर जब प्रवर समिति किसी कानून को पास कर देती है, प्रवर समिति की रिपोर्ट बन जाने के बाद में अमेंडमेंट आने नहीं चाहिये, कम आने चाहिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, मेरे जैसे भोले आदमी के भी संशोधन मान लिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने तो परसादी लालजी के कहने से मान लिये। हमारे मंत्री हैं हमारे जिले के मंत्री के कहने से मान लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ....इसलिये कम आने चाहिये क्योंकि प्रवर समिति ऐसे व्यक्तियों की बनती है जिन्होंने सारा डिस्कशन क्लाज पर कर लिया है, उसके बाद में फिर क्या आवश्यकता रहती है। लेकिन हमने यह सोचा, कि नहीं, इसमें कुछ और ऐसी बातें हैं कि जिनको हम और अगर इसमें एड कर दें तो उससे और ज्यादा विस्तृत रूप में हमारे जन प्रतिनिधियों को मौका मिलेगा चुनाव में, काम करने में, आगे बढ़ने में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, आपने किसके सुझाव माने? एक मिनट।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ......को–आपरेटिव को कामयाब करने के लिये हमने ये प्रस्ताव रखे हैं। बीच में नहीं, बाद में बोल लीजिये। क्यों एक मिनट, किसलिये? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह बताइये, बिना डिबेट शुरू हुये किसके सुझाव पर ये अमैंडमेंट रख दिये, मान लिये? डिबेट तो आज हुई है, आपने बिना डिबेट के ही? यानी प्रवर समिति तो अलग है.....

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सुझाव तो परसादी लालजी हमारे दौसा जिले के मंत्री हैं, इतने विद्वान हैं, उनके कहने से मान लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने सुना नहीं, मैंने यह कहा है, मैंने ये सुझाव रखे हैं आपके सामने और.....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका तो प्रतिवेदन है, आपकी अध्यक्षता में....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा निवेदन है, मानना नहीं मानना, हाउस के हाथ में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, मेरा सवाल है, हाउस तो आपकी आज्ञा को शिरोधार्य रखेगा, आपके पास भारी बहुमत है, वह छोड़िये आप। वैसे भी जो सलैक्ट कमेटी है वह हाउस का मिनिएचर है। सलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, डिबेट चालू नहीं हुई और आपने संशोधन रख दिये, ये संशोधन कहां से आ गये आपके दिमाग में?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावना से काम किया है इन्होंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : भावना कहां से आ गई, किसके सुझाव हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मिले हैं, सुझाव दिये थे, इन्होंने मान लिये, रख दिये, इसमें क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिना डिबेट के भावना कहां से आ गई? उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव देने का सबसे सशक्त माध्यम सदन है, जब सदन में चर्चा ही आज प्रारम्भ हुई है.....

श्री उपाध्यक्ष : आपके समय को बचाने की चेष्टा की है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्रीजी बतायें, ये सुझाव कहां से आये?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हर क्लाज के बाद में मैं आपको देता तो उसमें और समय लगता, उस समय की बचत के लिहाज से क्योंकि दो दिन ही इस एक्ट के लिये रखे हैं, कानून को बनाने के लिये, तब मैंने आपको यह कहा है। वरना आपकी रिक्वेस्ट थी कि आज हाउस 10 बजे तक चलेगा ताकि यह काफी हद तक अपन आगे बढ़ सकें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपकी रिपोर्ट को मानता था अब आपके जितने संशोधन हैं, उनको अपोज करने का हमारा राइट है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन स्वीकार किया जाये?

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव किया था, उसे वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, ठीक है। जो माननीय सदस्य वापस लेना चाहते हैं जनमत वाले वह बोल दें।

श्री मांगीलाल डांगा : अनुमति चाहता हूं सदन से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति कर दी, सदन की राय तो लो, उसके बाद में आप अनुमति करो।

श्री उपाध्यक्ष : ले रहे हैं ना तो। बन्द थोड़े ही हो गया हूं। मैं बोला ही नहीं, वह बीच में बोल गये। इसके अलावा भी माननीय सदस्यों के संकल्प हैं।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 को पुनः प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को पुनः प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति से प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। खण्डशः विचार। मंत्रीजी बोलेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं क्या बोलूं? खण्ड (2) पर है, वह पेश करूं?

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कल जब समय रखा है तो खण्डशः विचार कल कर लिया जाये। आज पांच बजने वाले हैं, कल का पूरा दिन इस बात के लिये रखा गया है, कल कोई दूसरा बिजनस है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कल का दिन मुझे ध्यान है। इसका ध्यान नहीं हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कुछ संशोधन अभी मूव किये हैं, सदन में हमें अभी मिले हैं। कल अगर आपकी कृपा हो जाये तो हम इन सारे संशोधनों को इस लाइट में भी देख लेंगे, सरकार खुद मूव कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें, विराजें। अगर आप कल रात के 12 बजे तक बैठने को तैयार हैं....

अनेक माननीय सदस्य : हां, हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इसमें इतने खण्ड और इतना लम्बा है यह कि समय लगेगा इसलिये कुछ अभी बिजनस कर लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, कल बैठ जायेंगे, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कल ही करें।

श्री उपाध्यक्ष : घर जाकर क्या करोगे आप इतनी जल्दी? बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है.....

श्री उपाध्यक्ष : टाइम बढ़ाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो जाये....

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटा तो बढ़ाओ अभी। एक घंटा तो बढ़ाओ फिर देखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कल विचार करा। आप। हम कब कहते हैं, हम तो ज्यादा से ज्यादा सदन में बैठना चाहते हैं, विचार सुनना चाहते हैं परन्तु अभी मंत्री महोदय ने जो मूव किये हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से मूव हुये.....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री उपाध्यक्ष : सुन लेंगे न आपकी बात भी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यह जो प्रतिवेदन प्रवर समिति का था, उसका अध्ययन करके मैंने उसको उचित समझा। अब जो अमैंडमेंट मिनिस्टर ने मूव किये हैं उनको तो मुझे अध्ययन करना पड़ेगा कि वाजिब हैं या नहीं हैं। बिना किसी सुझाव के....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अमैंडमेंट मूव किये हुये और आपको लौटाये हुये चार घंटे हो गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, साहब। चार घंटे में यह सम्भव नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह सम्भव नहीं होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह अभी पूरा सर्कुलेट भी नहीं हुआ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह सम्भव नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने सर्कुलेट कर दिया, सरकार ने सर्कुलेट कर दिया अमैंडमेंट आपको। (व्यवधान) इतना समय आपको दे दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : रोज बैठते हैं, आज क्यों चाहते हैं आप? कल लीजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह विधिवत रूप से पूरा सर्कुलेट, कई माननीय सदस्यों को मिला ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कल पूरा टाइम है, साहब, कल कोई बिजनस नहीं है और।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज को-आपरेट करिये, नहीं तो कल बहुत टाइम लगेगा। आप विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : दो घंटे।

श्री उपाध्यक्ष : और बढ़ा देंगे, एक घंटे बाद बढ़ा देंगे। आपका मूड देखेंगे, क्या चाहते हैं आप।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 के उप-खण्ड (घ) में निम्नलिखित प्रकार प्रतिस्थापित किया जाये– ''केन्द्रीय सोसायटी से ऐसी सोसायटी अभिप्रेत है जिसका कार्यक्षेत्र किसी राजस्व जिले से अन्य राज्य के किसी भाग तक सीमित हो और जिसका अपने मुख्य उद्देश्यों का संप्रवर्तन है और उससे सम्बद्ध अन्य सोसायटियों के प्रवर्तन के लिये सुविधाओं का उपलब्ध करना है और जिसके 5 से अन्यून, कम से कम 5 सदस्य स्वयं सोसायटियां हैं। (ढ़) वित्तीय बैंक से तात्पर्य ऐसी सहकारी सोसायटी से हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अन्य सोसायटियों को धन उधार देना है तथा जिनमें भूमि विकास बैंक भी सम्मिलित हैं।'' यह आपका ही अमैंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : इस संशोधन के बाद और कोई माननीय सदस्य पर बोलना चाहते हैं तो बोलें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : खतम करो न, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : कर रहे हैं, अब यही कोशिश कर रहे हैं। पूछूं तो सही। तो इस संशोधन के साथ इस खण्ड को स्वीकार किया जाये?

श्री धर्मपाल चौधरी : स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे नम्र निवेदन था कि खण्डश: विचार अगर कल हो जाता तो ठीक था। परन्तु फिर भी, मंत्रीजी, आपने विचार प्रारम्भ कर दिया.....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, विराजें आप। माननीय मांगीलालजी। आप बोलना चाहते हैं?

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 के (ख) में मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। खण्ड 2 के (ख) में हैं, सहकारी सोसायटी के कार्यक्षेत्र से उप विधियों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से अभिप्रेत हैं जिस तक सोसायटी की सदस्यता और कार्यकलाप साधारणत: सीमित है। मैंने संशोधन पेश किया है— ''और कार्यालय साधारणत:'' शब्द विलोपित किया जाये।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सहकारी संस्था के कार्यकलापों में सहकारी संस्था के द्वारा एक सहकारी संस्था में दूसरी सहकारी संस्था में सदस्यता प्राप्त करना, एक संस्था से दूसरी संस्था में प्रति नियुक्ति करना और अपने कार्यकलापों में व्यापारिक दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र के बाहर, राज्य के बाहर भी इस तरह के कारोबार और कार्यकलाप करने पड़ते हैं। विभिन्न राज्यों के जो एक्ट हैं, मल्टी सोसायटीज जो एक्ट हैं उनमें इसकी स्पष्ट परिभाषा दी गयी है जिसमें कार्यक्षेत्र का मतलब उस सहकारी संस्था की सदस्यता के लिये ही होता है। यह एक विधिक परेशानी आयेगी इसीलिये मेरा निवेदन है कि इसमें से ''और कार्यकलाप'' शब्द को विलोपित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा संशोधन खण्ड 2(ठ) में हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि संस्था के कार्यपालक अधिकारी को इसमें परिभाषित किया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति मतलब संचालक मण्डल के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अध्यधीन रहते हुये कार्य करेगा। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सिर्फ सरकार से नियुक्ति नहीं की जा सकती, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिन संस्थाओं में सरकार की भागीदारी नहीं है, सरकार ने राजकीय सहायता नहीं दी है वहां संस्था के द्वारा भी नियुक्त किया जाता है। सरकार भी यदि नियुक्त करेगी तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी संचालक मण्डल के नियंत्रण, निदेशन में ही कार्य करेगा, इस परिभाषा से ऐसा बनता है। मेरा निवेदन है कि जब संस्था का मुख्य पदाधिकारी संस्था का निर्वाचित अध्यक्ष होता है, दैनिक कार्यों का अधीक्षण और परीक्षण अध्यक्ष की देख-रेख में मुख्य कार्यपालक अधिकारी चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो, द्वारा किया जाता है। इस तरह से मुख्य कार्यपालक अधिकारी को हम यदि इस परिभाषा में परिभाषित करके देंगे तो आपके निर्वाचित अध्यक्ष का

(श्री मांगीलाल डांगा)

सम्मान, अधिकार और कर्तव्य क्या रहेगा? कि सिर्फ मीटिंग के दिन जाकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बोर्ड का प्रस्ताव पास करके वह अपने अधीक्षण, परीक्षण और निर्देशन दे सकता है। यदि संचालक मण्डल ने कोई प्रस्ताव पारित किया है और उसका क्रियान्वयन करवाना है, और अध्यक्ष को यदि अधिकृत भी कर दिया है तो इस परिभाषा के होते हुये अध्यक्ष के अधिकार शून्य हो जायेंगे। इसलिये मैंने संशोधन पेश किया है कि समिति शब्द के साथ "सहकारी सोसायटी का अध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जिस प्रतिवेदन का हवाला दे रहे थे उस प्रतिवेदन में भी इसी प्रावधान के अनुरूप हमने सिफारिश की थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारा आपने ही बनाया है, फिर आप इतनी बहस क्यों कर रहे हैं?

श्री मांगीलाल डांगा : हमने बनाया जो उचित नहीं है यह, इसीलिये कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आपने संशोधन भी पेश करवा दिये।

श्री मांगीलाल डांगा : हां, उस प्रतिवेदन वाला नहीं आया है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इसका एण्ड क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं और जो अभी है, वह ठीक है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एक्जीक्यूटिव।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सहमत, असहमत कहां होना पड़ रहा है? वह तो आप कहोगे तब होगा, आप सहमत मत हों न भले।

श्री मांगीलाल डांगा : दूसरा इसमें प्राथमिक सोसायटी के लिये जो मैंने संशोधन दिया है और कार्यपालक अधिकारी का संशोधन दिया है। वह इन्हीं प्रावधानों को, इसी औचित्य को देखते हुये जो प्राथमिक सोसायटी, वैसे तो माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन पेश किया है, यह जो मेरा प्राथमिक सोसायटी का संशोधन है, इसका प्रावधान स्वतः स्पष्ट हो जाता है, इसलिये इसको मैं वापस लेने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

दूसरा जो मेरा संशोधन खण्ड 2(भ) में है, वह एक स्वसाहाय्य समूह की सहकारी संस्थाओं में जब तक कोई विधिक मान्यता की संस्था न हो, उसको मान्यता देना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में यह स्वसाहाय्य समूह, सैल्फ हैल्प ग्रुप हैं, इनको इस सहकारी अधिनियम में स्थान नहीं देना चाहिये। इसलिये इस खण्ड को विलोपित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप संशोधन वापस ले रहे हैं? (व्यवधान) एक मिनट, विराजें। आपका नम्बर आ जायेगा, नम्बर वार बोल रहे हैं। आप संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री मांगीलाल डांगा : क्या मालूम मंत्रीजी किसी को स्वीकार ही कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्वीकार करना ही पड़ेगा, रात वाली कार्यवाही करो। रात को जो की वह करो।

श्री धर्मपाल चौधरी : रात को जो करते हैं, वही करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यही तो पूछ रहा हूं। अगर आप लेना चाहें तो ले लें। जवाब में तो बाद में लेना ही पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब दिलवाओ, साहब, जवाब के बाद ही ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : 34 जने हैं, 34 से पूछूंगा मैं। रुको तो सही, तसल्ली रखो, 34 की लाइन है।

श्री रामनारायण चौधरी : मुमकिन है, मंत्रीजी स्वीकार ही कर लें इसको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इसका जवाब दे दीजिये, वह अस्वीकार कर दें तो वापस ले लें।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्रीजी अपने भाषण में स्वीकार भी कर सकते हैं, साहब।

श्री अमराराम (धोद) : बढ़िया सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो विराजें। श्री घासीलालजी मेघवाल। श्री के. सी. विश्नोई। श्री त्रिलोक पूर्बिया। (व्यवधान) विराजें, विराजें। आपका नम्बर आयेगा।

(17.00 बजे)

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों की समस्या है और इस काश्तकारों की समस्या पर अब तक मेरे से पहले 20 जने बोल गये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी बुला रहा हूं।

श्री देवीलाल बैरवा : पर एक समस्या है जिसके बारे में किसी ने निवेदन नहीं किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे समय दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिला एक ही है, कुछ तो ध्यान रखें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बुलाऊंगा, आप चिन्ता मत करें।

श्री मंगलाराम गोदारा। श्री हबीबुर्रहमानजी। श्री रूपारामजी। श्री मोहन लाल बारूपाल। श्री बाबूलाल नागर। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय में समिति के स्थान पर सोसायटी का अध्यक्ष अधिक उपयुक्त रहेगा, यह मेरा अमैंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिव नारायणजी। श्रीमती पूनम गोयल। श्री के. सी. चौधरी। श्री अब्दुल हादी। श्रीमती सुचित्रा आर्य। श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी। श्री मांगीलालजी गरासिया।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री नाथूरामजी (73)। श्री सोहन नायक। श्री रतन लाल ताम्बी। श्री राधेश्यामजी गंगानगर। श्री हरचन्द सिंहजी सिद्धू। श्री हफीज मोहम्मद। श्री मोहन लाल चौहान। श्री जौहर लाल। श्री रामलाल जाट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसीलिये तो कह रहे थे, उपाध्यक्ष महोदय, आज एडजोर्न कर दो, कल हो जायेगा। हैं ही नहीं तो दस्तखत क्यों करा लिये? मांगीलालजी ने टोक दिया।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। निपटने दो न काम। वो बोलना ही नहीं चाहते हैं इसलिये एब्सेंट हैं।

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मांगीलालजी डांगा साहब ने फरमाया, मैं उसी बात पर सहमत हूं कि समिति के स्थान पर जो अध्यक्ष का नाम लिखा जाये तो यह अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव कुमार। श्री अशोक। श्री हेमाराम चौधरी। श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या। श्री बंशीलाल गहलोत। श्री हीरालाल विश्नोई। श्री जितेन्द्र सिंहजी। श्री राजेन्द्र राठौड़। फरमाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन था कि वित्तीय बैंक अथवा वित्तदाता बैंक से तात्पर्य ऐसी सहकारी संस्था से है जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य सहकारी संस्थाओं को रुपया उधार देना है। मंत्री जी इसमें संशोधन लेकर आये हैं। इन्होंने इसमें भूमि विकास बैंक को तो सम्मिलित कर लिया, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसी विधेयक की धारा 15(घ) में यह अंकित किया है कि वित्त दाता बैंक का कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं हो। आपको मालूम है कि बैंकिंग रैगुलेटरी एक्ट में ये सारे बैंक आते हैं। अब यह तो आप संशोधन लेकर आये हैं इसमें काफी कुछ समस्या का तो हल हो गया, परन्तु इसके बाद अरबन बैंक की क्या स्थिति रहेगी? अरबन कोआपरेटिव बैंक जिसके अन्दर सदस्यता सारी इंडीविजुअल है, व्यक्तिशः लोग इसके सदस्य बनते हैं, उनकी वैधानिक स्थिति क्या रहेगी? अगर आप यह बता दें तो जरा उचित रहेगा। जिस तरह सी.सी.बी. बैंक है, उसके तो प्राइमरी जी.एस.एस. भी मैम्बर बन जाते हैं। अपैक्स बैंक का मैम्बर सी.सी.बी. हो जाता है। परन्तु अरबन को-आपरेटिव बैंक किस तरह आप सम्मिलित करोगे, कृपया इसके बारे में बताये।

मेरा आपसे नम्र निवेदन है, निश्चित तौर पर आप यह दबाव कहूं, मांगीलालजी डांगा ने जिस तरह सबको मैनिपुलेट करके लम्बे-चौड़े संशोधन मूव करके एक तरह से आपको इस प्रैशर में ले लिया कि कुछ बातें आपने मानी हैं तो मेरा निवेदन है कि भूमि विकास बैंक के आगे अगर आप अरबन को-आपरेटिव

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बैंक और सम्मिलित कर दें तो सारी समस्या का समाधान हो जायेगा। वरना इस तरह की स्थिति आगे खड़ी हो जायेगी कि अरबन को-आपरेटिव बैंक की इन संस्थाओं में वैधानिक हैसियत क्या रह जायेगी, उस पर प्रश्नचिन्ह लग जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जसवंत सिंह गुर्जर। श्री कन्हैया लाल। श्री रमेशजी खींची। श्री केसारामजी। श्री रघुवीर सिंह गौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कन्हैया लालजी बोल रहे हैं, साहब।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय बैंक अथवा वित्तदाता बैंक से तात्पर्य ऐसी सहकारी संस्था से है जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य सहकारी संस्थाओं को रुपया उधार देना है। माननीय मंत्री महोदय ने मेरा संशोधन मान लिया है इसलिये मैं उसके लिये धन्यवाद देता हूं। जैसा राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब ने कहा कि भूमि विकास बैंक के स्थान पर अरबन को-आपरेटिव बैंक कर दिया जाता है तो यह वास्तव में कम से कम ग्रामीण लोगों के लिये एक बहुत लाभदायक बैंक होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजाजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय बैंक या वित्तदाता बैंक से जो तात्पर्य भूमि विकास बैंक से हैं उसको अरबन के साथ महिला को-आपरेटिव बैंक और जोड़ा जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कैसा सुझाव आया है शानदार।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, भूमि विकास बैंक के साथ महिला को-आपरेटिव बैंक और अरबन को-आपरेटिव बैंक तीनों जोड़े जायें। महिलाओं को तो विशेष दर्जा है, साहब, उनको तो आप जोड़ें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह परिभाषा है।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ जवाब दे देना न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने महिला को-आपरेटिव बैंक के लिये कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, खण्डशः विचार है तो खण्डशः जवाब आयेगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो खण्ड पूरा होने दो न। सबको बोलने दो फिर जवाब दे देंगे। खण्ड का जवाब दिलवायेंगे, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिनके संशोधन हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : हां, उन्हीं को बुला रहा हूं। श्री रामप्रताप। श्री हीरासिंह चौहान।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने सुझाव दिया है महिलाओं के विकास के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, विधेयक के खण्ड–2 के उप खण्ड (ङ) में हमने संशोधन दिया है। प्रथम पंक्ति के शब्द कार्यपालक अधिकारी के स्थान पर कार्यकारी। होगा क्या साहब, कार्यपालक अधिकारी जिस प्रकार का आपने शब्द प्रयोग किया है यहां पर, तो इसमें सोसायटी के जो अध्यक्ष वगैरह पदाधिकारी बनेंगे, उसमें सोच में थोड़ा निम्न स्तर की सोच आयेगी। इसलिये हमारा यह कहना है कि इस विधेयक के खण्ड–2 की प्रथम पंक्ति में जहां आपने शब्द लिखा कार्यपालक अधिकारी, इसके स्थान पर आप कार्यकारी अधिकारी लिख दीजिये, कार्यकारी कर दीजिये।

और आगे जाकर आपने लिखा, अधीक्षण, नियंत्रण एवं निदेशों के अध्यधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिये, तो यहां पर हमने लिखा, तृतीय पंक्ति में शब्द समिति के स्थान पर सहकारी सोसायटी के अध्यक्ष प्रतिस्थापित किया जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्षजी, कि डैफिनेशन के जो क्लाज होते हैं वो आगे जाकर सारे एक्ट पर सारी कार्यकारी व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। डेफिनेशन आपने इस प्रकार की दे दी है यहां पर और इस डेफिनेशन के आधार पर सारे एक्ट में आगे जिस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया है, उसी डेफिनेशन के आधार पर बार–बार तो उन शब्दों के प्रयोग में लिया नहीं जा सकता, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यहां पर शब्दों में थोड़ा परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष, इसमें अभी जो वर्तमान में लिखा हुआ है, कार्यपालक अधिकारी एक ऐसा अधिकारी चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, अभिप्रेत है जो किसी सोसायटी के कार्यकलापों के प्रबंध में समिति के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निदेशों के अध्यधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिये धारा 29 की उप धारा (2) के अधीन नियुक्त किया जाता है। यहां पर सहकारी सोसायटी के अध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष चाहे इसी का हो चाहे मार्केटिंग को हो, चाहे आपके सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक का हो, चाहे अपैक्स बैंक का हो, इन शब्दों का इस प्रकार परिवर्तन किया जाना मेरी समझ में युक्ति संगत रहेगा। इस प्रकार का शब्द अगर आप लेंगे धारा 29(2) में, मैं धारा 29(2) आपको बताता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा 29 में यह इंसर्ट किया गया है।

"Nomination by the Government. (1) Where the Government has......"

धारा 29(2) में दिया है—

"Notwithstanding anything contained in this Act or the bye-laws of a society, where the Government has subscribed to the share capital; of a co-operative society to the extent of five lacs of rupees or more...."

श्री परसादी लाल : 29 आये तब 29 की बात करना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वो उसको नोट कर रहे हैं।

श्री परसादी लाल : जो संशोधन दिया है उसकी बात करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप खण्ड–2 पर बोलो जिसमें संशोधन है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं उसी पर बोल रहा हूं। इसी में इस पर दिया हुआ है, आप देखिये 'ठ' में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : अधीक्षण, नियंत्रण एवं निदेशों के अध्यधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिये धारा 29 की उप धारा (2) के अधीन नियुक्त किया जाता है जो धारा 29 के तहत इसमें (ङ) में दिया है। धारा 29(2) के तहत जिसको आप अपाइंट करते हैं वहां पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन शब्दों को एक तो मैंने निवेदन किया कि विधेयक के खण्ड–2 के उप खण्ड (ङ)की प्रथम पंक्ति में शब्द कार्यपालक अधिकारी के स्थान पर कार्यकारी लिखा जाये। द्वितीय पंक्ति के शब्द नाम के स्थान पर पदनाम और तृतीय पंक्ति के शब्द समिति के स्थान पर शब्द सहकारी सोसायटी के अध्यक्ष को प्रतिस्थापित किया जाये। अगर इस प्रकार आप करेंगे तो जो इसमें कमियां रह गयी हैं, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हम एक्ट बना रहे हैं, उसकी डेफिनेशन के ऊपर हम विवेचन कर रहे हैं, अगर डेफिनेशन का क्लाज ही डिफैक्टिव रह गया तो आगे जाकर इस पर कई विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। इसलिये आपकी चुनी हुई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं उनके अधिकार कितने रहे, उसके नाम को इसमें जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। इसमें जिस प्रकार की आपने डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन में त्रुटि है और मैं आपसे चाहूंगा कि कार्यपालक अधिकारी के स्थान पर कार्यकारी लिख दें और नाम के आगे पदनाम लिख दें। आगे जाकर समिति के स्थान पर हमने आपको कहा है सहकारी सोसायटी के अध्यक्ष आप लिख दें। मैं सोचता हूं कि यह डिफैक्ट रिमूव हो जायेगा डेफिनेशन का क्लाज अच्छा होना चाहिये, इफैक्टिव होना चाहिये आगे जाकर एक्ट के लिये। क्योंकि इसमें आपने किसी प्रकार के सोसायटी के अध्यक्ष वगैरह के लिये कोई विवेचन नहीं किया है, इसमें नाम बदला जाना आवश्यक है।

इसी प्रकार खण्ड–2 के (ङ) में जिस प्रकार राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने कहा, आहूजा साहब ने कहा, वित्तीय संस्थाओं का जब आप नाम लेते हैं तो वित्तीय संस्थाओं में मैं सोचता हूं अरबन बैंक भी संस्था है इनको भी आगे जोड़ा जाना चाहिये। कोई शहर ऐसा नहीं है, एक अरबन बैंक जयपुर में है जिसकी 44 शाखायें हैं। महिला को-आपरेटिव बैंक हो।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कह दी यह बात।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं कह दूं तो कोई अपराध थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रिपीट हो रहा है, क्या फायदा?

श्री हीरासिंह चौहान : रिपीट नहीं हो रहा है, बात का समर्थन कर रहा हूं। यहां होता क्या है। एक बात का समर्थन करता है। हाथ खड़ा करते हैं, वो करते हैं, What is that? यही तो है, बात का समर्थन करते हैं। यहां है क्या और, विधान सभा में हम क्या कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरे से ज्यादा जानते हो इसलिये कर रहे हो।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्षजी, इसलिये समर्थन कर रहा हूं। इसमें जोड़ा जाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलालजी। माननीय मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, समिति की जगह यह चाहते हैं अध्यक्ष। इस पर बहुत विचार हुआ था और यह तय हुआ कि बोर्ड ही रहना चाहिये। अगर आप चेयरमैन को इतने पावर दे देंगे तो निरंकुश बन सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है। बुलायेगा ही नहीं, बोर्ड की मीटिंग भी बहुत कम कर देगा। नहीं तो बोर्ड के अधिकार में रहे तो ज्यादा अच्छा है और बोर्ड करेगा तो ठीक रहेगा। इसलिये हमने यह समिति शब्द रखा है।

दूसरा आपने कहा, वित्तीय बैंक में वह सारी बात आ जाती है। महिला बैंक भी आ जाता है और आपका अरबन को-आपरेटिव बैंक भी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिये मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आपने सही कहा कि वित्तीय बैंक की परिभाषा में महिला बैंक भी आ जायेगा, अरबन को-आपरेटिव बैंक भी आ जायेगा, परन्तु इसी विधेयक के सैक्शन 15(घ) में आप पढ़ लो, उसमें इन्होंने जो बाइंडिंग्स लगायी है.....

श्री उपाध्यक्ष : 15 आयेगा जब बात कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें यह सम्मिलित नहीं होगा तो आगे आयेगा ही कहां? आपने कहा, किसी भी बैंक का व्यक्तिशः कोई सदस्य होगा उसको आपने वित्तीय बैंक नहीं माना है। अगर उसको वित्तीय बैंक नहीं मानो तो कोंट्राडिक्ट हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, एक ही विधेयक के दो क्लाजेज आपस में कोंट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा स्पष्ट कर दो। अगर इसमें आप माननीय आहूजाजी ने जो प्रस्ताव दिया, अरबन को-आपरेटिव बैंक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और महिला को-आपरेटिव बैंक यह दो जोड़ दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा? यह तो संदेश जायेगा कि आप महिलाओं को को-आपरेटिव के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसमें फर्क क्या पड़ेगा, दो बात ही तो जोड़नी हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्षजी, इसमें सारी बात आ गयी। वित्तीय बैंक से तात्पर्य ऐसी सहकारी संस्थाओं से है जिनका मुख्य उद्देश्य अन्य संस्थाओं को धन उधार देना है। इसमें महिला क्या, अरबन क्या, सारे आते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी, इसमें बैंक का अधिनियम, 1949 जिससे अरबन बैंक चलती है इसको क्या हटाया आपने?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे बिल कभी पास नहीं हुये कि 4-4 बजे तक एक-एक आदमी बोलता जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम कह रहे हैं कि कल करा लो आप। (व्यवधान) आज तो एक-एक चीज पर हमें बोलने का अधिकार है। जब आपने तय ही कर लिया.....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक दफा बोल सकते हो, 20 दफा नहीं बोल सकते आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का सिर्फ एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं आपसे। आप प्रस्ताव वापस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, यह बोलो।

श्री मांगीलाल डांगा : मैं यही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाइरेक्ट बोलो आप।

श्री मांगीलाल डांगा : यह निवेदन करते हुये कि कार्यक्षेत्र की विधिक की आप जांच करा लो, मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बस यह बोलो। रामलालजी।

श्री रामलाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से काफी उम्मीदें हैं। आगे और भी संशोधन हैं, पूरी उम्मीद है। यह नहीं माना तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले संशोधन मानेंगे इसलिये इसको मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन श्री मांगीलालजी, श्री रामलालजी, श्री गोवर्द्धनजी कल्ला ने प्रस्तुत किया उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री रामलाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 में जिन अन्य माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–3 और 4 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 और 4 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड–3 और 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड–5 प्रभारी मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–5 के उप खण्ड (2) में इस प्रकार संलग्न उप विधियां, अनुसूची "ख" में विनिर्दिष्ट विषयों पर विनिर्दिष्ट होंगी और साधारणत: नियमों में यथाविहित, सोसायटियों के वर्ग या उप वर्ग के व्यापक परिमापों के अनुरूप होंगी जिनमें सोसायटी का उसके प्रमुख उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, सदस्यता या कोई भी अन्य मानदण्ड, जो विहित किये जायें, के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाना आशयित है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक त्रुटि को ठीक करवाने के लिये था, वह ठीक हो गयी। मैं मेरा संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलालजी मेघवाल। श्री के. सी. विश्नोई, श्री त्रिलोक पूर्विया, श्री मंगलाराम, गोदारा, श्री हबीबुर्रहमान श्री रूपाराम, श्री मोहन लाल बारूपाल, श्री बाबूलाल नागर, श्री गोवर्द्धन कल्ला, श्री शिवनारायण, श्रीमती पूनम गोयल, डा. के. सी. चौधरी,

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री अब्दुल हादी, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी, श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड–5 का जो संशोधन था उसे वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम, श्री सोहन नायक, श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–5 में मंत्रीजी के संशोधन से मेरी भावना पूर्ण हो गयी इसलिये मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री हरचन्द सिंह सिद्धु, श्री हफीज मोहम्मद, श्री मोहन लाल चौहान, श्री जौहरी लाल, श्री रामलाल जाट।

श्री रामलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–5 के उप खण्ड (2) का मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वापस लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बोल ही नहीं रहे हो तो वापस क्यों ले रहे हों?

श्री रमेश खींची, श्री हेमाराम चौधरी, श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या, श्री बंशीलाल गहलोत, श्री हीरालाल विश्नोई, श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर), प्रभारी मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, संशोधित रूप में इस खण्ड को स्वीकृत किया जाये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन मूव किया। सदन के अन्दर संशोधन मूव किया इसका मतलब वह सदन की सम्पत्ति हो गयी, अब कोई सदस्य बोले या नहीं बोले। मंत्री महोदय, यह बताइयें तो सही कि क्या संशोधन मूव हुआ था? उसको स्वीकार क्यों नहीं करते, यह तो अपने उत्तर में बताइये। इनको तो एक-एक खण्ड से उत्तर देना पड़ेगा। आज कोई संशोधन मूव हो गया, उसमें कोई माननीय सदस्य नहीं बोले इसका अर्थ यह थोड़े ही है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): मूव कहां हो गया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सर्कुलेट हो गया, मूव हो गया। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): मूव नहीं हुआ वह तो सूचना मात्र है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मूव नहीं हुआ, वह तो सूचना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। आप हर चीज को जानते हुये भी काम्प्लीकेट करना चाहते हो। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि खण्ड–5 में जो

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है. उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-6 और 10 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 से 10 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 से 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड-11, श्री सांवर लाल। श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): खण्ड-11 में. रजिस्ट्रार द्वारा उप विधियों में संशोधन के लिये प्रस्ताव। यह उप विधियों में संशोधन वाला जो बनाया गया है इसमें हमारा खण्ड-2 के साथ में एक नया क्लाज जोड़ने के लिये निवेदन है। इस धारा में लिखा है, किसी बात के होते हुये भी प्रत्येक मेरी सहकारी सोसायटी जिसने इस अधिनियम के अध्याय 7 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की राजकीय सहायता प्राप्त नहीं की हो, अथवा प्राप्त सहायता को पुनः लौटा दिया हो, पर इस धारा पर कोई प्रावधान लागू नहीं हो। मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूं। इसमें 11 में दिया है—

Proposal by Registrar for amendment in the bye laws.

बाई लाज अगर कोई रजिस्ट्रार बनाकर भेजता है तो मैंडेटरी कर दिया, सोसायटी को मानना ही पड़ेगा। मैं इसका सब क्लाज श्री पढ़ता हूं—

"Where the society refuses to accept the proposal of the Registrar and the Registrar is satisfied that it is necessary in the public interest to make such an amendment, he may, within a period of thirty days from the date of communication of such refusal, send the proposal with reason thereto, to the state Government for its consideration. The State Government may, after giving the society an opportunity of being heard, direct the Registrar to register the amendment with such modifications, if any, as it may deem fit and such amendment shall be binding on the society and its members."

(श्री हीरासिंह चौहान)

अब इसका सब क्लाज चार दिया है, इसमें इन्होंने लिखा है—

"(4) Where the society, within the period specified under sub-section (1), fails to take a decision on the proposals of the Registrar...."

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप हिन्दी में पढ़िये। अपन हिन्दी का बिल ले रहे हैं, अंग्रेजी को छोड़ दीजिये, हिन्दी में पढ़िये।

श्री हीरासिंह चौहान : हिन्दी में यह है, साहब, चार में जहां सोसायटी उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार के प्रस्तावों पर विनिश्चय करने में विफल रहती है वहां ऐसी कालावधि की समाप्ति पर प्रस्तावित संशोधन सोसायटी द्वारा सम्यक् रूप से पारित किया हुआ समझा जायेगा और रजिस्ट्रार संशोधनों का रजिस्ट्रीकरण करेगा और इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करेगा। बाई लाज जो गवर्नमेंट की ओर से भेजे जाते हैं, इसमें हमने एक धारा जोड़ने के लिये कहा है कि सब क्लाज चार में यह जोड़ दीजिये। जिन्होंने अध्याय 7 के अन्तर्गत्त गवर्नमेंट से किसी प्रकार का शेयर नहीं लिया है, न गवर्नमेंट से किसी प्रकार की राजकीय सहायता ली है, उन संस्थाओं के लिये इस धारा को लागू नहीं किया जाये। यह ऐसी संस्था है जैसे अरबन को-आपरेटिव बैंक हैं, ऐसी और भी कई प्रकार की संस्थाएं चलती हैं जिसमें यह चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी न तो किसी प्रकार का दण्ड दिया गया, न आपका कोई शेयर है, उन सोसायटियों की, अगर किसी ने शेयर लिया है या लौटा दिया है प्रारम्भिक तौर से, तो उनके ऊपर यह बाइंडिंग नहीं रखी जाये। इस प्रकार बाई लाज मैंडेटरी बनाकर आप सोसायटियों के पास भेजना चाहते हैं, वे कहते हैं हमारी सोसाइटियां स्वतंत्र रूप से हैं, हम काम कर रहे हैं। आप बाइंडिंग बाई लाज बनाकर भेजते हो जिसको वे रिफ्यूज करते हैं। रिफ्यूज करने के बाद आपने सुनने का एक मौका जरूर दिया है, पर उसके बाद भी आप यह पाते हो कि नहीं, यह तो लागू किया ही जायेगा, सोसायटी मानती नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से गौण हो रही है। आपकी कोई हिस्सापूंजी भी उसमें नहीं है। ऐसी सोसायटियों के लिये यह सब-क्लाज अलग जोड़ने के लिये..... (व्यवधान) और सोसायटियां हैं, उनमें हिस्सा पूंजी है उसमें तो बाइंडिंग हो सकता है, लेकिन बिलकुल ही गवर्नमेंट का जिसमें शेयर नहीं है, उसके लिये यह पब्लिक पालिसी के अनुसार है। पब्लिक पालिसी भी यही कहती है। आप सरकार का नियंत्रण बढ़ाना चाहते हो। सरकार कितना नियंत्रण बढ़ा पाती है, कितना कन्ट्रोल कर पाती है, यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज बहुत सारी ऐसी सोसायटियां हैं तो कई जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कई एजुकेशन की सोसाइटी हैं, और भी कई प्रकार की सोसाइटियां हैं जैसे

(श्री हीरासिंह चौहान)

अरबन बैंक हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें बाइंडिंग करके पावर्स के डेरोगेशन से इस प्रकार का व्यवधान पैदा किया है। आपने जो बनाया उसके साथ जोड़ने वाली बात कह रहा हूं, आपने जो किया है उसको घटाने वाली बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो नया सब क्लाज जोड़ने के लिये कह रहा हूं कि उप धारा 5 बना दी जाये चार के साथ। जिसमें सरकार की सहभागीदारिता नहीं है, सरकार की हिस्सा पूंजी नहीं है, शेयर नहीं है उनमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाये। यह पब्लिक पालिसी के अनुसार भी सही होगा। पब्लिक पालिसी भी यही कहती है कि स्वतंत्र रूप से संस्था या निकाय काम कर रहे हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, हालांकि वर्ड आपने यहां भी पब्लिक पालिसी का किया है कि पब्लिक पालिसी के अनुसार ही किया जाये। लेकिन आपकी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की हिस्सा पूंजी को नहीं दिया गया है उनके लिये एक प्रकार की व्यवस्था करना मैं सोचता हूं, एक लोकहित के, जन भावना के लिहाज से एक नया प्रतिस्थापन किया जाये। यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसारामजी। डा. रतन लाल। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है खण्ड–11 की उप धारा 5 में इस धारा के किसी बात के होते हुये प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसायटी जिसमें इस अधिनियम के अध्याय 7 के अन्दर किसी प्रकार की राजकीय सहायता प्राप्त नहीं की, अथवा प्राप्त सहायता को पुनः लौटा दिया, इस धारा में यह प्रावधान नहीं हो गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, कि यह सहकार भावना के मूल रूप से खिलाफ है। अब आपने धारा 11 में पढ़ा होगा, रजिस्ट्रार द्वारा उप विधियों में संशोधन के लिये प्रस्ताव। इसके खण्ड एक में तो आपने लिखा है कि व्यापक हित में लोकहित में आवश्यक समझें, वांछनीय समझें तो रजिस्ट्रार ऐसे संशोधन प्रस्ताव सोसायटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को यह अपेक्षा करते हुये भेजा जा सकेगा कि प्रस्ताव पर सोसायटी के साधारण निकाय की बैठक में तीन मास की कालावधि में विचार करें।

अब आप खण्ड–3 में क्या कहते हैं, जहां सोसायटी रजिस्ट्रार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार करती है और रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा संशोधन किया जाना आवश्यक है वहां वह ऐसे इन्कार की संसूचना की तारीख से तीन दिन की कालावधि के भीतर–भीतर प्रस्ताव को उसके कारणों सहित उस पर विचार के लिये राज्य सरकार को भेजेगा, राज्य सरकार तदनुसार निर्णय लेगी। मतलब यह हुआ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि आप एक तरफ तो आटोनोमी की बात करते हैं, एक तरफ लोकतंत्र की बात कहते हैं और दूसरी तरफ इस धारा के माध्यम से आप पुनः उस निरंकुश नौकरशाह को सारी को–आपरेटिव सोसायटी सौंपना चाहते हैं। मंत्री महोदय, इसका किस तरह से उपयोग और अनुपयोग होगा, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। इसमें दो बातें हैं, एक तो वे संस्थाएं जिनको आपकी सरकार ने न तो अंशपूंजी दी है, न ही सरकार की कोई राशि उसमें निहीत है। ऐसी संस्थाओं को तो इसमें मुक्त रखना ही चाहिये। यह तो आप एकदम पीछे जाने वाली बात कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा, 1965 के अधिनियम में सन् 1995 में हम लोग जो संशोधन लेकर आये थे, उन संशोधनों के पीछे मूल भावना यही थी कि कैसे यह नौकरशाह मुक्त हो। 1995 के संशोधन के माध्यम से हमने ये सारे के सारे अधिकार आम सभा को दिये थे। आज आम सभा को यह अधिकार होना चाहिये कि वे अपने बाई लाज किस तरह बनायें। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी को–आपरेटिव सोसायटी की कोई जान है, जिससे को–आपरेटिव सोसायटी संचालित होती है तो वह उसके उप नियम हैं। अब उप नियम कौनसे बनें, कौनसा नहीं बनें, कोई भी रजिस्ट्रार का एक प्रस्ताव भेज देगा कि यह उप नियम बनाना आवश्यक है और फिर उसके बाद 30 दिन के बाद, यह सरकार को भेज देगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कौन? सरकार कोई मंत्रीजी थोड़े ही हैं? मंत्रीजी तो सरकार उतनी देर हैं जितनी देर इस विधेयक पर यहां चर्चा हो रही है। बाद में कोई गांठने वाला इनको है नहीं। सरकार बैठेगी सचिवालय में। उस सचिवालय में बैठकर को–आपरेटिव सैक्रेटरी.......

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह नहीं, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। Government means the Governor and the Cabinet, the minister concerned.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं व्यावहारिक तौर पर कह रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : व्यवहार, what has the law got to this fact?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सचेतक महोदय, यह मैं भी समझता हूं कि मंत्रिमण्डल सरकार है। परन्तु व्यावहारिक रूप क्या है? आज सहकारिता मंत्रीजी बड़े व्यस्त हैं, इतना समय दे पायेंगे? इनको इतना समय रहेगा? राजस्थान में 20 हजार को–आपरेटिव सोसायटीज हैं और 20 हजार को–आपरेटिव सोसायटीज में किस पर निगाह किस नौकरशाह की आ जाये और उसके बाई लाज में परिवर्तन करके भेज दे और यह कह दे कि इनको लागू करना लोकहित में है। उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, उनको जब वो नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माने, सोसायटीज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पदाधिकारी, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स उसको रिफ्यूज कर दें तो उसके बाद 30 दिन के अन्दर ये लागू कर देंगे।

मंत्री महोदय, आप बड़े डेमोक्रेट हैं। आपने सही फरमाया कि आपका अनुभव भी विशाल है। आपने दूसरे माननीय सदस्यों के दबाव में आकर कुछ इस तरह की बातें मान लीं जो आपसे भूल हो गयी थी, मैं समझता हूं भूल सुधारना बड़ा अच्छा काम है। इस संशोधन में हम तो कुछ एड कराना चाहते हैं, कोई संशोधन नहीं चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 11 के अन्दर उप धारा 5 को जोड़े जाने का प्रस्ताव मेरा और माननीय हीरासिंहजी चौहान साहब का है, उसको स्वीकार करें। और मैं तो कहूं, इसको स्वीकार इन-टोटो करें। सारी सहकारी संस्थाएं चाहे उसमें सरकार की अंश पूंजी हो या नहीं हो, उनमें यह लागू करें पर कम से कम जिनमें सरकार की कोई अंश पूंजी नहीं हो उनको तो इससे मुक्त करें ही करें। 1995 में जो संशोधन आ गये थे, ईश्वर के लिये उससे एक कदम पीछे तो नहीं हटायें, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने धारा 11 में उप धारा 5 जोड़ने की जो बात कही है कि जिनमें राज्य सरकार की कोई हिस्सा राशि नहीं है वहां पर यह लागू नहीं होना चाहिये। जब इतनी हम स्वायत्तता दे रहे हैं आपके नये विधेयक में उसके बाद तो कोई भी यदि राज्य में चाहे निजी अरबन को-आपरेटिव बैंक वगैरह हैं, पूंजी तो उसमें अपने प्रदेश के लोगों की है। सहकारी रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्रेशन करता है और उसमें धारा 4 तक साधारण संशोधन करेगा रजिस्ट्रार तो उसके निकाय को भेजेगा, साधारण सभा को भेजेगा और साधारण सभा को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही संशोधन करेगा। इसमें कहां दिक्कत है? साधारण सभा अरबन को-आपरेटिव बैंक की भी होती है। लोकहित में, जन हित में ऐसा कोई काम राज्य सरकार कराना चाह रही हो जिससे अरबन को-आपरेटिव बैंकों पर नियंत्रण सरकार का नहीं रहेगा तो फिर सरकार निःसहाय है, उनका रजिस्ट्रेशन करने से भी क्या फायदा है? इसलिये सरकार का नियंत्रण जरूरी है। रजिस्ट्रार को या सरकार को कभी ऐसा महसूस हो कि उनके बाई लाज में संशोधन करना है तो सरकार के पास वह अधिकार तो होना चाहिये। उनको बिलकुल ही मुक्त कर देते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन क्या? लोगों की पूंजी उसमें जमा है।

श्री हीरासिंह चौहान : बाइंडिंग क्यों करते हैं? आपने तो बिलकुल बाइंड ही कर दिया कि मानना ही पड़ेगा। इस व्यवस्था को तो कम से कम हटाओ।

श्री परसादी लाल : मानना नहीं पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप सैक्शन 4 पढ़ लो इसका।

श्री परसादी लाल : एक मिनट, राठौड़ साहब, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं सैक्शन 4 पढ़ लो।

श्री परसादी लाल : नहीं, नहीं। मानना नहीं पड़ेगा। अगर सोसायटी इसको वापस लौटाती है, इन्कार कर देती है तो रजिस्ट्रार को तो अधिकार नहीं है कि उसमें संशोधन कर देगा। राज्य सरकार के पास जायेंगे, राज्य सरकार भी आपको सुनवाई का अवसर देगी। सरकार सुनवाई का अवसर देगी, वहां पर आपका लाजिक ठीक है, आपकी बात ठीक है तो वे अरबन को–आपरेटिव बैंक या जिनमें सरकार की हिस्सा राशि नहीं है उनकी बात की सुनवाई होगी। कोई ऐसा संशोधन तो सरकार करेगी नहीं जो उनके हितों के खिलाफ हो। सरकार को जनहित में ऐसा अगर कोई संशोधन करना पड़े तो बहुत आवश्यक हो जाता है। सरकार आज हमारी है, कल आपकी भी आ सकती है। आपको भी करना पड़ सकता है। इसलिये सलैक्ट कमेटी ने, आपने जो धारा 3 पढ़ी है उसमें इसको डिलीट कर दिया।

कोष्ठक में, जो प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् सोसाइटी को उप विधियों में संशोधन करने का....इसकी जगह यह जो अण्डरलाइन किया है, वह दे दिया। सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रार को ऐसे उपान्तरणों सहित, यदि कोई हों तो, जिन्हें उचित समझे, संशोधन रजिस्ट्रीकृत करने का निर्देश देगी। सुनवाई का सोसायटी को अवसर देगी। (व्यवधान) रजिस्ट्रार सुओ मोटो तो करेगा नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाध्यकारी तो कर दिया आपने (व्यवधान) आप पूरा पढ़ो तो सही। आपने बाध्यकारी कर दिया आगे।

श्री परसादी लाल : क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जरूरी कर दिया।

श्री हीरासिंह चौहान : सोसायटी को मानना पड़ेगा।

श्री परसादी लाल : बाध्यकारी होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर सहकार की भावना कहां हुई? आप सरकारी शिकंजा ही कसना चाहते है तो कसो।

श्री परसादी लाल : नहीं, नहीं। सरकार यदि कोई संशोधन करती है, रजिस्ट्रार को तो है नहीं.....(व्यवधान) रजिस्ट्रार सुओमोटो तो कर नहीं सकता, सरकार करेगी। सरकार आपको सुनवाई का अवसर देगी। अगर जनहित में कोई ऐसा काम है तो जो अरबन को–आपरेटिव बैंक जिसमें सरकार की हिस्सा राशि नहीं है वहां पर अगर उनसे काम कोई जनहित में कराया जाना जरूरी है तो सरकार को तो करना ही पड़ेगा। उसमें कहां दिक्कत है? क्या बिलकुल उनको खुला छोड़ दें? प्रदेश में क्या सरकार का नियंत्रण नहीं हो उन

(श्री परसादी लाल)

पर? बिलकुल छोड़ दे खुला? जन हित में ऐसा नहीं होता है। जन हित में कोई होगा तो ही हम संशोधन करेंगे, बाकी पर नहीं करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, वह एक्ट लेकर नहीं आया जिस एक्ट को... (व्यवधान) माडल एक्ट बनाया है जिसकी कार्बन कापी आपने की हैं, मध्य प्रदेश के एक्ट में, उसमें भी यह नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–11 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हां?

श्री धर्मपाल चौधरी : हां कह दिया, हां कह दिया, साहब, हां पक्ष ने, अब तो स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नो, नो।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री अमराराम (धोद): मंत्री महोदय ने, सत्तापक्ष ने कह दिया, स्वीकार कर लीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं पढ़ने में ध्यान रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–11 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड–11 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड–11 स्वीकार किया गया।

खण्ड–12 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–12 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड–12 स्वीकार किया गया।

खण्ड–13, श्री मांगीलाल जी।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–13 के उप खण्ड–4 में रजिस्ट्रार को यह शक्ति दी गयी है कि वह किसी भी सहकारी संस्था का समामेलन, विभाजन और पुनर्गठन स्वयं कर देंगे, स्वयं में शक्ति रहेगी।

मेरा इसमें संशोधन प्रस्ताव है कि किसी भी संस्था के, एक जिले से दूसरा जिला बनाने या किसी प्रकार की ऐसी आवश्यकता महसूस करें कि एक संस्था को दो संस्थाओं में विभाजित करना या 2 संस्थाओं को एक संस्था में पुनर्गठित, सम्मिलित करना हो, यह सरकार की नीति भी है, इसलिये मेरा संशोधन है कि इसमें सरकार की अनुमति से शब्द अन्त:स्थापित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल। श्री के. सी. विश्नोई। श्री त्रिलोक पूर्बिया। श्री मंगलाराम गोदारा। श्री हबीबुर्रहमान। श्री रूपारामजी। श्री मोहन लाल बारूपाल। श्री बाबूलाल नागर। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकार देकर रजिस्ट्रार को, अन्याय हो रहा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जैसलमेर में आदर्श सहकारी भण्डार चलता था। रजिस्ट्रार महोदय ने उसको बना दिया। भण्डार, बिना उसकी कार्य समिति को पूंछे, बिना साधारण सभा को पूंछे, बिना शेयर होल्डर्स को पूंछे। तो यह अधिकार देना पुनर्गठन का मेरे ध्यान से उचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायणजी। श्रीमती पूनम गोयल। डा. के. सी. चौधरी। श्री अब्दुल हादी। श्रीमती सुचित्रा आर्य। श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी। श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड–13 के उप खण्ड 4 में रजिस्ट्रार को राज्य में कोई नयी सहकारी सोसायटी गठित करने के लिये किसी भी सहकारी सोसायटी को विभाजित, पुनर्गठित करने की शक्ति दी गयी है। राज्य में नई सहकारी संस्था का गठन, नये जिले का गठन, नये उप खण्ड का गठन, राज्य सरकार द्वारा ही किया जाये, ऐसी अवस्था में राज्य सरकार की नीति के अनुरूप ही नयी संस्था का गठन होगा और किसी भी सहकारी संस्था का विभाजन या पुनर्गठन किया जायेगा। इसलिये राज्य सरकार की अनुमति पर ही रजिस्ट्रार को किसी भी सहकारी संस्था का विभाजन कर पुनर्गठन का अधिकार होना चाहिये। इसलिये प्रस्तावित संशोधन के अनुसार शब्दावली प्रतिस्थापित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम। श्री सोहन नायक। श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी संस्था जब गठित होती है तो सब सदस्य मिलकर गठित करते हैं और सरकार की रजिस्ट्रेशन वगैरह की अनुमति होती है तो विभाजन के मामले में भी सुनवाई का अवसर देना, और उसके बाद सरकार को उसमें एक तरह से अनुमति देने वाली बात का अधिकार रखा जाये तो वहां ज्यादा उपयुक्त होगा, बजाय पंजीयक महोदय, के इस तरह के मामलों में विवाद भी बहुत पैदा होते हैं, हाई कोर्ट में रिटें भी बहुत होती हैं इसलिये जरूरी है कि इसमें विभाजित शब्द को जहां भी हम ले रहे हैं उसमें सरकार की पूर्वानुमति इसमें जरूर होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर। श्री हरचन्द सिंह सिद्धू। श्री हफीज मोहम्मद। श्री मोहन लाल चौहान। श्री जौहरीलाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे बोलो। कई माननीय सदस्य बैठे हैं, वे बोलेंगे, बहुत धीरे-धीरे नाम बोलो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल जाट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने लिखवाये हैं सब।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी तो जल्दी कर रहे हो।

श्री रामलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विधेयक के खण्ड-13 के उप खण्ड-4 में राज्य सरकार की अनुमति से रजिस्ट्रार को किसी सहकारी संस्था का विभाजन और पुनर्गठन का अधिकार होना चाहिये। इसमें इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार शब्दावली प्रस्तावित की जाये, यही चाहता हूं। बाकी, मंत्री महोदय, हमारे काफी प्रस्ताव पर संशोधन तो आपने मान लिये, एक खास संशोधन है जिसका नम्बर तो अभी दूर आयेगा, आज आयेगा कि नहीं, खण्ड-30 में संशोधन करना बहुत अनिवार्य हो रहा है, उसका कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा, खण्ड-30 आगे आयेगा जब बात करेंगे।

श्री रामलाल जाट : इसका कर दो तो आपका यह....(व्यवधान) हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आगे बात करेंगे। श्री संजीव कुमार। श्री अशोक। श्री रमेश खींची। श्री हेमाराम चौधरी। श्री रमेश चन्द पण्ड्या। श्री बंशीलाल गहलोत। श्री हीरालाल विश्नोई। श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर)। माननीय मंत्रीजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): माननीय मंत्रीजी, इसको तो स्वीकार कर लें। (व्यवधान).... पर आ जाओ फटाफट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे खयाल से। यह संशोधन बहुत अच्छा है इसलिये इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : मान लो, मान लो, सब कह रहे हैं तो।

श्री उपाध्यक्ष : पहले क्यों नहीं दिया?

श्री परसादी लाल : आप सलैक्ट कमेटी में थे माननीय सदस्य और आपके सामने आया था। सलैक्ट कमेटी ने ही यह सारा एप्रूव किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : अच्छी बात है। नहीं, नहीं, कोई अच्छी चीज बाद में ध्यान में आई है। अच्छी चीज बाद में ध्यान में आई है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : यह दिया है न आपने। ये संशोधन सलैक्ट कमेटी के बाद ही तो आये हैं न सारे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सलैक्ट कमेटी के बाद तो बहुत सारी चीजें आई हैं।

श्री मांगीलाल डांगा : मंत्री महोदय, आगे इस तरह के प्रावधान से बहुत सी संस्था समाप्त हो गई है। यह सहकारिता आन्दोलन के हित में है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने क्या किया फिर पहले?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सलैक्ट कमेटी में थे यह बात सही है, लेकिन सलैक्ट कमेटी में जो कमियां रह गई थीं माननीय मंत्री महोदय ने अपने नये अमैंडमेंट से उनको पूरा किया है तो यह भी एक ऐसा अमैंण्डमेंट है जो सलैक्ट कमेटी के सामने हो सकता है नहीं हुआ हो और आज हम इसको मानते हैं कि यह अच्छा है क्योंकि सरकार को अधिकार होना चाहिये स्वीकृत नहीं करना। इसलिये माननीय मंत्री, महोदय, इसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : कर लो, कर लो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शिवनाथ सिंह : उठकर कहो, मान लेते हैं।

श्री परसादी लाल : माननीय सदस्यों की राय से जो यह संशोधन जोड़ा है खण्ड-13 के (4) की द्वितीय पंक्ति में इसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पैरा ही बदल गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या जोड़ा है, इसमें? इसको पढ़कर सुनाओ, साहब, कि क्या बना इस पर बाद में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गवर्नमेंट को।

एक माननीय सदस्य : स्थापित किया है "गवर्नमेंट" शब्द।

श्री परसादी लाल : विभाजित के पूर्व अभिव्यक्ति सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् सरकार की पूर्व अनुमति से अन्तःस्थापित की जाये, यह जोड़ दिया 'पूर्व अनुमति से'।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सर्कुलेट तो नहीं किया यह।

श्री परसादी लाल : क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सर्कुलेट थोड़े ही किया है।

एक माननीय सदस्य : अमैंडमेंट मूव करेंगे न।

श्री परसादी लाल : अमैंडमेंट मूव कर दिया न अभी।

श्री धर्मपाल चौधरी : ताजा जवाब है, ठीक किया।

एक माननीय सदस्य : अभी ही जोड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-13 में जो संशोधन श्री मांगीलालजी व अन्य ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-13 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड–13 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। खण्ड–14, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–14 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड–14 स्वीकार किया गया।

खण्ड–15 श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–15(घ) में माननीय मंत्री महोदय ने जो वित्तीय बैंक की परिभाषा को प्रतिस्थापित किया है उससे मेरे इस संशोधन का औचित्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है, इसलिये मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुये मेरे इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मूव ही मत करो, वापस क्यों लेते हो फिर?

श्री मांगीलाल डांगा : पेश नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मूव ही मत करो। श्री घासीराम मेघवाल। श्री के. सी. विश्नोई। श्री त्रिलोक पूर्बिया। श्री मंगलाराम गोदारा। श्री हबीबुर्रहमान। श्री रूपाराम। श्री मोहन लाल बारूपाल। श्री बाबूलाल नागर। श्री गोवर्द्धन कल्ला। श्री शिवनारायण।

अच्छी परेड करवाई आज।

श्रीमती पूनम गोयल। डा. के. सी. चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बुलवाओ साहब इनसे, कुछ तो बुलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : हैं ही नहीं तो किसको बुलवाऊं? श्री अब्दुल हादी। श्रीमती सुचित्रा आर्य। श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी। श्री मांगीलाल गरासिया। श्री नाथूराम।

श्री मांगीलाल गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उप खण्ड–15(घ) का संशोधन वापस लेता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहन नायक। श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह बोल रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जोर से बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : एक भी नहीं रहे हैं यहां वापस।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम। श्री हरचन्द सिंह सिद्धू। श्री हफीज मोहम्मद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पास तो हो जायेगा, उपाध्यक्ष महोदय, आज ही।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल चौहान। श्री जोहरीलाल। श्री रामलाल जाट। श्री संजीव कुमार। श्री अशोक। श्री रमेश खींची। श्री हेमाराम चौधरी। श्री रमेश चन्द पण्ड्या। श्री बंशीलाल गहलोत। श्री हीरालाल विश्नोई। श्री जितेन्द्र सिंह। श्री राजेन्द्र राठौड़। बिराजो न आप, कहां दु:ख दे रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा इस विधेयक के खण्ड-15 उप धारा 3 में नया उप खण्ड 'ब्रेकिट तीन' जोड़ा जाना प्रस्तावित है जो निम्न है-

"उप खण्ड एक और दो में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी प्रत्येक ऐसी संस्था जिसने इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की राजकीय सहायता प्राप्त नहीं की है, अथवा प्राप्त राजकीय सहायता लौटा दी है, के सदस्यता के आवेदन को संचालन मण्डल द्वारा अस्वीकृत करने पर उसकी अपील संस्था की सामान्य सभा में होगी, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खण्ड-15 के अन्दर सहकारी संस्था का सदस्य कौन बने? अगर कोई सहाकरी संस्था का बोर्ड आफ डाइरेक्टर किसी भी दूसरी सहकारी संस्था या किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने के लिये मना भी कर देता है तो उसकी अपील का प्रावधान किया इन्होंने। रजिस्ट्रार अगर यह समझे तो उसको कह देगा कि इसको सदस्य बनाओ। कुल मिलाकर सारी शक्तियां न जाने किस कारण से ये रजिस्ट्रार में निहित करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, को-आपरेटिव मूवमेंट की अगर सबसे शक्तिशाली कोई संस्था है तो वह साधारण सभा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, इस को-आपरेटिव मूवमेंट के साथ कई बार अन्तर्विरोध की बात भी आ जाती है और कई बार ऐसे लोग भी सदस्य बन जाते हैं जो इस मूवमेंट के लिये घातक हो जाते हैं। अगर साधारण सभा के अन्दर इस बात की चर्चा हो और इस बात का फैसला हो कि अमुक व्यक्ति जो सदस्य बनना चाहता है, बोर्ड आफ डाइरेक्टर ने जिसकी एप्लीकेशन को रिजैक्ट कर दिया है, अगर साधारण सभा समझे कि इसको सदस्य बनाया जाना चाहिये तब तो ठीक है। मेरा निवेदन करने का अर्थ यह है, मंत्री महोदय, कि इसमें सर्वोच्च संस्था साधारण सभा रहे। इसके अन्दर रजिस्ट्रार के हाथ में आप इस तरह की शक्तियां नहीं दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सहकारी संस्था की मूल अवधारणा पर कुठाराघात है। इससे तो व्यक्तिगत स्वार्थ रखने वाले लोग सदस्य बनना प्रारम्भ हो जाएंगे। 1955 में जो संशोधन आया था, जिन संस्थाओं में सरकार की राशि नहीं लगी है उनमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो, इस भावना से उस समय यह संशोधन किया गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता का अर्थ है कि सरकार के सहकारी संस्था का जितना नियंत्रण कम रहे, उससे ही सहकार की भावना जाग्रत होगी। इसलिये, मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि विधेयक के खण्ड-15 की उप धारा 3 के अन्दर जो संशोधन हमने प्रस्तावित किये हैं, उस पर विचार करें और आप सारी शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित नहीं करें। सर्वोच्च संस्था साधारण सभा है, साधारण सभा को किसी की भी सदस्यता के बारे में निर्णय करने का अन्तिम अधिकार होना चाहिये, इस तरह का मेरा संशोधन प्रस्ताव विचारार्थ पेश है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरलाल। श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-15 के उप खण्ड (घ) में....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब तो किसी को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा ही नहीं। मैम्बर बनने ही नहीं देगा।

श्री केसाराम चौधरी : दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे वर्ग की सहकारी सोसायटी की सदस्यता का पात्र नहीं होगा जो इस निमित्त विहित किये जायें।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "केन्द्रीय सोसायटी या शीर्ष सोसायटी की सदस्यता का पात्र नहीं होगा," प्रतिस्थापित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मामला मैम्बरशिप का है, मैम्बरशिप में सहकारिता की भावना ही समाप्त करते हो। एक स्ट्रेंजर जिसका सोसायटी से कोई लेना-देना नहीं है, वह कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है और वह कहता है कि मैं मैम्बर बनूंगा पूरी सोसायटी कहती है मैम्बर नहीं बनायेंगे। वह जाता है गवर्नमेंट के पास, रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार उसको चार्ज देता है कि आप मैम्बर बनाओ। क्या सहकारिता की यही भावना है? नहीं, कैसे बनेगा? (व्यवधान) यह मालिक का मामला नहीं है, यह तो समूह है। सहकारी संस्थाओं में कोई आप जी.एस.एस. और इन्हीं को मत लीजिये। इस प्रकार का स्ट्रेंजर आदमी जो उस सोसायटी के हित में नहीं है, वह स्ट्रेंजर आदमी आकर कहता है कि मुझे मैम्बर बनाओ। ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं, इसमें तो सभी प्रकार की सोसायटीज हैं। चाहे एजुकेशनल सोसायटी हो, चाहे गृह निर्माण सहकारी समिति हो, चाहे को-आपरेटिव बैंक का हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, यह उनकी बात है। जी.एस.एस. में तो गांव वाले बनते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिसमें सरकारी सहायता ही नहीं मिली, उसकी क्या बात करते हैं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : और जिसमें कोई सरकारी सहायता ही नहीं मिली। (व्यवधान) आप एक स्ट्रेंजर को उसमें मैम्बर बनाना चाहते हो, how is it possible? अगर स्ट्रेंजर को मैम्बर ही बनवाना चाहते हो तो कोई नई बात नहीं की, माननीय सहकारिता मंत्रीजी। मैं बड़े अदब से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इस पर गम्भीरता से विवेचन करें। आप सोसायटियों पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? एक स्ट्रेंजर है जिसको मैम्बर नहीं बनाना सोसायटी का। अब जबरदस्ती वह अपील करता है। अपील की मियाद भी नहीं दी है क्या मियाद होगी। इसमें यह भी नहीं लिखा है कि कब अपील

(श्री हीरासिंह चौहान)

करेगा, कब उसने आवेदन किया। वह जाकर सीधा कहेगा कि मुझे मैम्बर बनाओ। इस प्रकार के हालात से सोसायटी की जो भावना है, उस पर कुठाराघात होगा। इसीलिये इस पर....(व्यवधान) माननीय, आप बहुत पुराने अनुभवी और वयोवृद्ध हो, रामनारायणजी चौधरी साहब, मैं सोचता हूं कि हम कोई विपरीत भावना नहीं रख रहे हैं। हम विपरीत भावना नहीं रख रहे हैं; हम सहकारिता की भावना को यहां पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं। कैसे सम्भव होगा? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें आप खिलाफ बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : खिलाफ कैसे बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह होगा कि सिर्फ जिसने बनाया 2000 सदस्य, वह किसी को घुसने नहीं देगा। रास्ता खुलना चाहिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बस यही होगा। यही है भावना। दूसरों को घुसेड़ देगा। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह ठीक कह रहे हैं, दूसरों को घुसने नहीं देगा।

एक माननीय सदस्य : यह भावना नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह क्या कह रहे हैं? को-आपरेटिव बैंक तो दस आदमियों का बनाया, दस आदमी आकर और मैम्बर बन जायेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दूसरों को घुसने ही नहीं देंगे। दूसरों को बनायेंगे ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सोसाइटी के खिलाफ आयेगा तो रहेगा ही अपने आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको अपनी बात कह लेने दीजिये, प्लीज। आप कह लो अपनी बात। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं निवेदन कर रहा था, इसकी जब हम यह चाहते हैं कि किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये प्रत्येक ऐसी संस्था जिसने इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की राजकीय सहायता प्राप्त नहीं की है अथवा प्राप्त राजकीय सहायता लौटा दी, की सदस्यता के आवेदन पत्र को संचालक मण्डल द्वारा अस्वीकृत करने पर उसकी अपील संस्था की साधारण सभा में होगी और उसका परिणाम अन्तिम होगा। हो सकता है पदाधिकारी मना कर दें। लेकिन इस संस्था की जनरल बाडी जिसमें कोई मैम्बर है, उसकी जगह रजिस्ट्रार को यह पावर क्यों देना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसमें आपने लिखा है.....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : साधारण सभा साल में एक बार होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साधारण सभा में जायें। हम कब कहते हैं कि मत बनाओ। मैम्बर बने, जो सर्वोच्च संस्था है उसमें साधारण सभा के पास सारी शक्ति होनी चाहिये। हम तो यह कहते हैं। जिन संस्थाओं के साथ सरकार का लेना-देना नहीं है, उनके अन्दर क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह साधारण सभा में रखेंगे ही नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : क्यों नहीं होती है साधारण सभा? इसका कोई कारण नहीं होता है। अब इसमें एक क्लाज दिया है जो मैं पढ़कर सुनाता हूं। उप धारा-2 के अधीन अपना विनिश्चय या नामंजूरी के कारण उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर संसूचित करने में विफल रहती है तो आवेदक ऐसे समय की समाप्ति से साठ दिन की कालावधि के भीतर-भीतर अपने आवेदन पर विनिश्चय के लिये रजिस्ट्रार को समावेदन कर सकेगा, जिसका निपटारा उसी रीति से किया जायेगा मानो वह खण्ड (1) के अधीन कोई अपील है। मेरा इसमें निवेदन है, हम इसके साथ जुड़ने वाली बात कह रहे हैं कि कम से कम अपील का अधिकार उसी सोसायटी की जो साधारण सभा है, उसको क्यों नहीं देते हो। मैम्बर बनाने का काम रजिस्ट्रार करेगा? How is it possible?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): क्षमा करें। इंटरवीन नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम-टाइम, विराजें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस पर चर्चा हो जाये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कल क्या करेंगे फिर?

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्षजी, इस पर मैं सदन से अनुरोध करूंगा, केवल सोसायटी का मैम्बर बनाने के लिये रजिस्ट्रार मैम्बर बनाये, यह अजीबो-गरीब बात मुझे तो लगी है। आज दिन तक मैम्बर बनते रहे हैं, हम सब जानते हैं। आप सभी किसी न किसी संस्था से जुड़े हुये हैं और जुड़े हुये रहकर आपने हमेशा देखा है। को-आपरेटिव में मैम्बर बनाये, किसी भी संस्था में मैम्बर बनाये, वहां

(श्री हीरासिंह चौहान)

की समिति ही मैम्बर बनाती है। कोई संस्था है जिसमें मैम्बर जबरदस्ती घुसना चाहता है, एजुकेशन सोसायटी भी है, उसमें मैम्बर बनना चाहता है, जबरदस्ती बनना चाहता है तो यह अधिकार तो कम से कम उस सोसायटी की साधारण सभा को दीजिये। (व्यवधान) छोटा-सा नहीं, यह बहुत गम्भीर है। इसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां होंगी। आपके झुंझुनूं में आकर मैं क्लेम कर दूंगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, कि मुझे मैम्बर बनाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, खण्ड पर बोल लेना न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, खण्ड पर ही बोल रहे हैं, साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, खण्ड पर ही बोल रहा हूं। मैं आगे कहां जा रहा हूं? मैं खण्ड के बाहर एक शब्द नहीं बोलता। मैं बिलकुल आपके आदेशों के अधीन काम कर रहा हूं। यही मेरा अमेंडमेंट है। अभी पहले जनमत जानने के लिये, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनका ध्यान है पूरा, आप तो बोले जाओ। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सहकारिता मंत्रीजी, आपने एक बार कहा था जब मैं जनमत जानने पर बोल रहा था उस समय, वह इसी धारा पर आया हुआ है प्रोविजन- ''परन्तु कोई भूमि विकास बैंक से भिन्न किसी वित्तीय बैंक या किसी ऐसे वर्ग की सहकारी सोसायटी की सदस्यता का पात्र नहीं होगा, इस निमित्त विहित किया जाये।'' यहां हिन्दी में तो ठीक लिखा है लेकिन अंग्रेजी वाली जो भाषा है, वह बिलकुल अजीबोगरीब है। उसमें लिखा है— "Provided that an individual shall not be eligible to the membership of a financing bank...." अब या तो इसका अर्थ का अनर्थ किया है या मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इसको आपने हटाने के लिये कहा था। इंडिविजुअल भी मैम्बर बन सकता है। इसके ऊपर आपका ही है, आपने कहा था, जब खण्डशः वाचन करेंगे उस समय हम इसको हटा देंगे। माननीय राज्य मंत्रीजी, आपने भी कहा और माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने भी कहा था। इसके ऊपर आप अपना अभी जवाब दें जब कहें। मैं समझता हूं मैं किसी बात को उचित समझता हूं उस पर सदन के माननीय सदस्यों को अनुरोध कर सकता हूं, उनसे बार-बार निवेदन कर सकता हूं कि यह व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। इसीलिये मैं इस पर जोर दे रहा हूं। उपाध्यक्षजी, यही मेरा..... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हिन्दी और अंग्रेजी के अनुवाद में अन्तर तो बता दो। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अंग्रेजी हिन्दी का अनुवाद है। अंग्रेजी का 15 में ही है, उपाध्यक्षजी, 15 में यह लिखा है—

"Provided that an individual shall not be eligible to the membership of a financing bank...."

फाइनेंशियल सोसायटी में तो इंडिविजुअल ही मैम्बर बनता है। आपने यहां पर मना किया और हिन्दी में आपने अलग भाषा लिखी है। जिसको मैं नहीं समझ पाया हूं। हिन्दी में आपने लिखा है.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप हिन्दी वाले को समझ लो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, कैसे समझ लें?

श्री हीरासिंह चौहान : समझ में नहीं आ रहा है वह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कोंट्राडिक्टरी चल रही है। अंग्रेजी वर्शन और हिन्दी वर्शन एक-दूसरे को कोंट्राडिक्ट कर रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : कोंट्राडिक्ट कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कौनसा पसन्द है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो हिन्दी भाषी हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको दोनों में जो पसन्द हो, उसे एक्सैप्ट कर लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमें तो आज कोई पसन्द है ही नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : कानून तो हिन्दी में बन रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हिन्दी में बन रहा है तो हिन्दी में ही बोल रहा हूं। किसी वित्तीय बैंक या किसी ऐसे वर्ग की सहकारी सोसायटी की सदस्यता का पात्र नहीं होगा, जो इस निमित्त विहित किया जाये। मतलब कोई व्यक्तिगत मैम्बर नहीं बनेगा। व्यक्तिगत मैम्बर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा इन समितियों में? इसलिये इसको भी हटाया जाये। पहले आपने स्वीकार कर लिया था, कि इसको हम हटा लेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। ज्ञानदेवजी, आप बोलेंगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, बोलेंगे साहब, ज्ञानदेवजी।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो-बोलो। मना कहां कर रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, कुछ समझने दीजिये आये हैं तो। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, बोलेंगे क्या? उपाध्यक्ष महोदय, अब यह तो अन्याय मत करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलने के हकदार हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : एक घंटा और बढ़ जायेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : मेरा निवेदन है विधेयक के खण्ड-15 की उप धारा तीन में नया उप खण्ड थर्ड और उप खण्ड फर्स्ट और सैकिण्ड, इसमें माननीय सदस्य श्री राजेन्द्रजी राठौड़ ने सुझाया कि रजिस्ट्रार को पावर न देकर यह पावर आम सभा को दिया जाये। आम सभा जो समिति की है, वही सबसे पावरफुल होगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कायम होंगी। रजिस्ट्रार महोदय या कोई गवर्नमेंट के अधिकारी इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो वास्तव में, जैसे एक दधीमथि संस्था है गंगानगर की, भ्रष्टाचार और गोल-माल के अलावा प्रशासक ने कुछ नहीं किया। कम से कम नहीं तो दो करोड़ रुपये के घोटाले गंगानगर की दधीमथि शिक्षण संस्थान के हैं। इस संशोधन को स्वीकार किया जाये। मैंने एक उदाहरण दिया है, साहब, संशोधन को स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह इसमें अमेंडमेंट है क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसलिये मैंने आपको निवेदन किया है कि लोकतांत्रिक पद्धति को चलने दिया जाये और आम सभा को ही पावरफुल माना जाये, रजिस्ट्रार को नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

(18.00 बजे)

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो धारा तीन में संशोधन के लिये कहा कि साधारण सभा को अधिकार होना चाहिये, वैसे राजनीतिक कारणों से, गुटबाजी के कारण जब संचालक मण्डल उसका आवेदन निरस्त करता है तो साधारण सभा के सामने जाने से कोई औचित्य है नहीं। इसकी अपील का जो प्रोविजन है वह रजिस्ट्रार के यहां ही होना चाहिये। सलैक्ट कमेटी में भी सभी माननीय सदस्यों ने इसी बात को माना था, इसलिये इनका स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि अपील का अधिकार जो रजिस्ट्रार को दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो अपील का अधिकार साधारण सभा में चला जाये। आप सहकार की मूल भावना के विपरीत क्यों बात करना चाहते हैं? आप क्यों सारे के सारे अधिकार रजिस्ट्रार में निहीत करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : माननीय सदस्य, साधारण सभा में बहुमत नहीं होगा इसका मतलब तो कोई मैम्बर नहीं बनेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या मोह है आपका रजिस्ट्रार के साथ? (व्यवधान) आप क्यों सारी संस्था को नष्ट करना चाहते हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप इस संशोधन को मानने के लिये तैयार क्यों नहीं है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–15 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई बात हुई? (व्यवधान) यह अनर्थ हो जाएगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत है, इसे स्वीकार नहीं किया जाये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अपील का अधिकार आम सभा को दिया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–15 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड–15 स्वीकार किया गया।

श्री हीरासिंह चौहान : स्वीकार करना, अस्वीकार करना अलग बात है लेकिन क्या यह...(व्यवधान)....

श्री केसाराम चौधरी : लोकतंत्र का गला क्यों काटा जा रहा है? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, इसमें लाजिक बताइये। आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? हम गलत कह रहे हैं तो हमको समझा दीजिये, हम गलत हैं।

श्री केसाराम चौधरी : आप इसका जवाब तो दीजिये। मंत्री महोदय जवाब ही नहीं दे रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : जवाब भी नहीं देते। (भारी व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बहुत टाइम है आपके पास। (व्यवधान) आप आहिस्ता चलिये।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड–16, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–16 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड–16 स्वीकार किया गया। (व्यवधान) खण्ड–17 श्री मांगीलाल डांगा, श्री घासीलाल मेघवाल, श्री के. सी. विश्नोई, श्री त्रिलोकी पूर्बिया, श्री मंगलाराम गोदारा, श्री हबीबुर्रहमान, श्री रूपाराम, श्री मोहन लाल बारूपाल, श्री बाबूलाल नागर, श्री गोवर्द्धन कल्ला, श्री शिवनारायण, श्रीमती पूनम गोयल, डा. के. सी. चौधरी, श्री अब्दुल हादी, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी, श्री मांगीलाल गरासिया, श्री नाथूराम, श्री सोहन नायक, श्री रतन लाल ताम्बी, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री हरचन्द सिंह सिद्धू, श्री हफीज मोहम्मद, श्री मोहन लाल चौहान, श्री जौहरी लाल,

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रामलाल जाट, श्री संजीव कुमार, श्री अशोक, श्री रमेश खींची, श्री हेमाराम चौधरी, श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या, श्री बंशीलाल गहलोत, श्री हीरालाल विश्नोई एवं श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर)। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है? (व्यवधान) क्या जनता के लिये बना रहे हो या अपने आप के लिये बना रहे हो? (व्यवधान) किसके लिये कानून बना रहे हैं? कोई युक्तियुक्त कानून नहीं, बिलकुल गलत कानून बना रहे हो। इसका विरोध करते हैं उसमें भी आप सुनवाई नहीं करते हैं। (भारी व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूरे खण्ड आप स्वीकार कर लीजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : आप बता दीजिये जो हम गलत बोल रहे हों।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, फिर तो हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता बुला कर पूरा ही विधेयक पास करा लीजिये। आप लोकतांत्रिक पद्धतियों को नहीं मान रहे हैं तो हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, यह तो हां में हां करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बड़े सहृदय हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी की समझ से बाहर है यह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम हाथ बांधे खड़े हैं, आप इतने +++ क्यों, उपाध्यक्ष महोदय, रेल बना रखी है आपने, रोको तो सही। हमें समझ में तो आये आप क्या पारित करा रहे हो। है क्या, उपाध्यक्ष महोदय, यह?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही कहना है तो बेकार है। फिर हां पक्ष जीता करके करा दीजिये सारा विधेयक पास। फिर काहे के लिये करें? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पास करा दूं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसा?

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन ही नहीं, क्या बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे कैसे पास करा देंगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जब हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता करना है तब तो विधेयक ऐसे ही पास करा दीजिये। फिर चर्चा की जरूरत क्या है, जब जनता को सुविधा नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : 20 में संशोधन है हमारा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–17 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड–17 स्वीकार किया गया।

श्री केसाराम चौधरी : यह तो अधिकारियों ने जो लिख कर दिया वो आप पढ़ रहे हो, क्या मतलब है? इससे तो फिर विधेयक लाने से क्या मतलब हुआ? (व्यवधान) जो अधिकारियों ने लिख कर दिया, मंत्रीजी भी देख रहे हैं, मंत्रीजी हां कह रहे हैं कभी ना कह रहे हैं। पता भी नहीं लगता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह है तो फिर हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड–18 एवं 19, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–18 एवं 19 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड–18 एवं 19 स्वीकार किये गये।

खण्ड–20, प्रभारी मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या स्वीकार करा लिया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री केसाराम चौधरी : क्या स्वीकार किया, क्या अस्वीकार किया, पता ही नहीं। मंत्रीजी को खुद को पता नहीं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : खण्ड–20, आप सोते रहे, चार खण्ड पास हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड–20 पर संशोधन है इनका।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही स्वीकार करना है तो पूरा विधेयक ही करा दो, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–20 के उप खण्ड (क) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाये— (क) किसी सहकारी सोसायटी का जो किसी अन्य सहकारी सोसायटी का सदस्य हो, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुये, उस अन्य सोसायटी के कार्यकलाप में उसकी ओर से मत देने के लिये प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 17 में संशोधन है, साहब, हमारा।

श्री उपाध्यक्ष : बुलायेंगे, चिंता मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 20 पर चले गये वो तो।

श्री उपाध्यक्ष : 20 ही तो है, और कौनसा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 17 में संशोधन है, नाम पुकारा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : बोला नाम मैंने, आपने सुना नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, इतनी कृपा तो हो। आपके पास वह पन्ना ही नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हीरासिंह चौहान : वह पन्ना आपके पास उलटा-सीधा रह गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह चिपक कर आगे चला गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपने नाम नहीं पुकारा, 17 में जो संशोधन है वह बोलने का माननीय सदस्यों को मौका मिले।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। खण्ड-17 में आपका नाम बताओ। यहां पड़ा है न पन्ना, यह नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह रहा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हीरासिंह चौहान : 17 में नीचे हमारे नाम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह बाद में तो 28 आ गया, 17 में ही है हमारे नाम।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है मेरे पास तो यह है, इसको मानूंगा मैं।

श्री हीरासिंह चौहान : हमको सर्कुलेट किया है।

श्री परसादी लाल : नाम नहीं है 17 में।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा हूं, यह देखो।

श्री हीरासिंह चौहान : हम यह कहां से लाये?

श्री उपाध्यक्ष : विराजो। नहीं है 17 में आपका नाम, 20 में बोलो आप।

श्री हीरासिंह चौहान : यह है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब आप 20 में बोलो।

श्री उपाध्यक्ष : हां, 20 में बोलो न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों को सर्कुलर में, साइक्लोस्टाइल में नाम छपवाने का शौक है। मांगीलालजी, नाम छपवाते जाओ, विड्रा करते जाओ। एक बार ज्योतिषी ने कहा नाम छपवाओ, फिर ज्योतिषी ने कहा वापस ले लो। है न यही बात? और सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों का कुछ है ही नहीं। (व्यवधान) जब संशोधन दिये हैं तो जरा ढंग से तो चले। यह क्या है? राजधानी एक्सप्रेस चल रही है क्या? यह अमरीका का 700 बोइंग विमान चल रहा है कि भारत का 700 बोइंग विमान चल रहा है? भारत का विमान चलने दो।

श्री उपाध्यक्ष : 20 पर बोलो।

श्री परसादी लाल : 20 पर बोल दो। संशोधन कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बुला रहे हैं। इतना आसानी से मानता हूं क्या मैं?

श्री हरिसिंह (महुआ) : चलो आप कम्प्लीमैंट्री बोल लो। श्री उपाध्यक्ष माननीय हीरासिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बोल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां से बोल रहे हो? विराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी दूसरी संस्था को वोट देने के लिये क्लाज टू में जो अधिकार है, मूल रूप से सहकारी समितियों में चुनाव में जो गड़बड़ियां हुआ करती थीं यही थी कि कोई किसी न किसी को नामिनेट कर दे और मैम्बर वोट डालने जाये। इसमें एक-एक सोसायटी में कहीं तीन बार, कहीं चार बार प्रस्ताव होते और कौनसी मार्केटिंग सोसायटी में या सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक में कौन वोट देने के लिये अधिकृत किया जाता था, उस व्यवधान को आपने रोककर कहा कि या तो अध्यक्ष वोट देगा या उपाध्यक्ष देगा। यही हम चाहते थे, क्योंकि वह पहले से फिक्स होता है। बार-बार प्रस्ताव कभी कोई दस्तखत करता है, कभी कोई दस्तखत करके बाद में बड़ा अड़खंजा बना देता है और पूरी सोसायटी के चुनाव को तहस-नहस कर देता। इसलिये हमारी भावना यही थी कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को रखें। अध्यक्ष बीमार है तो उपाध्यक्ष चला जाये। अब अच्छा कर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा। बोलना है क्या?

श्री हरिसिंह (महुआ) : उनको पता ही नहीं है क्या बोलना है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खण्ड-20 के उप खण्ड (2) (क) को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया है :— "किसी सहकारी सोसायटी का जो किसी अन्य सहकारी सोसायटी का सदस्य हो, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुये, उस अन्य सोसायटी के कार्यकलाप में उसकी ओर से मत देने के लिये प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष द्वारा या, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा किया जाना है।" स्वीकार कर लिया गया, मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-20 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि खण्ड-20 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये। प्रश्न यह है कि खण्ड-20 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-20 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। खण्ड-21 से 23 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-21 से 23 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड–21 से 23 स्वीकार किये गये।

खण्ड–24 श्री मांगीलाल डागा। श्री घासीलाल मेघवाल। श्री के. सी. विश्नोई। श्री त्रिलोक पूर्बिया। श्री मंगलाराम गोदारा। श्री हबीबुर्रहमान। श्री रूपाराम। श्री मोहनलाल बारूपाल। श्री बाबूलाल नागर। श्री गोवर्द्धन कल्ला। श्री शिवनारायण। श्रीमती पूनम गोयल। श्री के. सी. चौधरी। श्री अब्दुल हादी। श्रीमती सुचित्रा आर्य। श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी। श्री मांगीलाल गरासिया। श्री नाथूराम। श्री सोहन नायक। श्री रतन लाल ताम्बी। श्री राधेश्याम गंगानगर। श्री हरचन्द सिंह सिद्धू। श्री हफीज मोहम्मद। श्री मोहन लाल चौहान...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस देख रही है कि कितने लोगों ने संशोधन दिये और किसके दबाव से वे बाहर गये। मंत्रीजी, आपको और कहीं भी जवाब देना पड़ेगा। आपने सभी माननीय सदस्यों को जिस तरह से बाहर भेजा है, इसका जवाब देना पड़ेगा जब सोनियाजी के पास शिकायत लेकर जायेंगे। आपके इनमें तो दम है नहीं, हम लेकर जायेंगे। एक मंत्री इस तरह का आचरण कर रहे हैं, सदन में माननीय सदस्य अपनी बात नहीं रख सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जौहरी लाल मीणा, श्री रामलाल जाट, श्री संजीव कुमार, श्री अशोक, श्री रमेश खींची, श्री हेमाराम चौधरी, श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या, श्री बंशीलाल गहलोत, श्री हीरालाल विश्नोई, श्री जितेन्द्र सिंह, श्री सांवर लाल, श्री हीरासिंह चौहान आपको बोलना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस पर?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे क्या पता किस पर? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खण्ड–30 पर बुला रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, खण्ड–28 है अभी तो। अभी तो 24 पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी। (व्यवधान) करा रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–28 की उप धारा 7 को हटाया जाये।

श्री परसादी लाल : 28 कहां है अभी?

श्री उपाध्यक्ष : आप 28 पर बोल रहे हैं क्या? अभी तो 24 चल रहा है।

श्री केसाराम चौधरी : आपने 28 कहा था न।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम है इसमें।

श्री केसाराम चौधरी : 24 में?

श्री उपाध्यक्ष : हां। आप विराजो, मत बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 24 में इनका नाम ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–24 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड–24 स्वीकार किया गया।

खण्ड–25 प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–25 के उप खण्ड–(1)(ङ) के पश्चात् निम्न प्रकार परन्तुक जोड़ा जाये—
''परन्तु शर्त यह है कि यदि उपरोक्त समय के भीतर ऐसी बैठक न बुलायी जाये तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति विहित रीति से ऐसी बैठक बुला सकेगा और वह बैठक सोसायटी द्वारा यथावत् बुलाई गई एक साधारण बैठक समझी जायेगी; परन्तु शर्त यह और है कि रजिस्ट्रार यह आदेश दे सकेगा कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन ऐसी बैठक बुलाने के कारण बालम व्यय संस्था की निधि में से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा रजिस्ट्रार की राय में साधारण बैठक बुलाने के लिये मना करने या बुलाने में विफल होने के लिये उत्तरदायी थे, भुगतान की जायेगी।''

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है इसलिये अब पेश नहीं कर रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, सारा ही को–आपरेटिव पर आज हो जायेगा तो कल क्या करेंगे? कल का भी तो को–आपरेटिव का दिन है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलते ही क्यों हो? बैठे रहो न। श्री घासीलाल मेघवाल, श्री के. सी. विश्नोई, श्री त्रिलोकी पूर्बिया, श्री मंगला राम गोदारा, श्री हबीबुर्रहमान, श्री रूपाराम, श्री मोहन लाल बारूपाल, श्री बाबूलाल नागर, श्री गोवर्द्धन कल्ला, श्री शिवनारायण, श्रीमती पूनम गोयल, श्री के. सी. चौधरी, श्री अब्दुल हादी, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी, श्री मांगीलाल गरासिया, श्री नाथूराम अहारी, श्री सोहन नायक, श्री रतन लाल ताम्बी, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री हरचन्द सिंह सिद्धू, श्री मोहन लाल चौहान, श्री जौहरी लाल मीणा, श्री राम लाल जाट, श्री संजीव कुमार, श्री अशोक, श्री रमेश खींची, श्री हेमाराम, श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या, श्री बंशीलाल गहलोत, श्री हीरालाल विश्नोई, श्री जितेन्द्र सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो संशोधन लेकर आये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारा निवेदन है कि संशोधन का मूल पढ़कर तो सुना दिया परन्तु यह नहीं बताया कि ये संशोधन क्यों लेकर आये हैं, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का नियम रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बता देंगे यह बोल लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय पूरे स्पष्टीकरण के साथ बात को लेकर आये। यह पढ़ दिया और उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसको पारित करवा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पारित कहां करवा दिया?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, जो अनावश्यक नाम छपवाये हैं, गायब हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो जिन माननीय सदस्यों ने नाम दिये हैं उनको बोला हूं मैंने कहां पारित करवा दिया?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन देकर गायब हो गये हैं उनको प्रताड़ना तो दो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। माननीय मंत्रीजी, यह संशोधन आपने क्यों मूव किया है इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दो इनकी संतुष्टि के लिये। इनकी कोई शंका हो तो निकाल लेने दो।,

श्री अमराराम (धोद) : दबाव है।

एक माननीय सदस्य : पहले वाला ठीक नहीं था इसलिये बदल दिया।

श्री परसादी लाल : दबाव किसी का नहीं है। अगर कोई माननीय सदस्य बैठक बुलाने के लिये लिखकर दें, बैठक जो होती है। समिति की उसके अलावा भी बैठक बुलायी जा सकती है। उसका रजिस्ट्रार जब भी कोई सदस्य चाहे बैठक बुलाना उस समय आदेश दे सकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, कोई सदस्य संख्या नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा कि कोई सदस्य रजिस्ट्रार को लिखकर दे तो वह मीटिंग बुला सकता है। कुल सदस्यता की कितनी संख्या में लिखकर दें तब वह मीटिंग बुलायें, रजिस्ट्रार कितने दिन में मीटिंग बुलायेगा, ये सारी की सारी बातें बतायें आप इसमें। कितने दिन में नोटिस?

श्री परसादी लाल : साधारण सभा जो वार्षिक होती है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले कितने दिन का नोटिस होगा, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो एक्ट है, रूल्स भी बनेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार की तरफ से संशोधन मूव हुआ है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हमेशा एक्ट के साथ रूल्स बनते हैं, रूल्स में आ जायेगा वह सब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समझते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने सही फरमाया। आप विधिवेत्ता हैं विधि ज्ञाता हैं परन्तु मैं निवेदन करूं कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार की तरफ से संशोधन आया है तो सरकार संशोधन के साथ-साथ स्पष्टीकरण भी तो प्रस्तुत करें। (व्यवधान) रजिस्ट्रार को बैठक बुलाने के लिये अधिकृत किया है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा। मतलब यह रजिस्ट्रार हो गया। सहकारी समिति के कानून में एक बड़ी-सी फोटो और छपवा दो उनकी। मैं निवेदन कर रहा था कि रजिस्ट्रार को कितनी संख्या में माननीय सदस्य लिखकर देंगे? कितनी संख्या होनी चाहिये? कुल संख्या का कितने प्रतिशत लिखकर दें और कितने दिन का नोटिस देंगे? यह जरा बता दो आप।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स बनेंगे।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रार के निर्देश से, माननीय सदस्य लिखकर देंगे, ये सब चीजें रूल्स में आयेंगी, कितने दिन का नोटिस होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप संशोधन लेकर आये हैं। बाकी चीजों के लिये तो मैं नहीं कहूंगा परन्तु संशोधन लेकर आये हैं, इसके साथ-साथ आप कह दो। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आप सुनिये, अभी रूल्स नहीं बने हैं। माननीय सदस्य, ये सब चीजें रूल्स में आयेंगी, कितने दिन का नोटिस होगा, कितने मैम्बर उसको बुला सकेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हमने पंचायत एक्ट बनाया उसमें सारी भाषा साफ थी। जब आप संशोधन करते हैं तो भाषा तो बहुत साफ होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 25 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बात स्पष्ट नहीं हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्पष्ट हो जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वयं जानते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बात ठीक है, लेकिन यह जोड़ा है इसमें सीधा दिया है "परन्तु शर्त यह है कि उपरोक्त समय के भीतर ऐसी बैठक न बुलायी जाये तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति विहित रीति ऐसी बैठक बुला सकेगा और वह बैठक संस्था द्वारा यथावत् बुलायी गयी एक साधारण बैठक समझी जायेगी।" मतलब इसमें बुलाने का कोई कारण, कोई समय, किसी की मांग जब तक यह नहीं होगा तो इसका मतलब रजिस्ट्रार को कोई यह तो अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वह जब चाहे तब बैठक बुला ले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स में कर देंगे न। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : खर्चा भी संस्था भोगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक मिनट। बिना बात के खर्चा भी उसके माथे डाल दे जबकि वह विधिवत बैठक कर रहे हैं, समय पर उनकी बैठक हो रही है। उसमें कहीं उनकी छूट नहीं है या गलत नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : एक मिनट, आप मेरी सुन लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब सुनो न। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर फाल्ट हो, बैठक नहीं बुलाते हैं तब तो रजिस्ट्रार बैठक बुलायेगा, वहां तक तो समझ में आ सकता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। मंत्रीजी, आप बैठिये। मेरे को अलाउ किया है इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री परसादी लाल : पहले मेरी सुन लें, राठौड़ साहब, एक बार।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, पाइंट आफ आर्डर। एक मिनट विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन है, आपने अलाउ किया है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर क्या है? आपने कहा कि मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। सरकार की तरफ से कोई भी संशोधन आये, यह संशोधन अभी सर्कुलेट हुआ है। संशोधन सरकार ने मूव कर दिया तो वह सदन की सम्पत्ति हो गयी। संशोधन पर माननीय सदस्य सवाल पूछ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया न आपने सवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतना ही अनुरोध है। अभी हरजीराम बुरड़क पूछना चाह रहे थे और दूसरे माननीय सदस्य, इसलिये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है.....

श्री उपाध्यक्ष : रोका किसने? आपने बीच में ही पाइंट आफ आर्डर उठा लिया, मैंने रोका कहां? मैं तो बोलने दे रहा हूं। आपने बीच में ही पाइंट आफ आर्डर उठा लिया, काहे का पाइंट आफ आर्डर है यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसको एक्सप्रेस की तरह मत चलाओ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो कटारिया साहब को अलाउ किया है। अब वह बोल रहे हैं तो उनको अलाउ कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूं इस संशोधन का मतलब है कि जो वार्षिक सभा सोसायटीज समय पर नहीं बुलाती हैं और वह साल में एक बार बुलानी है और वर्ष खतम होने के तीन माह तक उसको बुलानी चाहिये वे जब नहीं बुलाते हैं तब रजिस्ट्रार द्वारा अपनी तरफ से यह बैठक बुलाने का सवाल है। लोगों की मांग का इसमें कोई सवाल नहीं है। साफ लिखा हुआ है साधारण सभा। साधारण सभा साल में एक बार होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो यह स्पष्ट कर दो न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यही तो स्पष्ट करवाना चाहते हैं। मान लो अगर वह बुला नहीं पाये या समय पर मीटिंग नहीं कर रहे हैं तब तो उसके लिये अधिकृत करें, समझ में आ सकता है। लेकिन अगर वह समय पर अपनी सारी बैठकें करते हैं तो फिर यह नहीं हो कि रजिस्ट्रार जब चाहे जब बुला ले। (व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री): समय पर बैठकें नहीं बुलायी जाती हैं तो इसके ऊपर वाले क्लाज के साथ पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट हो जायेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : कोई सदस्य से क्या अर्थ था?

एक माननीय सदस्य : उप खण्ड-2 में स्पष्ट है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कोई सदस्य से क्या अर्थ था?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-25 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-25 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-25 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। खण्ड-26, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-26 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-26 स्वीकार किया गया।

खण्ड-27 प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-27 के उप खण्ड (4) के स्थान पर निम्न प्रकार से उप खण्ड (4) प्रतिस्थापित किया जाये :- (4) किसी

(श्री परसादी लाल)

ग्राम सेवा सोसायटी, कृषक सेवा सोसायटी, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं प्रत्येक में से कम से कम एक सदस्य होगा और यदि किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से पूर्वोक्त वर्गों के सदस्य किसी भी सोसायटी की समिति में पूर्वोक्त सीमा तक निर्वाचित नहीं होते हैं या उनमें कोई रिक्ति हो जाती है तो पूर्वोक्त वर्गों के किसी सदस्य की कमी या रिक्ति, ऐसी सोसायटी की समिति में पूर्वोक्त वर्गों के सदस्यों में से समिति द्वारा, सहवरण द्वारा पूरी की जाये या यथास्थिति भरी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोल रहे हैं मांगीलालजी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं?

श्री मांगीलाल डांगा : इसमें सिर्फ दो शब्द ही यहां ध्यान दिलाने हैं, बाकी मुझे प्रस्ताव पेश नहीं करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीराम मेघवाल। श्री के. सी. विश्नोई। श्री त्रिलोक पूर्बिया। श्री मंगलाराम। श्री हबीबुर्ररहमान। श्री रूपाराम। श्री मोहनलाल बारूपाल। श्री बाबूलाल नागर। श्री गोवर्द्धन कल्ला। श्री शिवनारायण। श्रीमती पूनम गोयल। डा. के. सी. चौधरी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक संशोधन है इसमें, महिलाओं के स्थान पर दो महिलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें तो आप एक ही बोल रहे हैं।

श्री परसादी लाल : दो महिलाओं का यह दूसरा अमेंडमेंट है।

डा. श्रीमती कमला : जब पढ़ा है मंत्री महोदय ने तो, दो पढ़ा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कोई तो नियमों की पालना होनी चाहिये। खड़े होकर मर्जी हो जब एक ही जगह दो। इन्होंने मूव किया है तो विधिवत रूप से इनका आना चाहिये। न सर्कुलेट हुआ न कोई बात।

श्री उपाध्यक्ष : उसका अमेंडमेंट.... (व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मूव किया जब दो बोले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें अमेंडमेंट रूप से पूरा वापस पढ़ें, मंत्री महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इसको अमेंडमेंट रूप से पूरे को वापस पढ़ें मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह थोड़े ही कि इसमें तीन माना जाए, दो माना जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट देकर कर ही सकते हैं अमेंडमेंट, क्या तकलीफ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अमेंडमेंट कर सकते हैं। (व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला : आप महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बाबत में क्यों डिबेट कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपने एक अमेंडमेंट स्वीकार....(व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला : माननीय राज्य मंत्रीजी उसको संशोधित कर रहे हैं, दो महिलाएं कर रहे हैं तो आप अपना समर्थन दीजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : समर्थन में हमारा एतराज नहीं है लेकिन प्रोसेस और पुटिंग दी बिल पाइलेट करने का जो तरीका है दैट इज रांग।

श्री अमराराम (धोद) : दो क्यों आप पांच करिये ना।

श्री हीरासिंह चौहान : ढंग से करना चाहिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय राज्य मंत्रीजी चाहे सारी महिलाएं ले लें, हमें महिलाओं को लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, जो सहवरण का इसमें प्रस्ताव लाये हैं, इस उदाहरण के अगर यह चाहे तो इस शब्द को डाल दें, "संचालक मण्डल के द्वारा" यह सहवरण का अधिकार जो दे रहे हैं वह किसको दे रहे है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह सहवरण का अधिकार किसको दे रहे हैं, इसमें यह स्पष्ट कर दें कि संचालक मण्डल को.....

श्री परसादी लाल : सहवरण के द्वारा....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं तो यह सहवरण कौन?

श्री परसादी लाल : पूरी की जायेगी, यथास्थिति भरी जायेगी, करेगा....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यथास्थिति नहीं, सहवरण कौन करेगा?

श्री परसादी लाल : रूल्स भी तो बनेंगे इनके।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जरूरत नहीं है, इसमें आप डाल दो संचालक मण्डल के द्वारा ताकि बिलकुल स्पष्ट हो जाये। संचालक मण्डल कर दीजिये इसको।

श्री उपाध्यक्ष : मान लिया ना, अब तो ठीक है।

श्री परसादी लाल : पूर्वोक्त वर्गों में से संचालक मण्डल द्वारा सहवरण पूरी की जायेगी, सहवरण द्वारा भरी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती पूनम गोयल। डा. के. सी. चौधरी। श्री अब्दुल हादी। श्रीमती सुचित्रा आर्य। श्री राजेन्द्र चौधरी। श्री मांगीलाल गरासिया। श्री नाथूराम। श्री सोहन नायक। श्री रतन लाल ताम्बी। श्री राधेश्याम गंगानगर। श्री हरचन्द सिंह सिद्धू। श्री हफीज मोहम्मद। श्री मोहन लाल चौहान। श्री जौहरी लाल। श्री रामलाल जाट। श्री संजीव कुमार। श्री अशोक। श्री रमेश खींची। श्री हेमाराम चौधरी। श्री रमेश पण्ड्या। श्री बंशीलाल गहलोत। श्री हीरालाल विश्नोई। श्री जीतेन्द्र सिंह।

इसका कोई उत्तर देने की जरूरत है ही नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-27 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि खण्ड-27 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-27 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। खण्ड-28, प्रभारी मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-28 के उप खण्ड-1(ब) 7 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाये:- (1) कोई व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसायटी या एक से अधिक केन्द्रीय सोसायटी का अध्यक्ष नहीं होगा।

(7) कोई भी व्यक्ति किसी समिति का सदस्य और केन्द्र अथवा राज्य सरकार का मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् को प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों नहीं रहेगा और यदि पहले ही केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान है तो वह उस तारीख से जिसको कि वह ऐसी समिति का सदस्य बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में अपने स्थान से या यथास्थिति, उस पद से, जो वह जिला परिषद् या पंचायत समिति में धारित करता है, त्याग पत्र नहीं दे सकता, परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी समिति का सदस्य पहले से है, केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त अथवा निर्वाचित कर लिया जाता है तो केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद का प्रमुख या, यथास्थिति, किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त अथवा

(श्री परसादी लाल)

निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का सदस्य नहीं रहेगा जब तक कि वह केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद् के अपने स्थान से या जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत समिति में के अपने पद से, पहले ही त्याग पत्र नहीं दे देता है।

श्री उपाध्यक्ष : एम.पी. और एम.एल.ए. रहेगा?

श्री परसादी लाल : एम.पी. और एम.एल.ए. रहेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : प्रधान ने क्या बुरा किया है? उपाध्यक्ष महोदय, जब एम.पी. रह सकता है तो फिर प्रधान और प्रमुख ने ऐसा कौनसा बुरा किया है?

श्री उपाध्यक्ष : वे किसी इंस्टीट्यूशन के हैड हैं इसलिये।

श्री अमराराम (धोद) : डबल पोस्ट तो एम.एल.ए. और एम.पी. की भी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : वह किसी इंस्टीट्यूशन का प्रमुख है। जो किसी इंस्टीट्यूशन का प्रमुख है वह नहीं रहेगा, साधारण आदमी रहेगा, यही बात है।

श्री अमराराम (धोद) : जब एम.एल.ए. और एम.पी. रह सकता है तो प्रधान और प्रमुख के रहने में कहां एतराज है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह एक इंस्टीट्यूशन का हैड है ना। (व्यवधान) श्री मांगीलालजी। श्री घासीलालजी। श्री के. सी. विश्नोई। श्री त्रिलोकी पूर्बिया। श्री मंगलाराम गोदारा। श्री हबीबुर्रहमान। श्री रूपाराम। श्री मोहन लाल बारूपाल। श्री बाबूलाल नागर। श्री गोवर्द्धन कल्ला। श्री शिवनारायण। श्रीमती पूनम गोयल। डा. के. सी. चौधरी। श्री अब्दुल हादी। श्रीमती सुचित्रा आर्य। श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी। श्री मांगीलाल गरासिया। श्री नाथूराम। श्री सोहन नायक। श्री रतन लाल ताम्बी। श्री राधेश्याम गंगानगर। श्री हरचन्द सिंह सिद्धू। श्री हफीज मोहम्मद। श्री मोहन लाल चौहान। श्री जौहरी लाल। श्री रामलाल जाट। श्री संजीव कुमार। श्री अशोक। श्री रमेश खींची। श्री हेमाराम चौधरी। श्री रमेश चन्द पण्ड्या। श्री बंशीलाल गहलोत। श्री हीरालाल विश्नोई। श्री जीतेन्द्र सिंह (अलवर)। श्रीमती मधु दाधीच। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रभारी मंत्रीजी का मेरे संशोधन को आंशिक रूप से स्वीकार करने के लिये तो धन्यवाद दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर हम जन प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, प्रधान और जिला प्रमुख को हम डिसक्वालिफाई करें कि वे किसी सहकारी संस्था के चुनाव नहीं लड़ पायेंगे, किसी पद पर नहीं रहेंगे, मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने जन प्रतिनिधियों के अन्दर कैटेगरी के अन्दर जब एम.एल.ए., एम.पी. और प्रधान, प्रमुख की बात कही है। तो उन दो को उस अधिकार से वंचित रखने का कारण क्या है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी आप अधिकार दें। नहीं, उनको कहां दिया? एम.एल.ए., एम.पी. को दे दिया पर प्रधान और उप प्रमुख ने क्या कसूर किया है? मंत्री महोदय, आप तो उप प्रमुख भी रहे हैं, आपको मालूम है। पंचायती राज संस्थाओं को एक तरफ तो हम सारे अधिकार सौंपते जा रहे हैं, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की बात कह रहे हैं। 74वें संविधान संशोधन के बाद आप कह रहे हैं, आपके दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधीजी की मूल भावना पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की थी। आप बार-बार सोनिया गांधीजी का नाम ले रहे हैं। फिर आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? उनको भी आप अधिकार दें। आप संशोधन लेकर आये हैं तो आंशिक रूप से उन प्रमुख और प्रधान को इनसे वंचित रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें उनको भी आप अधिकार दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंशा यह है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेवजी। आप उत्तर देंगे न?

श्री खेतसिंह राठौड़ : ताकि यह गलतफहमी दूर हो जाये, ताकि औरों को बोलने की आवश्यकता नहीं हो। मंशा यह है कि प्रधान चुनाव लड़ सकता है, प्रमुख चुनाव लड़ सकता है, डायरेक्टर बन सकता है लेकिन चेयरमैन नहीं बन सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यही तो है, क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता चेयरमैन? यह हमें भी मालूम है। देखिये, आपके संशोधन को हमने भी पढ़ा है।

श्री परसादी लाल : संशोधन मूव कर रहे हैं। संशोधन दुबारा मूव कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : जब एम.एल.ए. बन सकता है, एम.पी. बन सकता है तो प्रधान और प्रमुख ने क्या गुनाह किया है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : और यदि वह चेयरमैन बन सकता है....(व्यवधान) सुनिये आप। मेरी बात सुन लीजिये, बाद में आप....(व्यवधान) यदि वह चेयरमैन बनता है तो फिर वह प्रमुख भी रहे और चेयरमैन भी रहे, दोनों पदों पर रहे....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एम.एल.ए. दोनों काम कर सकता है, एम.पी. दोनों पदों पर रह सकता है.....

श्री अमराराम (धोद) : फिर एम.एल.ए. के लिये भी यह कर दो कि एम.एल.ए. अगर सोसायटी का चेयरमैन बनेगा तो एम.एल.ए. चेयरमैन से इस्तीफा दे देगा। हो गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : देखिये, एम.एल.ए. के पास कोई एक्जीक्यूटिव

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पोस्ट नहीं है। उनके पास में एक्जीक्यूटिव पोस्ट है। एम.एल.ए. के पास कोई पोस्ट नहीं है। एम.एल.ए. यहां आया और फिर वापस अपनी कांस्टीट्यूएंसी में। उनका वहां दफ्तर है, उनके नीचे स्टाफ है, वह काम करते हैं। इसलिये एक्जीक्यूटिव पोस्ट होने की वजह से वह एक जगह रह सकते हैं। दूसरी जगह नहीं रह सकते हैं। एम.एल.ए. के पास में चूंकि कोई एक्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है इसलिये एम.एल.ए. और एम.पी. चैयरमैन हो सकता है।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : एम.एल.ए. के पास डिजायर लेकर जाओ, क्या पावर है? एम.एल.ए. के पास डिजायर लगाने के अलावा क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आप नहीं बोल रहे हैं, यह 153 का दबाव बोल रहा है। एम.एल.ए. .....(व्यवधान) यहां पर बैठे हैं और एम.एल.ए. इस सदन में बैठकर कानून बना रहे हैं इसलिये उनकी तो बात मान रहे हैं और वह जन प्रतिनिधि की परिभाषा.....

श्री अमराराम (धोद) : कानून तो आप खुद बना रहे हैं, एम.एल.ए. हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कानून का है इसलिये वह हो जायेगा और प्रमुख और प्रधान कानून नहीं बनाते हैं इसलिये वे नहीं होंगे। भावना तो यह जायेगी न, उपाध्यक्षजी।

***श्री खेतसिंह राठौड़ :** कानून बना रहे हैं तो सही बना रहे हैं, गलत कानून नहीं बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा से ज्यादा लोग शासन में भागीदार बने, तो क्या एम.एल.ए. को ही यह सब हो सकता है। एम.एल.ए. के लिये....(व्यवधान) हो पाया।

श्री अमराराम (धोद) : राठौड़ साहब, भावना यह जायेगी कि एम.एल.ए. विधान सभा में बैठकर कानून बनाते हैं।

डा. श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, ने जैसा कि अभी अभी बताया, मंशा है, उसमें संशोधन भी आपको करना पड़ेगा कि विधायक क्योंकि किसी भी ऐसी पोस्ट पर नहीं है जिसमें उसे कोई कार्यालय चलाना पड़े या उसको कोई पद के लिये अपना समय देना पड़े। इसलिये विधायक के लिये छूट है कि वह डायरेक्टर भी बन सकता है, वह अध्यक्ष भी बन सकता है समिति का। लेकिन यदि कोई प्रधान, प्रमुख किसी मंत्री परिषद के सदस्य ने चुनाव लड़ा है तो वह डायरेक्टर तो बन सकेगा लेकिन अगर अध्यक्ष बन जाता है तो उसे दोनों पोस्ट में से किसी एक पर अपने आप इस्तीफा देना पड़ेगा। अपने पंचायती राज में भी इस तरह का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिये यह अपने आप में बहुत सही संशोधन है और इसको माननीय सदस्यों को मानना चाहिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, +++ को तो छूट दे दी आपने और +++ को बांध दिया। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य को, वह तो बछड़े ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको तो फायदा हो रहा है। इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है?

श्री रतन लाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष का दोहरा मापदण्ड है। विपक्ष जब सत्ता में था, पंचायती राज एक्ट बनाया, उस समय उसमें ये प्रावधान करवाये। आज विपक्ष में होने से उन प्रावधानों को आप गलत बता रहे हो। तो दोहरा मापदण्ड नहीं चल सकता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब तो आप हो, आपका राज है ना, अब तो करो।

श्री रतन लाल ताम्बी : जो मापदण्ड आपने पंचायती राज एक्ट में 94 में किया था, वही प्रावधान हैं। दोनों में एकरूपता तो होनी चाहिये।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा आपसे निवेदन है कि प्रजातंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पदों पर बैठ सके। अब एम.एल.एज. को आलरेडी सारी सुविधा हैं, बहुत बड़े सदन में बैठे हो और केवल उनको सुविधा सम्पन्न बनाने के लिये एक चेयर दी जायेगी, इस प्रकार जो....

श्री रतन लाल ताम्बी : हीरासिंहजी, आपको याद है ना मैंने भी इस तरह विरोध किया था। आप नहीं मानें इस बात को।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब आपका राज है, अब तो करो आप।

डा. श्रीमती कमला : वह जो सुविधा दिख रही है, वह जो कंट्रीब्यूट कर पायेंगे को–आपरेटिव सैक्टर को, उसको भी ध्यान में रखो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह स्वीकार कर लें, साहब, प्रधान और जिला प्रमुख को, वरना हम लोग अपना स्वार्थ पूरा कर लेंगे यहां बैठकर। वह कहेंगे, हमारा आपने गला कटवा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे लोगों का संशोधन भी है।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन है तो वह बैठें तो बोलो। कैसे बुलाऊंगा? जब मैं उनको काल अपान करूंगा। मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं बोलने के लिये। एम.एल.एज. को कोई एक्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है इसलिये एम.एल.ए. और एम.पी. को रखा है। प्रधान और प्रमुख के पास एक्जीक्यूटिव पावर्स हैं, एक्जीक्यूटिव आर्डर्स हैं, सीधी-सी बात है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एम.एल.ए. मिनिस्टर बन जायेगा तो वह नहीं रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि प्रोटोकाल के अन्दर एम.एल.ए. प्रधान और प्रमुख से पहले हैं। मैं एम.एल.एज. का विरोध नहीं कर रहा हूं कि एम.एल.ए. को आप क्यों अधिकार दे रहे हैं, एम.पी. को आप क्यों अधिकार दे रहे हैं। परन्तु एक तरफ आप 74वें संविधान संशोधन के बाद सारे अधिकार जिला प्रमुख को सौंप रहे हैं कि वह विद्यालयों का निरीक्षण भी करे। विद्यालय भी प्राथमिक स्तर पर उसके नियंत्रण में रहे...

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिये इसमें वंचित रख रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चिकित्सालय भी उसके नियंत्रण में रहे तो आप उसको वंचित क्यों करना चाहते हैं? यह दोहरा मापदण्ड क्यों?

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिये कि आलरेडी उनके पास बहुत काम हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं, जन प्रतिनिधि की श्रेणी के अन्दर प्रधान भी आता है और जिला प्रमुख भी आता है। संसद सदस्य भी आता है और एम.एल.ए. भी आता है। आप जन प्रतिनिधि को विभक्त क्यों करना चाहते हैं? कोई जन प्रतिनिधि इस सदन के अन्दर अपने भाव को प्रकट नहीं कर सके, इसका मतलब उसको तो आप डिप्राइव कर दो? इसलिये यह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। मेरा निवेदन है और मेरा संशोधन है, उस संशोधन को चाहे आप गिरा देना, ब्रूटल मैजोरिटी आपके पास है। मेरा इसके अन्दर संशोधन है कि प्रधान और प्रमुख को सम्मिलित किया जाये। अब आप वोट करके चाहे गिरा देना।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि मंत्री भी वंचित हैं। मंत्री भी वंचित हैं इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सम्मिलित किया गया है...

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मैंने प्रस्ताव पेश किया है...

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब दे रहे हो?

श्री परसादी लाल : नहीं, नहीं। अभी जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें कुछ और संशोधित रूप में पढ़ना चाह रहा हूं दुबारा...

श्री उपाध्यक्ष : और संशोधन?

श्री परसादी लाल : संशोधित रूप में। कोई भी व्यक्ति किसी समिति का अध्यक्ष और केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों नहीं रहेगा और यदि पहले ही केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान है तो वह उस तारीख से जिसको कि वह ऐसी समिति का (सदस्य की जगह) अध्यक्ष बनता है,

(श्री परसादी लाल)

चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद् के सदस्य के रूप में अपने स्थान से या, यथास्थिति, उस पद से जो वह जिला परिषद् या पंचायत समिति में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता।

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी समिति का, (पहले सदस्य था उसकी जगह अध्यक्ष पढ़ रहा हूं) अध्यक्ष पहले से है, केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त अथवा निर्वाचित कर लिया जाता है तो केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या यथास्थिति किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त अथवा निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का (सदस्य की जगह अध्यक्ष पढ़ रहा हूं) अध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक कि वह केन्द्र अथवा राज्य मंत्रीपरिषद् के अपने स्थान से या जिला परिषद् से या, यथास्थिति, पंचायत समिति में के अपने पद से, पहले ही त्याग पत्र नहीं दे देता है। माननीय सदस्य ने जो आशंका की थी जिला प्रमुख और उप प्रधान उस समिति के...

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेवजी, आप बोलना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : जिला प्रमुख और प्रधान, किसी भी समिति में वह निर्वाचित होते हैं उसके डायरेक्टर रह सकते हैं, वह अध्यक्ष नहीं बन सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो वही तो हम चाह रहे हैं, अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता वह? क्या कसूर है उसका? जब एक विधायक बन सकता है, जब एक संसद सदस्य बन सकता है तो जिला प्रमुख और प्रधान क्यों नहीं बन सकते? यह स्पष्ट तो करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। ज्ञानदेवजी, संशोधन है उनका। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : एक ही पद लेगा। जिला प्रमुख और प्रधान का संवैधानिक पद है...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय डाक्टर साहब। ज्ञानदेवजी, बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस कानून में मना है? (व्यवधान) बहुत बहुमूल्य विचार आ रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आ रहे हैं तो बुला दूंगा। पहले ज्ञानदेवजी। आई हैव काल्ड अपोन, आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आपने एम.एल.ए., एम.पी. नहीं रखे थे सदस्य और डायरेक्टर बनाने के लिये, उसके लिये तो धन्यवाद। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, प्रधान या जिला प्रमुख जिसमें से बनते हैं उनको भी अध्यक्ष और डायरेक्टर बनने के लिये इसमें यह संशोधन करके आप स्वीकार करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। बाकी आपने किया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रतनलाल जाट। श्री हीरासिंहजी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का संशोधन मूव किया गया है, मैं तो इस भावना का मूल रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि हम जब विधान सभा में इलैक्टेड होकर आते हैं उसके बाद बहुत सारे अधिकार अपने आप आते हैं। अब विधायकों को ही वापस किसी को-आपरेटिव बैंक के चेयरमैन बनाने के अधिकार देना, तो बहुत सारे लोगों की भागीदारी इन संस्थाओं में होनी चाहिये ताकि वे ठीक ढंग से काम कर सकें और उसमें विशेष दबाव भी किसी प्रकार का नहीं बने। इसलिये उन लोगों का मैं तो विरोध करता हूं, उनको चेयरमैन नहीं बनाया जाना चाहिये। क्योंकि उनके पास आलरेडी बहुत सारे पावर हैं, बहुत सारे लोग इन संस्थाओं से जुड़े हैं। जिनके पास बहुत सारे काम हैं, दूसरे विकास सम्बन्धी। कौनसा एम.एल.ए. फ्री है? रात-दिन जितना काम करें उतना काम है। दुनिया भर की कमेटियों की मीटिंग होती है, जगह-जगह उसको जाना पड़ता है। इसके अलावा आप उसको एक और पावर देना चाहते हो, उस पावर से क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन होगा पावर का डीसेंट्रलाइजेशन की जो हमारी पालिसी होनी चाहिये, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जगह-जगह भागीदारी तय हो, इससे बिलकुल विपरीत जा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह क्लाज जो अपने इन्सर्ट की है, मैं तो इसके खिलाफ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठें, बैठें आप तो। श्री केसारामजी।

श्री अमराराम (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जब प्रमुख और प्रधान को...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज। केसारामजी बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (पचपदरा) : उनको चेयरमैन नहीं बनने देते हो आप।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बैठिये, पहले वह बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (पचपदरा) : तो एम.एल.ए. को फिर आप कह रहे हैं, वह 24 घंटे जो ड्यूटी में रहेगा...

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन ही नहीं है। आप बोल रहे हैं, कहां है आपका संशोधन?

श्री अमराराम (पचपदरा) : यह नया पेश हुआ है इसलिये....

श्री उपाध्यक्ष : जिनका है उनको तो बोलने दो।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–28 की उप धारा 7 को हटाया जाये। इसमें दो कालावधि, दो अवधियों के लिये जो भी कम हो, मतलब दो से कम क्यों, 10 साल का पीरियड मानते हैं, अगर 10 साल से पहले कोई भंग हो जाती है...

श्री परसादी लाल : यह तो क्लाज हा हटा दिया। कालावधि तो हट गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलो, बोलो, आप ठीक बोल रहे हो।

डा. श्रीमती कमला : यह हट ही गया है।

श्री परसादी लाल : हट गया वह तो क्लाज ही।

श्री केसाराम चौधरी : इसमें जो 28 के 8 की धारा 7 में जिला परिषद् के जिला प्रमुख और प्रधान को हटाया है वह ठीक नहीं है। आप एक तरफ तो स्वायत्तता देना चाहते हैं और दूसरा उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी ठीक नहीं है।

डा. श्रीमती कमला : हटा थोड़े ही रहे हैं उनको। किसी की अध्यक्षता में ज्यादा रूचि है, ज्यादा काम कर सकता है तो वहां रहेगा, वह पदासीन होगा। दो–दो दफ्तर एक व्यक्ति नहीं चला सकता है।

श्री केसाराम चौधरी : एम.एल.ए. से ज्यादा काम उनके पास नहीं है।

डा. श्रीमती कमला : हां तो रहे सोसायटी के अध्यक्ष, कोई मनाही थोड़े ही है।

श्री केसाराम चौधरी : एम.एल.ए. को भी हटा दो ना। काहे के लिये उसको रख रहे हो?

डा. श्रीमती कमला : कौनसा दफ्तर चला रहे हैं एम.एल.ए., एम.पी.?

श्री केसाराम चौधरी : आपका उद्देश्य क्या है?

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : आप यह क्यों मानकर चलते हो कि बी.जे.पी. के विधायक कभी चेयरमैन बन ही नहीं सकते है?

श्री केसाराम चौधरी : सब बनेंगे, बनने की तो कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट में भी आपको संशोधन करना पड़ेगा।

श्री केसाराम चौधरी : मगर एम.एल.ए., एम.पी. के पास टाइम कहां है?

श्री हीरासिंह चौहान : वहां पंचायत एक्ट के अनुसार तो प्रधान नहीं बन सकता

(श्री हीरासिंह चौहान)

है, एम.एल.ए. प्रमुख नहीं बन सकता और यहां बनाने की व्यवस्था है। उसमें भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। दो प्रकार की बातें नहीं चल सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब वह अवसर आयेगा तब सोचेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : वहां भी चेंज करना पड़ेगा।

डा. श्रीमती कमला : अवसर आयेगा तब देखना।

श्री उपाध्यक्ष : अभी क्या बात है?

श्री केसाराम चौधरी : 28 के 9(8) में यह आपने दो बच्चों के लिये प्रावधान किया है, 9(8) में उन दो बच्चों के लिये आपने तारीख खोली है, 10.7.1995 में....

श्री उपाध्यक्ष : आप कौनसे अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं?

श्री केसाराम चौधरी : इसी 28 के 9(8) पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कौनसे खण्ड पर बोल रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 28 की उप धारा 9 सब क्लाज 8 पर बोल रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी : 9(8) पर।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेंडमेंट क्या है?

श्री केसाराम चौधरी : मेरा अमेंडमेंट इसी पर है 28 में।

श्री उपाध्यक्ष : क्या अमेंडमेंट है?

श्री केसाराम चौधरी : अमेंडमेंट यह है कि यह बच्चों की तारीख खोली है, पंचायत में भी तारीख खोली है। पंचायतों में आज दिन तक कितने केस चल रहे हैं, सी.पी. जोशी साहब के पास में कितने केस हैं और कितनों का सुलझारा कर रहे हैं, यह सीधा-सा स्पष्ट कर दीजिये। 1995 के बाद में यूनिट माना है, ठीक है, फिर बाद में वह हाई कोर्ट जायेंगे और फिर हाई कोर्ट अलग फैसला देते हैं। इस धारा को स्पष्ट किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जहां प्रधान और जिला प्रमुख लिखाया है, इसकी थोड़ी-सी भाषा स्पष्ट करें कि वह एज ए सदस्य रह सकेगा कि नहीं रह सकेगा। इसमें से यह चीज नहीं निकल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : है ना वह तो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसको रीड्राफ्ट ऐसा करें कि जिससे यह रहे कि वह मैम्बर रह सकता है, वह डायरेक्टर बन सकता है, अध्यक्ष नहीं बन सकता है, यह स्पष्ट हो जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह सदस्य रह सकता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसकी लैंग्वेज में क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी, इसको क्लियर कर दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह तो है लेकिन इसी से मंत्री परिषद् को उसका चेयरमैन बनने से रोक लगाई है, उसको स्पष्ट करें इसको लिखते समय थोड़ा-सा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया जी ने कहा कि वह सदस्य बन सकता है, इसकी यही भावना है, वह अध्यक्ष नहीं बन सकता है। सदस्य तो समिति के बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह इसमें क्लियर आ जाये।

श्री परसादी लाल : समिति के सदस्य का मतलब डायरेक्टर ही है।

श्री अमराराम (धोद) : डायरेक्टर ही क्यों बनेगा? उपाध्यक्ष महोदय, जब अध्यक्ष नहीं बन सकता है तो डायरेक्टर बनकर वहां क्या काम करेगा? क्या भावना है? उपाध्यक्ष महोदय, मक़सद इतना ही है, जब शिवचरणजी माथुर राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, विधायकों को अपने बांटने के लिये सब को-आपरेटिव के अध्यक्ष बनाये थे। सब भूमि विकास बैंक के... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : साधारण बात है... (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर को भी उसी मीटिंग में जाना है और अध्यक्ष को भी उसी मीटिंग में जाना है, तो फिर प्रधान को और जिला प्रमुख को... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कहां एतराज है? उपाध्यक्ष महोदय, केवल सरकार की मंशा यह हो कि विधायकों को नवाजने के लिये जिनको मंत्री पद नहीं मिला है, उनको को-आपरेटिव और भूमि विकास के जितने अपैक्स बैंक हैं, उनको अध्यक्ष बनाना है तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी : यही आपकी मंशा है। यही आपकी मंशा है।

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन अगर आप यह चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बन सकते हैं क्या? आप भी बन सकते हो।

श्री केसाराम चौधरी : नहीं बनना है। (व्यवधान) यह कभी बने ही नहीं। प्रधान और जिला प्रमुख क्यों नहीं बन सकते? (व्यवधान) यह दोहरापन नहीं चलेगा (व्यवधान)। दोहरा मापदण्ड नहीं चल सकता है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अमरारामजी तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं इसलिये यह कह रहे हैं कि धरती और धन बंटकर रहेगा। यह बार-बार दबाव इसलिये डाल रहे हैं कि धन बंटकर रहेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बाकियों को जिनको मंत्री पद नहीं मिल पाया है उनको.... (व्यवधान) उनको अपैक्स बैंक के अध्यक्ष बनाना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, कहिये आप साफ।

श्री परसादी लाल : माननीय कटारियाजी ने सुझाव दिया कि वह सदस्य या डायरेक्टर भी बने तो मैं इसके नीचे, किन्तु वह समिति का सदस्य या निदेशक बन सकेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सदस्य भी उसी मीटिंग में जायेगा, प्रमुख भी उसी मीटिंग में जायेगा, फिर उस मीटिंग में अध्यक्ष बनकर बैठे तो क्या फर्क पड़ेगा?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 28 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-28 में माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-28 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-28 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिये, मैं माफी चाहूंगा परन्तु, हमें संरक्षण कौन देगा? (व्यवधान) आपकी वह महानता कहां चली गयी? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : स्वीकार किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका दिया है ना, क्या तकलीफ है आपको? आपको अलाउ किया था। यह जरूरी थोड़े ही है कि आप कहें वह मानें वह? आपको मौका दे दिया, बात खतम हो गयी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि...... (व्यवधान) मैं बहुत नम्र शब्दों में निवेदन कर रहा था कि मंत्री महोदय जो संशोधन लेकर आये उसको मंत्री महोदय ने यहां बैठें-बैठे दो बार परिवर्तित कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य के सुझाव को उन्होंने माना, गलती क्या कर दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम उनका स्वागत करते हैं। अब उन्होंने परिवर्तित रूप में संशोधन को पुनः सदन में रखा है। कोई माननीय सदस्य एक-आधा सवाल करना चाहे, उपाध्यक्ष महोदय, आप जैसा उदारमना व्यक्ति इस आसन पर विराजा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें क्या सवाल करोगे? जो उन्होंने कह दिया... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बोलना चाह रहे थे...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कटारियाजी के सुझाव को मानकर... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन कर रहा था... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो बोलना ही नहीं चाह रहे थे। वह तो अभी आये हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौनसा तो खण्ड चल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरा पता है। उपाध्यक्ष महोदय, वर्षों तक जिला प्रमुख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बोल लेंगे। बिराजें आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो अच्छा सुझाव आता है, कटारियाजी ने कहा, हमने यह मान लिया। 29 में कोई सुझाव आयेगा तो मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड–29, श्री मांगीलालजी. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस सहकारी संशोधन पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल। (व्यवधान)। श्री त्रिलोक पूर्बिया। (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एम.एल.एज. को नोमिनेट करने जा रहे हैं... (व्यवधान) इसलिये यह संशोधन लाया गया है। इस संशोधन के पीछे मकसद एक ही है कि यह विधायकों को खुश कैसे रखें। अब विधायकों में असंतोष है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है। इस विधायकों के बाड़े को रोकें कैसे, इसलिये उनको नोमिनेट करने के लिये प्रस्ताव लेकर आये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा जिला प्रमुख भी आपके कांग्रेस के हैं, प्रधान भी कांग्रेस के हैं, पंचायती सदस्य भी आपके हैं, जिला परिषद् सदस्य भी आपके हैं, वह आपको गालियां देंगे। प्रधान और जिला प्रमुख ज्यादा कांग्रेस के ही हैं अभी, आप दुःख पाओगे। हमें कुछ नहीं, दुःख आप ही पाओगे। यह अमेंडमेंट करवा लो नहीं तो, सुख पाओ।

श्री उपाध्यक्ष : मांगीलालजी, बोलो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये प्रधान और जिला प्रमुख भी अब आपके कांग्रेस के ही हैं इसलिये आप दुःख पाओगे।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 29(2) में प्रावधान है कि सरकार किसी भी सहकारी संस्था में पांच लाख या उससे अधिक की हिस्सा पूंजी का अभिदाय करेगी वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उसकी सहायता के लिये एक कार्यपालक अधिकारी, जितने भी आवश्यक हों, उनकी नियुक्ति करेगी, नाम निर्दिष्ट करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि पांच लाख के स्थान पर "51 प्रतिशत" शब्दावली प्रतिस्थापित की जाये और "होगा" और "सरकार" के बीच "जिसके

(श्री मांगीलाल डांगा)

मताधिकार का अधिकार न हो" यह शब्दावली अन्तःस्थापित की जाये। 29(2) में सरकार किसी भी चीफ एक्जीक्यूटिव की नियुक्ति करेगी, वह संस्था का एक वैतनिक अधिकारी होगा और वैतनिक अधिकारी को मताधिकार लोकतंत्र की व्यवस्था में हो या नहीं हो, यह प्रश्न जनतांत्रिक प्रणाली में निश्चित करने का प्रश्न है, इसलिये मैंने संशोधन दिया है। दूसरा मेरा निवेदन है कि सरकार की भागीदारी अधिक से अधिक बढ़े और संस्था पर अत्यधिक भार नहीं बढ़े, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये जिस संस्था की हिस्सा पूंजी एक करोड़ रुपये है और सरकार ने पांच लाख रुपये का अभिदान किया है वहां पर इतने भारी वेतन वाला अधिकारी भेजा जायेगा तो मेरा कहना है कि हमारे सामने उदाहरण है कि पिछले समय में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, उपभोक्ता समितियां, इनके ऊपर इस तरह के भार से ये संस्थाएं समाप्त हुयी हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुये यदि 51 प्रतिशत का प्रावधान होगा तो सरकार और सदस्यों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा प्रजातांत्रिक तरीके से हिस्सा पूंजी की प्रतिशतता भी बढ़ेगी और उससे संस्था के गठन में और पूंजी वृद्धि को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि 51 प्रतिशत और मताधिकार न हो, इस संशोधन को स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल। डा. के. सी. विश्नोई। श्री त्रिलोक पूर्बिया। श्री मंगलाराम गोदारा। श्री हबीबुर्रहमान। श्री रूपाराम। श्री मोहनलाल बारूपाल। श्री बाबूलाल नागर। श्री गोवर्द्धन कल्ला। श्री शिवनारायण। श्रीमती पूनम गोयल। डा. के. सी. चौधरी। श्री अब्दुल हादी। श्रीमती सुचित्रा आर्य। श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी। श्री मंगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-29 की उप धारा 2 में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार नौकरशाह के दखल को कम करने के लिये हिस्सा पूंजी पांच लाख के स्थान पर 51 प्रतिशत तथा नौकरशाह तथा वैतनिक कर्मचारी को मताधिकार नहीं देने के लिये संशोधन स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहन नायक। श्री रतनलाल ताम्बी। श्री राधेश्याम गंगानगर। श्री हरचन्द सिंह सिद्धू। श्री हफीज मोहम्मद। श्री मोहन लाल। श्री अशोक। श्री रामलाल जाट। श्री जौहरी लाल। श्री संजीव कुमार। श्री रमेश खींची। श्री हेमाराम चौधरी। श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या। श्री बंशीलाल गहलोत। श्री हीरालाल विश्नोई। श्री जितेन्द्र सिंह। आप संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से उत्तर तो दिलाओ। उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन आये हैं, माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है, मंत्रीजी उत्तर तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने ही बनाया है, काहे का उत्तर दें?

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो 51 प्रतिशत की बात कही है, आप उस कमेटी के मैम्बर थे जो मेरी चेयरमैनशिप में थी, उसमें पहले दो लाख की बात थी। उसको हमने इनके सुझाव पर पांच लाख किया। अब 51 प्रतिशत यदि कर देंगे तो इसमें जन सामान्य की बात, सरकार को जनहित देखती है, फिर पूंजीपतियों का इस पर कब्जा हो जायेगा और सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिये इसमें काम करने में कठिनाई आयेगी। आपके सुझाव पर हमने दो लाख से पांच लाख किया है, इसलिये जो इन्होंने संशोधन दिया है उसको निरस्त किया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलो-बोलो। बोलो न, वापस लेओ।

श्री मांगीलाल डांगा : एक और है, साहब, मताधिकार वाला, उसका क्या फरमा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वापस नहीं ले रहे हैं? वापस नहीं ले रहे हैं?

श्री मांगीलाल डांगा : दूसरा संशोधन मेरा है। (व्यवधान) मताधिकार हो या नहीं हो, इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय अपना जवाब तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : बोल दो, नहीं ले रहे हैं तो मैं क्या करूं? (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि खण्ड–29 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह बोल रहे हैं, साहब।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो बोलो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वापस लेता हूं।

श्री मांगीलाल डांगा : वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, अब ले रहे हो, जब पूछते हैं तब तो लेते नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–29 में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड–29 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड–29 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2001 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.55 बजे गुरुवार; 22 नवम्बर, 2001 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट 'क'

(तारांकित प्रश्न संख्या-1 की प्रतिलिपियां)

Field Postings of Government Servants Facing Criminal Charges/departmental Enquiry under Rule 16 CCA on Account of Embazzlement Misappropriation of Funds, or Serious Financial Irregularities

Government of Rajasthan

Department of Personnel

No.F.4(6)/DOP/A-3/78 Dated : July 13, 2001

All Principal Secretaries/Secretaries of Government

All Heads of Departments (Including District Collectors)

All Special Secretaries to Government

All Deputy Secretaries to Government

CIRCULAR

SUBJECT :– Regarding field postings of government servants who are facing criminal charges/departmental inquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement, misappropriation of funds, causing finacial loss to the State Government, and serious financial irregularities.

It has been observed that government servants who are facing criminal charges/departmental inquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement of Government funds, misappropriation of funds, causing financial loss to the State Government, or serious financial irregularities are sometimes given field postings or other postings which involve direct contact with the public or handling of cash. Not only does this send a wrong signal amongst the people at large, it is also not desirable that such government servents should be given field postings or other postings involving direct contact with the public or handling of cash till such time

as they have been cleared in the criminal proceedings/departmental inquiry pending against them.

The matter has been considered by the State Government and it has been decided that all those government servants who are facing criminal charges/departmental inquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement of government funds, misappropriation of funds, causing financial loss to the State Government, or serious financial irregularities should not be given field postings of other postings which involve direct contact with the public or handling of cash.

Principal Secretaries to Government/Secrctaries to Government and Heads of Departments are requested to immediately prepare a complete list of such government servants. Thereafter, it may be ensured that if any such government servants has been given a field posting or a posting which involves direct contact with the public, he should be immediately shifted from his present post to some post other than a field post/post involving direct contact with the public or which involve handling of cash.

Information regarding such government servants should be maintained in a permanent register in the office or each Principal Secretary to Government/Secretary to Government and Head of Department and it should be updated periodically so as to ensure that the list is complete at all times.

All the Principal Secretaries to Government/Secretaries to Government and Heads of Departments are requested to ensure strict compliance of these instructions. Action as indicated above should be completed within a months time and a certificate may be sent to this Department indicating that compliance of these instructions has been made.

Your faithfully,

Sd/-

(Ashok Sampatram)

Secretary of Government

परिशिष्ट 'ख'

Field Postings of Government Servants Facing Criminal Charges/departmental Enquiry under Rule 16 CCA on Account of Embazzlement, Misappropriation of Funds, or Serious Financial Irregularities

Government of Rajasthan

Department of Personnel

No.F.4(6)/DOP/A-3/78 Dated : July 26, 2001

All Principal Secretaries/Secretaries to Government

All Heads of Departments (Including District Collectors)

All Special Secretaries to Government

All Deputy Secretaries to Government

CIRCULAR

SUBJECT :– Regarding field postings of government servants who are facing criminal charges/departmental enquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement, misappropriation of funds, causing financial loss to the State Government, and serious financial irregularities.

With reference to the above-mentioned subject your attention is invited to this Departments Circular of even No.F.4(6)/DOP/A-3/78 dated July 13, 2001 whereby it had been directed that all those government servants who are facing criminal charges/departmental enquiry under Rule 16 CCA on account of embezzlement of Government funds, misappropriation of funds, causing financial loss to the State Government, or serious financial irregularities should not be given field postings or other postings which involve direct contact with the public or handling of cash. In continuation

of the above-mentioned Circular. I am directed to state that the State Government has further decided that all those government servants who have already been convicted in any criminal proceedings or who have been penalised with **any major penalty** in department enquiry under Rule 16 CCA on account of charges of embezzlement of government funds, misappropriation of funds, causing financial loss to the State Government, or serious financial irregularities should also not be given field postings or other postings which involve direct contact with the public or handling of cash.

All Principal Secretaries to Government/Secretaries to Government and Heads of Departments are requested to immediately prepare a complete list of such government servants. Thereafter, it may be ensured that if any of such government servants has been given a field posting or a posting which involves direct contact with the public or handling of cash, he/she should be immediately shifted from his/her present post to some post other than a field post/post involving direct contact with the people and handling of cash.

Your faithfully,

Sd/-

(Ashok Sampatram)

Secretary to Government

परिशिष्ट 'ग'

राजस्थान सरकार

मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रकोष्ठ

क्रमांक: प.12(2) गृह–5/2000–पार्ट		जयपुर, दिनांक : 12 जुलाई, 2001

समस्त प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष
राजस्थान, जयपुर।

आदेश

राज्य प्रशासन से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन राज्य सेवकों को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हो या जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अधीन मामला न्यायालय में लम्बित हो, उन राज्य सेवकों (अधिकारियों/कर्मचारियों) के विरुद्ध तत्सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन रहते हुये उनका फील्ड पोस्टिंग/पब्लिक डिलिंग के पदों पर नहीं किया जावे। कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

ह०/–

(आर. के. नायर)
प्रमुख शासन सचिव,
गृह एवं न्याय विभाग, पदेन
मुख्य सतर्कता आयुक्त

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-2 की जांच रिपोर्ट)

ओर से,	वास्ते
वरिष्ठ लेखाधिकारी,	आयुक्त महोदय,
देवस्थान विभाग,	देवस्थान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर।	राजस्थान, उदयपुर।

क्रमांक : 5105 दिनांक : 26 मई, 2001

विषय : जांच रिपोर्ट बाबत।

प्रसंग : आपका यू.ओ. नोट क्रमांक एफ. 4(1) पीए/देव/ 2001/485 दिनांक 17.5.2001

महोदय,

निवेदन है कि मन्दिर श्री बैजनाथ महादेव एवं श्री नाथजी की धूणी, धताणा के डूब में आने पर इसके मुआवजे भुगतान में हुई अनियमितता की जांच के क्रम में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा जांच करने के निर्देश दिये थे जिसके अनुसरण से जांच रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

संलग्न : जांच रिपोर्ट

भवदीय

ह०/-

(भूपेश माथुर)

व. लेखाधिकारी

जांच रिपोर्ट

मन्दिर श्री बैजनाथ महादेव व श्री नाथजी धूणी ट्रस्ट, धताणा के मुआवजा भुगतान

आयुक्त महोदय द्वारा श्री अर्जुन देथा, अध्यक्ष समाजवादी जनक्रान्ति मंच, राजस्थान की शिकायत दिनांक 17.5.2001 पर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता की यू.ओ. नोट क्रमांक एफ. (4)(1)पीए/2001/405 जारी कर मन्दिर श्री बैजनाथ महादेव एवं श्री नाथजी महाराज की धूणी की भूमि अवाप्ति के मुआवजा प्रकरण की जांच हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में दिनांक 19.5.2001 को मेरे द्वारा ऋषभदेव यात्रा कर उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मिसल संख्या 16/96 तथा भूमि अवाप्ति प्रकरण मिसल का अध्ययन किया गया। अध्ययन से निम्न तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं:-

सोम कमला आम्बा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले श्री बैजनाथ महादेव मन्दिर तथा श्री नाथजी महाराज की धूणी की भूमि के सिंचाई विभाग के प्रयोजनार्थ अवाप्त किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है:

खसरा नं.	भूमि का क्षेत्रफल	अवाप्ति प्रकरण संख्या	अवार्ड सं.	मुआवजा
2839	2½	270/95 5.10.95	510 9.8.96	10,57,590/-
2819	1	271/95 5.10.95	508 12.8.96	4,43,816/-

उप खण्ड अधिकारी के अनुसार उपरोक्त दोनों प्रकरण में पारित निर्णयानुसार मुआवजा भुगतान बाबत राय भिजवाने हेतु आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर को लिखा गया जिनके पत्र क्रमांक 2797 दिनांक 6.3.1996 द्वारा मुआवजा राशि देवस्थान विभाग के नाम भेजे जाने हेतु लिखा गया तथा पत्र क्रमांक 5695–96 दिनांक 15.5.1997 व 1242 दिनांक 23.1.1998 द्वारा पुनः लिखा गया है।

दिनांक 30.9.1996 को श्री कल्याण सिंह द्वारा श्री बैजनाथ महादेव एवं श्री नाथजी महाराज की धूणी प्रबंध एवं विकास समिति, धताणा के पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में संलग्न न्यास पत्र में चल-अचल संपदा को दिनांक 16.8.1996 को विद्यमान दिखाकर सार्वजनिक न्यास गठन की आवश्यकता बताया गया तथा उद्देश्य में भी बताया गया कि दोनों स्थानों के चारों ओर कोट लगाकर डेम के फ्लड में बचाव किया जावेगा। सहायक आयुक्त, श्री राधेश्याम शर्मा (द्वितीय) द्वारा मिसल सं. 16/96 पर दर्ज इस प्रकरण में 31.3.1997 को ट्रस्ट पंजीयन करने का निर्णय दिया गया तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 23.8.1997 को जारी किया गया जबकि यह निर्णय की दिनांक अर्थात् 31.3.1997 को ही जारी हो जाना चाहिये था।

उक्त निर्णय के आधार पर "पंजीकृत न्यास" के अध्यक्ष कल्याण सिंह ने 20.9.1997 को सहायक आयुक्त, ऋषभदेव, उदयपुर को पत्र लिख कर उक्त भमि का मुआवजा लेने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया जिसमें बताया गया था कि अवार्ड से प्राप्त राशि को मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत में काम लिया जावेगा। लेकिन मुआवजा देने से पूर्व उप खण्ड अधिकारी ने देवस्थान विभाग से अनापत्ति चाही जो अध्यक्ष ने दिलाये जाने हेतु सहायक आयुक्त, ऋषभदेव को निवेदन किया। सहायक आयुक्त, ऋषभदेव ने 22.9.1997 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जिसके आधार पर उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा श्री कल्याण सिंह, अध्यक्ष न्यास, श्री बैजनाथ महादेव एवं श्री नाथजी धूणी, धताण को मिल गया। अधिशासी अभियन्ता, सोम कमला आम्बा बांध खण्ड ने पत्र सं. 5084 दिनांक 28.7.1998 द्वारा अवगत करवाया कि उक्त अवाप्त की गई सम्पति पर अतिक्रमण कर सम्बन्धित प्रन्यास द्वारा पुनर्निर्माण कर देवस्थान विभाग की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस पर प्रभारी अधिकारी ने उक्त प्रन्यास के अध्यक्ष से दिनांक 27.8.1998 को पूछताछ करते हुये न्यास को लेखा-जोखा आदि प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये हैं।

उपरोक्त प्रकरण के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्तों द्वारा जो कार्यवाही इस प्रकरण में यथा ट्रस्ट पंजीकरण तथा मुआवजा भुगतान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि की गई उससे श्री कल्याण सिंह, अध्यक्ष प्रन्यास श्री बैजनाथ महादेव को लाभ पहुंचाना सम्भावित है।

श्री कल्याण सिंह द्वारा न्यास पंजीकरण हेतु चल-अचल सम्पदा की सूचना राजस्व रेकार्ड अनुसार बताई गयी है। किन्तु वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि न्यास पंजीकरण के आवेदन से पूर्व ही अवाप्त हो चुकी थी तथा अगस्त, 1996 में ही अवार्ड जारी हो चुके थे। जबकि पंजीकरण की कार्यवाही 30.9.1996 को प्रारम्भ हुई। ऐसी अवस्था

में सम्भावना है कि उक्त देवस्थान की भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही होने पर इसका मुआवजा प्राप्त करने की गरज से ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 18 के तहत सहायक आयुक्त को न्यास पंजीकरण कार्यवाही में जांच करवानी आवश्यक है कि क्या कोई सम्पत्ति ऐसे न्यास की सम्पत्ति है। किन्तु तत्कालीन सहायक आयुक्त ने न तो निरीक्षक द्वारा न ही स्वप्रेरणा से स्वयं ही ऐसी जांच करने का प्रयास किया तथा ट्रस्ट रजिस्टर करने के आदेश 31.3.1997 को दे दिये जबकि मेरी राय में उक्त भूमि ही जब अवाप्त हो चुकी थी तो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि आर्डर शीट में 31.3.1997 को निर्णय कर दिया गया फिर भी तहसीलदार, आसपुर को उक्त निर्णय ट्रस्ट पर चस्पगी हेतु जुलाई, 1997 में दिया गया और पंजीकरण प्रमाण पत्र 23.8.1997 को जारी किया गया जबकि सामान्यतया पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्णय दिवस पर ही जारी किया जाता है। उक्त कार्यवाही में लगा समय भी सन्देह उत्पन्न करता है। इस प्रकार ट्रस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही श्री कल्याण सिंह ने अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा जिसे सहायक आयुक्त, ऋषभदेव द्वारा तुरन्त उपलब्ध करवा दिया गया और इसके आधार पर श्री कल्याण सिंह ने मुआवजा प्राप्त कर लिया। यद्यपि दिनांक 22.9.1997 को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम की धारा 31 के तहत सहायक आयुक्त द्वारा जारी इस अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) सागवाड़ा द्वारा पुनः पत्र दिनांक 24.9.1997 को लिख कर प्रश्न किया गया था कि उक्त अनापत्ति किन नियमों के तहत जारी की गई तथा ट्रस्ट द्वारा इस राशि के रख-रखाव, खर्च आदि के क्या निर्देश होंगे किन्तु सहायक आयुक्त, ऋषभदेव ने 1.10.1997 को पत्र लिखकर सूचित किया कि जनता ट्रस्ट को मुआवजा दिलवाना चाहती है तथा देवस्थान विभाग की इस राशि का सदुपयोग हो इस सम्बन्ध में सहायक आयुक्त प्रन्यास के लेखों पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे। मेरे विचार से धारा 31 के तहत सहायक आयुक्त उक्त मुआवजा राशि ट्रस्ट को देने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना उचित नहीं था। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम की धारा 37 के तहत आयुक्त, समस्त पुण्यार्थ प्रन्यासों के कोषाध्यक्ष हैं। इसी कारण मन्दिरों की अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे को अवाप्ति अधिकारी द्वारा आयुक्त, देवस्थान विभाग को भेजा जाता है। जहां से वे इस सही व्यक्ति/संस्था आदि को हस्तान्तरित करते हैं ताकि राशि का सदुपयोग हो सके। लेकिन सहायक आयुक्त ने धारा 31 के तहत मुआवजा, प्रश्नगत ट्रस्ट को देने की अनुशंसा कर दी जबकि इस धारा में चल-

अचल सम्पत्ति के विक्रय, विनिमय या दान आदि के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का निर्देश है। ज्ञातव्य है कि इस प्रकरण में विक्रय, विनिमय या दान की कार्यवाही न होकर स्थान की अवाप्ति की गई है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर स्वयं आयुक्त, देवस्थान विभाग ने मुआवजा राशि विभाग को भेजे जाने हेतु लिखा (पत्र क्रमांक 2797 दिनांक 6.3.1996) इस प्रकार आयुक्त महोदय द्वारा स्वतः ही निर्देश देने के उपरान्त सहायक आयुक्त द्वारा अन्य धारा के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र देना कदापि उचित नहीं था। वस्तुतः उक्त धारा में अनापत्ति देना न्यायोचित भी नहीं है विशेष रूप से तब जब उच्चाधिकारी स्वयं आयुक्त महोदय द्वारा मुआवजा देवस्थान विभाग को देने के निर्देश भूमि अवाप्ति अधिकारी को भिजवाये गये हों। यह कहना उचित नहीं है कि 6.3.1996 को ट्रस्ट न होने से ये निर्देश दिये गये क्योंकि एक ऐसा स्थान जो स्वयं डूब क्षेत्र में आ रहा हो, की देखरेख, व्यवस्था के ट्रस्ट का गठन ही प्रश्न वाचक बन जाता है। यहां यह अवगत कराना भी आवश्यक है कि आयुक्त कार्यालय, देवस्थान विभाग ने न केवल पत्र क्रमांक एफ.3(9)सामान्य/देव/96/2797 दिनांक 6.3.1996 द्वारा मुआवजा देवस्थान आयुक्त को देना मांगा बल्कि बाद में भी पत्र क्रमांक 5695–96 दिनांक 15.5.1997, पत्र सं. 1242 दिनांक 23.1.1998 को पत्र लिखकर मुआवजा देवस्थान आयुक्त को देने हेतु लिखा। आम तौर पर किसी देवस्थान की सम्पत्ति अवाप्ति में आती है तो ऐसे स्थान की सम्पत्ति का मुआवजा इस स्थान पर न्यायोचित रूप से गठित ट्रस्ट को किया जा सकता है यहां तो मन्दिर व स्थान ही डूब में आ गये थे इनकी देखरेख के लिये ट्रस्ट गठन किया जाना किस आधार पर उचित माना गया, यह ज्ञात नहीं हुआ।

उपरोक्त परिस्थितियों में मेरी राय है कि डूब क्षेत्र में आने वाले मन्दिर व श्री नाथजी की धूणी स्थल की देखरेख व विकास के लिये ट्रस्ट गठन किया जाना अनुचित था। साथ ही सहायक आयुक्त द्वारा मुआवजा लेने के लिये इस ट्रस्ट को अनापत्ति प्रमाण पत्र (धारा 31 के तहत) भी जारी करना उचित नहीं था विशेष रूप से तब जब आयुक्त मुआवजा देवस्थान विभाग को देने हेतु लिख चुके थे। साथ ही राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 2(78)राजस्व/7/देव/78 दिनांक 30.6.1987 द्वारा ऐसा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाई गई है जिनसे ट्रस्ट की निजी सम्पत्ति आदि का बोध होता हो।

इस सम्बन्ध में यद्यपि उप खण्ड अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता, कार्यालय के रेकार्ड का अवलोकन सम्भव नहीं था फिर भी प्रथम दृष्टया वे दोषी प्रतीत होते हैं। जहां उप खण्ड अधिकारी को आयुक्त, देवस्थान विभाग के 6.3.1996 के निर्देशों का पालन करते हुये मुआवजा इस विभाग को दिलवाना चाहिये था वही अधिशाषी अभियंता को भी मुआवजा भुगतान करने से पूर्व आवश्यक जानकारी कर लेनी चाहिये थी। जिस प्रकार उप खण्ड अधिकारी ने सहायक आयुक्त द्वारा जारी अनापत्ति पर प्रश्न किये उसी प्रकार उन्हें चाहिये था कि वे आयुक्त महोदय से उनके पूर्व निर्देशों (6.3.1996, 15.5.1997 एवं 23.1.1998) के क्रम में कार्यवाही करते तथा सहायक आयुक्त की अनापत्ति पर निर्णय से पूर्व आयुक्त महोदय को अवगत करवाते, उनके निर्देश लेते तब इस प्रकार मुआवजा भुगतान करते। ट्रस्ट गठन से लेकर मुआवजा भुगतान तक की कार्यवाही में श्री कल्याण सिंह, अध्यक्ष, सार्वजनिक प्रन्यास मन्दिर श्री बैजनाथ महादेव मन्दिर तथा श्री नाथजी की धूणी, धताणा को अनूचित लाभ पहुंचाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

ह०/-

(भूपेश माथुर)
वरिष्ठ लेखाधिकारी,
देवस्थान विभाग, उदयपुर

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट 'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या-3 का विवरण)

जिला अलवर में वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न जल योजनाओं पर किये गये व्यय की सूची

क्रम सं.	योजना का नाम	व्यय राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	अलवर आगुमेंटेशन	22.88
2.	अलवर रिओर्गेनाइजेशन	58.38
3.	अलवर हैण्ड पम्प	12.08
4.	आधुनिकीकरण	3.61
5.	पुरानी पाइप लाइन	6.64
6.	प्रशासनिक कार्यालय की देखरेख व मरम्मत	2.09
7.	ब्लीचिंग पाउडर	2.02
8.	प्रयोगशाला भवन निर्माण	1.55
9.	पानी के मीटर	3.00
10.	संवर्द्धन कार्य अलवर ए.आर.पी.	99.18
11.	चालू योजनाएं एम.एन.पी.	7.79
12.	एस.सी./एस.टी. बस्ती	0.75
13.	आधारभूत न्यूनतम प्रोग्राम	25.78
14.	टहटडा	0.32
15.	कल्याणपुरा, जयसिंहपुरा	1.39
16.	लक्ष्मणगढ़	21.32
17.	टोडाटीटपुर	9.08

1	2	3
18.	उक्सी नाहरखोहरा	1.47
19.	जटवाड़ा रीझवास	4.98
20.	बडोदाकान	0.04
21.	डूंगरी सलारपुर	2.95
22.	हैण्ड पम्प	107.47
23.	सुरेर	1.59
24.	गोलाकावास	0.80
25.	टहला	0.18
26.	बीगोता	0.01
27.	गोर पहाड़ी	0.01
28.	उकेरी	0.42
29.	खेडामेदा	2.34
30.	बीलेटा	2.55
31.	राजगढ़	2.40
32.	भूडा	4.97
33.	तालाब	0.12
34.	हैण्ड पम्प एन–कैट	13.24
35.	माचाड़ी	2.94
36.	पिनान	0.36
37.	लक्ष्मणगढ़	1.60
38.	ढीगावड़ा	0.11
39.	बडोदामेव	0.76
40.	रेणी	0.03
41.	पम्प मशीनरी बदलाना, राजगढ़	0.52
42.	विद्युतीकरण, राजगढ़	1.11
43.	एस.सी./एस.टी. बस्ती, राजगढ़	1.47
44.	हैण्ड पम्प राजगढ़ क्षेत्र	18.06

1	2	3
45.	10वें वित्त आयोग के कार्य राजगढ़	218.35
46.	हैण्ड पम्पों एन-केट बानसूर	20.50
47.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती मुण्डावर	10.00
48.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती किशनगढ़	5.00
49.	हैण्ड पम्प प्राइमरी स्कूल कोटकासिम	10.00
50.	हैण्ड पम्प ग्रीष्म किशनगढ़	2.00
51.	हैण्ड पम्प ग्रीष्म तिजारा	2.50
52.	हैण्ड पम्प ग्रीष्म कोटकासिम	2.00
53.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती किशनगढ़	7.00
54.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती बानसूर	2.50
55.	संवर्द्धन जाट बहरोड़	1.45
56.	संवर्द्धन बम्बोरा	2.70
57.	संवर्द्धन ततारपुर	4.90
58.	संवर्द्धन खानपुर मेवान	3.76
59.	संवर्द्धन जिन्दोली	4.80
60.	संवर्द्धन किशनगढ़	5.73
61.	संवर्द्धन भुनगढ़ा अहीर	4.30
62.	पाइप्ड हरसोली	5.23
63.	बहरोज	4.50
64.	मोढूका	4.80
65.	बांस कृपालनगर	4.90
66.	अजरका	5.00
67.	घासोली	4.75
68.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती मण्डावर	7.00
69.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती किशनगढ़	2.00
70.	संवर्द्धन खैरथल	2.00

1	2	3
71.	हैण्ड पम्प निर्माण तिजारा	2.50
72.	हैण्ड पम्प निर्माण कोटकासिम	1.50
73.	हैण्ड पम्प प्राथमिक विद्यालय, तिजारा	7.50
74.	हैण्ड पम्प प्राथमिक विद्यालय, बानसूर	4.00
75.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती किशनगढ़	5.50
76.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती मण्डावर	6.50
77.	हैण्ड पम्प ग्रीष्म कस्बा तिजारा	2.00
78.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती बानसूर	4.00
79.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती बहरोड	2.00
80.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती निमराना	4.00
81.	हैण्ड पम्प तहसील बहरोड	2.00
82.	हैण्ड पम्प ग्रीष्म कस्बा बहरोड	2.00
83.	हैण्ड पम्प एन-कैट बहरोड	5.00
84.	हैण्ड पम्प पंचायत समिति निमराना	2.50
85.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती बहरोड	10.00
86.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती बहरोड	2.00
87.	हैण्ड पम्प तहसील बहरोड	3.00
88.	हैण्ड पम्प तहसील बानसूर	2.00
89.	हैण्ड पम्प तहसील बहरोड	3.50
90.	हैण्ड पम्प प्राथमिक विद्यालय बहरोड	9.00
91.	हैण्ड पम्प प्राथमिक विद्यालय निमराना	9.00
92.	ग्रीष्म संवर्द्धन कस्बा बहरोड	4.50
93.	पुनर्गठित शहरी जलयोजना बहरोड	55.00
	कुल योग	733.98

परिशिष्ट 'अ'

जिला अलवर में वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न जल योजनाओं पर किये गये व्यय की सूची

क्रम सं.	योजना का नाम	व्यय राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	कल्याणपुरा जयसिंहपुरा	3.84
2.	उकसीनाहरखोहरा	8.24
3.	जटवाड़ा रीजवास	0.81
4.	डूंगरी सलारपुर	0.97
5.	गोविन्दगढ़	0.26
6.	गढ़ी सवाइराम	1.03
7.	लक्ष्मणगढ़	21.47
8.	उच्च जलाशय निरीक्षण	0.28
9.	इटेड़ा	0.16
10.	ढिगावड़ा	0.16
11.	सुरेर	1.13
12.	जावेली	0.16
13.	परवेनी	0.17
14.	अस्वा	3.51
15.	कालवड़ी	1.37
16.	बेरला	2.38

1	2	3
17.	हैण्ड पम्प राजगढ़ क्षेत्र	172.34
18.	खोह	2.13
19.	गोलाक्रावास	1.99
20.	सोखरी	0.32
21.	गोर पहाड़ी	0.56
22.	खेड़ा मेदा	0.29
23.	बिलेटा	1.88
24.	घाट	1.89
25.	राजगढ़	0.07
26.	भूड़ा	2.41
27.	माचाड़ी	0.05
28.	लक्ष्मणगढ़	0.06
29.	रैणी	2.45
30.	मोजपुर	0.21
31.	तालाब	4.02
32.	बहड़ीकलां	2.53
33.	थाना	1.71
34.	रेडजा थाना	2.32
35.	गण्डोरा	3.54
36.	खोहरा मलावली	3.15
37.	राजगढ़	0.05
38.	पम्प मशीनरी बदलना, राजगढ़	1.62
39.	अलवर आगुमेंटेशन	4.02

1	2	3
40.	अलवर रिओरगे.	210.36
41.	अलवर ग्रीष्म संवर्द्धन	3.74
42.	आधुनिकीकरण	0.22
43.	संवर्द्धन ग्रामीण अलवर	209.31
44.	लगातार योजनाएं ए.आर.पी.	62.37
45.	मेवात क्षेत्र अलवर	9.71
46.	आधुनिकीकरण अलवर	0.99
47.	प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना अलवर	10.71
48.	रिपेयर कार्य कोल गांव	1.00
49.	रिपेयर कार्य मण्डावर	1.00
50.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती तिजारा	4.00
51.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती कोटकासिम	7.00
52.	हैण्ड पम्प तहसील तिजारा	3.00
53.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती बहरोड	2.00
54.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती निमराना	9.00
55.	हैण्ड पम्प तहसील कोटकासिम	4.00
56.	हैण्ड पम्प तहसील बहरोड	2.00
57.	हैण्ड पम्प पंचायत समिति, निमराना	2.50
58.	संवर्द्धन गंज	1.60
59.	संवर्द्धन मण्डावर	1.00
60.	संवर्द्धन बघेरीकलां	2.05
61.	एस.सी./एस.टी. बस्ती किशनगढ़	11.00
62.	एस.सी./एस.टी. बस्ती मण्डावर	7.50

1	2	3
63.	संवर्द्धन बुढ़ीबावल	4.00
64.	संवर्द्धन एस.सी./एस.टी. बस्ती कोटकासिम	4.50
65.	एस.सी./एस.टी. बस्ती तिजारा	4.50
66.	हैण्ड पम्प तहसील कोटकासिम	1.50
67.	हैण्ड पम्प तहसील तिजारा	1.50
68.	हैण्ड पम्प जनरल कोटकासिम	1.50
69.	हैण्ड पम्प जनरल तिजारा	7.00
70.	हैण्ड पम्प प्राथमिक विद्यालय, मण्डावर	1.00
71.	हैण्ड पम्प प्राथमिक विद्यालय, किशनगढ़	2.00
72.	एस.सी./एस.टी. बस्ती मण्डावर	7.00
73.	एस.सी./एस.टी. बस्ती किशनगढ़	9.00
74.	हैण्ड पम्प प्राथमिक विद्यालय, बहरोड़	2.00
75.	हैण्ड पम्प प्राथमिक विद्यालय, बानसूर	2.00
76.	हैण्ड पम्प प्राथमिक विद्यालय, बहरोड	4.50
77.	एस.सी./एस.टी. बस्ती बहरोड	6.00
78.	एस.सी./एस.टी. बस्ती बानसूर	2.00
79.	एस.सी./एस.टी. बस्ती निमराना	5.00
80.	एस.सी./एस.टी. बस्ती बानसूर	4.50
81.	संवर्द्धन खिजूरीवास	0.68
82.	गहनकर	0.68
83.	गुवालदा	0.54
84.	इशरोदा	0.81
85.	जरोली	0.75

1	2	3
86.	शहाजहांपुर	2.00
87.	गिरोड़ी	5.00
88.	प्रतापसिंहपुरा	3.50
89.	हाजीपुर	1.47
90.	कस्बा बानसूर	4.25
91.	बसई भोपाल सिंह	0.56
92.	कानावास	0.50
93.	चौबारा	0.50
94.	हिंगवाहेड़ा	1.03
95.	चावंडी	0.78
96.	डावड़वास	3.62
97.	धिरधोखा कानीजोनाल	0.75
98.	माण्ढन	3.00
99.	लुहादेरा इब्राहिमपुर	1.15
100.	रोडवाल	4.00
101.	भुकसेड़ा	3.50
102.	कांकरदोपा	0.05
103.	खोहर बनेसिंहपुरा	2.01
104.	मण्डावर	2.00
105.	बघाना बीलाहेड़ी	0.26
106.	टपूकड़ा	0.12
107.	अनाका उजोली	0.20
	कुल योग (रुपये)	936.87

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में स्वीकृत विभिन्न पेय जल योजनाओं पर व्यय का विवरण

क्रम सं.	योजना का नाम	पंचायत समिति	व्यय राशि (रुपये लाखों में)
	वर्ष 1999-2000		
1.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती	मण्डावर	10.00
2.	संवर्द्धन जाट बहरोड	"	1.45
3.	संवर्द्धन ततारपुर	"	4.80
4.	संवर्द्धन जांढोली	"	4.80
5.	संवर्द्धन भुनगढ़ा अहीर	"	4.30
6.	संवर्द्धन बहरोज	"	4.50
7.	संवर्द्धन अजरका	"	5.00
8.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती	"	7.00
9.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती	"	6.50
10.	हैण्ड पम्प प्राथमिक विद्यालय	"	10.00
11.	हैण्ड पम्प ग्रीष्म संवर्द्धन	"	2.00
12.	हैण्ड पम्प 50% से कम जल स्तर	"	1.50
	कुल योग		**61.85**
	वर्ष 2000-2001		
1.	मरम्मत कार्य ग्रामीण जल योजना	मण्डावर	1.00
2.	संवर्द्धन ग्रामीण जल योजना	"	1.00
3.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती	"	7.50
4.	हैण्ड पम्प प्राथमिक विद्यालय	"	1.00
5.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती	"	7.00
6.	क्षेत्रीय योजना धिरधोखाकांनी जोनाल	कोटकासिम	0.75
7.	संवर्द्धन पाइप्ड मण्डावर	मण्डावर	2.00
8.	हैण्ड पम्प एस.सी./एस.टी. बस्ती	कोटकासिम	0.46
	कुल योग (रुपये)		**20.71**

परिशिष्ट 'ब'

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों की सूची

क्रम सं.	गांव का नाम	प्राप्त शिकायतों के आधार पर खराब चिन्हित हैण्ड पम्पों की संख्या	मरम्मत किये गये हैण्ड पम्पों की संख्या
1	2	3	4
1.	कालूका	1	1
2.	पीपली	1	1
3.	रामबास	1	1
4.	मुडियाखेडा	1	1
5.	खरेटा	1	1
6.	खानपुर मेवान	1	1
7.	अजीजपुर	1	1
8.	भूनगढ़ा	1	1
9.	सानोली	2	2
10.	रामसिंहपुरा	1	1
11.	बिजवाड चौहान	1	1
12.	श्रीकृष्ण नगर	1	1
13.	मिर्जापुर	1	1
14.	पलावा	1	1
15.	बृसंगवास	2	2
16.	ठलाहेडी	1	1

1	2	3	4
17.	जिन्दोली	1	1
18.	सुहेटा	1	1
19.	सोडावास	1	1
20.	झझारपुर	1	1
21.	कोकावास	1	1
22.	गादूवास	2	2
23.	चांदपुर	2	2
24.	मऊ	2	2
25.	सुरजपुरा	1	1
26.	सिरोंडकलां	1	1
27.	नांगलसिंया	1	1
28.	कुशालवास	1	1
29.	सोरखाकलां	1	1
30.	इकरोटिया	1	1
	कुल योग	35	35

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला अलवर में निजी संस्थाओं द्वारा निर्मित एनीकट

4. श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत दो वर्षों में जिला अलवर के किस-किस स्थान पर कितने-कितने जोहड़ एवं एनीकट कितनी लागत से स्वीकृत हुये हैं एवं उक्त में वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रामपुरा बांध तहसील थानागाजी में बरसात का पानी जल्दी सूख जाता है? क्या सरकार उक्त बांध में अधिक दिनों तक पानी रोकने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) जिला अलवर में निजी संस्थाओं द्वारा कहां-कहां जोहड़ व एनीकट बनाये गये हैं? क्या उक्त सम्बन्धी सरकार से स्वीकृति ली गई है? यदि हां, तो कब-कब?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में जिला अलवर में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 249 जोहड़ राशि रुपये 273.65 लाख के स्वीकृत हुये जिनमें से कुल 212 कार्य चालू हुये एवं उन पर कुल राशि रुपये 170.03 लाख व्यय हुये तथा एक एनीकट राशि रुपये 17.52 लाख का स्वीकृत हुआ जिसके विरुद्ध राशि रुपये 15.74 लाख व्यय की गई है। विवरण प्रपत्र ''अ'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। उक्त सम्बन्ध में वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई मद में जोहड़ व एनीकट का निर्माण नहीं किया जाता है अतः निजी संस्थाओं द्वारा बनाये गये जोहड़ व एनीकट का रिकार्ड इस विभाग को उपलब्ध नहीं है। जिला अलवर में निजी संस्थाओं द्वारा बनाये गये जोहड़ व एनीकटों की इस विभाग से कोई स्वीकृति नहीं ली गई है।

प्रपत्र 'अ'

सिंचाई विभाग के अधीन जिला अलवर के गत दो वर्षों में स्वीकृत जोहड़ एवं एनीकटों की सूची तथा खर्चे का विवरण

(राशि लाखों में)

क्रम सं.	पंचायत समिति	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	रामगढ़	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई चौमा	0.90	0.73	
2.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई खिलौरा	0.90	0.59	
3.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई अंटवाल	0.90	0.98	
4.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई कोसरोली	0.90	0.92	
5.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई नंगाका	1.00	0.99	
6.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई धपतलाई	1.05	0.93	
7.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई आलवडा	1.55	0.90	
8.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई सांखला	1.30	0.60	
9.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई ओडिला	0.80	0.30	
10.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई जखोपुर	1.10	0.99	
11.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई भर्जीट	1.10	0.63	
12.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई मंदनपुरी	1.10	0.72	
13.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई नंगली खुर्द	1.10	0.99	
14.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई कौमाला	1.10	1.32	
15.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई मूनपुर	1.50	0.35	
16.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई मानकी	1.00	1.20	
17.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई दोहली	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
18.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई बम्बौली	1.00	0.70	
19.	बानसूर	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई मैनपुर	1.00	0.78	
20.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई हाजीपुर	1.35	1.23	

1	2	3	4	5	6
21.	बानसूर	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई गूंता	1.30	1.36	
22.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई रामपुर	1.35	0.85	
23.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई बानसूर	1.35	1.39	
24.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई बिलाली	1.30	1.24	
25.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई बग्गु का बास	1.30	0.92	
26.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई शाहपुर	1.30	1.00	
27.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई हमीरपुर	1.00	0.89	
28.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई हनुमानजी का जोहड़	1.30	0.73	
29.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई गिरधारीलाल वाला	1.50	1.96	
30.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई किशोरपुरा डूंगरवाला	1.50	1.05	
31.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई जयसिंहपुरा राथीड़	1.00	0.86	
32.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई देवसन	1.00	0.40	
33.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई ईशर का बास	1.00	0.68	
34.	उमरैण	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई धूलपुरी	1.30	0.93	
35.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई उलाहेड़ी	1.35	0.77	
36.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई कटूकी	1.35	0.74	
37.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई कड़ा	1.30	1.00	
38.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई नैथला	1.30	1.40	
39.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई भण्डोड़ी	1.30	1.17	
40.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई इन्द्रगढ़	1.30	1.17	
41.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई डाबली	1.30	--	सम्भव नहीं हुआ
42.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई पथरोड़िया	1.10	0.80	
43.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई भूराड़ी	1.10	1.05	

1	2	3	4	5	6
44.	उमरैण	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई हाजीपुर	1.30	0.87	
45.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई इस्टीपुर	0.90	0.59	
46.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई पलखड़ी	0.90	0.80	
47.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई सीरावास	0.90	1.09	
48.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई नांगल	0.90	0.72	
49.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई बिचपुरी	1.10	1.16	
50.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई खारेड़ा	1.10	1.04	
51.	"	बावड़ी सफाई पूनखर	1.50	1.31	
52.	कोटकासिम	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई पुर	1.20	0.67	
53.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई भौंकर	1.00	0.54	
54.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई कौरंवा	1.20	0.34	
55.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई जोड़िया	1.00	0.19	
56.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई आनाका	1.00	0.15	
57.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई पतलिया	1.20	0.30	
58.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई अहीरबासना	1.00	0.68	
59.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई माधो का मांजरा	1.00	0.69	
60.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई हरसौली	1.25	0.78	
61.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई डेसवास	0.90	0.31	
62.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई बेगमपुर	1.25	--	सम्भव नहीं हुआ
63.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई सौरवा	1.10	0.73	
64.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई मेवली	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
65.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई पाटन अहीर	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
66.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई हरसौली	1.50	1.29	
67.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई मतलवास	1.50	1.13	
68.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई मधाना/आलमपुर	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
69.	कोटकासिम	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई नांगल/सालिया	1.00	0.55	
70.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई खानपुर/मूनपुर ठक०	1.00	0.45	
71.	बहरोड	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई मोहम्मदपुर पालासोडा	0.80	0.93	
72.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई राजौरा पहाडी	0.80	0.52	
73.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई आश्रम पीपलहाड़ी आठरवास	0.80	0.59	
74.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई जमालपुर	1.00	0.62	
75.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई सेशाडा	0.80	--	सम्भव नहीं हुआ
76.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई खोहरी	0.80	0.39	
77.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई भागवाडी खुर्द आश्रम पीपलहाड़ी	0.90	0.56	
78.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई मूडियाखेडा	0.90	0.42	
79.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई गांदोज	0.90	0.47	
80.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई खोहर	0.90	0.66	
81.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई दहेमी	0.90	0.90	
82.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई माचल	0.90	0.69	
83.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई पूनखर बसई	0.90	0.64	
84.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई पचवीर भगवाड़ीखुर्द	0.90	0.40	
85.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई बर्डोद	1.40	0.61	
86.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई तिपाहीगीयों की ढाणी	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
87.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई भैरू सागर	1.00	0.82	
88.	मण्डावर	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई सीतामेड़ी ग्वानपुर	1.20	1.07	

1	2	3	4	5	6
89.	मण्डावर	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई बासनी	1.20	0.39	
90.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई ततारपुर	1.20	0.68	
91.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई दूनावास	1.20	1.64	
92.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई नाहरेड़ा	1.20	0.50	
93.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई माजरी खोला	1.20	0.79	
94.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई सिंहली खुर्द	1.20	1.17	
95.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई पदमाड़ा कलां	1.20	0.97	
96.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई बीजवाड़ चौहान	1.20	0.69	
97.	"	जोहड़ खुदाई/तालाब सफाई मूडियाखेड़ा	1.20	0.54	
98.	"	सागर छंटाई मण्डावर	2.00	2.16	
99.	"	जोहड़ खुदाई शैखावास उलाहेटी	2.00	--	सम्भव नहीं हुआ
100.	"	जोहड़ खुदाई क्यारा	2.00	1.52	
101.	नीमराना	जोहड़ खुदाई रैवाना	0.90	0.98	
102.	"	जोहड़ खुदाई दौसोद	0.90	0.75	
103.	"	जोहड़ खुदाई बनथला	0.90	0.42	
104.	"	जोहड़ खुदाई खूंदरोठ	0.60	0.54	
105.	"	जोहड़ खुदाई विजयनगर	0.60	0.47	
106.	"	जोहड़ खुदाई आनन्दपुर	0.70	--	सम्भव नहीं हुआ
107.	"	जोहड़ खुदाई विजयसिंहपुरा	0.70	--	सम्भव नहीं हुआ
108.	"	जोहड़ खुदाई बावड़ी	0.80	0.89	
109.	"	जोहड़ खुदाई फौलादपुर	0.80	0.50	
110.	"	जोहड़ खुदाई प्रतापसिंहपुरा	0.80	--	सम्भव नहीं हुआ
111.	"	जोहड़ खुदाई कांकर	0.90	0.54	
112.	"	जोहड़ खुदाई गूगलाकोटा	0.80	0.69	
113.	"	जोहड़ खुदाई कुतीना	0.80	0.63	

1	2	3	4	5	6
114.	नीमराना	जोहड़ खुदाई तलवाना	0.80	0.55	
115.	"	जोहड़ खुदाई माजरा	0.80	0.70	
116.	"	जोहड़ खुदाई बीरमावास	0.80	0.18	
117.	"	जोहड़ खुदाई प्रतापपुर चक नं०-1	0.80	0.61	
118.	"	जोहड़ खुदाई आडीन्द	0.80	0.48	
119.	"	जोहड़ खुदाई घीलोठ	0.80	0.50	
120.	"	जोहड़ खुदाई नीमराना	3.50	1.36	
121.	"	जोहड़ खुदाई नांगल कान्हावास	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
122.	"	जोहड़ खुदाई रायसर	1.00	1.12	
123.	"	जोहड़ खुदाई माजरा	1.50	--	सम्भव नहीं हुआ
124.	"	जोहड़ खुदाई दौसोद	1.50	1.15	
125.	"	जोहड़ खुदाई नारहैड़ा	1.00	1.63	
126.	किशनगढ़वास	जोहड़ खुदाई इस्माइलपुर	0.90	0.79	
127.	"	जोहड़ खुदाई तहनोली गंज	0.90	1.04	
128.	"	जोहड़ खुदाई खीहरा पीपली	0.90	0.80	
129.	"	जोहड़ खुदाई शेखपुर	1.40	1.16	
130.	"	जोहड़ खुदाई बी.के. नगर	0.90	0.80	
131.	"	जोहड़ खुदाई गंज	0.90	0.93	
132.	"	जोहड़ खुदाई मोठुका	0.95	1.25	
133.	"	जोहड़ खुदाई तितरका	0.90	0.72	
134.	"	जोहड़ खुदाई बाघौड़ा	0.95	0.61	
135.	"	जोहड़ खुदाई चिकानी	1.00	0.59	
136.	"	जोहड़ खुदाई नांगलहीरा	1.00	0.70	
137.	"	जोहड़ खुदाई नाहरपुर	1.00	0.67	
138.	"	जोहड़ खुदाई तहनोली गंज	1.50	--	सम्भव नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
139.	किशनगढ़वास	जोहड़ खुदाई खोहरा पीपली	1.50	--	सम्भव नहीं हुआ
140.	"	जोहड़ खुदाई चिकानी	1.50	--	सम्भव नहीं हुआ
141.	"	जोहड़ खुदाई नाहरपुर	1.50	--	सम्भव नहीं हुआ
142.	तिजारा	जोहड़ खुदाई खोहरी	0.90	0.57	
143.	"	जोहड़ खुदाई खजूरीवास	1.00	0.88	
144.	"	जोहड़ खुदाई दोद्याना	1.10	1.15	
145.	"	जोहड़ खुदाई माजरी	1.50	0.56	
146.	"	जोहड़ खुदाई बाबा मोहनराम	1.50	0.68	
147.	"	जोहड़ खुदाई ईमलाकी	1.10	0.40	
148.	"	जोहड़ खुदाई अलाबपुर	1.10	--	सम्भव नहीं हुआ
149.	"	जोहड़ खुदाई कमालपुर	1.10	0.63	
150.	"	जोहड़ खुदाई गौतोली	1.10	0.77	
151.	"	जोहड़ खुदाई पड़ासली शाहबाद	1.00	0.72	
152.	"	जोहड़ खुदाई शहदपुर	1.00	0.61	
153.	"	जोहड़ खुदाई लौहादरा	1.00	2.09	
154.	"	जोहड़ खुदाई जिवाड़ा	1.00	0.73	
155.	"	जोहड़ खुदाई बिछाला डूमेड़ा	1.00	0.78	
156.	थानागाजी	जोहड़ खुदाई मानसरोवर नारायणपुर	1.30	1.91	
157.	"	जोहड़ खुदाई आमका	0.90	0.86	
158.	"	जोहड़ खुदाई भूरियावास	1.00	0.80	
159.	"	जोहड़ खुदाई खरेखड़ी	0.90	0.96	
160.	"	जोहड़ खुदाई ग्वाड़ा फकाल	1.20	0.40	
161.	"	जोहड़ खुदाई डेरा	1.20	0.58	
162.	"	जोहड़ खुदाई गोवड़ी	1.20	0.63	
163.	"	जोहड़ खुदाई डूमोली	1.20	1.44	

1	2	3	4	5	6
164.	थानागाजी	जोहड़ खुदाई जयसिंहपुरा	1.20	0.97	
165.	"	जोहड़ खुदाई बुद्धसिंह की ढाणी	1.35	1.32	
166.	"	जोहड़ खुदाई डूमेडा	1.25	1.08	
167.	"	जोहड़ खुदाई घाटी वाला बांग	1.50	0.49	
168.	"	जोहड़ खुदाई चांदपुरा	1.00	1.20	
169.	"	जोहड़ खुदाई बिहारीसर	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
170.	"	जोहड़ खुदाई मानोवास	1.00	0.84	
171.	"	जोहड़ खुदाई चौकीदारों की ढाणी	1.50	0.40	
172.	"	जोहड़ खुदाई कालाहेडा	1.00	0.83	
173.	"	बावड़ी सफाई कालौठ	1.00	0.74	
174.	"	जोहड़ खुदाई ग्वाड़ा रामजी	1.10	0.76	
175.	"	जोहड़ खुदाई बाढ़ गूजरान	1.50	1.35	
176.	लक्ष्मणगढ़	जोहड़ खुदाई टीडानगर	0.90	0.45	
177.	"	जोहड़ खुदाई खोहरा	0.90	0.83	
178.	"	जोहड़ खुदाई लीली	0.90	0.28	
179.	"	जोहड़ खुदाई ऊछर	0.90	0.73	
180.	"	जोहड़ खुदाई हींगोठा	0.90	0.75	
181.	"	जोहड़ खुदाई जोधपुरा	0.90	0.16	
182.	"	जोहड़ खुदाई चिमनपुरा	0.90	0.23	
183.	"	जोहड़ खुदाई पहड़ावती	0.90	0.60	
184.	"	जोहड़ खुदाई मुकन्दपुरा	0.90	--	सम्भव नहीं हुआ
185.	"	जोहड़ खुदाई चिमरावली गौड़	0.90	0.59	
186.	"	जोहड़ खुदाई मौजपुर	0.90	0.70	
187.	"	जोहड़ खुदाई सारौई	0.90	0.65	
188.	"	जोहड़ खुदाई बरवाड़ा	0.90	0.62	
189.	"	जोहड़ खुदाई डावली	0.90	0.45	

1	2	3	4	5	6
190.	लक्ष्मणगढ़	जोहड़ खुदाई खेड़ली निराम	0.90	0.70	
191.	"	जोहड़ खुदाई हादरहेड़ा	1.00	0.81	
192.	"	जोहड़ खुदाई टीकरी	0.90	--	सम्भव नहीं हुआ
193.	"	जोहड़ खुदाई खेड़ा महमूद	0.50	1.27	
194.	"	जोहड़ खुदाई गंडरा तालाब	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
195.	"	जोहड़ खुदाई देवली (दिवाली)	0.90	0.66	
196.	"	जोहड़ खुदाई खेड़ा मंगलसिंह	1.00	1.01	
197.	"	जोहड़ खुदाई पुराल (बिचगांव)	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
198.	"	जोहड़ खुदाई खेड़ा मंगल सिंह पहडा०	1.00	0.39	
199.	कठूमर	जोहड़ खुदाई भैरूवास	1.20	0.63	
200.	"	जोहड़ खुदाई बेहतूकलां	1.20	---	सम्भव नहीं हुआ
201.	"	जोहड़ खुदाई सेठ का नंगला	1.20	--	सम्भव नहीं हुआ
202.	"	जोहड़ खुदाई कठूमर	1.30	0.35	
203.	"	जोहड़ खुदाई पीपल खेड़ा	0.80	0.70	
204.	"	जोहड़ खुदाई सालवाड़ी	0.80	0.36	
205.	"	जोहड़ खुदाई खुडयाना	1.00	0.39	
206.	"	जोहड़ खुदाई चैनपुरा	1.00	0.30	
207.	"	जोहड़ खुदाई बिजला	1.20	--	सम्भव नहीं हुआ
208.	"	जोहड़ खुदाई खेड़ली रैल	1.00	0.10	
209.	"	जोहड़ खुदाई खोह	1.00	0.89	
210.	"	जोहड़ खुदाई जाड़ला	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
211.	"	जोहड़ खुदाई गुण्डा थौक	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
212.	"	जोहड़ खुदाई खौखर	0.80	--	सम्भव नहीं हुआ
213.	"	जोहड़ खुदाई दूधारी	0.80	0.29	
214.	"	जोहड़ खुदाई नूनीयां	0.80	--	सम्भव नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
215.	कटूमर	जोहड़ खुदाई खैड़ामैदा	0.90	--	सम्भव नहीं हुआ
216.	”	जोहड़ खुदाई टीटपुरी	0.80	--	सम्भव नहीं हुआ
217.	”	जोहड़ खुदाई गंजपुर	0.80	0.43	
218.	”	जोहड़ खुदाई दांतिया	1.00	0.79	
219.	”	जोहड़ खुदाई जोधपुरा	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
220.	”	जोहड़ खुदाई उदयपुरा	2.00	0.83	
221.	”	जोहड़ खुदाई खेड़ा कल्याणपुर	2.00	1.98	
222.	”	जोहड़ खुदाई भनोखर	1.00	0.60	
223.	”	जोहड़ खुदाई रामपुरा/ब्रह्मपुर	2.00	0.81	
224.	रैणी	जोहड़ खुदाई गढ़ी	1.00	1.23	
225.	”	जोहड़ खुदाई बैरामड़ा	1.50	0.01	
226.	”	जोहड़ खुदाई ईटोली	0.90	0.92	
227.	”	जोहड़ खुदाई बबेली	1.20	1.18	
228.	”	बावड़ी सफाई गढ़ी	2.00	1.00	
229.	”	जोहड़ खुदाई नांगल सोहनवाला	2.00	--	सम्भव नहीं हुआ
230.	”	जोहड़ खुदाई घटकवाला	2.00	0.81	
231.	”	जोहड़ खुदाई बहादुरपुर तलाई	2.00	0.52	
232.	राजगढ़	जोहड़ खुदाई नीमला	0.90	0.81	
233.	”	जोहड़ खुदाई आमकीवाला	1.00	1.14	
234.	”	जोहड़ खुदाई कारोठ	0.90	0.75	
235.	”	जोहड़ खुदाई छांयवाली	0.90	0.53	
236.	”	जोहड़ खुदाई पालपुर	0.90	1.09	
237.	”	जोहड़ खुदाई बहाली	0.90	0.80	

1	2	3	4	5	6
238.	राजगढ़	जोहड़ खुदाई नया गांव	0.90	0.96	
239.	"	जोहड़ खुदाई वीरपुर	0.90	0.74	
240.	"	जोहड़ खुदाई नौकरीवाला	0.90	0.70	
241.	"	जोहड़ खुदाई भांकरी	0.90	0.79	
242.	"	जोहड़ खुदाई चित्तोस	0.90	0.80	
243.	"	जोहड़ खुदाई खोड़	0.90	0.90	
244.	"	जोहड़ खुदाई मारघाटी वाली मूनपुर	1.50	0.80	
245.	"	जोहड़ खुदाई गुलाई वाली मोतीवाड़ा	1.50	0.60	
246.	"	जोहड़ खुदाई कैमली वाला	1.00	0.52	
247.	"	जोहड़ खुदाई हलकारा की ढाणी	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
248.	"	जोहड़ खुदाई शोभापुरा	1.00	--	सम्भव नहीं हुआ
249.	नीमराणा	जोहड़ खुदाई रेवाना (तालाब)	1.00	1.29	
250.	थानागाजी	नाडू एनीकट	17.52	15.74	
		कुल योग	291.17	185.77	

गायों की नस्ल सुधार कार्यक्रम की प्रस्तावित योजना

5. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1)पश्चिमी राजस्थान में गायों की कौन-कौनसी नस्ल उत्कृष्ठ श्रेणी की है?

(2) उक्त नस्लों को सुधारने के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कौन-कौनसी कार्य योजना चलाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार ने किन-किन स्थानों में पशु प्रजनन केन्द्र स्थापित किये हैं? उक्त प्रजनन केन्द्रों की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में थारपारकर, कांकरेज एवं राठी ब्रीड के दो-दो साण्ड उपलब्ध कराने के लिये कार्यक्रम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने गायों की थारपारकर नस्ल के संरक्षण व सम्वर्द्धन से सम्बन्धित पंचवर्षीय योजना बनाई है? यदि हां, तो उक्त योजना की अब तक क्या प्रगति हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को थारपारकर ब्रीड, कांकरेज ब्रीड एवं राठी ब्रीड को सुधारने के लिये योजना भेजी है? यदि हां, तो क्या? प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतया थारपारकर, कांकरेज, राठी एवं नागौरी नस्ल की गायें उत्कृष्ठ श्रेणी की पायी जाती हैं।

(2) उक्त नस्लों को सुधारने के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं (सूची 'क') सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार ने डग (झालावाड़), कुम्हेर (भरतपुर), नागौर एवं रामसर (अजमेर) में बछड़ापालन केन्द्र स्थापित किये हैं। बछड़ापालन केन्द्रों की प्रगति का विवरण (सूची 'ख') सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) जी, हां। योजना स्वीकृति के अभाव में प्रगति नहीं हो पायी है।

(6) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा गाय एवं भैंस विकास परियोजना के अन्तर्गत 110.62 करोड़ रुपये के प्रस्ताव 10 वर्ष के लिये प्रेषित किये गये हैं। इसमें मूलत: स्थानीय नस्लों (थारपारकर, कांकरेज, राठी, नागौरी, गीर आदि) के सम्वर्द्धन/संरक्षण हेतु पशुपालन विभाग एवं डेयरी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, कृत्रिम गर्भाधानकर्त्ताओं एवं पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने, उच्च श्रेणी के साण्ड उपलब्ध करवाने, पंजीकरण कर प्रोजनी टेस्टिंग कार्यक्रम संचालित करने, पशुपालन विभाग एवं डेयरी के राजकीय फार्मों को सुदृढ़ करने आदि के प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं। भारत सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होना शेष है।

सूची 'क'

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पश्चिमी राजस्थान में नस्ल सुधार हेतु चलाई जाने वाली योजनाएं

(अ)	**केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं**	
1.	पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर) एवं बीछवाल (बीकानेर) (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित)	थारपारकर नस्ल
2.	राष्ट्रीय पशु जेनेटिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित एक्स सीटू एवं इन सीटू	राठी, थारपारकर, नागौरी नस्ल
(ब)	**राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं**	
1.	पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर)	थारपारकर नस्ल
2.	पशुधन अनुसंधान केन्द्र, नोहर (हनुमानगढ़)	राठी नस्ल
(स)	**राज्य सरकार (पशुपालन विभाग) द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं**	
1.	वृषभ पालन केन्द्र, नागौर	नागोरी नस्ल एवं मुर्रा नस्ल

सूची 'ख'

पशु प्रजनन केन्द्रों की वार्षिक प्रगति

क्र.सं.	कार्य विवरण	पशु प्रजनन केन्द्र डग (झालावाड़)	नागौर	कुम्हेर (भरतपुर)	रामसर (अजमेर)
वर्ष 2000-2001					
1.	साण्ड वितरण	11(मालवी)	6(नागौरी)	23(मुर्रा)	19(गोर)
2.	संधारित पशु	29 (14 मुर्रा + 15 मालवी)	16(नागौरी)	30(मुर्रा)	46(गोर)
3.	हरा चारा उत्पादन (क्वि.)	160	197	207	---
4.	सूखा चारा उत्पादन (क्वि.)	250	30	341	---
5.	बीज उत्पादन (क्वि.)	150	---	12	---
6.	बछड़े उत्पन्न हुये	01	01	---	---
वर्ष 2001-2002 (माह सितम्बर, 2001 तक)					
1.	साण्ड वितरण	02 (मुर्रा)	6(नागौरी)	---	5 (गोर)
2.	संधारित पशु	29 (14 मुर्रा + 15 मालवी)	40(मुर्रा)	39(मुर्रा)	38 (गोर)
3.	सूखा चारा उत्पादन (क्वि.)	1434	---	125.50	---
4.	हरा चारा उत्पादन (क्वि.)	62	---	282.06	---
5.	बीज उत्पादन (क्वि.)	---	---	41.85	---

असिंचित भूमि का मूल्य निर्धारण

6. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना):** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य निर्धारण के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि असिंचित भूमि में यदि चार वर्षों में दो बार रबी की फसल बोई जाती है तो उसे सिंचित मान कर मूल्यांकन किया जाकर बाजार दर निर्धारित की जाती है? यदि हां, तो क्या भूमि के क्रय-विक्रय करने पर किसानों को अधिक स्टाम्प खरीदने पड़ते हैं जिससे उनको भारी आर्थिक बोझ सहना पड़ता है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित न्यायालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त अजमेर के पास केस उप पंजीयक नागौर बनाम श्री किसनाराम निम्बड प्रकरण संख्या 28/2001 लम्बित है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में क्या सरकार नियमों में ढील देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान स्टाम्प नियम 1955 के नियम 59 ''बी'' के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर अथवा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा निश्चित दर में जो उच्चतर हो के आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान है। (नियम-59 ''बी'' की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है)

(2) जी, हां। असिंचित भूमि में यदि गत चार वर्षों में से दो या अधिक वर्षों में रबी की फसल ली गई है तो उस भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि की दर से करने का प्रावधान है। भूमि के क्रय-विक्रय पर भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार ही स्टाम्प लगाये जाने का प्रावधान है। परिपत्र संख्या 2/99 दिनांक 1.10.1999 को आंशिक प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी, हां। प्रकरण लम्बित है। गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने के लिये कलक्टर (मुद्रांक) सक्षम प्राधिकारी है।

59(B) Procedure for assessment of the market value of the property by the Registering Officer (1) In the case of an instrument relating to immovable property, the market value of land shall be asessed by the Registering Officer on the basis of the rates recommended by the District Level Committee constituted under rule 2(j) from time to time or the rates approved by the Inspector General of Stamps from time to time, whichever is higher and market value of the constructed portion shall be assessed on the basis of the rates determined by the State Government from time to time.

(2) If the rates of land recommended by the District Level Committee are not revised within one year from the date of such recommendation or if the market value of land in any area has extra ordinarily increased or decreased, the State Government may suo-motu or on a reference made by the Inspector General of Stamps re-determine by order the rates of the land in such areas on the basis of the recommendations made by a committee consisting of SSF (Revenue) as chairman and Inspector General of Stamps, D.S.F. (Tax), Collector of concerned District and a Public Representative of that District nominated by the Government as member. The rates so determined shall be the market value of that area and be the basis of assessment of the market value of the land with effect from the date specified in such order and be valid until the District Level Committee reverses the rates so determined.

---

1. Inserted by Notification dated 24.9.91 w.e.f. 25.4.91
2. Sub. by Notification dated 24.4.91 w.e.f. 25.9.91
3. Inserted by Notification No. F2(40) FD/Tax-Div/98-188 dated 26.9.99 w.e.f. 26.3.99

परिशिष्ट 'ब'

(च) **सिंचित व असिंचित भूमि :** कई स्थानों पर भूमि को सिंचित एवं असिंचित दो श्रेणियां बांटकर दरें तय की जाती हैं। सिंचित व असिंचित भूमि का निर्धारण अन्तिम चौसाला खसरा गिरदावरी से किया जाता है:

अ) यदि अन्तिम चौसाला खसरा गिरदावरी में जमीन की किस्म सिंचित दर्ज है तो सिंचित मानकर मूल्यांकन किया जावे।

ब) यदि असिंचित दर्ज है लेकिन गत चार वर्षों में दो या दो से अधिक वर्षों में रबी की फसल ली गयी है तो भूमि को सिंचित मानकर मूल्यांकन किया जावे।

स) जहां भूमि एक फसली है एवं असिंचित दर्ज है परन्तु फसल खरीफ के स्थान पर रबी में ली जाती है तो ऐसी भूमि को सिंचित नहीं माना जायेगा, भले ही रबी में दो अधिक फसल चार वर्षों में ली गयी है।

द) कतिपय क्षेत्रों यथा भरतपुर, अलवर, चूरू आदि में रबी में सरसों, चना बिना सिंचाई के लिये जाता है, ऐसी भूमि यदि असिंचित दर्ज है तो रबी में चार में दो या अधिक वर्षों में भी फसल लिये जाने के बावजूद उसको सिंचित नहीं माना जावे, बशर्ते स्तरीय समिति द्वारा ऐसी जमीनों के लिये अलग से ग्रामवार दरें तय कर दी हों। जब तक जिला स्तरीय समिति द्वारा पृथक दर तय नहीं तब तक सिंचित दरों पर ही मूल्यांकन किया जावे।

(छ) भूमि के साथ-साथ कुआं अथवा बोरिंग विक्रय होने पर उसकी कीमत अलग से आंकी जावे। यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा कुओं की कीमत तय कर रखी हो तो उसके अनुसार मालियत आंकी जावे अन्यथा कुओं की 80000/- रुपये कीमत लगायी जावे तथा बोरिंग की 100000/- रुपये कीमत आंकी जावे।

(ज) सरकार या स्थानीय निकाय की भूमि के हस्तान्तरण पत्र लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण उनका पंजीयन नहीं हो सकता। कृषि भूमि सरकार या स्थानीय निकाय की नहीं होने के बारे में संतुष्टि हेतु नवीनतम जमाबन्दी प्राप्त की जावे। यदि पंजीयन अधिकारी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर संतुष्ट है तो अपनी संतुष्टि के कारण लिखित में दर्ज किया जावे।

पंचायत समिति कुचामन सिटी (नागौर) में राशन कार्ड वितरण में अनियमितताएं

7. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समिति कुचामन सिटी क्षेत्र (नागौर) में राशन कार्ड बनाने की राशि जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा रुपये तीन से अधिक न लेने हेतु निर्देश जारी किये हुये हैं, यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रसद विभाग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि ग्राम पंचायत घाटवा में वसूल की गई तथा रसद अधिकारी नागौर द्वारा जांच करने पर यह सही पाया गया व दिनांक 20 अगस्त, 2001 को जांच रिपोर्ट तैयार की गई है? उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी सरपंच व ग्राम सेवक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में राशन कार्ड के साथ अतिरिक्त राशि वसूल करने के निर्देश ग्राम सेवकों को विकास अधिकारी द्वारा दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार ने भी राशन कार्ड के साथ अतिरिक्त राशि वसूल न करने के निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो उसकी अनुपालना उक्त पंचायत समिति द्वारा क्यों नहीं की जा रही है? सम्भागीय आयुक्त तथा जिला कलक्टर ऐसी पंचायतों के विरुद्ध जो निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल कर रहे हैं के ग्राम सेवकों व विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब क्यों कर रहे हैं?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर (रसद), नागौर द्वारा पंचायत समिति, कुचामन सिटी क्षेत्र में राशन कार्ड की अधिकतम लागत 2.25 रुपये निर्धारित की हुई है। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जिला रसद अधिकारी द्वारा की गई जांच में जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करना पाया गया है। जिला कलक्टर द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। विकास अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) राशन कार्ड के साथ अतिरिक्त राशि वसूल करना निर्देशों के विपरीत है। जिला कलक्टर ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही कर रहे हैं।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर "रसद" नागौर

क्रमांक: रसद/रा०का०/2001 दिनांक :– 8.2.2001

प्रेषित :–

(1) विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, नागौर/मूण्डवा/जायल/डीडवाना/लाडनूं/परबतसर/मकराना/कुचामन/रियां/डेगाना/मेड़ता शहर

(2) अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका मण्डल, नागौर/मूण्डवा/कुचेरा/मेड़ता/परबतसर/मकराना/नावां/कुचामन/डीडवाना/लाडनूं।

विषय : नये राशनकार्ड जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : इस कार्यालय के पत्रांक : समसंख्यक : 499–519 दिनांक 05.02.2000 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जिले में एक जैसे राशन कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, जिनकी राशनकार्ड छपवाते/जारी करवाते समय अक्षरशः पालना की जानी है। राशन कार्ड छपवाते समय सभी विहित मानदण्डों की पालना की जानी अनिवार्य है।

नागौर जिले में (नागौर शहर के अलावा) राशन कार्ड की अधिकतम लागत दो रुपये पच्चीस पैसे निर्धारित की जाती है। जिसमें चिन्हित मानदण्डों के अनुसार राशन कार्ड छपाई, आवेदन पत्र छपाई व रजिस्टर/स्टेशनरी आदि की समस्त लागतें समयाविष्ट हैं। आप राशन कार्ड भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ "मर्यादित" से (जिनके पत्रांक 2338 दिनांक 3.11.2000 की छाया प्रति संलग्न है) या किसी अन्य संस्था से छपवाकर नियमानुसार जारी करें।

राशन कार्ड पर राशन कार्ड दिशा–निर्देश परिवार नियोजन, साक्षरता, अल्पबचत आदि के बिन्दु/स्लोगन छपवाएं, राशन कार्ड छपवाते/जारी करते समय वित्तीय नियमों की पालना अवश्य सुनिश्चित की जाये।

खाद्य विभाग के विशेष पत्रांक पं. 97(1) खावि : साविप्र : 2000 दिनांक 01.02.2001 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि समस्त नगरपालिकाओं/पंचायत समितियों में अद्यतन दिशा–निर्देशों के अनुसार तीन रंगों में राशन कार्ड जारी किये जावे, यदि किसी नगरपालिका/पंचायत समिति में गतवर्ष राशन कार्ड जारी किये गये हो व यदि वे राशन कार्ड वर्तमान विभागीय नीति के अनुसार नहीं है, तो वहां भी नई नीति के अनुसार राशन कार्ड जारी किये जाने हैं।

राशन कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में आप द्वारा की गई कार्यवाही से शीघ्र अवगत करावें।

ह०/–

जिला कलक्टर (रसद)

नागौर

दिनांक : 08.02.2001

जांच रिपोर्ट

श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक पीए/2438 दिनांक 28.7.2001 प्राप्त हुआ कि उप प्रधान कुचामन सिटी एवं क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने द्वितीय विकास शिविर में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया, शिकायत पत्र के अनुसार पंचायत समिति के समस्त ग्रामों में बनाये जा रहे राशन कार्डों की राशि प्रति राशन कार्ड 23/- रुपये उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही है। इसके साथ ही श्री महावीर प्रसाद कामदार एवं ग्राम विकास परिषद् धाटवा ने भी शिकायत की, कि इस पंचायत समिति क्षेत्र में प्रति नये राशन कार्ड 30/- रुपये उपभोक्ताओं से वसूल किये जा रहे हैं।

श्रीमान् जिला कलक्टर के उक्त अ.शा.पत्र दिनांक 28.7.2001 की अनुपालना में मैं दिनांक 3.8.2001 को कुचामन सिटी पहुंचा एवं विकास अधिकारी कुचामन सिटी से सम्पर्क कर राशन कार्ड छपवाने हेतु टेण्डर की प्रतिलिपि प्राप्त की जो संलग्न है।

श्रीमान् जिला कलक्टर (रसद) नागौर द्वारा जारी आदेश क्रमांक- रसद/रा.का./2001 दिनांक 8.2.2001 के अनुसार जिलों के समस्त विकास अधिकारियों को सूचित किया गया था कि राशन कार्ड की अधिकतम लागत (कार्ड छपाई, आवेदन पत्र छपाई व रजिस्टर/स्टेशनरी आदि की समस्त लागत सम्मिलित करते हुये) 2.25 रुपये निश्चित की जाती है। इसके पश्चात् अ.शा. पत्र क्रमांक 942 दिनांक 27.2.2001 के जरिये भी जिले के समस्त विकास अधिकारियों को श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा निर्देश दिये गये थे कि 31 मार्च, 2001 तक नये राशन कार्ड 2.25 रुपये प्रति राशन कार्ड की दर से जारी किये जाये तथा इसके अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करते समय अन्य किसी प्रकार का शुल्क उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जावे।

विकास अधिकारी कुचामन सिटी द्वारा जारी आदेश क्रमांक पसकु/87 सम दिनांक 8.6.2001 के अनुसार नये राशन कार्ड की कीमत मय फार्म 3/- रुपये उपभोक्ताओं से वसूल की जाने के साथ ही ग्राम सेवकों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि राशन कार्ड वितरण के समय प्रति परिवार 20/- रुपये शिक्षा उपकर के वसूल किये जावें।

उप सरपंच, ग्राम पंचायत धाटवा ने अपने पत्र दिनांक 8.8.2001 के अन्तर्गत अधो-हस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित किया कि ग्राम पंचायत धाटवा में उपभोक्ताओं (चयनित उपभोक्ताओं

सहित) से नये राशन कार्ड की कीमत 30/– रुपये प्रति राशन कार्ड वसूल की जा रही है। उप सरपंच महोदय ने इस सम्बन्ध में स्वयं द्वारा प्रमाणित दो रसीदों की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की इनमें से एक रसीद संख्या 1/34 दिनांक 25.7.2001 की है जिसमें शिक्षा उपकर के 20/– रुपये अंकित है जो श्री गोविन्द राम पुत्र श्री भोला यादव नाम जारी है इसी व्यक्ति के नाम रसीद नं. 1/34 दिनांक 25.7.2001 को जारी है जिसमें 10/– रुपये राशन कार्ड शुल्क के रूप में वसूल किये गये हैं। इससे पूर्व दिनांक 3.8.2001 को अधोहस्ताक्षकर्त्ता के ग्राम धाटवा पहुंचने पर सचिव, ग्राम पंचायत कहीं अन्यत्र गये हुये थे और शिकायतकर्त्ता श्री महावीर प्रसाद कामदार जयपुर गये बताये। मौके पर पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि पंचायत द्वारा 20/– रुपये शिक्षा उपकर 7/– रुपये पंचायत शुल्क व 3/– रुपये राशन कार्ड के पेटे लिये जा रहे हैं। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा जो रसीद दी जा रही है वह 20/– रुपये शिक्षा उपकर व 10/– रुपये राशन कार्ड शुल्क अंकित कर दी जा रही है। मौके पर श्री जगनाथ राम ने रसीद संख्या 21/44 दिनांक 25.7.2001 (10/– रुपये राशन कार्ड शुल्क) तथा 3/44 दिनांक 25.7.2001 (20/– रुपये शिक्षा उपकर) प्रस्तुत की गई जो मूल ही अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। राशन कार्ड के 10/– रुपये वसूल करने सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 20.4.2001 की नकल सरपंच महोदय ने प्रस्तुत की जो संलग्न है। जांच के दौरान की गई पूछताछ एवं उपलब्ध प्रमाणों/साक्ष्य से यही निष्कर्ष निकलता है कि:–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर ने समस्त विकास अधिकारियों को पाबन्द किया गया था कि राशन कार्ड का मूल्य उपभोक्ताओं से 2.25 रुपये प्रति राशन कार्ड से अधिक वसूल नहीं किया जावे और राशन कार्ड जारी करते समय इसके साथ उपभोक्ता से अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया जाये।
2. विकास अधिकारी, कुचामन सिटी ने समस्त ग्राम सेवकों को निर्देश दिये कि प्रत्येक उपभोक्ता से राशन कार्ड का मूल्य 3/– रुपये वसूल किये जावे और इसके साथ 20/– रुपये शिक्षा उपकर के राशन कार्ड वितरण के समय वसूल किया जावे।
3. ग्राम पंचायत, धाटवा द्वारा प्रति राशन कार्ड 30/– रुपये वसूल किये गये जिनमें 10/– रुपये राशन कार्ड शुल्क एवं 20/– रुपये शिक्षा उपकर के रूप में वसूल किये गये।

श्रीमान् को अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

ह०/–

जिला रसद अधिकारी, नागौर

राजस्थान सरकार

कार्यालय पंचायत समिति, कुचामन सिटी "नागौर"

क्रमांक: पराकु/8/सम दिनांक :- 08.06.2001

समस्त ग्राम सेवक पदेन सचिव

ग्राम पंचायत..................................

विषय :- नये राशन कार्ड वितरण करने के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में नये राशन कार्ड वितरित किये जाने हैं इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि–

1. ग्राम सेवक अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के लिये पूर्व में दी गई मांग अनुसार राशन कार्ड, घोषणा पत्र व शिक्षा उप कर वसूली हेतु रसीद बुक इस कार्यालय से प्राप्त करें व इनका इन्द्राज ग्राम पंचायत के स्टाफ रजिस्ट्रार में कर रजिस्ट्रर पेज संख्या व दिनांक की सूचना इस कार्यालय को देवें।

2. राशन कार्ड वितरण के समय प्रति परिवार रुपये 20/– शिक्षा उपकर वसूल करें शिक्षा उपकर की दरं प्रतिवर्ष रुपये 5/– क्रमशः 1998–99, 1999–2000, 2000–2001 एवं 2001–2002 के लिये कुल 20/– रुपये।

3. शिक्षा उपकर की वसूली के साथ ही रसीद जारी कर एक माह के भीतर राशि इस कार्यालय में जमा करावें अन्यथा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। राशि जमा के समय रसीद बुक साथ में लायें।

4. समस्त वसूल शुदा राशि को ग्राम पंचायत के लेखों में तुरन्त दर्ज करें लेखों से बाहर रखी गई राशि को राजकीय राशि का दुरुपयोग व गबन मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

5. ग्राम पंचायत स्तर पर राशन कार्ड रजिस्ट्रर शिक्षा उपकर मांग वसूली व बकाया का रजिस्ट्रर पूर्णतः संधारित किया जावे व मांग वसूली व बकाया की सूचना प्रतिमाह पंचायत समिति को उपलब्ध कराई जावेगी। पूर्ण रिकार्ड संधारण के अभाव में 5 प्रतिशत कमीशन देय नहीं होगा।

6. राशन कार्ड की कीमत मय फार्म रुपये 3/– प्रति राशन वसूल करें।

ह०/–

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, कुचामन सिटी

ई.एस.आई. चिकित्सालय निम्बाहेड़ा में रिक्त पद

8. **श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा):** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) निम्बाहेड़ा स्थित ई.एस.आई. डिस्पेंसरी में कितने अधिकारी/कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त डिस्पेंसरी को पूर्ण सुविधायुक्त बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय निम्बाहेड़ा में अधिकारी/कर्मचारियों की स्थिति निम्नप्रकार है:

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	चिकित्साधिकारी	1	-	1
2.	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-
3.	कनिष्ठ लिपिक	1	1	-
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	2	-

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार निम्बाहेड़ा में 1 डाक्टर डिस्पेंसरी कार्यशील है। जिसमें एक मिनी औषधालय के द्वारा बीमितों को दी जाने वाली सभी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई हैं।

निम्बाहेड़ा में श्रमिक बीमितों की संख्या मात्र 151 होने के फलस्वरूप बड़ा औषधालय/चिकित्सालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न संख्या 9

(स्थगित)

आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों में अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग की पूर्ति

10. **श्री अशोक (खण्डार), श्री निर्भय लाल (रूपवास) एवं श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़):** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में आयुर्वेद चिकित्सक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने-कितने पद अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित हैं?

(2) आरक्षित पदों में अनुसूचित जाति/जनजाति का कितना बैकलाग है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने हाल ही में 200 पद बैकलाग के जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों के लिये विशेष भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजी गई थी? क्या उक्त अर्थना सरकार ने वापस ले ली है? यदि हां, तो क्यों?

(4) बैकलाग के पद कुल स्वीकृत पदों में रिक्त कितने आरक्षित पद होते हैं? क्या उनको नियमित नियुक्ति से भरना आवश्यक है? क्या सरकार द्वारा बैकलाग के आरक्षित पदों को अनुबंध पर भरे जाने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है? क्या उक्त प्रक्रिया उचित है? क्या सरकार अनुबंध पर आयुर्वेद चिकित्सक नियुक्ति की प्रक्रिया को समाप्त कर बैकलाग के पदों पर सीधी भर्ती का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सक के 3650 पद स्वीकृत हैं। रोस्टर प्रणाली के अनुसार इनमें से 584 पद अनुसूचित जाति के लिये तथा 438 पद अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं।

(2) वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सक पदों में 525 पदों का अनुसूचित जाति के लिये तथा 396 पदों का अनुसूचित जनजाति के लिये बैकलाग बनता है।

(3) जी हां।

जी, नहीं। अर्थना वापस नहीं ली गयी है।

(4) कुल स्वीकृत पदों में 584 पद अनुसूचित जाति एवं 438 पद अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित होते हैं। नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वित्त विभाग में विचाराधीन है।

बरिया–चांदेसरा (बाड़मेर) पेयजल योजना की स्वीकृति

11. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार के पास बरिया, चांदसेरा (बाड़मेर) जलप्रदाय योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना को स्वीकृत कर इस का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

उत्तर

जी हां। क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बरिया–चन्देसरा वर्तमान में तकनीकी परीक्षण में है। योजना के सही पाये जाने पर स्वीकृति उपरान्त योजना के कार्य प्राथमिकता, धन एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रारम्भ किये जाने सम्भव हो सकेंगे।

एस.डी.एम. कोर्ट जैतारण (पाली) द्वारा निस्तारित प्रकरणों में अनियमितताएं

12. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) एस.डी.एम. कोर्ट जैतारण जिला पाली की अदालत में मार्च, 2000 से 15 अक्टूबर, 2001 तक किन–किन दावों व दरखास्तों का निस्तारण किन–किन अधिकारियों द्वारा किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त निस्तारण किये गये दावों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम डिक्री जारी की गई? यदि हां, तो किन नियमों के तहत व बाद में डिक्री निरस्त की गई वह किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियमों के विरुद्ध डिक्री जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) श्री रामनिवास जाट तत्काल उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा मार्च, 2000 से सितम्बर, 2000 तक 108 राजस्व वाद तथा 73 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात् माह नवम्बर, 2000 से 15 अक्टूबर, 2001 तक श्री ताराचन्द खत्री उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा 123 राजस्व वाद एवं 100 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। अपेक्षित सूची संलग्न है।

(2) उक्त निस्तारित प्रकरणों में से एक राजस्व वाद संख्या 20/84 (25/98) जयराम बनाम विशनसिंह निर्णय दिनांक 23.7.2001 से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि की डिक्री सवर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा जारी की गई। उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) के तहत सूओमोटो निर्णय दिनांक 23.7.2001 का पुनरावलोकन कर निर्णय दिनांक 27.8.2001 के अनुसार पूर्व आदेश (डिक्री) को निरस्त किया गया।

(3) डिक्री की वैधता के बारे में राजस्व मण्डल से टिप्पणी ली जा रही है, तत्पश्चात् उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में बछड़ों की निकासी

13. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान के पशु बाहुल्य क्षेत्र का आर्थिक आधार बैल निकासी है?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकतर बैल गुजरात राज्य में जाते हैं?

(3) क्या यह सही है कि गुजरात में गौवध कानूनन बन्द है?

(4) क्या यह भी सही है कि गुजरात में काश्तकार छोड़े बछड़े लेकर उनको कृषि जोत योग्य बनाते हैं?

(5) क्या यह सही है कि बधिया किये बैलों की ही निकासी होती है?

(6) क्या यह भी सही है कि बैल बड़ा होने पर मशीन से बधियाकरण नहीं होता?

(7) क्या सरकार परम्परागत तरीके से बधियाकरण करने तथा गुजरात में बैल निकासी पर प्रतिबन्ध हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पश्चिमी राजस्थान में पशु पालकों की आय का प्रमुख स्रोत पशु पालन है। पशु क्रय-विक्रय भी पशुपालन का ही एक अंग है।

(2) जी नहीं। पशुपालकों को

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

डेयरी एवं कृषि प्रयोजनार्थ बैल क्रय करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा परमिट जारी करने के पश्चात् ही गुजरात एवं अन्य राज्यों के लिये राज्य से बाहर निकासी की जाती है।

(3) गुजरात राज्य में गौवध निषेध है एवं बोम्बे एसेंसियल कोमोडिटीज एण्ड कैटल कंट्रोल एक्ट 1958 प्रभावी है, परन्तु अधिनियम में स्थान के अनुरूप वध हेतु साप्ताहिक कोटा निर्धारित किया हुआ है।

(4) राज्य से पशुपालक पशु/बछड़े कृषि एवं डेयरी प्रयोजनार्थ क्रय करते हैं। उन्हें गुजरात के काश्तकार कृषि जोत योग्य बनाये या ब्रीडिंग योग्य बनाये यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

(5) राजस्थान राज्य गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम-1995) एवं नियम 1995 में केवल बधिया किये हुये बैलों की ही निकासी का उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) जी नहीं। बैल बड़ा होने पर भी मशीन से बधियाकरण हो सकता है, परन्तु बड़े पशु को गिरने पर चोट लगने की सम्भावना को देखते हुये ओपन मैथड भी काम में लिया जाता है।

(7) जी नहीं। वर्तमान में बधियाकरण मशीन एवं ओपन मैथड से करने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों की निकासी पर प्रतिबन्ध है। गुजरात में बैल निकासी पर प्रतिबन्ध नहीं है। अतः प्रतिबन्ध हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न संख्या 14

(स्थगित)

जिला बाड़मेर के बैरल पाइंट डीलरों द्वारा अनियमिततायें

15. **श्री अमीन खान (शिव):** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में जितने भी बैरल पाइंट डीलर हैं वे कैरोसीन मिलाकर डीजल व पैट्रोल बेचते हैं? यदि हां, तो क्यों? सरकार ने अब तक कितने डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही की है?

(2) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में ऐसे कितने पैट्रोल पम्प हैं जो डीजल पैट्रोल में कैरोसीन मिलाकर बेचते हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला बाड़मेर में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं हैं।

(2) जिला बाड़मेर में आई.बी.पी. कम्पनी का सीणधरी स्थित पेट्रोल पम्प की 13.8.1999 को जांच की गई व सैम्पल लिये गये। डीजल में मिलावट पाये

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

जाने पर उक्त पेट्रोल पम्प कम्पनी द्वारा बन्द कर दिया गया है। 17.8.1999 को आई.बी.पी. कम्पनी के धोरामना पेट्रोल पम्प में मिलावट पाई गई। 18.8.1999 को इसका लाइसेन्स निलम्बित किया गया जो कि 22.10.1999 को जिला कलक्टर द्वारा बहाल कर दिये जाने से उक्त पेट्रोल पम्प चालू है।

प्रश्न संख्या 16
(स्थगित)

अधिशासी अभियन्ता बालोतरा (बाड़मेर) द्वारा अनियमितताएं

17. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अधिशासी अभियन्ता को एक वित्तीय वर्ष में 10 बी नियमों के अन्तर्गत ठेकेदारों को कितनी राशि तक कार्यादेश देने का अधिकार है?

(2) जिला बाड़मेर के खण्ड बालोतरा में 31 मार्च, 2000 से 15 अक्टूबर, 2001 तक अधिशासी अभियन्ता द्वारा किन–किन फर्मों को कितनी–कितनी राशि के 10 बी नियमों के अन्तर्गत कार्यादेश दिये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिशासी अभियन्ता ने विभिन्न फर्मों को 10 बी नियम के अन्तर्गत कार्यादेश देते समय अपने वित्तीय अधिकार की सीमा का दुरुपयोग कर नियमों का उल्लंघन किया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान जलप्रदाय सीवरेज प्रबन्ध मण्डल के द्वारा दिनांक 7.10.1994 को जारी शिड्यूल आफ पावर के तहत नियम 10 विलोपित है।

(2) जिला बाड़मेर के खण्ड बालोतरा में नियम 10 बी के अन्तर्गत कोई कार्यादेश नहीं दिया गया है। शिड्यूल आफ पावर के नियम 30 (ii) के अन्तर्गत बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश देने के प्रावधान है जिसके तहत अधिशासी अभियन्ता की शक्ति अधिकतम 30,000 रुपये प्रति आदेश है। इस नियम के तहत 31.3.2000 से 15.10.2001 के मध्य अधिशासी अभियन्ता, बालोतरा ने कुल 17 कार्यादेश कुल राशि 4,56,985 रुपये हेतु दिये। सूची परिशिष्ट–'अ' पर संलग्न है।

(3) इस बारे में प्राथमिक जांच प्रस्तावित है। इस जांच में यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो विस्तृत जांच कर नियमों के अनुसार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	फर्म का नाम	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	राशि	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5
वर्ष 2000–2001				
1.	मै. सूरज जनरल स्टोर एवं इलेक्ट्रीक स्टोर बाड़मेर	1/01.04.2000	24972.00	सिवाना में जनता टाईप क्वाटर में विद्युत फिटिंग कार्य
2.	,, ,, ,,	2/04.04.2000	17360.00	हैड वर्क्स सिलोर जनता टाईप क्वाटर में विद्युत फिटिंग कार्य।
3.	मै. जय भारत इंजी. वर्क्स, जोधपुर	1574–77/ 26.05.2000 के	8025.00	खण्ड बालोतरा के कार्यालय भवन में कम्प्यूटर स्थापना हेतु अर्थिंग कार्य
4.	मै. एम.एम. वैन्चर बाड़मेर	1/27.06.2000	22973.00	कनिष्ठ अभियन्ता आवास पादरू में विद्युत फिटिंग कार्य
5.	मै. जय भारत इंजी. वर्क्स, जोधपुर	6973–76/ 04.11.2000 के	29800.00	ग्राम बरिया खुला कुआ नं. 1 पर प्लेट फार्म कार्य सुदृढ़ीकरण का कार्य
6.	मै. राजेन्द्र पारीक जोधपुर	2/5.11.2000	29786.00	लूणी नदी सिणधरी के पूर्वी किनारे पर 10 ईंच पाइप लाइन निकालना व पुनः बिछाने का कार्य

1	2	3	4	5
7.	मै. राजेन्द्र पारीक जोधपुर	3/5.11.2000	29578.00	लूणी नदी सिणधरी के पश्चिमी किनारे पर 10 इँच पाइप लाइन निकालना व पुनः बिछाने का कार्य
8.	” ” ”	5/5.11.2000	29583.00	ग्राम गावड़ियों का तला में खुले कुएं के विकास का कार्य
9.	मै. जय भारत इन्जि. वर्क्स, जोधपुर	7606–14/ 15.11.2000 के	29827.00	उपखण्ड बालोतरा में विभिन्न भवनों में मरम्मत का कार्य
10.	” ” ”	8280–82/ 30.11.2000 के	29700.00	कनिष्ठ अभियन्ता असाड़ा के सैक्शन में विभिन्न पम्प ग्रहों पर अर्थिंग का कार्य
11.	” ” ”	8277–79/ 30.11.2000 के	28543.00	ग्राम बरिया में पम्प/ हाउस/क्वार्टर की मरम्मत का कार्य
12.	” ” ”	8379–81/ 4.12.2000 के	29785.00	ग्राम बरिया खुले कुए पर सुधार व सुद्रड़ीकरण का कार्य
13.	मै. राजेन्द्र पारीक जोधपुर	4/26.12.2000	29905.00	ग्राम जैस्पानियों का तला पर खुले कुए के चैन पुली स्टैण्ड हेतु आर.सी.सी. पीलर का निर्माण कार्य

1	2	3	4	5
14.	मै. मूलचन्द तंवर जोधपुर	11593–96/ 8.3.2001 के	29916.00	ग्राम भलखारी खुला कुआं नं. 1 पर पिलिंथ प्रोटेक्शन का कार्य
15.	" " "	11683–86/ 13.3.2001 के	29916.00	ग्राम भलखारी खुला कुआं नं. 3 पर पिलिंथ प्रोटेक्शन का कार्य
16.	" " "	11743–46/ 14.3.2001 के	29916.00	ग्राम भलखारी खुला कुआं नं. 2 पर पिलिंथ प्रोटेक्शन का कार्य
17.	मै. भारत इंजी. वर्क्स, जोधपुर	5407–9/ 15.9.2001 के	27400.00	गोलिया में विभिन्न पम्प हाउस/ट्यूब वैल में अर्थिंग का कार्य

कुल :- (रुपये) 4,56,985.00

तहसील सीकर में की गई रजिस्टरी की अनियमितताएं

18. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या दिनांक 18 अगस्त, 2001 को श्री भगवान सिंह पुत्र श्री किशनाराम ग्राम सुजानपुरा, तहसील सीकर के नाम कोई भूमि की रजिस्टरी करायी गई थी?

(2) क्या उक्त में नायब तहसीलदार व पटवारी ने भारी रकम ली थी? यदि हां, तो कितनी और किसलिये?

(3) क्या सरकार उक्त नायब तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 18.8.2001 को श्री भगवान सिंह पुत्र श्री किशनाराम ग्राम सुजानपुरा, तहसील सीकर के पक्ष में ग्राम सुजानपुरा की कृषि भूमि की तीन रजिस्ट्रियां उप पंजीयक कार्यालय सीकर में पंजीबद्ध हुई थी। इन विक्रय पत्रों की क्रम सं. 2624, 2625 व 2626 दिनांक 18.8.2001 है।

(राजस्व मंत्री)

उक्त तीन विक्रय पत्रों के लिये कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के लिये उप पंजीयक कार्यालय की रसीद सं. 26/49, 28/50 एवं 28/51 दिनांक 18.8.2001 से क्रमशः 6725/- रुपये, 4035/- रुपये एवं 4125/- रुपये कुल 14,885/- रुपये की राशि नायब तहसीलदार द्वारा बतौर उपपंजीयक की हैसियत से राजकीय राशि वसूल कर राजकोष में जमा करवाई गई है। यह राशि जिला मुल्य निर्धारण कमेटी द्वारा निर्धारित दरों की पालना में दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकित करने के बाबत ली गई है, तथा पक्षकारान को उक्त राशि की रसीद उपलब्ध करवाई गई है। किसी पटवारी का पंजीयन कार्य में राशि वसूल करने में भूमिका नहीं होती है।

(3) दिनांक 18.8.2001 को नियमित उप पंजीयक के बाहर होने के कारण कार्यवाहक तहसीलदार द्वारा पंजीयन कार्य किया गया था। उक्त दस्तावेजों पर उनके द्वारा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित दर पर ही पंजीयन कार्य किया गया है। अन्तर राशि की वसूली उपरोक्त रसीदात से की गई है। जिला स्तरीय मूल्य कमेटी द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नायब तहसीलदार द्वारा बतौर उप पंजीयक नहीं ली गई है। अतः इनके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं बनता है।

डी.एस.आर. टोर भिवाड़ी (अलवर) को बिक्री कर में छूट

19. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डी.एस.आर. टोर प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी, अलवर में उत्पादन कब चालू हुआ और किस तारीख को उक्त उद्योग को बिक्री कर में छूट दी गई?

(2) राज्य में किसी उद्योग को किस तारीख तक उत्पादन में आने पर कानूनन छूट दी जा सकती है?

(3) उक्त उद्योग अब तक कितनी बिक्री कर की राशि में छूट प्राप्त कर चुका है?

(4) क्या यह सही है कि बिक्री कर की छूट की दिनांक से उक्त उद्योग काफी दिन बाद उत्पादन में आया है? उक्त उद्योग ने बिक्री कर छूट की बाबत कब आवेदन किया एवं विभाग में उसकी प्राप्ति की तारीख क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त उद्योग को बिक्री कर की छूट कब से दी गई? सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मैसर्स डी.एस.आर. टोर प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी ने दिनांक 14 अगस्त, 1998 से उत्पादन प्रारम्भ किया था तथा

(वित्त मंत्री)

उसे दिनांक 3 दिसम्बर, 1999 से कर में छूट दी गई है।

(2) बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1989 (जैसी कि वह अब तक संशोधित है) के अनुसार जो इकाई अपना उत्पादन दिनांक 30 जून, 1999 तक प्रारम्भ कर दे उसे बिक्री कर से मुक्ति की छूट का लाभ प्राप्त है।

(3) इकाई द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2001 तक रुपये 148.86 लाख की छूट प्राप्त की गई है।

(4) जी, नहीं। यह उद्योग दिनांक 30 जून, 1999 की समय सीमा से पहले ही उत्पादन में आ चुका है। इकाई द्वारा बिक्री कर की छूट बाबत जिला उद्योग केन्द्र को दिनांक 6 जनवरी, 1999 को आवेदन किया था। जैसा कि कार्यवाही विवरण में अंकित है।

(5) इकाई को दिनांक 3 दिसम्बर, 1999 से बिक्री कर से छूट प्रदान की गई है। स्वीकृति पत्र निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर की प्रति संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

व्यापारियों से जब्त सामग्री में अनियमितताएं

20. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में गत पांच वर्षों में व्यापारियों के मारे गये छापों में जब्त सामग्री के खुर्द-बुर्द किये जाने, सामग्री बदलने आदि की प्राप्त शिकायतों के आधार पर सरकार द्वारा जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई/जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) कोई जांच ही नहीं करवाई गई अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

सतर्कता आयुक्त के अधीन लम्बित अभियोजना की स्वीकृति

21. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार द्वारा सतर्कता आयुक्त प्रणाली कब प्रारम्भ की गई तथा सतर्कता प्रणाली प्रारम्भ होने के पश्चात् कितने भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सतर्कता आयुक्त व सतर्कता आयुक्त के यहां पंजीकृत हुये? उक्त पर क्या कार्यवाही हुई?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री के निर्देश पर जुलाई, 2001 में मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा तथा कार्मिक विभाग ने फील्ड में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाने के आदेश प्रदान किये? यदि हां, तो क्या सूची में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व लोकायुक्त की जांच में फंसे अधिकारियों को भी सम्मिलित किया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य में कितने अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के प्रकरण विचाराधीन हैं? क्या सरकार निश्चित् समयावधि में अभियोजन स्वीकृतियां जारी कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सतर्कता आयुक्त प्रणाली दिनांक 24.3.2001 से प्रारम्भ की गई है। सतर्कता प्रणाली प्रारम्भ होने के बाद विभिन्न विभागों/निगमों की दिनांक 1.4.2001 से 31.3.2002 तक 1039 शिकायतें प्राप्त हुई है। विभागवार कार्यवाही की सूची संलग्न है।

(2) जी, हां। भ्रष्टाचार के आरोपियों की फील्ड में पोस्टिंग नहीं करने के निर्देश प्रसारित किये गये थे। किन्तु कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों में लोकायुक्त जांच में फंसे अधिकारियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। लोकायुक्त की जांच पूर्ण होने के बाद जिन अधिकारियों के बाद कार्यवाही की सिफारिश होती है, उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।

(3) राज्य में विभिन्न विभागों के 189 प्रकरणों में 344 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के प्रकरण विचाराधीन है। अभियोजन की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में तत्परता से निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। किन्तु इसके लिये कोई अवधि निश्चित करना व्यावहारिक नहीं है।

मुख्य सतर्कता आयुक्त कार्यालय में प्राप्त शिकायत के निस्तारण का विवरण (दिनांक 31.3.2002)

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या	अग्रेकित शिकायतों की संख्या	पत्रित शिकायतों की संख्या	बकाया शिकायतों की संख्या	विभागों से प्राप्त जवाब
1	2	3	4	5	6	7
1.	ऊर्जा विभाग	32	31	1	–	6
2.	पशुपालन एवं डेयरी	13	11	–	2	2
3.	उद्योग विभाग	16	13	3	–	3
4.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	31	28	–	3	1
5.	रीको	10	9	1	–	–
6.	पंजीयन एवं मुद्रांक	8	8	–	–	3
7.	समाज कल्याण	10	10	–	–	–
8.	राजस्थान वित्त विभाग	6	3	–	3	1
9.	देवस्थान विभाग	7	6	–	1	–
10.	कृषि विभाग	29	20	7	2	1
11.	पंचायत विभाग	78	78	–	–	8
12.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	94	91	3	–	8
13.	नगरीय विकास एवं आवासन	65	63	–	2	9
14.	राजस्व विभाग	90	90	–	–	1
15.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	41	37	4	–	–
16.	विधि एवं न्याय विभाग	8	6	1	1	–
17.	पुलिस (एंटीकरेप्शन ब्यूरो)	141	141	–	–	20
18.	सहायता विभाग	3	1	–	2	1
19.	जिला कलक्टरों से सम्बन्धित	21	21	–	–	7
20.	जयपुर विकास प्राधिकरण	16	12	–	4	2
21.	शिक्षा विभाग	50	36	–	14	1
22.	पर्यटन विभाग	1	–	–	1	–
	योग	770	715	20	35	74

1	2	3	4	5	6	7
23.	सहकारिता विभाग	29	29	–	–	–
24.	कामर्शियल टैक्सेज विभाग	20	19	–	1	–
25.	महिला एवं बाल विकास	3	3	–	–	–
26.	ग्रामीण विकास विभाग	5	2	–	3	2
27.	तिलम संघ कार्पोरेशन	1	1	–	–	–
28.	आयुर्वेद विभाग	15	13	–	2	5
29.	वित्त विभाग	36	36	–	–	–
30.	इंदिरा गांधी नहर विभाग	1	1	–	–	–
31.	आबकारी विभाग	9	7	–	2	2
32.	खाद्य विभाग	14	12	–	2	–
33.	परिवहन विभाग	34	32	2	–	10
34.	वन विभाग	8	8	–	–	–
35.	सिंचाई विभाग	6	6	–	–	1
36.	खनिज विभाग	9	6	1	2	1
37.	सामान्य प्रशासन विभाग	3	1	–	2	1
38.	जन सम्पर्क विभाग	3	1	1	1	–
39.	कार्मिक विभाग	8	8	–	–	1
40.	नगर भूमि एवं भवन कर विभाग	–	–	–	–	–
41.	सम्भागीय आयुक्तों से सम्बन्धित	5	5	–	–	2
42.	राजस्व मण्डल	6	6	–	–	1
43.	स्वायत्त शासन विभाग	54	42	–	12	–
	कुल योग	1039	953	24	62	100

बाबा रामदेव ट्रस्ट विराटिया खुर्द (पाली) के संशोधित विधान का पंजीयन

22. श्री हीरा सिंह चौहान (रायपुर): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिव ने आदेश क्रमांक प. 5(8) देव/2000 दिनांक 20.6.2001 को अवैधानिक बाबा रामदेव विराटिया खुर्द (पाली) के ट्रस्ट को भंग कर उक्त तिथि को उपखण्ड अधिकारी जैतारण की अध्यक्षता में 7 सदस्यों को मंदिर व्यवस्था की देखभाल करने के लिये समिति गठित कर संशोधित विधान (नियम) सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संशोधित विधान मनोनीत समिति द्वारा बनाकर सरकार को प्रस्तुत कर दिया है? यदि हां, तो उक्त संशोधित विधान का देवस्थान विभाग द्वारा पंजीयन कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब संशोधित विधान को रजिस्टर्ड कर बाबा रामदेव ट्रस्ट के चुनाव संशोधित विधान अनुसार कब तक करा दिया जायेंगे?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 5(8)देव/2000 दिनांक 20.6.2001 के द्वारा बाबा रामदेव मंदिर विराटिया खुर्द तहसील रायपुर जिला पाली के लिये उप खण्ड अधिकारी, जैतारण की अध्यक्षता में एक प्रबंध समिति का गठन किया गया। इस समिति के निम्नांकित 7 सदस्य थे:-

1. उपखण्ड अधिकारी जैतारण	अध्यक्ष
2. तहसीलदार, रायपुर	उपाध्यक्ष
3. श्री हीरासिंह चौहान, विधायक	सदस्य
4. श्री गुमान सिंह निवासी बिराटिया खुर्द	"
5. श्री बाबूलाल मेघवाल निवासी बर.	"
6. श्री जीयाराम निवासी विराटिया खुर्द	"
7. श्री घेवरराम सुथार उप-सरपंच पं. बिराटिया खुर्द	"

उक्त समिति ट्रस्ट के विधान में संशोधन कर चुनाव सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगी, के निर्देश दिये गये थे।

उक्त समिति में ट्रस्ट के प्रदत्त विधान के निर्देशों की पालना में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11.10.2001 द्वारा निम्नांकित सदस्यों को भी शामिल किया गया एवं श्री बाबूलाल मेघवाल निवासी बर का नाम विलोपित किया गया:-

1. श्री प्रमोद कुमार सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी बिराटिया खुर्द।
2. श्री हीरालाल पुत्र श्री मोतीजी सिरवी निवासी बिराटिया खुर्द।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

3. श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री भोलाराम सिरवी, सरपंच ग्रा.पं. बिराटिया खुर्द।

4. श्री किशोर पुत्र श्री पुनाजी, हरिजन, निवासी बिराटिया खुर्द।

माननीय विधायक महोदय को समिति का सदस्य मनोनयन की स्वीकृति हेतु दिनांक 11.10.2001 को सचिव, राजस्थान विधान सभा को निवेदन किया गया है।

(2) जी, हां। उक्त पूर्ववर्ती समिति द्वारा मंदिर ट्रस्ट का संशोधित विधान तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है, तथा उसकी प्रति सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर को भी रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेषित की गई है, किन्तु राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 20.6.2001 के अनुसरण में पश्चात्‌वर्ती कार्यवाहियों पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की द्विपक्षीय पीठ के आदेश दिनांक 7.9.2001 द्वारा स्थगन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही की जा सकेगी।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन डी.बी. स्पेशल अपील का निर्णय होने के पश्चात् ही माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र संगरिया की डिग्गियों की सफाई

23. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र संगरिया में पानी की डिग्गियों की सफाई कराने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पक्की डिग्गियों में स्वच्छ पानी रखने हेतु क्या विभाग द्वारा लाल दवा का उपयोग किया है? यदि हां, तो कितनी डिग्गियों में कितनी-कितनी बार दवा डाली गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। लेकिन विधान सभा क्षेत्र संगरिया में विभागीय पानी की डिग्गियों की सफाई सतत् प्रक्रिया के रूप में करवाई जा रही है। तहसील संगरिया की 67 डिग्गियों में से 10/2001 तक 33 डिग्गियों की सफाई 7.87 लाख रुपये लागत पर करवाई जा चुकी है। 4 डिग्गियों की सफाई हेतु स्वीकृति उपलब्ध है जिस पर धन उपलब्धि के अनुसार कार्य किया जाना प्रस्तावित है। शेष में से 3 डिग्गियों में वर्तमान में सफाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इनमें सिल्ट की मात्रा नगण्य हैं। शेष 27 के प्रस्ताव आवश्यकतानुसार बनाये जा रहे हैं।

इसी प्रकार तहसील सार्दुलशहर में कुल 97 डिग्गियों में से 24 की सफाई रुपये 7.44 लाख रुपये लागत पर करवाई जा चुकी है। एक डिग्गी की सफाई हेतु कार्य आबंटित किया जा चुका है। शेष में से 47 डिग्गियों में सिल्ट की मात्रा नगण्य होने के कारण वर्तमान में सफाई की आवश्यकता नहीं है। शेष 25 के प्रस्ताव आवश्यकतानुसार बनाये जा रहे हैं।

(2) जी, नहीं। विभागीय डिग्गियों में स्वच्छ पानी रखने हेतु लाल दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता को पेयजल आपूर्ति करने से पूर्व इस पानी का फिल्टर से छनन करने के पश्चात् जीवाणु रहित करने के लिये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है।

ग्राम दौलतपुरा (जयपुर) के गैर मुमकिन पहाड़ का सीमा ज्ञान

24. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला जयपुर की तहसील जमुवारामगढ़ के ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का धर्मपुरा के खसरा नम्बर 127 गैर मुमकिन पहाड़ रकबा 436 बीघा 6 बिस्वा का सीमा ज्ञान दिनांक 10 अप्रैल, 2001 को ई.डी.एम. तथा जी.डी.एम. मशीनों द्वारा कराया गया था? यदि हां, तो उक्त सीमा ज्ञान किन्हें कराया गया? मय फर्द मौका रिपोर्ट नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीमा ज्ञान कराना चाहिये था खसरा नम्बर 127 रकबा 436 बीघा 6 बिस्वा देह हाजा दौलतपुरा और सीमा ज्ञान खसरा नम्बर 288 रकबा 16 बीघा देह हाजा चैनपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, तहसील बस्सी का कराया गया है? यदि हां, तो क्यों विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त तिथि को की गई सीमा ज्ञान से ग्रामजन दौलतपुरवासियों को पत्थरगढ़ी कर वाकिफ करा दिया है? यदि नहीं, तो खसरा नम्बर 127 की पत्थरगढ़ी कब करा दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जहां से ई.डी.एम. तथा जी.डी.एम. मशीन द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2001 को पाइंट तय किये हैं वहां से तो परम्परागत तरीका जरीबों द्वारा भी सीमा ज्ञान हो सकता था? यदि हां, तो सरकार एवं ग्रामजनों को वर्षों तक मुगालते में क्यों रखा गया? क्या सरकार अब खसरा नम्बर 127 का चतुर्थ दिशा सीमांकन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम दौलतपुरा के ख.नं. 127 गै.मु. पहाड़ ग्राम की सीमा पर स्थित है जो तहसील बस्सी के पटवार हल्का मोहनपुरा के ग्राम चैनपुरा के ख.नं. 288 रकबा 16 बीघा से लगता हुआ है। मुख्य विवाद दोनों ग्रामों की सीमा का होने से भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों एवं बस्सी तथा जमुवारामगढ़ के पटवारी एवं कर्मचारियों के साथ ग्राम जनता के समक्ष ई.डी.एम. मशीन से विवादित सीमा ज्ञान दिनांक 10 अप्रैल, 2001 को किया गया था। मौका रिपोर्ट नक्शा एवं फील्ड बुक की छाया प्रति संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि सीमा ज्ञान ख.नं. 127 के बजाय ग्राम चैनपुरा के ख.नं. 288 का कराया गया है। बल्कि सही यह है कि मुख्य विवाद दो ग्रामों की सीमा का होने से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित सीमा स्थल का सीमा ज्ञान कराया गया है। जिसका उल्लेख मौका रिपोर्ट के पैरा एक में अंकित है।

(3) सीमा ज्ञान मौका पर ई.डी.एम. मशीन से ग्रामवासियों के समक्ष करा दिया गया था। जहां तक पत्थरगढ़ी करने का प्रश्न है तहसील एवं भू-प्रबन्ध विभाग से समन्वय कर पत्थरगढ़ी शीघ्र की जा रही है। तहसील स्तर से भू-प्रबन्ध विभाग को लिख दिया गया है।

(4) सीमा ज्ञान ई.डी.एम. मशीन से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया है। जिसमें पाइंट भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तय किये गये हैं। यही सीमा ज्ञान परम्परागत तरीका जरीबों से किया जाना सम्भव नहीं था, क्योंकि मौके पर मुस्तगिल बिन्दु नहीं है तथा गै.मु. पहाड़ के पास भूमि उबड़-खाबड़ होने से जरीब सही नहीं चलती है। जिससे नाप में अन्तर आता है। उक्त ख.नं. 127 का चतुर्थ दिशा सीमा ज्ञान कराने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विवादित स्थल का सीमा ज्ञान भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा ई.डी.एम. मशीन से करा दिया गया है। भू-प्रबन्ध विभाग के सहयोग से केवल मौके पर पत्थर कायम करने हैं, जो शीघ्र करवा दिया जायेगा।

(छाया प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अधिशेष कर्मियों के समायोजन की प्रक्रिया

25. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने पदावनति एवं अधिशेष घोषित करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निर्धारित कैडर स्ट्रेंथ के अनुसार पद बनाये रखने के सम्बन्ध में कोई परिपत्र/आदेश/दिशा निर्देश जारी किया है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल नागर)

(2) क्या यह सही है कि पद एवं विभाग समाप्त करने की दिशा में कार्मिकों को सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पदों की समाप्ति होने पर हुये अधिशेष कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग में भेजना आवश्यक है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अधिशेष होकर आये कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार के अन्य विभागों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। प्रतियां परिशिष्ट "ए" एवं परिशिष्ट "बी" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। इस सम्बन्ध में इस विभाग के जारी आदेश क्रमांक पं.1(14) साप्र/3/78 दिनांक 20 मई, 1978 व सहपठनीय आदेश दिनांक 31 जुलाई, 1982, 21 नवम्बर, 1997 की प्रतियां परिशिष्ट "सी", "डी" व "ई" पर उपलब्ध है।

(3) इसका उत्तर प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 के उत्तर में उपलब्ध है।

(4) जी, हां। राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम, 1969 के नियम-7 के प्रावधानों के तहत ऐसा किया जाता है। प्रति परिशिष्ट "एफ" व "जी" पर उपलब्ध है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

चम्बल भरतपुर पेयजल योजना से डीग शहर को जलापूर्ति

26. श्री अरुण सिंह (डीग): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार डीग शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये कोई योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ने चम्बल भरतपुर पेयजल योजना के प्रथम चरण पर कार्य शुरू किया है? यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की?

(3) चम्बल भरतपुर पेयजल योजना से डीग शहर को कितना पानी कब तक उपलब्ध करवा दिया जायेगा?

(4) क्या डीग शहर के लिये नई टंकी के निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। डीग शहर में पेयजल की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2001 की गर्मियों में पेयजल समस्या के निदान के लिये आपात योजना के अन्तर्गत डीग शहर में 4 नलकूप, 2 डी.सी.बी. (डग कम बोर), 10 हैण्ड पम्प तथा पाइप लाइन बिछाने व जोड़ने आदि के कार्य अनुमानित लागत 18.98 लाख के पूर्ण कराये गये जिसके उपरान्त डीग शहर में वर्तमान जल सेवा स्तर 67 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हुआ है।

वितरण प्रणाली में सुधार हेतु संवर्द्धन प्रस्ताव अनुमानित राशि रुपये 53.32 लाख के बनाये गये हैं, जो वर्तमान में तकनीकी परीक्षण में हैं।

ग्रामीण क्षेत्र डीग में कुल 120 आबाद ग्राम हैं जिनमें से 119 ग्राम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। एक ग्राम चक केशोपुरा जिसकी आबादी (1991 की जनगणना अनुसार) 20 से कम होने के कारण विभागीय नार्मस में नहीं होने से लाभान्वित हैं। ग्रीष्म 2001 में ग्रामीण क्षेत्र पेयजल समस्या के निदान हेतु आपात योजना के अन्तर्गत 10 योजनाएं अनुमानित लागत रुपये 23.26 लाख रुपये की स्वीकृति की जाकर स्रोत संवर्द्धन के कार्य, 22 नये हैण्ड पम्प निर्माण एवं पाइप लाइन आदि के कार्य पूर्ण कराये जाकर उचित पेयजल व्यवस्था बनाई रखी गई।

दीर्घकालीन उपायों के अन्तर्गत चम्बल भरतपुर पेयजल परियोजना के प्रथम चरण के द्वितीय भाग में चम्बल नदी से डीग तक पानी लाना भी प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत डीग शहर तथा डीग विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्रामों की पेयजल मांग सम्मिलित है।

(2) जी, हां। चम्बल भरतपुर पेयजल योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत सर्वेक्षण व अन्य परीक्षण सम्बन्धी कार्य, तकनीकी पैकेज बनाने इत्यादि के कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं जिन पर माह अक्टूबर, 2001 तक 15.47 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त उक्त योजना पर प्रस्तावित कार्यों के लिये पूर्व योग्यता हेतु निविदाएं भी प्राप्त की ली गई है।

(3) चम्बल भरतपुर पेयजल परियोजना के फेज प्रथम-भाग प्रथम में स्वीकृत कार्यों जिसके अन्तर्गत धौलपुर से भरतपुर तक की पाइप लाइन, फिल्टर प्लांट आदि कार्य सम्मिलित हैं, की क्रियान्विति के पश्चात् भाग द्वितीय की स्वीकृति (जिसके अन्तर्गत डीग कस्बा तथा अन्य गांवों की पेयजल मांग सम्मिलित है) होने पर डीग शहर की आबादी को 100 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) जी, हां। डीग शहर की वितरण प्रणाली में सुधार हेतु एक सम्वर्द्धन योजना अनुमानित लागत रुपये 53.32 लाख के प्रस्ताव बनाये गये हैं जिसके अन्तर्गत एक नये उच्च जलाशय के निर्माण, पाइप लाइन बिछाने व जोड़ने तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों का प्रावधान सम्मिलित है। यह योजना वर्तमान में तकनीकी परीक्षण में है।

जिला सिरोही में "प्रशासन गांव के संग" अभियान में निस्तारित प्रकरण

27. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) "प्रशासन गांव के संग" अभियान में सिरोही जिले में दिनांक 15 अक्टूबर, 2001 तक किस-किस पंचायत के शिविर में राजस्व भूमि पर कब्जे/बाड़े/निर्माण के कितने-कितने प्रकरण नियमित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मुख्य मंत्री सहायता कोष योजना एवं मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में उक्त शिविरों के तहत किस-किस पंचायत में कितने-कितने बीमारों के आवेदन प्राप्त हुए? ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें? उक्त में से जिला प्रशासन ने कितने आवेदन राज्य सरकार को स्वीकृति के लिये प्रेषित कर दिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिविरों में आबादी भूमि पर बने निर्माणों के पट्टे देने के सम्बन्ध में किस-किस शिविर में कितने प्रकरणों पर कार्यवाही शुरू की एवं कितने पट्टे वितरित किये गये? ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रशासन गांव के संग अभियान में दिनांक 2.10.2001 से 15.10.2001 तक सिरोही जिले में आयोजित शिविरों में राजस्व भूमि पर कब्जे/बाड़े/निर्माण से सम्बन्धित कोई प्रकरण नियमित नहीं हुआ है।

(2) शिविरों में मुख्य मंत्री सहायता कोष योजना में 8 ग्राम पंचायतों में कुल 16 आवेदन प्रत्र प्राप्त हुये हैं। जिनमें से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 3 आवेदन पत्र बाद जांच राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये है तथा मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में 9 ग्राम पंचायतों के 21 व्यक्तियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें 5 आवेदन पत्र बाद जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(3) शिविरों में आबादी भूमि पर 20 ग्राम पंचायतों में 688 प्रकरणों में पट्टे देने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें से 11 ग्राम पंचायतों में 363 पट्टे वितरित किये गये। विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट–1

मुख्य मंत्री सहायता कोष योजना एवं मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में सिरोही जिले में शिविरों में निम्न आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं जिनकी सूचना शिविर प्रभारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त की गई है। पंचायतवार विवरण निम्नप्रकार है:

तहसील	(अ) मुख्य मंत्री सहायता कोष			तहसील	(ब) मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष		
	पंचायत	प्राप्त आवेदन	सी.एम.ओ. द्वारा वाद जांच स्वीकृति हेतु भेजे		पंचायत	प्राप्त आवेदन	सी.एम.ओ. द्वारा वाद जांच स्वीकृति हेतु भेजे
सिरोही	---	---	---	सिरोही	डोडुआ	1	1
शिवगंज	बड़गांव	4	1	शिवगंज	बड़गांव	3	---
	वान	4	---		वान	3	---
	नारादरा	2	1		मनादर	8	---
	जैतपुरा	2	1		जैतपुरा	1	1
	योग	12	3		योग	15	1
रेवदर	पीथपुरा	1	---	रेवदर	मारोल	1	1
	मगरीवाड़ा	1	---		---	---	---
	योग	2	---		योग	1	1
आबूरोड	देलदर	1	---	आबूरोड	गडास	1	1
	उपलाखेड़ा	1	---		देलदर	1	1
	योग	2	---		योग	2	2
पिण्डवाड़ा	---	---	---	पिण्डवाड़ा	अजारी	2	---
जिले का कुल योग		16	3			21	5

परिशिष्ट–2

जिला सिरोही के शिविरों में आबादी भूमि पर बने निर्माणों के पट्टे देने एवं कार्यवाही शुरू करने सम्बन्धी पंचायतवार दिनांक 15.10.2001 तक प्रगति निम्नप्रकार है:

नाम तहसील	नाम पंचायत	आबादी भूमि पर बने निर्माण के पट्टे देने की कार्यवाही शुरू	वितरित पट्टे
सिरोही	सरतरा	5	–
	माकरोड़ा	5	3
	बाम्बल	4	4
	डोडूबा	6	6
	गोडली	174	4
	कालन्द्रोक	150	–
	योग	**344**	**17**
शिवगंज	वाण	50	50
	बड़गांव	55	40
	मनादर	53	53
	नारादरा	138	138
	जैतपुरा	4	4
	योग	**300**	**285**
रेवदर	बीधापुरा	–	2
	मगरीवाड़ा	–	3
	योग	–	**5**
आबूरोड	खड़ात	5	–
	देलदर	–	5
	योग	**5**	**5**
पिण्डवाड़ा	सिवेरा	5	–
	उजारी	7	9
	उन्दरा	4	19
	नांदिया	16	13
	बसन्तगढ़	7	10
	योग	**39**	**51**
	जिले का कुल योग	**688**	**363**

विधान सभा क्षेत्र करौली में प्रस्तावित जलाशय

28. श्री जनार्दन गहलोत (करौली): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में अधिशासी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं के कितने-कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पद रिक्त रखने के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदों के रिक्त रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं होने के कारण ग्रामीण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?

(4) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु भूमिगत जलाशय/हैण्ड पम्प आदि नये लगाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) उक्त क्षेत्र में अब नये उच्च/भूमिगत जलाशय कहां-कहां बनाये जाने प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली की जलप्रदाय योजनाओं के रख-रखाव का कार्य अधिशासी अभियन्ता, करौली, सहायक अभियन्ता, नगर उप खण्ड एवं ग्रामीण उप खण्ड, करौली तथा 6 कनिष्ठ अभियन्ता, जिनमें से 5 का मुख्यालय करौली तथा एक का मण्डरायल है, सम्पादित करते हैं। वर्तमान में सभी पद भरे हुये हैं।

(2) बिन्दु संख्या-1 के अनुसार कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार कोई पद रिक्त नहीं है। विधान सभा क्षेत्र करौली के अन्तर्गत 184 गांव आते हैं। वर्तमान में ये सभी गांव विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। क्षेत्र के 178 गांवों में पेयजल वितरण विभागीय मापदण्डों के अनुरूप किया जा रहा है तथा 6 गांवों में जल सेवा स्तर 50 प्रतिशत से कम है। इनमें से 3 गांवों के लिये आवर्धन प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं तथा 3 अन्य गांवों के आवर्धन प्रस्ताव तकनीकी परीक्षण में हैं। इस प्रकार पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पादित की जा रही है।

(4) जी हां। ग्रामीण क्षेत्र में 17 नये हैण्ड पम्प एवं 6 भूतल जलाशय बनाये जाने प्रस्तावित हैं, जिनकी सूची प्रपत्र-'अ' व 'ब' पर संलग्न है। उक्त कार्य ग्रीष्म 2002 तक करना प्रस्तावित है।

(5) बिन्दु संख्या-4 के अनुसार 6 भूतल जलाशय बनाये जाने प्रस्तावित हैं। चूंकि इस विधान सभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 4000 या अधिक हो, अतः विभागीय मानदण्डों के अनुरूप कोई नया उच्च जलाशय बनवाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रपत्र 'अ'

विधान सभा क्षेत्र करौली में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की सूची

तहसील-करौली

क्र.सं.	ग्राम का नाम	स्वीकृत हैण्ड पम्प की संख्या
1.	चावण्डपुरा	1
2.	आलमपुरा	1
3.	तुलसीपुरा	2
4.	खिरखिरा	2
5.	सोरया	1
6.	जहांगीरपुर	3
7.	चैनपुर	2
8.	डफलपुर	1
9.	बाढ़ गुलाल	1
10.	कोटा	1
11.	बीजलपुर	1
12.	डुकावली	1
	कुल	17

प्रपत्र 'ब'

विधान सभा क्षेत्र करौली के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के बनाये जाने वाले भूतल जलाशय की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रस्तावित भूतल जलाशय के ग्राम का नाम	भूतल जलाशयों की संख्या
1.	जनता जल योजना (रीजनल), गादोली लेदोर कलां	गादोली	2
2.	जनता जल योजना (रीजनल), नरायणा खेड़िया	खेड़िया	1
3.	जनता जल योजना (रीजनल), रतियापुरा महुवा खेड़ा	भाहुआपुरा	1
		मण्डीली (महुवाखेड़ा)	1
		खेड़ा	1

बावड़ीपाड़ा, दौसा की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

29. **श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दौसा के बावड़ीपाड़ा, कीरों का मोहल्ला, वार्ड नम्बर 22 में दिनांक 22 जून, 2001 को सरकारी भूमि (रास्ते) पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में एक शिकायत जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को की गई थी? यदि हां, तो उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण से आम रास्ता बाधित हुआ है एवं आम राहगीरों को परेशानी होती है।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण में से एक व्यक्ति पुलिस अधीक्षक, दौसा के अधीन पुलिस थाना, बांदीकुई में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है तथा पीड़ित लोगों को थाने में बन्द करने की धमकी भी देता है? क्या सरकार उक्त दोषीकर्मी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त शिकायत पर ए.डी.एम., दौसा ने कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका, दौसा को कार्यवाही कर रिपोर्ट भेजने हेतु निदेशित किया था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर कार्यालय में दिनांक 22.6.2001 को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में उप खण्ड अधिकारी, दौसा के माध्यम से प्राप्त मूल शिकायत पर जांच करवाई जाकर नगरपालिका द्वारा आम रास्ते से अतिक्रमण की पट्टियां हटा दी गई हैं तथा सम्पूर्ण अतिक्रमण हटवा दिया गया है। अब वर्तमान में उक्त स्थान पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

(2) अतिक्रमण हटाये जाने के बाद अब कोई बाधा नहीं है।

(3) अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अतः इस सन्दर्भ में कोई तात्पर्य नहीं है।

(4) यह सही नहीं है कि ए.डी.एम., दौसा ने कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका दौसा को उक्त शिकायत पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है, बल्कि एस.डी.एम. दौसा के यहां दिनांक 22.6.2001 को व दिनांक 3.7.2001 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका दौसा को कार्यवाही कर, रिपोर्ट भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त पर कार्यवाही करते हुये नगरपालिका दौसा द्वारा सम्पूर्ण अतिक्रमण हटवाया जा चुका है।

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-5 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्मिक विभाग (क-ग्रुप-II)

सं.एफ.3(5)डीओपी/ए-II/97पार्ट जयपुर, दिनांक : 9 फरवरी, 2001

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 में ओर संशोधन करने के लिये, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा (संशोधन) नियम, 2001 है। (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची III का संशोधन :-** (1) राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 से संलग्न अनुसूची III की विद्यमान क्रम सं. 1 "परीक्षा की स्कीम" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

   I. **परीक्षा की स्कीम:-** प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा:-

प्रश्न पत्र	परीक्षा की अवधि	अंक
अनिवार्य		
1. सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान।	3 घंटे	100
2. भाषा : सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी	3 घंटे	100

वैकल्पिक : अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रश्न पत्रों में से कोई एक प्रश्न पत्र लेगा:-

प्रश्न पत्र	परीक्षा की अवधि	अंक
अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण (इस परीक्षण में 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतलेख होगा)	10 मिनट	100
अंग्रेजी में श्रुतलिखित अंश का प्रतिलेखन और टंकण	60 मिनट	
अथवा		
हिन्दी आशुलिपि परीक्षण (इस परीक्षण में 100 शाब्द प्रति मिनट का श्रुतलेख होगा)	10 मिनट	100
हिन्दी में श्रुतलिखित अंश का प्रतिलेखन और टंकण	70 मिनट	

II. उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची III में शब्द "गणित" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान का सामान्य ज्ञान" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह०/–

(एस. एन. शर्मा)

उप शासन सचिव

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–6 की प्रति)

ABSTRACT OF SECTION 5 OF MINES & MINERALS (DEVELOPMENT & REGULATION) ACT, 1957

Restrictions on the grant of reconnaissance permits or prospecting licences or mining leases.

5.(1) A State Government shall not grant a reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease to any person unless such person–

(a) is an Indian national, or a Company as defined in sub-section (1) of Section 3 of the Companies Act, 1956; and

(b) satisfies such conditions as may be prescribed:

Provided that in respect of any mineral specified in the First Schedule, no reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease shall be granted except with the previous approvals of the Central Government.

Explanation : For the purposes of this sub-section, a person shall be deemed to be an Indian national–

(a) in the case of a firm or other association of individuals, only if all the members of the firm or members of the association are citizens of India; and

(b) in the case of an individual, only if he is a citizen of India;

(2) No mining lease shall be granted by the State Government unless it is satisfied that—

(a) there is evidence to show that the area for which the lease is applied for has been prospected earlier or the existence of mineral contents therein has been established otherwise than by means of prospecting such area; and

(b) there is a mining plan duly approved by the Central Government, or by the State Government, in respect of such category of mines as may be specified by the Central Government, for the development of mineral deposits in the area concerned.

ABSTRACT OF THE RULE 22(4) OF MINERAL COCESSION RULES, 1960 (M.C.H. 1960)

(4) On receipt of the application for the grant of a mining lease the State Government shall take decision to grant precise area for the said purpose and communicate such decision to the applicant. On receipt of communication from the State Government of the precise area to be granted, the applicant shall submit a mining plan, within a period of six months of such other period as may be allowed by the State Government to the Central Government for its approval. The applicant shall submit the mining plan duly approved by the Central Government or by an officer duly authorised by the Central Government, to the State Government to grant mining lease over that area.

(4A) Notwithstanding anything contained in sub-rule(4) the State Government shall be competent to approve mining plan in respect of non-metallic or Industrial minerals for mines other than 'A' category mines; as specified in sub-clause (i) of clause (b) of sub-rule (1) of rule 42 of Mineral Conservation and Development Rules, 1988.

Provided that the State Government shall exercise the power of approval of mining plan through an officer or officers having the requisite qualifications and experience for the purpose as may be prescribed by the Controller General Indian Bureau of Mines from time to time.

Provided further where any State Government does not have such officer as having the requisite qualifications and experience, the power of approval of mining plan, as aloresaid, in respect of that State shall be exercised by the Central Government.

Provided also that in the event of the State Government having officer or officers with requisite qualifications and experience from any date in future the State Government shall report the matter to the Controller General, Indian Bureau of Mines and the State Government shall exercise the power of approval of mining plan, as aforesaid, there after without any reference to the Central Government.

परिशिष्ट 'अ'

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-7 की प्रति)

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के उप नियम 10 की प्रति

प्रक्रिया :

(1) किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी पति या पत्नी स्वयं को या किसी अन्य आश्रितों को नियुक्ति के लिये आवेदन करेंगे।

(2) यहां मृत सरकारी कर्मचारी का कोई जीवित पति या पत्नी न हो, यहां मृत सरकारी के किसी भी आश्रित द्वारा भी आवेदन किया जायेगा और अन्य आश्रितों को उसकी अभ्यर्थिता के लिये अपनी सहमति देनी होगी; परन्तु यह कि आश्रितों में से एक से अधिक द्वारा नियोजन चाहा जाये तो विभागाध्यक्ष सम्पूर्ण परिवार, विशेष करके अवयस्क, सदस्यों के समग्रहित और कल्याण को देखते हुये किसी एक का चयन करेगा।

(3) ऐसा आवेदन उपबन्ध "क" के रूप में संलग्न प्ररूप में मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 45 दिन के भीतर विभागाध्यक्ष को किया जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन के स्तम्भ 7 में उल्लिखित परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय (सभी स्रोतों से) के समर्थन में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा और राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा आदि के मामलों में जहां अधिकारी सरकार के विभिन्न विभागों के पदस्थापित किये जाते हैं। आवेदन उस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से उस सेवा को नियन्त्रित करने वाले प्रशासनिक विभाग के लिये जायेंगे जहां गत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय पदस्थापित था।

(5) प्रशासनिक विभाग का यह दायित्व होगा कि वह आश्रितों को अपने स्वयं के विभाग में नियुक्ति दें और किसी भी दशा में इस दायित्व को अन्य विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(6) उपयुक्त पद रिक्त न होने की दशा में नियोजन उपलब्ध कराने के लिये आवेदन "पहले आये, पहले पाये" के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जायेंगे यदि निम्नतर वेतनमान में कोई पद तुरन्त उपलब्ध हो तो उक्त निम्नतर पद का आवेदक को प्रस्ताव किया जा सकता है और आवेदक के लिये यह विकल्प होगा कि वह या तो आवेदित पद के लिये प्रतीक्षा करे या उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करे। यदि आवेदक उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करता है तो वह आवेदित उच्चतर पद के लिये अपना दावा खो देगा और उसका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं रखा जायेगा। परन्तु यदि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर नियुक्ति के लिये कोई पद उपलब्ध नहीं होता है तो मामला अन्य विभाग में नियुक्ति के लिये कार्मिक विभाग को निर्देशित किया जायेगा।

(7) राज्य संवर्गों वाली सेवाओं, जैसे कार्मिक विभाग द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा के सदस्यों की मृत्यु की दशा में, आवेदन सचिव, कार्मिक विभाग को किया जायेगा और यह कार्मिक विभाग का दायित्व होगा कि वह किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था करें।

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस, आर.ए.सी. रेंज (द्वितीय) राज०, जयपुर

क्रमांकः 75(अ)आरएसी–रेंज–11/फोर्स/2001/3670   दिनांकः 13.8.2001

कमाण्डेन्ट

आठवीं बटा० आरएसी

(आईआर), दिल्ली।

विषय :– मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को राज्य सेवा में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने बाबत।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक 2531–32 दिनांक 9.4.2001 एवं पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक नं.–5 पु०फोर्स/मु०आ०/सैल/कानि०/2001 दिनांक 3.8.2001

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लिखा है कि पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 9.3.1999 द्वारा स्पष्ट निर्देशों के पश्चात् भी आपके द्वारा बिना निरीक्षण किये श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व० श्री भंवर लाल भूतपूर्व 527 का प्रकरण इस कार्यालय को अग्रेषित किया जो आवेदक का आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पुलिस मुख्यालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। कृपया तदनुसार सम्बन्धित आवेदक को सूचित करने का श्रम करें।

अतः पूर्णरूपेण भविष्य में यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रकरण निगमों में आने पर ही अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को अग्रेषित किया जावे।

भवदीय

ह०/–

उप महानिरीक्षक पुलिस,

आरएसी रेंज–11, जयपुर।

परिशिष्ट–8

परिशिष्ट 'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या–12 का विवरण)

वर्ष 2001-02 में विधान सभा क्षेत्र दानपुर में स्वीकृत खोदे गये व लगाये गये हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	स्वीकृत हैण्ड पम्प	खोदे गये हैण्ड पम्प	लगाये गये हैण्ड पम्प
1	2	3	4	5	6
1.	पीपलखूंट	पातीमगरा	1	1 असफल	---
2.	पीपलखूंट	खोरा पाडा	1	1	---
3.	पीपलखूंट	रामगढ़	1	1	1
4.	पीपलखूंट	रेल	1	1	1
5.	पीपलखूंट	छोटी रारवन	1	1	1
6.	पीपलखूंट	खरकोटी	1	1	1
7.	पीपलखूंट	जूना खेड़ा	1	1	1
8.	पीपलखूंट	महुवाल	1	1	1
9.	तलवाड़ा	आला पृथ्वीगढ़	1	1 असफल	---
10.	तलवाड़ा	छापरिया	1	1	1
11.	तलवाड़ा	वीरपुर	1	1	1
12.	तलवाड़ा	पचोर	1	1	1
13.	तलवाड़ा	फतेहपुरा	1	1	1
14.	तलवाड़ा	खेरडाबरा	1	1	1
15.	तलवाड़ा	बोरखेड़ा	1	1	1
16.	तलवाड़ा	नलदा	1	1	1
17.	तलवाड़ा	सामरिया	1	1	1
18.	बागीदौरा	कलिजरा	1	1 असफल	---
19.	बागीदौरा	ढेबरी कलु	1	1 असफल	---
20.	तलवाड़ा	मसोटिया	1	---	---
21.	तलवाड़ा	नोखला	1	1	1
22.	बागीदौरा	खोखरवा	1	1	1

1	2	3	4	5	6
23.	पीपलखूंट	दानपुर	1	1	1
24.	पीपलखूंट	आम्बापुरा	1	1	1
25.	पीपलखूंट	कटुम्बी	1	1	1
26.	तलवाड़ा	फाटीखाण	1	1 असफल	---
27.	तलवाड़ा	भोजिया कला	1	1	1
28.	तलवाड़ा	बोरीया	1	1	1
29.	तलवाड़ा	भेदिया कटारा	1	1	1
30.	तलवाड़ा	उमराई	1	1	1
31.	पीपलखूंट	कुण्डल	1	1	1
32.	बागीदौरा	खोखरवा	1	1	1
33.	तलवाड़ा	कुशलपुरा	1	1	1
34.	पीपलखूंट	फेफर	1	1	1
35.	पीपलखूंट	मकनपुरा	1	---	---
36.	पीपलखूंट	खनपुरा	1	1	1
37.	पीपलखूंट	नागतलाब	1	---	---
38.	पीपलखूंट	नागाखली	1	---	---
39.	पीपलखूंट	दानपुर	1	1	1
40.	पीपलखूंट	हिरीया गढ़ी	1	1	1
41.	पीपलखूंट	घोड़ी तेजपुर	1	1	1
42.	पीपलखूंट	डेरी	1	1	1
43.	पीपलखूंट	मुलिया	1	1 असफल	---
44.	बागीदौरा	करजी	1	---	---
45.	बागीदौरा	टोडीकला	1	1	1
46.	तलवाड़ा	माकोद	1	1	1
47.	तलवाड़ा	नंवागांव	1	1	1
48.	तलवाड़ा	पाडीकला	1	1	1
49.	तलवाड़ा	खेरडाबरा	1	1	1
50.	तलवाड़ा	नादिया	1	1	1
51.	तलवाड़ा	बोरखेड़ा	1	1 असफल	---

1	2	3	4	5	6
52.	तलवाड़ा	सागा	1	1	1
53.	तलवाड़ा	बड़ली पाड़ा	1	1	1
54.	तलवाड़ा	खान्दु कालोनी	1	1	1
55.	तलवाड़ा	बड़ली पाड़ा	1	1	1
56.	तलवाड़ा	सुन्दनपुर	1	1	1
57.	तलवाड़ा	बखतपुरा	1	---	---
58.	तलवाड़ा	डाबरीमाल	1	---	---
59.	तलवाड़ा	रूपा रेल	1	1 असफल	---
60.	तलवाड़ा	सागा गरनावट	1	1	1
61.	तलवाड़ा	अमरपुरा	1	1	1
62.	तलवाड़ा	टाडी मडड़ी	1	---	---
63.	तलवाड़ा	भुतपाड़ा	1	1 असफल	---
64.	तलवाड़ा	देवका	1	---	---
65.	तलवाड़ा	महेशपुरा	1	1	1
66.	तलवाड़ा	काकन रोजा	1	1	1
67.	तलवाड़ा	गाउआ पाड़ा	1	1	1
68.	तलवाड़ा	रामगढ़	1	1	1
69.	तलवाड़ा	पाड़ला	1	1	1
70.	तलवाड़ा	छापरिया	1	1	1
71.	तलवाड़ा	बड़ली पाड़ा	1	1	1
72.	बागीदौरा	कलिजरा	1	---	---
73.	बागीदौरा	नाल	1	1	1
74.	बागीदौरा	बांसला	1	1	1
75.	बागीदौरा	खोखरवा	1	1	1
76.	बागीदौरा	बुड़वा	1	1	1
		योग	76	66	56
				9 असफल	

परिशिष्ट–9

प्रपत्र 'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या–15 की सूची)

नेमीसागर कालोनी में किये गये जल सम्बन्धों की सूची

क्र.सं.	नाम व पता	खाता संख्या	कनेक्शन तिथि	मीटर नं.
1.	श्री घनश्याम खत्री पुत्र श्री गुल्लाराम खत्री 32बी, नेमीसागर कालोनी, जयपुर	96 बी 1/131	26.5.2000	35404/5716
2.	श्रीमती गीता रस्तोगी पुत्री श्री उमेश रस्तोगी 33बी, नेमीसागर कालोनी, जयपुर	96 बी 1/132	26.5.2000	35407/5717
3.	श्री रजत शर्मा पुत्र श्री आर.एस. शर्मा 160, नेमीसागर कालोनी, जयपुर	96 बी 1/135	18.11.2001	48028/6418
4.	श्री श्याम यादव पुत्र श्री प्रेमचन्द यादव 112, नेमीसागर कालोनी, जयपुर	96 बी 1/145	24.7.2001	49639/8148
5.	श्री अश्वनी कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर 90, नेमीसागर कालोनी, जयपुर	96 बी 1/125	8.8.2001	60843/8198
6.	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री मदन लाल 90, नेमीसागर कालोनी, जयपुर	96 बी 1/198	8.8.2001	60842/8199
7.	श्री रतन लाल जैन पत्नी श्री बाबूलाल जैन 234, नेमीसागर कालोनी, जयपुर	96 बी 1/152	20.8.2001	61433/8240

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-18 की सूची)

जिला नागौर के डेगाना स्टेशन पर स्थित नूजल सम्पत्ति के भवनों का विवरण

क्र.सं.	नूजल सम्पत्ति का विवरण	नूजल सम्पत्ति की मूल्यांकन राशि	भवन की वर्तमान स्थिति	वर्तमान में इन भवनों को उपयोग में लेने वाले विभाग का नाम	विशेष विवरण सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल		
					निर्मित भाग	खुला भाग	कुल क्षे०
1.	सायर थाना कस्टम के समय का गोरडी चाचा	2,16,000/-	सरकारी उपयोग में ली जा रही है।	सा०नि०वि०	798 वर्ग फीट	2488 वर्ग फीट	3286 वर्ग फीट
2.	वेक्सीनेटर क्वाटर गोरडी चाचा	1,60,000/-	" "	राजस्व विभाग	883 वर्ग फीट	1177 वर्ग फीट	2060.50 वर्ग फीट
3.	क्वाटर नं.-1 सायर थाना गोरडी चाचा	4,12,000/-	" "	" "	1661 वर्ग फीट	4448 वर्ग फीट	6109 वर्ग फीट
4.	डाक घर गोरडी चाचा	15,50,000/-	" "	डाक घर, डेगाना	3757.37 वर्ग फीट	5759.41 वर्ग फीट	9516.78 वर्ग फीट

ह०/-

जिला कलक्टर, नागौर।

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-22 की प्रति)

न्यायालय, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारी महेश शर्मा, आर.ए.एस.

राज० रेफ० सं० 198/99

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, जिला-जयपुर

बनाम — अपीलांट

1. श्रीमती सिरसा देवी पत्नी नाथूदास
2. श्री मुरलीदास पुत्र सुखादास
3. श्री चन्द्रदास पुत्र बिरदादास
4. श्री शंकरदास पुत्र बिरदादास

(1–4) जाति स्वामी निवासी ग्राम-कानरपुरा तहसील चौमूं

5. श्री रूड़ादास पुत्र ईश्वरदास
6. श्री धन्नादास पुत्र ''
7. श्री गुल्लादास पुत्र ''
8. श्री गोपीदास पुत्र ''
9. श्री औंकारदास पुत्र ''
10. श्री सूण्डा पुत्र हनुमान अहीर, निवासी-कानरपुरा, तहसील-चौमूं (मृतक)

10/1 किशोर
10/2 बाबूलाल
10/3 नानूराम
10/4 विनोद

(10/1–10/4) पुत्रान सूण्डा अहीर, निवासी-कानरपुरा, तहसील-चौमूं

10/5 श्रीमती अनी देवी पत्नी सूण्डा अहीर, निवासी-कानरपुरा, तहसील-चौमूं

11. श्री नारायण पुत्र भूरा अहीर, निवासी-कानरपुरा, तहसील-चौमूं

अप्रार्थीगण

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक : 5.10.2001

निर्णय

तहसीलदार चौमूं द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेंस प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर दिनांक 28.6.1999 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ जिसे दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि खतौनी बन्दोबस्त संख्या 200 लगायत 2025 ग्राम-कानरपुरा के अनुसार ग्राम-कानरपुरा, तहसील-चौमूं के खसरा नम्बर-3, 4, 5, 6, 7, 8, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 176, 186 व 187 किता 15 रकबा 31 बीधा 17 बिस्वा भूमि माफी बनाम हरिदास चेला किशनदास कौम स्वामी निहोग साकिन देह की खातेदारी में दर्ज थी। सम्वत् 2006 से 2023 में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गयी खतौनी के दौरान उक्त खसरा नम्बर में से खाता नम्बर 46 के खसरा नम्बर 5.125 लगायत 129 व 131 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि ही माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके देह पुजारी हरिदास खुदकाश्त के नाम तथा शेष खसरा नम्बरों में से खाता संख्या 47 के खसरा नम्बर-3, 4, 6, 7 व 8 की भूमि माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके देह पुजारी हरिदास कृषक इसरदास, व सुखादास पुत्र मंशादास हि०ब० के नाम तथा खाता नम्बर-48 के खसरा नम्बर-176, 186 व 187 की भूमि माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके देह पुजारी हरिदास कृषक हनुमान पुत्र नोन्दा, नारायण पुत्र भूरा अहीर के नाम से अंकित की गयी।

वर्तमान भू-प्रबंध के दौरान खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बरान बनाये जाकर खाता संख्या-46 से सम्बन्धित भूमि माफी मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम अंकित रखी गयी किन्तु खाता संख्या-47 व 48 से सम्बन्धित भूमि अप्रार्थीगण सिरसादेवी, पत्नी नाथूदास, मुरलीदास पुत्र सुखादास, चन्द्रदास, शंकरदास पुत्र बिरदादास, रूड़ादास, धन्नादास, गुल्लादास, गोपीदास, औंकारदास पुत्रान ईश्वरदास स्वामी के नाम तथा सूण्डा पुत्र हनुमान के नाम दर्ज की गयी। इस प्रकार खाता संख्या-47 व 48 से सम्बन्धित खसरा नम्बर-3, 4, 6 लगायत 8, 176, 186 व 187 की भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर-20 लगायत 23, 53, 892 लगायत 894, 937 लगायत

939 व 941 है, माफी मन्दिर के नाम से हटा कर पुजारी व अन्य कृषकों के नाम दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार माफी मन्दिर की भूमि को खातेदार के नाम हस्तान्तरित कर राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित कर देने के कारण दुरुस्ती हेतु रेफरेंस तहसीलदार, चौमूं द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दौराने सुनवाई यह तथ्य जानकारी में आया कि अप्रार्थी संख्या 9 श्री सूण्डा पुत्र हनुमान का देहान्त हो चुका है। अतः तहसीलदार से श्री सूण्डा के कायम मुकाम की सूचना प्राप्त की गयी जो उनके पत्रांक 1976 दिनांक 5.7.2001 के द्वारा प्राप्त हुआ। कायम मुकाम की सूचना प्राप्त होने पर मृतक सूण्डा के वारिसों को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें भी नोटिस जारी किये गये।

सभी अप्रार्थीगणों ने अपना जवाब जरिये अभिभाषक पेश किया तथा अवगत कराया कि जेर विवादित भूमि कदीम से उनके परिवार के बुजुर्गान द्वारा काश्त की जाती रही है। जिसको वे अर्से से लगान अदा करते आ रहे हैं। भूमि काश्त करना ही उनकी आजीविका का एक मात्र साधन है जिससे वे अपने परिवारों का खर्चा चलाते हैं। इस भूमि का मन्दिर से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा उनकी खुदकाश्त की भूमि होने से इस पर मन्दिर का कोई अधिकार नहीं है, अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रकरण निरस्त किया जाये।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन था कि जमाबंदी संख्या 2004 से 2023 में उक्त भूमि हरिदास चेला किशनदास की खातेदारी में थी। संवत 2006 से बन्दोबस्त में यह भूमि माफी में दर्ज हो गयी। खाता संख्या-46 से सम्बन्धित किता‍न 7 की भूमि ले खुदकाश्त की थी। दूसरी 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि ईश्वरदास वगैरहा के नाम मुद्दत कदीम ही दर्ज थी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति थी। संवत् 2006 के बन्दोबस्त में इस भूमि को गलती से माफी मंदिर में दर्ज कर दिया गया तथा उसके बाद भी यह प्रविष्टि दोहराई जाती रही। संवत 2023 में इस भूमि को वापिस खातेदारों के नाम शुद्धि करके कर दिया गया जो अब भू-प्रबन्ध द्वारा सही दर्ज किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन था कि भू-प्रबन्ध के दौराने सैटलमेंट भूमि को

माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने का अधिकार ही नहीं था उन्हें तो मात्र पुरानी प्रविष्टियों को दोहराना होता है। इस बाबत उन्होंने आरआरडी 1969 पेज 21 का दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान यह भी कथन था कि 40 वर्ष बाद इस तरह के खातेदारी अधिकारों को राजस्व अभिलेख से नहीं हटाया जा सकता है। खातेदारी का भूमि पर बुजुर्गान के समय से कदीमी कब्जा है, काश्त करते व लगान अदा करते आ रहे हैं। अतः अब रेफरेंस के द्वारा उनके अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने आरएलआर 1989 पार्ट प्रथम पेज 221, आरआरडी 1982 पेज 298, आरआरडी 1998 पेज 618, आरआरडी 1966 पेज 44, आरबीजे 1995 पेज 593 तथा सुप्रीम कोर्ट पार्ट प्रथम 1984 पेज 125 पर अंकित दृष्यंतों की प्रतियां पेश कर अपने कथन की पुष्टि की तथा पुरजोर आग्रह किया कि रेफरेंस खारिज किया जाये।

विद्वान राजकीय अभिभावक ने बहस के दौरान रेफरेंस प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जेर विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके देह की होना सिद्ध है। माफी मन्दिर शाश्वत नाबालिग माने गये हैं तथा उनकी भूमियों पर कब्जा या काश्त कर लेने से या कदीम से कब्जा जमाये रखने से माफी मन्दिर के अधिकार किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं हो जाते हैं। नियमानुसार पुजारी, सेवायत या कृषक को भूमि की उपज लेने व मन्दिर की सेवा पूजा का अधिकार प्राप्त होता है तथा वह किसी भी स्थिति में माफी मन्दिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी या पात्र नहीं होता है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रेषित रेफरेंस प्रकरण को स्वीकार कर राजस्व मण्डल को अग्रेषित किया जाये।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया तथा उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया। उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त एवं अन्य दस्तावेजों से यह सुस्पष्ट है कि जेर विवादित भूमि माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके देह के स्वामित्व की भूमि है जो अप्रार्थीगणों को सिर्फ खेती करने व उसकी उपज लेने तथा सेवा पूजा का अधिकार देने तक

के अधिकारों तक सीमित है। माफी मन्दिर की भूमियों को हड़पने की नीयत से प्रभावी पुजारियों व कब्जेधारी कृषकों ने सरकारी कार्मिकों से मिलीभगत कर दौराने बंदोबस्त राजस्व अभिलेखों में अपना नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज करा लिया जो किसी भी स्थिति में जायज या वैधानिक कृत्य नहीं कहा जा सकता है। माफी मन्दिर की भूमियों पर मात्र लम्बे समय से काबिज रहकर काश्त करते रहने या लगान अदा करने से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की पात्रता सिद्ध नहीं हो जाती है। पुजारी व कृषक के अधिकार माफी मन्दिर की भूमियों पर सिर्फ खेती करने तक ही सीमित रहते हैं तथा उन्हें किसी भी स्थिति में खातेदार दर्ज नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल व उनके न्यायालयों द्वारा भी समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश पारित किये गये हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम-कानरपुरा, तहसील-चौमूं स्थित पुराने खसरा नम्बर 3, 4, 6 लगायत 8, 176, 186 व 187 जिसके हाल नम्बर 20 लगायत 23, 53, 892 लगायत 89, 937 लगायत 939 व 941 है की भूमि की खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी वाके देह के नाम करने हेतु रेफरेंस राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जाता है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

ह०/-.

अति० कलक्टर (चतुर्थ),

जयपुर।

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–29 का विवरण)

प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण

अ. अनुज्ञा पत्रधारी डीजल बैरल पाइंट धारक

क्र.सं.	दर्ज प्रकरण संख्या	नाम/तहसील	लाइसेंस नं./वैद्यता अवधि	कार्यवाही का विवरण	पाई गई अनियमितता
1.	338/ 2000	श्री मांगीलाल, कौथून, त० चाकसू	176/31.3 2016	विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है।	पिता का नाम अनुज्ञा–पत्र में गलत लिखा है, रिकार्ड का सही संधारण नहीं है, डीजल का बिना दर निकलवाये विक्र।
2.	80/ 2001	श्री प्रहलाद/गणपत, रायथल, त०–आमेर	179/3 12.3 2016	विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है।	मूल्य सूची बोर्ड नहीं स्टोक रजिस्टर व बिल बुक निरक्षण हेतु पेश नहीं किये, मासिक नक्शा नहीं।
3.	221/ 1999	मैं. विष्णु नारायण, गौनेर, त०–सांगानेर	48/31.3. 2016	विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है।	पृथक स्थान पर व्यवसाय स्टोक बिक्री का सही संधारण नहीं करना।
4.	632/ 1999	श्री नरपत सिंह, त० आमेर	202/31.3 2016	अनुज्ञा पत्र 60 दिवस निलम्बित किया गया था तथा 1000 रुपये धरोहर राशी जब्त कर ली गयी।	रिकार्ड साधारण नहीं।

ब. गैर अनुज्ञा पत्रधारी

क्र.सं.	नाम/तहसील	जब्त माल	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	श्री बाबू खां, रायसर, त० जमवारामगढ़	780 लीटर डीजल जब्त	बिना लाइसेंस के कारण अवैद्य व्यापार जमवारामगढ़ थाने में एक एफ.आई. आर. दर्ज कर कार्यवाही जारी है।
2.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा, रायसर, त०–जमवारामगढ़	60 लीटर डीजल जब्त	उपरोक्तानुसार
3.	श्री छीतरमल, रायसर, त०–जमवारामगढ़	52 लीटर डीजल जब्त	उपरोक्तानुसार
4.	मै. यादव मोटर्स पार्ट्स, हरनेड़ा, त०–चौमूं	450 लीटर डीजल जब्त	अवैद्य व्यवसाय बिना लाइसेंस के एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।
5.	श्री यादव डीजल, हरनेड़ा, त०–चौमूं	135 लीटर डीजल जब्त	उपरोक्तानुसार
6.	श्री मंगल चन्द यादव, त०–कोटपूतली	647.750 ली. डीजल जब्त	नकली डीजल व्यापार एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई।
7.	मै. बिहारी लाल, दांतिल, त०–कोटपूतली	215 लीटर डीजल जब्त	न्यायालय के अन्तरिम निस्तारण के आदेशानुसार जब्त माल निस्तारित कर राशि राज्य कोष में जमा कराई गई।

ह०/–

जिला रसद अधिकारी,

जयपुर।

परिशिष्ट–13

सूची 'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या–32 की सूची)

राज्य में भेड़, बकरी, ऊंट व गौवंश की संख्या की सूची

(पशु गणना 1997 अनुसार)

क्र.सं.	जिला	गौ वंश	भेड़	बकरी	ऊंट
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	481457	714009	563849	4155
2.	अलवर	204628	109561	495133	20295
3.	बांसवाड़ा	580133	24154	340026	2140
4.	बारां	419784	18421	185396	2962
5.	बाड़मेर	541937	1511992	1868235	114077
6.	भरतपुर	104623	90086	150093	5285
7.	भीलवाड़ा	752200	845288	705787	9947
8.	बीकानेर	559709	1147992	642403	60678
9.	बून्दी	321137	86661	324254	5244
10.	चित्तौड़गढ़	697037	134218	489398	6139
11.	चूरू	328579	642391	836012	73230
12.	दौसा	143768	48529	228941	9401
13.	धौलपुर	75097	12986	97680	869
14.	डूंगरपुर	401058	143354	296592	4339
15.	श्रीगंगानगर	411204	350878	301437	28763
16.	जयपुर	443950	347819	693841	21666
17.	जैसलमेर	310197	1207790	893096	42984
18.	जालौर	287535	710092	466871	13803
19.	झालावाड़	430700	16411	240281	1077
20.	झुंझुनूं	122490	222795	511397	30159
21.	जोधपुर	668609	1560345	1296499	43207

1	2	3	4	5	6
22.	कोटा	268360	29167	156718	3332
23.	नागौर	486729	1171576	1088894	28878
24.	पाली	416034	1369119	605755	13297
25.	राजसमन्द	309402	219118	476785	4688
26.	सवाईमाधोपुर	186717	77989	271450	576799
27.	सीकर	213995	306360	776884	27552
28.	सिरोही	214324	302604	297430	5859
29.	टोंक	335657	310532	327784	2876
30.	उदयपुर	970232	244017	850773	9413
31.	हनुमानगढ़	312059	291792	243046	58283
32.	करौली	159181	44447	214216	6840
	योग	12158522	14312493	16936956	668237

विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों की जिलेवार सूची

सूची 'ख'

(दिनांक 21.10.2001)

क्र.सं.	जिले का नाम	रिक्त पदों का विवरण			
		वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधि०	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सा सहायक	पशुधन सहायक
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	03	03	08	06
2.	अलवर	04	--	02	01
3.	बांसवाड़ा	10	20	03	07
4.	बारां	03	16	06	11
5.	बाड़मेर	06	33	08	72
6.	भरतपुर	04	07	--	--
7.	भीलवाड़ा	02	29	26	13
8.	बीकानेर	05	--	--	16

1	2	3	4	5	6
9.	बून्दी	02	06	07	10
10.	चित्तौड़गढ़	04	25	10	38
11.	चूरू	01	09	10	19
12.	दौसा	01	01	01	--
13.	धौलपुर	01	06	07	--
14.	डूंगरपुर	07	19	--	--
15.	जयपुर	08	--	12	--
16.	जैसलमेर	03	18	06	30
17.	जालौर	05	20	08	28
18.	झालावाड़	04	15	05	24
19.	झुंझुनूं	01	01	15	--
20.	जोधपुर	10	36	25	06
21.	कोटा	04	07	03	03
22.	करौली	01	13	05	--
23.	नागौर	05	24	07	16
24.	पाली	06	18	13	24
25.	राजसमन्द	06	18	09	26
26.	सवाईमाधोपुर	03	08	04	01
27.	सीकर	04	--	08	--
28.	सिरोही	05	12	10	29
29.	श्रीगंगानगर	02	--	06	51
30.	हनुमानगढ़	02	--	07	02
31.	टोंक	02	08	04	02
32.	उदयपुर	06	28	01	30
	योग	130	400	236	465

सूची 'ग'

जिलेवार क्रय की गई औषधियों (कर सहित) की सूची

(वर्ष 2000–2001)

क्र.सं.	जिला	राशि लाखों में
1	2	3
1.	अजमेर	4.49
2.	नागौर	2.30
3.	कुचामन सिटी (नागौर)	1.93
4.	टोंक	2.63
5.	कोटा	2.40
6.	बूंदी	3.89
7.	बारां	1.05
8.	झालावाड़	3.41
9.	चित्तौड़गढ़	3.42
10.	राजसमन्द	2.89
11.	भीलवाड़ा	4.66
12.	जालौर	4.88
13.	सिरोही	2.81
14.	पाली	3.62
15.	जोधपुर	6.19
16.	जैसलमेर	3.51
17.	बाड़मेर	2.34
18.	भरतपुर	3.10
19.	धौलपुर	1.55
20.	करौली	1.55
21.	सवाईमाधोपुर	1.55
22.	बीकानेर	3.21

1	2	3
23.	श्रीगंगानगर	2.96
24.	हनुमानगढ़	2.96
25.	अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)	2.96
26.	जयपुर	7.68
27.	दौसा	2.30
28.	अलवर	2.97
29.	उदयपुर	5.76
30.	डूंगरपुर	2.37
31.	बांसवाड़ा	3.01
32.	सीकर	11.74
33.	चूरू	7.21
34.	झुंझुनूं	5.49
	योग	**124.79**

परिशिष्ट-14

सूची 'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-33 की सूची)

पशु चिकित्सा संस्थाओं में वर्ष 2000-2001 में किये गये कृत्रिम गर्भाधान की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल पशु चिकित्सा संस्था	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	82	33105
2.	टोंक	48	7059
3.	नागौर	64	20795
4.	भीलवाड़ा	119	36372
5.	चित्तौड़गढ़	80	27125
6.	राजसमन्द	78	13532
7.	जयपुर	195	67619
8.	अलवर	117	32895
9.	दौसा	60	16392
10.	भरतपुर	136	35631
11.	करौली	54	6311
12.	सवाईमाधोपुर	89	5231
13.	धौलपुर	44	9452
14.	बीकानेर	52	14986
15.	श्रीगंगानगर	96	35205
16.	हनुमानगढ़	45	21825
17.	सीकर	127	39684
18.	चूरू	47	12004

1	2	3	4
19.	झुंझुनूं	85	30149
20.	जोधपुर	57	19487
21.	जैसलमेर	08	510
22.	बाड़मेर	27	3163
23.	कोटा	50	7174
24.	बारां	35	5220
25.	झालावाड़	35	6240
26.	बून्दी	43	7916
27.	जालौर	53	5466
28.	पाली	62	11313
29.	सिरोही	40	5143
30.	उदयपुर	187	38934
31.	डूंगरपुर	127	8818
32.	बांसवाड़ा	82	10693
	योग	2374	595450

सूची 'क'

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या–34 की सूची)

वर्ष 2000–2001 एवं वर्ष 2001–2002 (माह सितम्बर, 2001 तक) में पशुओं की बीमारियों से हुई मृत्यु का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	बीमारी का नाम	मृत पशु की संख्या
1	2	3	4
वर्ष 2000–2001			
1.	चित्तौड़गढ़	खुरपका–मुंहपका	02
2.	चित्तौड़गढ़	गलघोटूं	06
3.	सवाईमाधोपुर	गलघोटूं	12
4.	भीलवाड़ा	गलघोटूं	14
5.	हनुमानगढ़	सर्रा	01
वर्ष 2001–2002			
6.	सवाईमाधोपुर	गलघोटूं	02
7.	जयपुर	खुरपका–मुंहपका	204
8.	सीकर	खुरपका–मुंहपका	97
9.	अलवर	खुरपका–मुंहपका	98
10.	झुंझुनूं	खुरपका–मुंहपका	33
	योग		469

सूची 'ख'–I

टीकाकरण की सूची

(वर्ष 2000-2001)

क्र.सं.	जिले का नाम	गलघोटू	फड़किया	खुरपका-मुंहपका
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	175245	31184	18201
2.	टोंक	100604	2014	7727
3.	नागौर	108398	54068	17044
4.	भीलवाड़ा	114805	24722	16961
5.	चित्तौड़गढ़	195846	29260	10030
6.	राजसमन्द	105713	19868	6483
7.	जयपुर	254156	11779	53863
8.	अलवर	291430	1500	15062
9.	दौसा	133085	1500	3135
10.	भरतपुर	371468	2527	8226
11.	करौली	115295	2927	918
12.	सवाईमाधोपुर	80559	3820	1485
13.	धौलपुर	124930	2884	3238
14.	बीकानेर	15000	22543	5724
15.	श्रीगंगानगर	149417	91355	16332
16.	हनुमानगढ़	26050	21691	18485
17.	सीकर	125686	14937	10702
18.	चूरू	14998	17497	4100
19.	झुंझुनूं	137652	32008	14340
20.	जोधपुर	125143	237415	16567
21.	जैसलमेर	39637	80712	4053
22.	बाड़मेर	40327	79880	3124

1	2	3	4	5
23.	कोटा	85455	5515	5963
24.	बारां	108871	12343	6785
25.	झालावाड़	133669	23487	5675
26.	बून्दी	127844	6890	7706
27.	जालौर	67660	45391	11888
28.	पाली	143281	57388	14029
29.	सिरोही	37326	31131	5156
30.	उदयपुर	223094	222783	4936
31.	डूंगरपुर	160772	24579	12894
32.	बांसवाड़ा	294456	84310	10335
	योग	4227902	1323208	341167

सूची 'ख'–II

टीकाकरण की सूची

वर्ष 2001–2002 (सितम्बर-2001 तक)

क्र.सं. 1	जिले का नाम 2	गलघोटू 3	फड़किया 4	खुरपका-मुंहपका 5
1.	अजमेर	98615	25417	3984
2.	भीलवाड़ा	77230	16958	3736
3.	नागौर	85220	38044	4854
4.	टोंक	55749	305	2857
5.	भरतपुर	344966	2327	24610
6.	धौलपुर	132645	1831	720
7.	करौली	124602	3247	2918
8.	सवाईमाधोपुर	77352	1060	5831

1	2	3	4	5
9.	बीकानेर	---	18814	4790
10.	चूरू	7285	10524	631
11.	हनुमानगढ़	37825	39938	3983
12.	श्रीगंगानगर	76457	35960	1034
13.	अलवर	267194	869	13339
14.	दौसा	139608	3343	4065
15.	जयपुर	210699	8402	66830
16.	झुंझुनूं	102985	9686	12674
17.	सीकर	84948	8773	2862
18.	बाड़मेर	26666	70003	2734
19.	जैसलमेर	32945	64589	3365
20.	जालौर	59444	39817	9839
21.	जोधपुर	53304	73322	5611
22.	पाली	93251	42819	20043
23.	सिरोही	23889	13788	2635
24.	बारां	88595	12036	5324
25.	बून्दी	102584	343	5759
26.	झालावाड़	97817	14921	6236
27.	कोटा	85332	1408	7171
28.	बांसवाड़ा	206174	49500	933
29.	चित्तौड़गढ़	123734	18444	3987
30.	डूंगरपुर	128596	1002	4045
31.	राजसमन्द	78146	19711	1921
32.	उदयपुर	127782	15812	1947
	योग	3258649	663713	241268

सूची 'क'

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-35 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के पशु चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	चिकित्सा संस्था का नाम	पशु चिकि. अधिकारी	पशु चिकि. सहायक	पशुधन सहायक	सईस	जलधारी	सफाईकर्ता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पशु चिकित्सालय, गोगुन्दा	---	---	---	---	---	---
2.	पशु चिकित्सालय, सायरा	---	---	---	---	---	---
3.	पशु चिकित्सालय, नांदेशमा	1.9.1999 से	---	---	---	---	---
4.	पशु चिकित्सालय, बगडुंदा	1.2.1997 से	---	---	---	---	---
5.	पशु चिकित्सालय, मालवाचौरा	1.7.2000 से	---	---	1.8.2001 से	---	---
6.	पशु चिकित्सालय, बेकरिया	---	---	---	1.8.2001 से	---	---
7.	पशु चिकित्सालय, वास	1.4.2000 से	---	1.4.2001 से	1.4.2000 से	---	1.4.2000 से
पशु औषधालय							
1.	पशु औषधालय, कलवाना	---	1.7.2000 से	---	---	---	---
2.	पशु औषधालय, मोरवल	---	---	---	---	---	1.3.1999 से

1	2	3	4	5	6	7	8
उपकेन्द्र							
1.	उपकेन्द्र, मजावद			1.8.2001 से	---	---	---
2.	उपकेन्द्र, चाटियाखेड़ी			---	---	---	---
3.	उपकेन्द्र, बोखाड़ा			---	---	1.8.2000 से	---
4.	उपकेन्द्र, पलासमा			---	---	---	---
5.	उपकेन्द्र, सूरजगढ़			1.7.2000 से	---	---	---
6.	उपकेन्द्र, हायला			1.1.2001 से	---	---	---
7.	उपकेन्द्र, चित्रावास			1.4.2000 से	1.4.2000 से	---	---
8.	उपकेन्द्र, ढूंढी			1.4.2000 से	1.4.2000 से	---	---
9.	उपकेन्द्र, पदराड़ा			1.4.2000 से	---	---	---
10.	उपकेन्द्र, माण्डवा			---	---	---	---
11.	उपकेन्द्र, बिकरणी			---	---	---	---
12.	उपकेन्द्र, क्यारी			---	---	---	---
13.	उपकेन्द्र, पड़ावली			---	---	---	---
14.	उपकेन्द्र, मेरपुर			1.7.1999 से	---	---	---
15.	उपकेन्द्र, सेमडाल			1.4.2000 से	1.4.2000 से	---	---
16.	उपकेन्द्र, समीजा			1.4.2000 से	1.4.2000 से	---	---

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न संख्या–37 की सूची)

बाड़मेर जिले के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	वि.वि.
1.	उप निदेशक	01	01	--	--
2.	सहायक निदेशक	01	01	--	--
3.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	06	--	06	--
4.	पशु चिकित्सा अधिकारी	55	17	38	--
5.	भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी	01	01	--	--
6.	सहायक भेड़ व बकरी अधिकारी	01	--	01	--
7.	पशु चिकित्सा सहायक	15	06	09	--
8.	पशुधन सहायक	128	52	76	--
9.	एकन्ध सहायक	09	07	02	--
10.	ड्रेसर	01	--	01	--
11.	सईस	69	39	30	--
12.	अनुबंधित सईस	13	10	03	--
13.	जलधारी	30	27	03	--
14.	गडरिया	09	08	01	--
15.	सफाईकर्त्ता	33	30	03	--
16.	अनुबंधित सफाईकर्त्ता	15	--	15	--

परिशिष्ट 'अ'

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-40 का विवरण)

COMMAND AREA DEVELOPMENT, IGNP

ANNUAL PLAN 2001-2002

FINANCIAL PROGRESS UPTO THE MONTH OF SEPTEMBER-2001

CAD, IGNP, BIKANER

No.	Scheme	Annual Plan Quality 2001-2002		Expenditure			% of	Resons of
		Annual	Targetted Quttay upto month	During the Month	Progress upto Previous Month	Total	Expdt. (Col 7 to Col 3)	shortfall
1	2	3	4	5	6	7	8	9
STATE PLAN								
I	**CAD, IGNP, Bikaner**							
1.	On Farm Development	2233.92	329.17	99.79	738.58	838.37	37.53	
2.	Antiwtriogg. & Land Recla	175.93	84.50	4.82	42.83	47.65	27.08	Disconnection of

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Roads	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	electricity on tubewells
4.	Rural Infrastructrual Development including int. roads, diggi, abadi dev. etc.	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Agriculture Extension	228.98	110.00	16.34	112.13	128.47	56.11	
6.	Adaptive res. & soil survey	117.55	53.50	6.72	36.88	43.60	37.09	Vecant posts & water
7.	World Food Programme	4.27	2.11	0.36	1.96	2.32	54.33	Shortage
8.	Co-operative	1.53	0.73	0.09	1.07	1.16	75.82	
9.	*Direction & Administration:*							
	a. Admn. Units	131.07	60.78	9.56	48.44	58.00	44.25	Vacent posts
	b. Settlement Motivation	35.63	14.58	1.84	9.95	11.79	33.09	Vacant posts
	c. Planning Studies	0.49	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d. Planning & Monitoring	24.60	10.00	1.27	7.37	8.64	35.12	Vacant posts
	e. Farmers Training	2.00	0.42	0.13	0.26	0.39	19.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f. Abadi Planning	32.50	14.50	1.90	10.08	11.98	36.86	Labour lender in
	g. Diggi Sprinklar	7.50	0.00	0.00	0.50	0.50	6.67	process
	h. PIM/Maint. of bldgs.	4.01	3.50	1.26	1.32	2.58	64.34	
	TOTAL (9)	**237.80**	**103.88**	**15.96**	**77.92**	**93.88**	**39.48**	
	TOTAL (A)	**3000.00**	**683.90**	**144.08**	**1011.37**	**1155.45**	**38.52**	
CSS								
II	**CAD, IGNP**							
1.	On Farm Development	2225.91	329.17	99.80	738.58	838.38	37.66	
2.	Adaptive res. & soil survey	117.55	53.50	6.72	36.89	43.61	37.10	vacant posts & water Shortage
3.	*Direction & Administration*							
	Admn. Units	125.52	60.78	9.57	48.45	58.02	46.22	vacant posts
	Settlement Motivation	35.63	14.58	1.83	9.96	11.79	33.09	vacant posts
	Planning & Monitoring	24.59	10.00	1.27	7.37	8.64	35.14	vacant posts
	TOTAL (3)	**185.74**	**85.36**	**12.67**	**65.78**	**75.45**	**42.24**	
	TOTAL (B)	**2529.20**	**468.03**	**119.19**	**841.25**	**960.44**	**37.97**	
	GRAND TOTAL	**5529.20**	**1151.92**	**263.27**	**1852.62**	**2115.89**	**38.27**	

ANNUAL PLAN 2001-2002
PHYSICAL PROGRESS UPTO THE MONTH OF SEPTEMBER-2001

C.A.D., I.G.N.P., BIKANER

S. No.	Scheme/Item	Unit	Target for 2001-02 Annual	Target Upto the Month	Achvt. upto 9/2000	% achive-ment (6 & 4)	Reason of Shortfall
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**O.F.D. (Stage I & II)**						
	Const. of Watercourses St-I	Ha.	2000	400	1112	55.60%	
	St-II	Ha.	37000	0	9073	24.52%	
	Total	**Ha.**	**39000**	**400**	**10185**	**26.12%**	
2.	**Agriculture Ext. (Stage I & II)**						
	(i) Framers Training	No	3600	1800	1269	35.25%	Water Shortage
	(ii) Area to be sown	Ha.	94000	14000	158921	169.06%	
	(iii) Demonstration on Farmers field	No	150	50	50	33.33%	
3.	**Settlement Motivation (St-II)**						
	(i) Settlers	No	3750	2009	133	3.55%	Ban on allotment & SMO not posted
	(ii) No of beneficiaries by Diggi/ Sprinkler Subbsidy	Ha.	15	7	9	60.00%	Admn. sanction issued

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	**Agriculture Research (Stage-II)**						
	(i) Detailed Soil Survey	Ha.	25000	5500	8837	35.35%	
	(ii) Adaptive Trails	No	150	60	112	74.67%	
	(iii) Determination of Soil Samples	No	30000	15000	34453	114.84%	
	(iv) Salinity Soil Survey	Ha.	15000	2000	2630	17.53%	
5.	**Abadi Planning**						
	(i) Plan Preparatation (a) Abadi	No	40	19	18	45.00%	Chak schemes not available
	(b) Agro Service center	No	4	2	0	0.00%	Chak schemes not available
	(c) Mandi towns	No	1	1	0	0.00%	Chak schemes not available
	(ii) Survey Works (a) Abadi	No	10	3	0	0.00%	Late finalisation of tender
	(b) Agro Service center	No	1	1	0	0.00%	Late finalisation of tender
	(c) Mandi towns	No	2	1	0	0.00%	Late finalisation of tender

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	**Anti Water Logging & Land Reclaimation**						
	(i) Construction of Piezometers	No	50	16	0	0.00%	Less availability of vechicle & Due to calibration of Instruments
	(ii) Monitoring of Piezometers						
	(a) Water Table	No	3200	2000	1684	52.63%	
	(b) Drainage	No	800	400	256	32.00%	
	(iii) Collection of Water Samples	No	2500	1250	1197	47.88%	
	(iv) Geophysical Investigation	No	300	120	122	40.67%	
	(v) Geophysical Logging	No	25	10	3	12.00%	Pump Unit busy in shifting of pump sets from tubewells.
	(vi) Pump Test/Yeild test	No	25	8	0	0.00%	
	(vii) Mechnical Analysis of Litho samples	No	50	25	19	38.00%	
	(viii) Hydogeological Investigation of DCB	No	200	80	0	0.00%	Requisition from farmers not required
	(ix) Maintenance of Piezometers (Rijuvenation operation)	No	50	15	126	252.00%	

परिशिष्ट–19

परिशिष्ट-'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या–42 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में स्वीकृत विभागीय आयुर्वेद औषधालयों का विवरण
(मय चिकित्सक एवं नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों सहित)

क्र.सं.	स्थान का नाम	रिक्त पदों का विवरण (चिकित्सक एवं नर्स कम्पाउण्डर)
1.	सायरा	--
2.	सेमड़	चिकित्सक पद फरवरी 2000 से
3.	पदराड़ा	नर्स/कम्पाउण्डर पद मार्च, 2001 से
4.	तरपाल	--
5.	श्रीमालियों की मादड़ी	--
6.	ढोल	--
7.	नान्देरमा	--
8.	रावलिया खुर्द	--
9.	रावलिया कलां	--
10.	पानेर	--
11.	कड़दा	--
12.	सामोली	नर्स/कम्पाउण्डर पद जनवरी, 2001 से
13.	माण्डवा	--
14.	पड़ावली कलां	--
15.	मालवा का चोरा	--
16.	वास	--
17.	देवला	चिकित्सक पद सितम्बर, 2001 से
18.	गोगुन्दा	औषधालय आरम्भ दिनांक से नर्स/कम्पाउण्डर पद रिक्त
19.	सेमटाल	पद स्वीकृत नहीं/औषधालय वर्ष 1999-2000 में नवीन स्वीकृत

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-44 का विवरण)

जयपुर शहर में संचालित विभागीय होम्योपैथिक औषधालयों की सूची, पदस्थापित चिकित्सक के नाम एवं गत तीन वर्षों की औसत दैनिक रोगी संख्या

क्र.सं.	नाम औषधलय	पदस्थापित चिकित्सक का नाम	कार्यारम्भ दिनांक	औसत दैनिक रोगी संख्या		
				1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7
1.	बापूनगर-जयपुर	डॉ. अनिल जोशी	21.10.2000	115	143	216
2.	हीरापुरा-जयपुर	डॉ. सुनिल माथुर	22.10.2000	49	77	148
3.	गांधीनगर-जयपुर	डॉ. साधना शर्मा	22.05.1999	181	181	465
4.	सोडाला-जयपुर	डॉ. बजरंग सिंह	25.08.2001	52	53	63
5.	सचिवालय-जयपुर	डॉ. बलवीर सिंह	06.11.2000	488	579	738
6.	विद्याधरनगर-जयपुर	डॉ. विजय शर्मा	19.05.1999	109	266	293
7.	पुलिसलाइन-जयपुर	डॉ. विनोद शर्मा	22.05.1999	79	182	384
8.	सैठी कालोनी-जयपुर	डॉ. मनमोहन सिंह	25.10.2000	251	280	348

1	2	3	4	5	6	7
9.	विधान सभा–जयपुर	डॉ. जयकिशन शर्मा	29.07.2000	557	555	576
	(दो पद स्वीकृत)	डॉ. नरेन्द्र प्रसाद माथुर	03.03.1997			
10.	मानसरोवर–जयपुर	डॉ. नमिता राजवंशी	22.05.1997	243	387	408
11.	सांगानेर–जयपुर	डॉ. गीता सिंह	24.03.1997	110	143	169

नोट : 1. मानसरोवर जयपुर का होम्योपैथिक औषधालय, राज्यादेश दिनांक 27.7.2001 द्वारा एयरपोर्ट थाना सर्कल सांगानेर से स्थानान्तरित किया गया है।

2. राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, सचिवालय जयपुर में डा. श्रुत धाकड़ राज्यादेश दिनांक 24.7.2000 से होम्योपैथिक औषधालय, झुंझुनूं से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

3. राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, बापूनगर जयपुर में डा. प्रवीणा खराड़ी राज्यादेश दिनांक 24.8.2001 से होम्योपैथिक औषधालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा) से प्रतिनियुक्ति पर है।

परिशिष्ट–21

परिशिष्ट–'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या–45 का विवरण)

बाड़मेर जिले में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर व परिचारक के स्वीकृत पदों एवं वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	स्थान औषधालय	स्वीकृत पदों की संख्या			रिक्त पदों का विवरण
		चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर	परिचारक	
1	2	3	4	5	6
1.	अ श्रेणी चिकित्सालय, बाड़मेर	2	4	3	एक पद कम्पाउण्डर
2.	बालोतरा	1	2	1	एक चिकित्सक एवं दो कम्पाउण्डर
3.	सिवाना	1	1	1	————
4.	समदड़ी	1	1	1	कम्पाउण्डर
5.	इन्द्राणा	1	1	1	सभी पद रिक्त
6.	उण्डखा	1	1	1	चिकि., कम्पाउण्डर
7.	गंगाला	1	--	1	————
8.	विशाला	1	--	1	————
9.	जसाई	1	1	1	कम्पाउण्डर
10.	लंगेरा	1	1	--	————
11.	उण्डू	1	1	1	————
12.	सिणहारी	1	1	1	————
13.	स्वरूपका तरना	1	--	--	————
14.	खोखसर	1	1	1	कम्पाउण्डर
15.	असाड़ा	1	1	1	————
16.	द्रूपरा	1	1	1	परिचारक
17.	साजीयाली	1	--	1	————
18.	कुण्डल	1	1	1	कम्पाउण्डर
19.	परालिया	1	1	1	परिचारक
20.	सिमरकिया पुरोहितान	1	1	1	नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक

1 2	3	4	5	6
21. शिवनगरी	1	1	--	------------
22. कोटड़ा	1	--	1	परिचारक
23. जेठन्तरी	1	1	1	कम्पाउण्डर
24. बीजराड़	1	--	1	------------
25. नीसासर	1	--	1	परिचारक
26. चामनोर	1	1	1	------------
27. गंगासरा	1	1	1	कम्पाउण्डर, परिचारक
28. कवास	1	1	1	कम्पाउण्डर
29. सवाउपदमसिंह	1	--	1	------------
30. मोरड़िया	1	1	1	------------
31. मांडरवा	1	1	1	कम्पाउण्डर
32. सेतनियाला	1	1	1	कम्पाउण्डर
33. बामडला	1	1	--	------------
34. मुन्डिया	1	1	--	------------
35. दूदू	1	1	--	कम्पाउण्डर
36. सिंधासवा हरनियाव	1	1	1	------------
37. रतनपुरा	1	1	1	------------
38. भेड़ाना	1	1	1	कम्पाउण्डर
39. मेहलू	1	--	1	------------
40. खुडाला	1	1	1	------------
41. नोखडा	1	--	1	------------
42. जूनामीठा खेड़ा	1	1	1	कम्पाउण्डर
43. सणपामाणजी	1	1	1	------------
44. होडू	1	--	1	------------
45. जानपालिया	1	1	1	कम्पाउण्डर, परिचारक

1	2	3	4	5	6
46.	राखी	1	1	1	------------
47.	खण्डप	1	1	1	कम्पाउण्डर
48.	मोखलसर	1	1	1	------------
49.	जसोल	1	1	1	कम्पाउण्डर
50.	पचपदरा	1	1	1	------------
51.	खेडमन्दिर	1	1	1	------------
52.	कोटड़ी	1	1	1	परिचारक
53.	करमावास	1	1	--	------------
54.	गुडामालानी	1	1	1	------------
55.	चौहटन	1	1	1	------------
56.	हरसाणी	1	1	1	------------
57.	कौशलू	1	1	1	------------
58.	अमरलाई	1	1	1	------------
59.	पायेदी	1	1	1	------------
60.	कालेवा	1	1	1	परिचारक
61.	अरावा दूधावतान	1	1	1	परिचारक
62.	खड़ीन बड़ी	1	1	--	चिकित्सक
63.	सेतराऊ	1	1	1	चिकित्सक, नर्स/कं.
64.	जयसिन्दर	1	1	--	चिकित्सक
65.	सज्जन का पार	1	1	1	चिकित्सक
66.	पांधी का पार	1	1	1	चिकित्सक, नर्स/कं.
67.	सिमरकिया खारा	1	1	1	चिकित्सक
68.	सेवाली	1	1	--	------------
69.	कोनरा	1	1	1	चिकित्सक, कम्पा.
70.	रानी देशीपुरा	1	1	1	चिकित्सक, परिचारक

1	2	3	4	5	6
71.	बाबड़ीकला	1	1	1	चिकित्सक, कम्पा.
72.	नवातला सेतमाल	1	1	--	------------
73.	आसोतरा	1	1	1	------------
74.	नीम्बला	1	1	1	चिकित्सक
75.	दाखा	1	1	--	कम्पाउण्डर
76.	शहदाद का पार	1	1	1	चिकित्सक, कम्पा.
77.	गिराब	1	--	--	चिकित्सक
78.	अरणीयाली	1	1	1	चिकित्सक, परिचारक
79.	रावतसर	1	--	1	चिकित्सक
80.	खानियानी	1	1	1	चिकित्सक
81.	पादव	1	1	1	------------
82.	बामसीन	1	1	--	------------
83.	मिठूड़ा	1	1	1	चिकित्सक, परिचारक
84.	आयतू	1	1	1	चिकित्सक
85.	धोरीमन्ना	1	--	1	चिकित्सक
86.	सुधाबेरी	1	1	1	चिकित्सक, कम्पा.
87.	बाधराऊ	1	1	1	चिकित्सक, परिचारक
88.	ढिंढस	1	1	1	सभी पद रिक्त हैं।
89.	चल चिकित्सा इकाई बाड़मेर	--	2	2	एक पद कम्पाउण्डर